भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

RESERVE BANK OF INDIA LIBRARY
G0 24162
13.1.86

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1984-85

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1984-85

R.B.I.
G0 24162

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत
30 जून, 1985 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1985 submitted to the Central Government in terms of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति-संबंधी रिपोर्ट 1984-85

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA 1984-85

प्रेषण-पत्र

LETTER OF TRANSMITTAL

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
बंबई

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
BOMBAY

9 दिसम्बर 1985
18 अग्रहायण 1907 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली - 110 001.

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून, 1985 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट" की दो प्रतियां मैं इसके साथ प्रेषित करता हूं।

भवदीय,

(रा. ना. मलहोत्रा)
गवर्नर.

December 9, 1985
Agrahayana 18, 1907 (Saka)

The Secretary to
the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

In pursuance of the provisions of Section 36 (2) of the Banking Regulation Act, 1949, I transmit herewith two copies of the Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1985.

Yours faithfully,

(R. N. Malhotra)
Governor.

विषय वस्तु
CONTENTS

1. प्रस्तावना
1. INTRODUCTION 1
2. वाणिज्य बैंक व्यवसाय
2. COMMERCIAL BANKING
समग्र समीक्षा
Overall Review 13
जमाराशियों और ऋण की प्रवृत्तियां
Trends in Deposits and Credit 14
निवेश और नकदी शेष
Investments and Cash Balances 18
बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता
Reserve Bank's Accommodation to Banks 19
ऋण नीति
Credit Policy 22
ऋण बजट
Credit Budgets 32
चयनात्मक ऋण नियंत्रण
Selective Credit Control 33

ऋण का वितरण
Deployment of Credit 39
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम
Priority sector advances 45
नये 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता
Financial assistance for implementation of the New 20-Point Programme 46
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली
Recovery of direct agricultural advances 49
अनिवासी खाते
Non-resident accounts 49
क्षेत्रवार और राज्यवार ऋण-जमा अनुपात
Region-wise and State-wise Credit-deposit ratios 51
ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों में ऋण-जमा अनुपात
Credit-deposit ratios in rural and semi-urban centres 51
वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋण
Term lending by commercial banks 58
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Regional rural banks 68

विशेष ऋण योजनाएं/सुविधाएं
Special Credit Schemes/Facilities

ऋण प्राधिकरण योजना
Credit Authorisation Scheme 73
रुग्ण औद्योगिक उपक्रम
Sick Industrial Undertakings 78
जूट उद्योग को ऋण
Advances to Jute Industry 79
बंबई में रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता
Financial assistance to sick textile mills in Bombay 80
गुजरात में रुग्ण और बंद कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता
Financial assistance to sick and closed textile mills in Gujarat 80
तम्बाकू उद्योग की ऋण आवश्यकताएं
Credit needs of Tobacco Industry 81
विभेदक ब्याज दर योजना
Differential Rate of Interest Scheme 83
शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना
Self-employment Scheme for educated unemployed youth 83
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
Integrated Rural Development Programme 85
प्राकृतिक आपदाओं,दंगों आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को बैंक सहायता
Bank assistance to persons affected by natural calamities, riots, etc 86
राष्ट्रीय बायो-गैस कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त
Bank finance for National Bio-gas Programme 87
अग्रणी बैंक योजना
Lead Bank Scheme 89
आवास वित्त
Housing Finance 92
निर्यात वित्त
Export Finance 92
शाखा विस्तार
Branch Expansion 93
ग्रामीण शाखा विस्तार
Rural Branch Expansion 94
बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना
Licensing of Banks 98
समामेलन
Amalgamation 100
परिसमापन
Liquidation 101
विदेशी शाखा विस्तार
Overseas Branch Expansion 101

बैंकिंग सहायक-जमा-राशियां स्वीकार करने वाली कम्पनियां
Banking Subsidiaries-Deposit-taking Companies 101
विनिमय कम्पनियों तथा बैंकों के साथ प्रबंध सेवा करार
Management Services contracts with exchange companies and banks 102
भारत में विदेशी बैंक
Overseas Banks in India 102
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम - 1983
Working Results of Scheduled Commercial Banks - 1983 103
बैंकों का निरीक्षण
Inspection of Banks 104
भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण
Control and Supervision of Overseas Operations of Indian banks 107
बैंकों में धोखाधड़ियां
Frauds in banks 108
समितियां, कार्यकारी दल, सेमिनार आदि
Committees, Working Groups, Seminars, etc.
रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पुनःस्थापना से संबंधित समिति
Committee on Rehabilitation of Sick Industrial Undertakings 108
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना
Establishment of the Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) 109
निर्देश सम्बन्धी समिति
Committee of Direction 109
गैर-कम्पनी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के खातों की लेखा-परीक्षा
Audit of Accounts of Non-corporate Borrowers 110
स्थायी समन्वय समिति
Standing Co-ordination Committee 111
चीनी उद्योग के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन हेतु स्थायी समिति
Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for Sugar Industry 113
जूट उद्योग के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन हेतु स्थायी समिति
Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for Jute Industry 113
उर्वरक उद्योग के लिए स्थायी समिति की उप-समितियां
Sub-committees of Standing Committee for Fertiliser Industry 114
निर्यात-वित्त से सम्बंधित स्थायी समिति
Standing Committee on Export Finance 114
अखिल भारतीय निर्यात परामर्श-दात्री समिति
All-India Export Advisory Committee (AIEAC) 116
निर्यात-ऋण पर एक-दिवसीय सेमिनार
One-day Seminars on Export Credit 117
परियोजना निर्यातों के लिए कार्यकारी दल
Working Group for Project Exports 117

बैंककारी विधान तथा अन्य विनियम
Banking Legislation and Other Regulations
बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
Banking Laws (Amendment) Act, 1983 117
बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट
Banking Laws Committee's Report 120
परक्राम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट
Report on Negotiable Instruments Law 120
निजी सम्पत्ति प्रतिभूति विधि पर रिपोर्ट
Report on Personnal Property Security Law 121
वास्तविक सम्पत्ति प्रतिभूति विधि पर रिपोर्ट
Report on Real Property Security Law (RPSL) 121
राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का गठन
Composition of the Boards of Directors of the Nationalised Banks 121
विदेशी बैंकों के स्थानीय सलाहकार मण्डल
Local Advisory Boards of Foreign Banks 121
विविध
Miscellaneous
तार अंतरण भुनाई सुविधा
Telegraphic Transfer Discounting Facility 122
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viiiक) का विस्तार
Extension of Section 36(1)(viiia) of Income-tax., 1961 to Public Sector Banks 122
भारतीय स्टेट-बैंक तथा उसके सहायक बैंकों की पूंजी में वृद्धि
Increase in the Capital of State Bank of India and its Associates 123
बैंकों के प्रकाशित लेखों के फार्मेट पर विचार करने के लिए समिति
Committee to consider format of published accounts of banks 123
सरकारी क्षेत्र के बैंकों में फार्मों को युक्तिसंगत बनाना तथा उनके नये डिज़ाइन बनाना
Rationalisation and redesigning of forms in Public Sector Banks 124
बैंकों में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण
Mechanisation/Computerisation in Banks 124
ऋण सूचना योजना
Credit Information Scheme 125
बैंकों में हिन्दी की प्रगति/प्रयोग
Promotion/Use of Hindi in Banks 126
सरकारी विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं आदि के बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी
Payment of interest on Savings Bank Accounts of Government Departments, Quasi-Government Institutions, etc. 127
3. **सहकारी बैंकिंग**
3. **Co-operative Banking**
विहगावलोकन
Overview 144

सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति
Progress of Credit Co-operatives 145
ऋण-नीति
Credit Policy 149
जमाराशियों तथा ऋण पर ब्याज की दरें
Deposit and Lending Rates 149
अग्रिमों के लिए अधिकतम सीमा
Maximum limit on advances 150
सहायता संघीय वित्त
Consortium Finance 155
अन्य नीतिगत उपाय
Other policy Measures
कार्यकारी समितियों का गठन और कार्य
Organisation and Functioning of Functional Societies 155
दार्जीलिंग चाय बागानों का नवीकरण
Rejuvenation of Darjeeling Tea Gardens 156
निधियों के स्रोत और उपयोग
Sources and Uses of Funds 156
नाबार्ड के संसाधन
Resources of NABARD 156

कृषि के लिए नाबार्ड-सहायता
NABARD Assistance for Agriculture 159

अल्पावधि ऋण
Short-term Credit 159

मौसमी कृषि कार्यों का वित्त पोषण
Financing of Seasonal Agricultural Operations 159

मध्यावधि ऋण
Medium-term Credit 160
परिवर्तन ऋण
Conversion Loans 160
दीर्घावधि ऋण
Long-term Credit 165
महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन
Important Policy Changes 165
मौसमी कृषि कार्य
Seasonal Agricultural Operations 165
उर्वरकों का वितरण
Distribution of Fertilizers 165

मध्यावधि ऋण
Medium-term Credit 166
दीर्घावधि ऋण
Long-term credit 166

डेरी विकास के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए भी निवेश-पूर्व लागत के रूप में बीमा प्रीमियम की सुविधा देना
Extension of Insurance Premium as pre-investment cost to activities other than Dairy Development 167

राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए अंतर्गत वित्त की व्यवस्था
Provision of Interim Finance to SLDBs 167
राज्य भूमि विकास बैंकों में उपरिदेयों की समीक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत
Guidelines for Review of Overdues in LDBs 168
राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम और संसाधन
Lending Programme and Resources of SLDBs 168
योजनाबद्ध ऋणों के तहत पुनर्वित्त सहायता
Refinance Assistance under Schematic lending 169
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वितरण
Disbursements Under IRD Programme 175
पुनर्वित्त सुविधायें, नीतिगत परिवर्तन
Refinance facilities: Policy changes 175
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनायें
Schemes for development of Scheduled castes/Scheduled tribes 175
कृषि मशीनीकरण के लिए पुनर्वित्त
Refinance for farm mechanisation 177
टायर गाड़ियों के लिए पुनर्वित्त
Refinance for tyre carts 177
औद्योगिक सहकारी संस्थाएं
Industrial Co-operatives 178
हरकरघा बुनकर समितियों को पुनर्वित्त
Refinance to Handloom Weavers' Societies 178
अन्य औद्योगिक सहकारी संस्थायें
The other Industrial Co-operatives 179
रेशम विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं
Refinance facilities for Seri-culture development 180
नारियल के रेशा उद्योग के विकास के लिए पुनर्वित्त
Refinance for development of Coir-industry 181
बायो-गैस कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त सुविधा
Refinance facility for Bio-gas Programme 182

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
Primary (Urban) Co-operative Banks 182
अनिवासी (सामान्य/बाह्य) रुपया खाते
Non-Resident (Ordinary/External) Accounts in Rupees 184
जमाराशियों पर ब्याज की दरें
Interest Rates on Deposits 184
मूल्यों में उतार चढ़ाव वाली वस्तुओं पर अग्रिम
Advances against sensitive commodities 185
लघु औद्योगिक इकाइयों तथा लघु उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के लिए नि. बी. प्र. गा. नि. योजना
DICGC Scheme for financing of SSI units and small borrowers 185
सहकारिता के ढांचे को मजबूत करना और उसका भावी विकास
Strengthening and future development of co-operative structure 185
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन और पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का भावी विकास
Re-organisation of PACS and future development of reorganised PACS 185
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना
Rehabilitation of CCBs/SCBs 186
राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम
Rehabilitation Programme of SLDBs 187
अनुसंधान और विकास निधि
Research & Development Fund (R & D) 187
अन्य गतिविधियाँ
Other Developments 188
ऋण प्राधिकरण योजना
Credit Authorisation Scheme 188
संसाधन/वचनबद्धताएं स्थिति
Resources/Commitments Position 189
ऋण वितरण प्रणाली के लिए मार्गदर्शी परियोजना
Pilot Project for Credit delivery system 189
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण
Financing of individuals for purchase of consumer durables 190
शुष्क भूमि पर कृषि का विकास
Promotion of Dry-land Agriculture 190
फसल बीमा
Crop Insurance 191
राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना
Licensing of State/Central Co-operative Banks 193
बैंकों का निरीक्षण
Inspection of Banks 193
अध्ययन दल/समितियाँ/कार्यकारी दल
Study Teams/Committees/Working Groups 193

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति
Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks 193
सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मीयादी ऋण प्रदान करने से संबंधित समिति
Committee on Term-lending through Co-operatives (COTELCOOP) 194
गैर-कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए समिति
Committee on Financing of Non-Farm Activities 195
तकनीकी योजनाओं पर सलाहकार समिति
Advisory Committee on Technical Schemes 195
कृषि ऋण देने के संदर्भ में राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा संसाधनों को शामिल करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में गठित कार्यकारी दल
Study Group on Norms for involvement of Resources by States and Central Co-op. Banks in Agricultural lending 196
वित्तीय संस्थाओं का अतिदेय राशियों की समीक्षा करने के लिए अध्ययन दल
Study Teams for Review of overdues of Financial Institutions 197
राज्य भूमि विकास बैंकों के क्षेत्रों और कार्यकलापों की जाँच के लिए कार्यकारी दल
Working Group to examine the scope and functions of SLDBs 197
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों को ऋण समर्थन से संबंधित आंकड़ों को जुटाने के लिए कार्यकारी दल
Working Group on Data Collection relating to credit support to retail outlets of the Public distribution system 198
राज्य हथकरघा विकास निगम को बैंक ऋण दिये जाने से संबंधित कार्यकारी दल
Working Group on Bank Credit to State Handloom Development Corporation 198

4. अन्य वित्तीय संस्थाएँ

4. Other Financial Institutions

वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता
RBI Assistance to financial Institutions 200
मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के कार्यकलाप
Operations of Term Lending Institutions 204
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Industrial Development Bank of India 207
राज्य वित्तीय निगम
State Financial Corporations 210
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
Unit Trust of India 211
निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 215
भारतीय निर्यात आयात बैंक
Export-Import Bank of India 225

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की अनुक्रमणिका
INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

सारणी संख्या Table No.		पृष्ठ सं. Page No.
	अध्याय 2 Chapter 2	
2.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े Scheduled Commercial Banks' Data	16
2.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक की सहायता R.B.I. Accommodation to Scheduled Commercial Banks	21
2.3	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण Sectoral Deployment of Gross Bank Credit	40-41
2.4	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	43-44
2.5	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम Scheduled Commercial Banks' Advances to Priority Sectors	47-48
2.6	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों के अंतर्गत शेष Balances under Non-Resident (External) Rupee Accounts and Foreign Currency (Non-Resident) Accounts	50
2.7	ऋण स्वीकृति तथा उपयोग के अनुसार ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratios according to Sanction and Utilisation of Credit	52-53
2.8	जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात State-wise Credit-Deposit Ratios of Offices of Public and Private Sector Scheduled Commercial Banks according to Population Group	54-55
2.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्तिवार वितरण Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Scheduled Commercial Banks	57
2.10	ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण State-wise Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Offices of Scheduled Commercial Banks in Rural Centres	59-62
2.11	अर्ध शहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण State-wise Frequency Distribution of Districts based on Credit-Deposit Ratios of Offices of Scheduled Commercial Banks in Semi-Urban Centres	63-66
2.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण Scheduled Commercial Banks' Term Loans	67

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की अनुक्रमणिका
INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

सारणी संख्या Table No.		पृष्ठ सं. Page No.
2.13	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार कार्यालय State-wise Office of Regional Rural Banks	69
2.14	जून 1969, 1984 और फरवरी 1985 के अंत में बैंक कार्यालयों तथा जनसंख्या प्रति बैंक कार्यालय का राज्यवार वितरण State-wise Distribution of Bank Offices and Population per Bank Office as at the end of June 1969, 1984 and February 1985	95-96
2.15	1983-84 और जुलाई 84 से फरवरी 1985 तक के दौरान खोले गये कार्यालयों का बैंक समूहवार वितरण Bank Group-wise Distribution of Offices opened during 1983-84 and July 1984 upto February 1985	97
2.16	वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices	99
2.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकारी परिणाम Working Results of Scheduled Commercial Banks	105-106

परिशिष्ट
Appendix

I	1 अप्रैल, 1985 से लागू ब्याज-दर ढांचा Interest Rates Structure effective from April 1, 1985	128-137
II	रिज़र्व बैंक की प्रेषण-सुविधा-योजना के अंतर्गत तार अंतरण, बैंक ड्राफ्ट और डाक अंतरण की दरें Rates for Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme	138-143

अध्याय 3
Chapter 3

3.1	भारत में सहकारी ऋण आंदोलन की प्रगति Progress of Co-operative Credit Movement in India	146-147
3.2	सहकारी ढांचे (अल्पावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें Rates of Interest charged at various levels of the Co-operative Structure (Short-term Agricultural Loans)	151-152
3.3	सहकारी ढांचे (मध्यावधि कृषि ऋण) के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें Rates of Interest charged at various levels of the Co-operative Structure (Medium-term Agricultural Loans)	153-154
3.4	सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को नाबार्ड ऋण, 1983-84 और 1984-85 NABARD Credit to Co-operatives and State Governments, 1983-84 1984-85	161-164

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की अनुक्रमणिका
INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

सारणी संख्या Table No.		पृष्ठ सं. Page No.
3.5	भूमि विकास बैंकों के संसाधन Resources of Land Development Banks	170
3.6	1983-84 और 1984-85 के दौरान नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की प्रयोजनवार स्वीकृतियां और वितरण Purpose-wise Sanctions/Disbursements of Refinance Assistance by NABARD during 1983-84 and 1984-85	171
3.7	नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता का एजेंसीवार स्वीकृति और वितरण – 1983-84 और 1984-85 Agency-wise sanctions and Disbursements of Refinance Assistance by NABARD during 1983-84 & 1984-85	173
3.8	नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण Region-wise Disbursements of Refinance Assistance by NABARD	174
3.9	नाबार्ड द्वारा कम विकसित और/या बैंक रहित राज्यों में पुनर्वित्त सहायता का वितरण (योजनाबद्ध ऋण) Disbursements of Refinance Assistance by NABARD to less developed and/or under-banked States (Schematic Lending)	176
	अध्याय 4 **Chapter 4**	
4.1	वित्तीय संस्थाओं को भा. रि. बैं. द्वारा स्वीकृत सहायता-(जुलाई-जून) 1983-84 और 1984-85 Assistance sanctioned by R.B.I. to Financial Institutions (July-June) 1983-84 & 1984-85	202
4.2	1983-84 और 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान-मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा सहायता Assistance by Term-lending Institutions during 1983-84 & 1984-85 (April-March)	205
4.3	भा. औ. वि. बैं. द्वारा 1983-84 और 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान और अपनी शुरूआत से स्वीकृत और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपयोग में लायी गयी वित्तीय सहायता Assistance sanctioned by the IDBI and utilised by the assisted conerns during 1983-84 & 1984-85 (April-March) and since inception	209
4.4	राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन Operations of State Financial Corporations	211
4.5	भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनावार बिक्रियां और पुनर्खरीद Scheme-wise Sales and Repurchases by UTI	213
4.6	नि. बी. प्र. गा. नि. के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्यौरे Sector-wise details of DICGC's Guaranteed Advances	218 219
4.7	निर्यात-आयात बैंक के कार्य Operations of EXIM Bank	228

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की अनुक्रमणिका
INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

ग्राफ सं. Graph Nos.		निम्नलिखित पृष्ठ के सामने Facing Page
1	अनुसूचित वाणिज्य बैंक-चुनी हुई मदें Scheduled Commercial Banks - Selected Items	20
2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी, निवेश और ऋण-जमा अनुपात Scheduled Commercial Banks' Cash, Investments and Credit-Deposit Ratios	21
3	सकल बैंक ऋणों का क्षेत्रवार वितरण 1983-84 तथा 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उतार-चढ़ाव Sectoral Depolyment of Gross Bank Credit Variations during 1983-84 and 1984-85 (April-March)	21
4	प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या Average Population per Commercial Bank Office	94
5	वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या Number of Offices of Commercial Banks	95
6	कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण Co-operative Loans for Agricultural Purposes	148
7	कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण NABARD Credit for Agricultural Purposes	149
8	नाबार्ड के कार्य (योजना वित्त) Operations of NABARD (Scheme Finance)	149

टिप्पणी : सभी सारणियों में, जहां आवश्यक है आंकड़े उचित रूप से पूर्णांकित कर दिये गये हैं । इस पूर्णांकन के कारण कुछ मामलों में, घटक मदों और अनुरूपी जोड़ की राशि में मामूली भिन्नता दिखाई देगी । सारणियों से इतर सामग्री में आंकड़े पूर्णांक में दिये गये हैं । लेकिन, तुलनात्मक प्रतिशत मूल आंकड़ों (अर्थात् पूर्णांकन से पहले) पर आधारित हैं ।

Note : In all the tables, wherever necessary, each figure has been suitably rounded off. Owing to this rounding off, an apparent slight discrepancy may be noted in some cases between the sum of the constituent items and the corresponding total. Rounded figures are given in the running matter. The relative percentages are, however, based on the original figures (i.e., before rounding off).

ABBREVIATIONS

AAP	—	Annual Action Plan
ARDC	—	Agricultural Refinance and Development Corporation
B R Act	—	Banking Regulation Act
CAD	—	Command Area Development
CAS	—	Credit Authorisation Scheme
CCB	–	Central Co-operative Bank
C/D Ratios	—	Credit-Deposit Ratios
COD	—	Committee of Direction
COTELCOOP	—	Committee on Term Lending through Co-operatives
CRAFICARD	—	Committee to Review the Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development
CRR	—	Cash Reserve Ratio
CRTS	—	Charitable and Religious Trusts and Registered Societies
DCP	—	District Credit Plan
DIC	—	District Industries Centre
DICGC	—	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DLRMs	—	District Level Review Meetings
DRI Scheme	—	Differential Rate of Interest Scheme
ECGC	—	Export Credit and Guarantee Corporation
EOUs	—	Export-Oriented Units
Exim Bank	—	Export-Import Bank of India
FCI	—	Food Corporation of India
FCNR Scheme	—	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme
FEDAI	—	Foreign Exchange Dealers' Association of India
FSS	—	Farmers' Service Societies
GIC	—	General Insurance Corporation
HUDCO	—	Housing and Urban Development Corporation
IBA	—	Indian Banks' Association
IBRD	—	International Bank for Reconstruction and Development
ICICI	—	Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDA	—	International Development Association
IDBI	—	Industrial Development Bank of India
IFCI	—	Industrial Finance Corporation of India
IRDP	—	Integrated Rural Development Programme
IRCI	—	Industrial Reconstruction Corporation of India
ISB Component	–	Industries, Services and Business Component
JCI	—	Jute Corporation of India
KVIC	—	Khadi and Village Industries Commission
LAMPS	—	Large size adivasi multi-purpose society/societies
LC	—	Letter of Credit
LDB	—	Land Development Bank
LDOs	—	Lead District Officers
LIC	—	Life Insurance Corporation
NABARD	—	National Bank for Agriculture and Rural Development
NIBM	—	National Institute of Bank Management

NPBD	—	National Project for Bio- gas Development
NRC (LTO)	—	National Rural Credit (Long-term Operations) Fund
NRE Scheme	—	Non-Resident (External) Rupee Accounts scheme
PACS	—	Primary Agricultural Credit Societies
PCB	—	Primary (urban) Co-operative Banks
PEP Committee	—	Working Group on Banking Costs, Operational Efficiency and Profitability of Banks
PLDB	—	Primary Land Development Bank
RBI	—	Reserve Bank of India
R and D Fund	—	Research and Development Fund
RRB	—	Regional Rural Bank
SBI	—	State Bank of India
SC/ST	—	Scheduled Castes/scheduled Tribes
SCB	—	State Co-operative Bank
SEB	—	State Electricity Board
SFC	—	State Financial Corporation
SLDB	—	State Land Development Bank
SLR	—	Statutory Liquidity Ratio
SLRMs	—	State Level Review Meetings
SRTC	—	State Road Transport Corporation
SSI	—	Small-scale Industries
TT	—	Telegraphic Transfer
UTI	—	Unit Trust of India

अध्याय 1
प्रस्तावना

वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) की बैंकिंग क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं ये थीं : तीन वर्षीय शाखा-विस्तार कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्यान्नों के स्टॉक एक नये शिखर तक पहुंच गये और इसकी वजह से खाद्य-ऋणों में नाटकीय वृद्धि हुई, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के वित्तपोषण के बारे में बैंकों की वचनबद्धता में भी बढ़ोतरी हुई तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने कि दिशा में बैंकों ने दृढ़ निश्चय के साथ कदम उठाये।

1.2 बैंकिंग क्षेत्र में हुई इस समग्र प्रगति को दो मूलभूत तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए अर्थात् वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि और मूल्यों की वृद्धि दर। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रही; किन्तु यह दर संतोषजनक मानी जा सकती है क्योंकि यह वृद्धि गत वर्ष की 7.4 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर के तुरंत बाद प्राप्त की गयी। यद्यपि कृषि-क्षेत्र में वृद्धि दर नगण्य रही, औद्योगिक उत्पादन में 1983-84 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 5.6 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि हुई।

1.3 मूल्य के क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में स्वागत योग्य कमी आयी। बिन्दुवार आधार पर थोक मूल्य सूचकांक ने 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 1983-84 के 8.9 प्रतिशत की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की और साप्ताहिक औसतों के आधार पर यह 9.5 प्रतिशत से घट कर 7.1 प्रतिशत हो गयी। यह कमी उपभोक्ता मूल्यों में विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुई जिसमें 1983-84 के 11.2 प्रतिशत की तुलना में 1984-85 में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

CHAPTER 1
INTRODUCTION

The banking scenario in 1984-85 (July-June) was characterised by the successful implementation of the three-year branch expansion programme, a sizeable accretion to deposits, a dramatic expansion in food credit consequent on the foodgrains stocks with the public sector reaching a new peak, increasing commitment of banks in respect of financing public sector investments and a determined thrust, on the part of banks, to attain the priority sector targets and sub-targets.

1.2 The movements in banking aggregates have to be viewed in the context of two basic factors namely, growth in real national income and the rate of price rise. According to the preliminary estimates, the growth rate in real national income during 1984-85 (April-March) was in the range of 3.5 per cent to 4 per cent; but this rate could be regarded as satisfactory since it was achieved close on the heels of an unusually high growth rate of 7.4 per cent witnessed during the previous year. While the growth rate in the agricultural sector was negligible, industrial production recorded a fractional increase from 5.5 per cent in 1983-84 to 5.6 per cent.

1.3 On the price front there was a welcome deceleration in inflation. The wholesale price index on a point-to-point basis, showed a rise of 7.4 per cent in 1984-85 (April-March) as against 8.9 per cent in 1983-84, and on the basis of weekly averages, the decline was from 9.5 per cent to 7.1 per cent. The deceleration was more conspicuous in consumer prices, the index recording a rise of 5 per cent in 1984-85 as compared with 11.2 per cent in 1983-84.

1.4 अनुसूचित वाणिज्य-बैंकों की समग्र जमाराशियों में राशि की दृष्टि से 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 11,753 करोड़ रुपये की उच्चतर वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 10,581 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, किन्तु वृद्धि दर में पिछले वर्ष के 19.6 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी-सी कमी आयी और वह 1984-85 में 18.2 प्रतिशत रही। अलबत्ता, इस कमी को 1984-85 के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय की निम्नतर दर और साथ ही, तुलनात्मक रूप से निम्नतर मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में देखना होगा। वस्तुत: यह देखने में आया है कि मार्च 1985 के अंत की स्थिति के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र जमाराशियां 1984-85 के दौरान (चालू मूल्यों पर)अनुमानित राष्ट्रीय आय के 35.4 प्रतिशत के बराबर थीं। इसकी तुलना में पिछले दो वर्षों में वे 33-34 प्रतिशत थीं। 1984-85 के दौरान जमाराशियों में वृद्धि की एक प्रमुख बात यह थी कि वह वृद्धि वर्ष की चारों तिमाहियों में रही। यह पिछले 3 वर्षों की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, जबकि अक्तूबर-दिसंबर की तिमाहियों में बहुत अधिक वृद्धि के बाद जनवरी-मार्च की तिमाहियों में काफी मात्रा में कमी आ जाती थी। जनवरी-मार्च 1985 के दौरान जमाराशियों में 1,165 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 1984, 1983 और 1982 की तदनुरूप तिमाहियों में क्रमश: 630 करोड़ रुपये, 719 करोड़ रुपये और 390 करोड़ रुपये की कमी देखने में आयी थी। संभवत: जनवरी-मार्च 1985 की प्रवृत्ति बैंकों पर रिज़र्व बैंक के उस अनुरोध के प्रभाव को प्रदर्शित करती है जिसमें बार-बार कहा गया था कि कैलेंडर वर्ष के अंतिम महीने में जमाराशियों के बारे में दिखावटी कार्रवाई न की जाए।

1.4 Aggregate deposits of scheduled commercial banks showed a larger rise in absolute terms of Rs. 11,753 crores in 1984-85 (July-June) as compared with the rise of Rs. 10,581 crores during the previous year. The growth rate, however, declined in nominal terms to 18.2 per cent in 1984-85 from 19.6 per cent during the previous year. This deceleration has, however, to be viewed in the perspective of a significantly lower rate of growth in real national income as also a relatively lower inflation rate in 1984-85. In fact, it is noticed that aggregate deposits of scheduled commercial banks at end-March 1985 formed about 35.4 per cent of the estimated national income (at current prices) during 1984-85, compared to 33 - 34 per cent during the previous two years. A distinguishing feature of deposit growth during 1984-85 was the accretion to deposits in all the four quarters of the year. This is in contrast to the trend during the preceding three years when deposits consistently witnessed a sizeable decline during the January-March quarters, close on the heels of big jump in the October-December quarters. During January-March 1985, there was a deposit accretion of Rs. 1,165 crores, in sharp contrast to the declines of Rs. 630 crores, Rs. 719 crores and Rs. 390 crores, witnessed during the corresponding quarters of 1984, 1983 and 1982, respectively. The trend in January-March 1985 perhaps reflects the response of banks to the repeated advice of the Reserve Bank not to indulge in window-dressing of deposits during the last month of the calendar year.

1.5 वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक-ऋण में राशि और प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम विस्तार हुआ। बैंक-ऋण में 1984-85 के दौरान 6,995 करोड़ रुपये

1.5 The expansion in bank credit during 1984-85 (July-June) was much lower than in the previous year, both in absolute and percentage terms. Bank credit

अथवा 16.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 1983-84 के दौरान 7,607 करोड़ रुपये अथवा 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1984-85 के दौरान ऋण-प्रवृत्ति की एक मुख्य विशेषता यह थी कि जुलाई-सितंबर 1984 की तिमाही के दौरान बैंक-ऋण में 312 करोड़ रुपये की कमी आयी; इसके विपरीत 1983-84 की तदनुरूप तिमाही में 771 करोड़ रुपये की कमी आयी थी। यह कमी पूरी तरह से खाद्य-ऋण में अपेक्षाकृत अधिक कमी की वजह से हुई। अप्रैल-जून 1985 के दौरान ऋण में 1,895 करोड़ रुपये का ऋण-विस्तार हुआ जो कि 1984 की तदनुरूप तिमाही में देखे गये विस्तार से काफी कम था। इसका मुख्य कारण यह था कि खाद्येतर ऋणों में बहुत कम विस्तार हुआ। रबी 1984 और खरीफ 1984-85 के मौसमों में लगातार दो अच्छी वसूलियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के पास खाद्यान्न के भंडार बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो गये और उसके परिणामस्वरूप 21 जून 1985 को खाद्य-ऋण की बकाया राशि का स्तर 6,700 करोड़ रुपये के नये शिखर तक पहुंच गया। इस स्तर पर खाद्य-ऋण कुल बैंक-ऋण का 13.5 प्रतिशत हो गया। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि खाद्य-ऋण पिछली बार 29 जून 1984 को 5,238 करोड़ रुपये के स्तर के उच्चतम शिखर तक पहुंचा था और वह कुल बैंक-ऋण के 12 प्रतिशत के बराबर था।

1.6 यह स्मरणीय है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान स्थूल मुद्रा (एम$_3$) 17 से 18 प्रतिशत तक की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम रही। इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में शेष बच रही अतिरिक्त नकदी ने यह आवश्यक बना दिया कि ऋण-नीति का मूल आधार यह बना रहना चाहिए कि समग्र नकदी को नियंत्रण में रखा जाए। इस प्रमुख सीमा के भीतर ऋण-नीति को महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों की वित्तपोषण की आवश्यकताओं को योजना के ढाँचे, सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए स्टाक के परिणामस्वरूप आवश्यक हुई खाद्य-ऋण की यथेष्ट हुई वृद्धि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों

expanded by Rs. 6,995 crores or by 16.0 per cent in 1984-85 as compared with the expansion of Rs. 7,607 crores or by 21.2 per cent in 1983-84. A marked feature of credit trend in 1984-85 was a decline of Rs. 312 crores in bank credit during the quarter July-September 1984; this was in contrast to a rise of Rs. 771 crores during the corresponding quarter of 1983-84. The decline was entirely due to larger decline in food credit. Credit expansion during April-June 1985, at Rs. 1,895 crores, was sizeably lower than that witnessed during the corresponding quarter of 1984; this was largely attributable to much smaller expansion in non-food credit. The outstanding level of food credit reached a peak of Rs. 6,700 crores on June 21, 1985, thanks to the swelling of foodgrains stocks with the public sector agencies following two successively good procurement operations during *rabi* 1984 and *kharif* 1984-85 seasons. At this level, food credit formed 13.5 per cent of total bank credit. It may be added that the previous peak of food credit at Rs. 5,238 crores reached on June 29, 1984 formed 12 per cent of total bank credit.

1.6 It may be recalled that during the past three years, broad money (M_3) has expanded at the average annual rate of 17 to 18 per cent, whereas the growth in real national income was below 5 per cent per annum. The resultant overhang of liquidity in the system, made it imperative that the basic stance of credit policy should continue to be one of containing overall liquidity. Within this major constraint, credit policy had to accommodate the financing requirements of vital public sector investments within the framework of the Plan, the large increase in food credit warranted by sizeable increases in

और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने की बैंकों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना पड़ा। अतः इस अवधि के दौरान किये गये ऋण-नीति विषयक विभिन्न उपाय इस पृष्ठभूमि में देखे जाने चाहिए। वर्ष 1984-85 के दौरान ऋण-नीति में किये गये मुख्य उपाय थे : प्रारक्षित निधि अनुपात, पुनर्वित्त सुविधाएं, ब्याज- दरें और चयनात्मक ऋण नियंत्रण।

foodgrains stocks with the public sector distribution system and the requirement of banks to reach priority sector targets and sub-targets. The various credit policy measures taken during this period have thus to be viewed against this background. The main instruments of credit policy used during 1984-85 were reserve ratios, refinance facilities, interest rates and selective credit controls.

1.7 हाल के वर्षों में नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात के उपाय को बार-बार काम में लाया गया है, किन्तु वर्ष 1984-85 के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात का अधिक सहारा लिया गया जिसे कि क्रमिक रूप से 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया। यह जुलाई 1984 से जुलाई 1985 के बीच चार चरणों में किया गया। परंपरा के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात को सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच ऋण के विनिधान का एक उपाय माना जाता था, किन्तु इसे प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि पर राजकोषीय परिचालनों के विस्तारवादी प्रभाव को कम करने के एक उपाय के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में नकदी को नियंत्रित करने के अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात, प्रारक्षित मुद्रा को उत्पन्न किये बगैर, राष्ट्रीय प्राथमिकता के ढांचे के भीतर, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण निवेशों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा सकता है, किन्तु साथ ही इस उपाय का प्रयोग करने में यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतना जरूरी है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों की ऋण-आवश्यकताओं पर कमी का प्रभाव न पड़े।

1.7 In more recent years, the instrument of cash reserve ratio has come to be used more frequently. During 1984-85, however, greater reliance was placed on the statutory liquidity ratio, which was raised in a phased manner from 35 per cent to 37 per cent, in four stages between July 1984 and July 1985. Traditionally, the SLR was regarded as an instrument of allocation of credit as between public and private sectors, but it could also be used as an instrument for minimising the expansionary impact of fiscal operations on the growth of reserve money. Thus, in addition to regulating the liquidity in the banking system the SLR provides resources for vital public sector investments within the framework of national priorities without generating reserve money. Again, in using this instrument care has been exercised to ensure that there are no crowding out effects on the credit requirement of non-Government sectors.

1.8 एक और महत्वपूर्ण बात रही — मुद्रागत नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में खाद्यान्न पुनर्वित्त सुविधा का उभरना। वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान इस उपाय का सक्रिय रूप से प्रयोग किया गया और शत-प्रतिशत खाद्यान्न पुनर्वित्त की सीमा को लगातार तीन बार अर्थात् सितम्बर और नवंबर 1984 तथा अप्रैल 1985 में बढ़ाया गया। यह वास्तव में एक

1.8 Another interesting development was the emergence of food refinance facility as an important instrument of monetary control. During the year 1984-85 (July-June) this instrument was used actively by successively raising the threshold of 100 per cent food refinance three times, in September and November 1984, and

नवीन उपाय है जो कि बैंकिंग प्रणाली में नकदी के विनियमन के लिए बड़े सुविधापूर्ण ढंग से काम में लाया जा सकता है । इस वर्ष के दौरान अपनाये गये अन्य उपायों में ये शामिल थे : निर्यात पुनर्वित्त की व्यवस्था में घटोतरी, खाद्य-ऋण पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी, और बैंकों की ऋण-दरों की कुछ श्रेणियों में वैकल्पिक पुनर्वित्त और थोड़ी-सी घटोतरी की व्यवस्था ।

again in April 1985. This is indeed an innovative instrument, which lends itself for being used flexibly to regulate the liquidity of the banking system. Other measures adopted during the year included the reduction in the provision of export refinance, an increase in the interest rates on food credit and stand-by refinance and a modest reduction in certain categories of lending rates of banks.

1.9 कुछ अधिक महत्वपूर्ण ऋण-नीतिगत उपायों पर थोड़े विस्तार से चर्चा की जा सकती है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में नकदी की मात्रा, एक सितंबर 1984 से सांविधिक चलनिधि अनुपात को बढ़ाकर 36% कर देने के बाद भी काफी अधिक बनी रही और खरीफ की उत्साहवर्धक संभावनाओं के बावजूद मूल्य-स्थिति बराबर चिन्ताजनक बनी रही । अत : यह निर्णय किया गया कि शत-प्रतिशत खाद्यान्न पुनर्वित्त की सीमा को 28 सितम्बर 1984 से, 3,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दिया जाये और 31 अक्तूबर 1980 की स्थिति के मुताबिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त चलनिधि प्रारक्षित अनुपात के 10 प्रतिशत के बराबर रखी गयी राशि का 1/5 भाग निर्मुक्त करने के कार्य को स्थगित कर दिया जाये ।

1.9 The more significant credit policy measures may be discussed in some detail. As the liquidity in the banking system continued to be large even after raising the SLR to 36 per cent from September 1, 1984 and the price situation continued to cause concern despite encouraging *kharif* prospects, it was decided to raise the threshold for 100 per cent food refinance from Rs. 3,300 crores to Rs. 4,000 crores with effect from September 28, 1984 and to postpone the release of one-fifth of the additional cash balances as on October 31, 1980, maintained under the 10 per cent additional CRR by each bank.

1.10 इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि 1984–85 के अधिक कामकाज के समय के दौरान खाद्यान्न और खाद्येतर ऋण दोनों के लिए बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति बैंकों को करनी होगी, अक्तूबर 1984 में ऋण-नियंत्रण के कोई भी नये उपाय घोषित नहीं किये गये। 30 नवंबर 1984 से केवल शत-प्रतिशत खाद्य-ऋण पुनर्वित्त की सीमा 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,300 करोड़ रुपये कर दी गयी तथा बैंकों को दिये गये निर्यात पुनर्वित्त के प्रावधानों में कमी की गयी। उनकी सीमा घटाकर 1983 के मासिक औसत स्तर के मुकाबले निर्यात-ऋण में हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर कर दी गयी, जबकि पिछले वर्ष वह 1982 के मासिक औसत स्तर के मुकाबले निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 125 प्रतिशत के बराबर थी।

1.10 Recognising the fact that the banks will have to cope with the increase in demand for both food and non-food credit during the 1984-85 busy season no fresh credit control measures were announced in October 1984, except for the increase in the threshold for 100 per cent food credit refinance from Rs. 4,000 crores to Rs. 4,300 crores from November 30, 1984 and reduction in provision of export refinance to banks to the extent of 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1983, as against 125 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1982 granted in the preceding year.

1.11 मार्च 1985 में शत-प्रतिशत खाद्य-ऋण पुनर्वित्त की सीमा 4,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,600 करोड़ रुपये करने के अतिरिक्त 5 अप्रैल 1985 से रिज़र्व बैंक ने दो और महत्वपूर्ण उपाय घोषित किये। सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण निवेशों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह पहले ही सूचित कर दिया गया था कि 6 जुलाई 1985 तक सांविधिक चलनिधि अनुपात दो चरणों में बढ़ाकर 36 से 37 प्रतिशत कर दिया जाएगा। दूसरा यह कि वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय बजट में बैंकों की ब्याज-आय पर कर हटा देने के कारण उच्चतम ब्याज दर पहली अप्रैल 1985 से 18 प्रतिशत से कम करके 17.5 प्रतिशत कर दी गयी।

1.11 In March 1985, besides further raising the threshold for 100 per cent food credit refinance from Rs. 4,300 crores to Rs. 4,600 crores effective April 5, 1985, the Reserve Bank announced two other important measures. In view of the need to provide adequate resources for vital public sector investments in the Seventh Plan, the banks were given advance intimation that the SLR will be raised from 36 to 37 per cent in two phases by July 6, 1985. Secondly, with the abolition of tax on interest income of banks in the Union Budget for 1985-86 the maximum lending rate was lowered from 18 per cent to 17.5 per cent with effect from April 1, 1985.

1.12 वर्ष 1985 के कम कामकाज के मौसम के शुरू होने पर यह स्पष्ट हो गया कि 1985-86 की पहली छमाही की अवधि बैंकिंग तंत्र के लिए अपने संसाधनों को संभालकर रखने तथा प्रारक्षित निधि की आवश्यकता को बनाये रखने में आनेवाली किसी कमी को सुधारने की अवधि है। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने की आशा की गयी कि वे इस अवधि में दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने संबंधी परिवर्तन को प्रभावी और सुचारु रूप से लायें। साथ ही बैंकों को खाद्यान्न वसूली ऋणों की अपेक्षाओं को अपने उधार देने के संसाधनों पर पहला प्रभार मानना आवश्यक था। इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1985 में निम्नलिखित नीति-गत उपायों की घोषणा की : (क) शत-प्रतिशत खाद्य-ऋण पुनर्वित्त की सीमा को 4,600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपये करना, यह कार्य 27 सितंबर 1985 तक तीन चरणों में पूरा किया जाना था, और (ख) खाद्यान्न ऋण पर भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त दरों को 1 अक्तूबर 1985 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत वार्षिक करना और वैकल्पिक पुनर्वित्त की दर को 8 अप्रैल 1985 से 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत वार्षिक करना।

1.12 At the commencement of the 1985 slack season, it was clear that the first half of 1985-86 was to be a period for the banking system to conserve its resources and to rectify any short-falls in maintenance of reserve requirements. Banks were also expected to ensure during this period an effective and smooth transition to the maintenance of the SLR on a daily basis. Further, banks had to consider the food procurement credit requirements as first charge on their lendable resources. In view of this, the following policy measures were announced by the Reserve Bank in April 1985 : (a) increase in the threshold for 100 per cent food credit refinance from Rs. 4,600 crores to Rs. 5,800 crores in three phases to be reached by September 27, 1985 and (b) increases in the RBI refinance rates on food credit from 10 per cent to 11.5 per cent per annum effective October 1, 1985 and on stand-by refinance from 11 per cent to 12.5 per cent per annum effective April 8, 1985.

1.13 वर्ष 1984-85 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों से संबंधित लक्ष्य भी वर्ष 1984-85 में लगभग पूरे हो गये। मार्च 1985 के अंत में 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि शुद्ध बैंक-ऋण का 39.9 प्रतिशत थी। इस प्रकार वह 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य तक तकरीबन पहुंच गयी। लक्ष्यों तक पहुंचने की वाणिज्य बैंकों की इच्छा कुल वृद्धिशील ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंश में ठोस रूप से परिलक्षित होती है, कुल वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का अंश 1984-85 (जुलाई-मार्च) में 56.1 प्रतिशत हो गया, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में उक्त प्रतिशत 50.3 प्रतिशत था। फिर भी, बैंकों के कृषि को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष अग्रिम तथा कमजोर वर्गों को दिये जानेवाले अग्रिम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। अत: चालू वर्ष में बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें।

1.14 विशेष योजनाओं के अंतर्गत दिये जानेवाले ऋणों में भी महत्वपूर्ण प्रगति नज़र आती है। 1984-85 (मार्च 1985 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 38.4 लाख हिताधिकारियों को सहायता दी गयी तथा बैंकों ने 836.3 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण प्रदान किये, जबकि वर्ष 1983-84 के दौरान 36.9 लाख हिताधिकारियों को 773.5 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण प्रदान किये गये थे। सितंबर 1983 में शुरू की गयी शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य-बैंकों ने 1983-84 के दौरान 2.42 लाख हिताधिकारियों को 401.5 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये। सरकार ने यह निर्णय किया कि उक्त योजना को 1984-85 के दौरान भी लागू रखा जाए और हिताधिकारियों का लक्ष्य 2.5 लाख अर्थात् 1983-84 के समान ही रखा जाए। वर्ष 1984-85 के दौरान उपलब्ध आंशिक आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 82,124 आवेदनपत्र मंजूर किये जिन्हें 94.1 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये।

1.13 The year 1984-85 also witnessed the near realisation of the target relating to credit to the priority sectors. At the end of March 1985, priority sector advances of 50 scheduled commercial banks worked out to 39.9 per cent of outstanding net bank credit, thus almost reaching the stipulated target of 40 per cent. The thrust of commercial banks in reaching the target is concretely reflected in the share of priority sectors in the total incremental credit; the share of priority sectors in total incremental non-food gross bank credit was 56.1 per cent in 1984-85 (July-March) as compared with 50.3 per cent in the corresponding period of previous year. However, the banks' direct advances to agriculture and advances to weaker sections fell short of the targets. This underlines the need for banks to focus, in the current year, their attention on achieving the sub-targets.

1.14 Lending under special schemes also recorded a significant progress. During 1984-85 (upto March 1985) under the Integrated Rural Development Programme (IRDP), 38.4 lakh beneficiaries were assisted and term credit of Rs. 836.3 crores was extended by banks, as against 36.9 lakh beneficiaries assisted and term credit of Rs. 773.5 crores provided during 1983-84. Under the "Self-Employment Scheme for Educated Unemployed" introduced in September 1983, scheduled commercial banks disbursed loans of Rs. 401.5 crores to 2.42 lakh beneficiaries during 1983-84. The Government decided to extend the scheme for 1984-85 fixing the target of beneficiaries at 2.5 lakh that is, the same as for 1983-84. According to partial data available, during 1984-85, banks have sanctioned 82,124 applications, involving loan amount of Rs. 94.1 crores.

1.15 बैंकिंग के मूलभूत ढांचे के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में जो कि जुलाई 1969 से शुरू हुआ था, तीन वर्षीय शाखा विस्तार कार्यक्रम 1982 से 1985 तक की अवधि के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को सुधारने के लिए शाखा-विस्तार कार्यक्रम तथा बैंकिंग विकास में अंतः क्षेत्रीय और अंतः राज्य विभिन्नता कम करने का दोतरफा उद्देश्य अधिकांशतः पूरा कर लिया गया था। जुलाई 1984 से फरवरी 1985 तक की अवधि के दौरान वाणिज्य-बैंकों ने 3,600 कार्यालय खोले जिससे देश में बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 45, 332 से बढ़कर जून 1984 के अंत में 48,932 हो गयी। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जुलाई 1969 से नये खोले गये कुल कार्यालयों में से 64.5 प्रतिशत कार्यालय बैंक-रहित केन्द्रों में खोले गये। मार्च 1985 के अंत में ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 16,300 थी, जबकि लक्ष्य 17,000 का था। प्रति बैंक-कार्यालय जनसंख्या की व्याप्ति में और भी सुधार आ जाता यदि बैंक उन लगभग 5,000 ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों में भी कार्यालय खोल देते जिनके लिए उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो चुके थे। बैंकिंग सुविधा में अंतः क्षेत्रीय असमानता भी धीरे-धीरे कम कर दी गयी है। उदाहरण के लिए,असम में जहां जून 1982 में प्रति बैंक-कार्यालय जनसंख्या 35,000 थी, वह फरवरी 1985 के अंत में कम होकर, 25,000 हो गयी। बिहार तथा उत्तरप्रदेश में भी जनसंख्या व्याप्ति क्रमश : 25,000 से कम होकर 19,000 तथा 23,000 से कम होकर 17,000 हो गयी।

1.15 As part of the process of expanding banking infrastructure, initiated since July 1969, the three-year branch expansion programme for the period 1982 to 1985 was implemented sucessfully. The twin objectives of branch expansion programme of improving banking facilities in the rural/semi-urban areas and reducing inter-regional and inter-State disparities in banking development were largely achieved. During the period July 1984 to February 1985, commercial banks opened 3,600 offices, taking the total number of bank offices in the country to 48,932 from 45,332 at end-June 1984. It should be underlined that, of the total number of new offices opened since July 1969, 64.5 per cent have been opened in unbanked centres. At the end of March 1985, the population coverage per bank office in rural and semi-urban areas was 16,300 as against the target of 17,000. The coverage would have improved further if the banks had opened offices also at some 5,000 rural and semi-urban centres for which they were holding licences. Inter-regional disparities in banking facilities were also reduced substantially. For instance, in Assam where the population per bank office was 35,000 in June 1982 came down to 25,000 by end-February 1985. In Bihar and Uttar Pradesh also, the population coverage came down from 25,000 to 19,000 and from 23,000 to 17,000, respectively.

1.16 इसी तरह विभिन्न राज्यों तथा जनसंख्या समूहों के बीच ऋण-जमा अनुपातों में असमानताओं को कम करने के प्रयासों से अच्छे परिणाम उभरकर आये हैं। संपूर्ण बैंकिंग-तंत्र के लिए जून 1984 के अंत में ग्रामीण शाखाओं के लिए ऋण-जमा अनुपात 62.5 प्रतिशत था जो 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

1.16 Similarly, efforts towards reducing disparities in the credit-deposit (CD) ratios as between different States and population groups have also yielded good results. For the banking system as a whole, the CD ratio for rural branches as at end-June 1984, at 62.5 per cent, was

तथापि, अर्ध-शहरी शाखाओं का अनुपात कम अर्थात् 50.9 प्रतिशत ही रहा जो 60 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। राज्यवार ऋण-जमा अनुपात, 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के संदर्भ में 60 प्रतिशत से अधिक था, किन्तु उक्त अनुपात 9 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की ग्रामीण शाखाओं तथा 11 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की अर्ध-शहरी शाखाओं में 40 प्रतिशत से कम था।

1.17 29 मार्च 1985 से बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम,1983 की धारा 26 के लागू होने से (जो कि बैंकों द्वारा तरल आस्तियां (सांविधिक चलनिधि अनुपात) (रखने से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 को संशोधित करती है) बैंकों से अब यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व अपेक्षा के अनुसार पिछले शुक्रवार के बजाय, पिछले दूसरे सप्ताह के अंतिम शुक्रवार की मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात रखें। इस प्रकार यह मंदगामी प्रारक्षण प्रणाली आरंभ हो जाने से बैंकों को आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने और सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के बारे में योजना बनाने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। यद्यपि कुछ बैंक दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाये रखने में व्यतिक्रम करते रहे हैं, इस विषयक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। नयी व्यवस्था में सांविधिक चलनिधि अनुपात विषयक अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर दंड का विधान है।

1.18 समग्र रूप से, 1984-85 में बैंकिंग का यह खाका अधूरा रहेगा यदि बैंकिंग-क्षेत्र की प्रवृत्तियों की वार्षिक समीक्षा के साथ बैंकिंग-उद्योग के सामने आनेवाली मध्यावधि समस्याओं को न जोड़ा जाये। यदि सामाजिक बैंकिंग के ढांचे के संदर्भ में भी मूल्यांकन किया जाए तो पता चलता है कि हाल ही के वर्षों में बैंकों की लाभार्जकता कम होती जा रही है। साथ ही, यह कुछ गहरी समस्याओं की बाहरी अभिव्यक्ति है जिसमें

above the stipulated target of 60 per cent. However, the ratio for semi-urban branches continued to be low at 50.9 per cent, that is far below the target of 60 per cent. State-wise, the CD ratio was higher than 60 per cent in 14 States/Union Territories in respect of rural branches. However, the ratio was below 40 per cent in rural branches of 9 States/Union Territories and semi-urban branches of 11 States/Union Territories.

1.17 With the coming into force from March 29, 1985 of Section 26 of the Banking Laws (Amendment) Act 1983, (which amends Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 relating to maintenance of liquid assets (SLR) by banks), banks are now required to maintain the SLR at the prescribed percentage of demand and time liabilities (DTL) as on the last Friday of the second preceding week, instead of that as on the preceding Friday as required earlier. Banks thus would have a longer time to collect the necessary data and plan the maintenance of SLR following the introduction of the lagged reserve system. While some banks have defaulted in maintenance of SLR on a daily basis, a phased programme of compliance has been worked out. Under the new regime, non-compliance with SLR requirements attracts penalty.

1.18 Overall, this sketch of the banking scene in 1984-85 would remain incomplete if the annual review of the trends in the banking sector is not supplemented by a reference to the medium-term problems faced by the banking industry. In more recent years, the profitability of banks has tended to erode, even when judged in the framework of

बैंकों के संसाधनों के प्रभावी पुनर्निवेश की आवश्यकता, बैंकिंग-उद्योग में लाभार्जकता संबंधी सुधार तथा भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना शामिल है।

1.19 निधियों के अधिक कारगर पुनर्निवेश के लिये दो समस्याओं को सही रूप में सुलझाना जरूरी है। एक तो है अग्रिमों, विशेष रूप से कृषि संबंधी अग्रिमों की वसूली, तथा दूसरे, रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की कार्यप्रणाली में सुधार। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि संबंधी अग्रिमों की वसूली, जून 1983 के अंत के 53.2 प्रतिशत से घटकर जून 1984 के अंत में बकाया राशि का 51.3 प्रतिशत रह गयी। लगातार दो अच्छे कृषि वर्षों के बावजूद आयी यह गिरावट चिन्ता का विषय है। वसूली समस्या का दूसरा पहलू है अंतःराज्य स्थिति में बहुत अधिक भिन्नता। वसूली अनुपात जहाँ पश्चिम बंगाल में 28.3 प्रतिशत तथा उड़ीसा और बिहार प्रत्येक में 38.8 प्रतिशत जितना बहुत ही कम था, वहाँ पंजाब में 74.1 प्रतिशत तथा केरल में 65.9 प्रतिशत जितना अधिक था। वसूली में ये अन्तर यह दर्शाते हैं कि सुधार की काफी गुंजाइश है। रुग्ण उद्योगों को देखें तो पता चलता है कि इस समय इन उद्योगों में फंसा हुआ ऋण कुल बैंक-ऋण का 7 से 8 प्रतिशत तक है। अभी हाल ही में घोषित नीति के अनुसार संभावित सक्षम यूनिटों की पुनर्स्थापना की समस्या के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा ऐसे यूनिट जो सक्षम नहीं हैं उनके प्रति कठोर रुख अपनाया जाएगा। यह साफ है कि इन दोनों क्षेत्रों में सुधार से बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

1.20 बैंक शाखाओं के असाधारण विस्तार से वस्तुतः बैंकिंग-ढाँचे में व्यापकता और गहराई आ गयी है जिसका अनुवर्ती लाभकारी प्रभाव आर्थिक विकास की

social banking. Again, this is an outward manifestation of some deeper problems which emphasise the need for more efficient recyling of banks' resources, improving the productivity of the banking industry, and streamlining the operations of overseas branches of Indian banks.

1.19 For more efficient recycling of funds, two problems need to be tackled effectively : recovery of advances, particularly agricultural advances and improvement in the working of sick industrial units. The recovery ot agricultural advances by public sector banks deteriorated from 53.2 per cent at the end of June 1983 to 51.3 per cent of the amount due at end-June 1984. That such deterioration should have taken place after two successive good agricultural years is disturbing. Another aspect of the recovery problem is the wide inter-State differences : while the recovery ratio was as low as 28.3 per cent in West Bengal and 38.8 per cent each in Orissa and Bihar, the ratio was as high as 74.1 per cent in the Punjab and 65.9 per cent in Kerala. These differences in the recovery performance are indicative of the wide scope for improvement. Turning to sick industries, at present the credit locked up in these industries accounts for 7 to 8 per cent of total bank credit. More recent policy pronouncements suggest a pragmatic approach to the problem of reviving potentially viable units and of taking hard decisions on those that are not viable. Obviously, improvement in both these areas would increase the profitability of banks.

1.20 The phenomenal expansion of bank branches has undoubtedly succeeded in widening and deepening the

प्रक्रिया पर पड़ा है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों तथा कमज़ोर वर्गों के लिए बैंक-ऋण वितरण के रूप में विन्यासगत परिवर्तन लाभकारी प्रभाव का एक पहलू है। साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि यह अभूतपूर्व शाखा-विस्तार अपने साथ अपनी समस्याएं भी लाया है। बैंकों की परिचालनगत क्षमता, आन्तरिक व्यवस्था और ग्राहक-सेवा सभी पर तनाव पड़ा है। अतः सबसे पहला काम है कि शाखा-विस्तार में इस प्रगति को परिचालनगत क्षमता, उत्पादकता तथा ग्राहक-सेवा में सुधार करके सुदृढ़ किया जाए। इस संदर्भ में लागत के प्रति अधिक जागरूकता और गैर-निधिक कारोबार में सुधार भी जरूरी है।

1.21 बैंकों के समक्ष कार्य की महत्ता और जटिलता को देखते हुए किसी हद तक मशीनीकरण न केवल ग्राहक-सेवा, आन्तरिक व्यवस्था तथा शाखाओं पर प्रधान कार्यालयों के नियंत्रण में सुधार लाने के लिए आवश्यक होगा, बल्कि एक सुव्यवस्थित सूचना प्रणाली द्वारा बेहतर नीति बनाने के लिए भी आवश्यक होगा। बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण से संबंधित रिज़र्व बैंक की समिति की सिफारिशों पर आधारित मशीनीकरण का क्रमिक कार्यक्रम बैंकों के परिचालनों की उत्पादकता तथा गति में सुधार लाने में काफी अधिक सहायक होगा।

1.22 भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों की हाल की घटनाओं से निगरानी तथा नियंत्रण क्रियाविधि को कारगर बनाने की आवश्यकता प्रकाश में आयी है। रिज़र्व बैंक तथा संबंधित बैंकों द्वारा उठाये गये कदमों से विदेशी परिचालनों के प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण में सुविधा मिली है। वर्षों के अनुभव से हासिल भारतीय बैंकों की व्यावसायिक निपुणता से विदेशी परिचालनों का भारतीय बैंकिंग प्रणाली की

banking infrastructure with its attendant beneficial impact on the process of economic growth. The structural transformation in the deployment of bank credit in favour of the priority sectors and the weaker sections is one aspect of the beneficial impact. At the same time, it should be recognised that an unprecedented branch expansion has brought, in its wake, its own problems : operational efficiency, house-keeping and customer service of banks have all been under strain. The immediate task, therefore, is to consolidate this progress in branch expansion by bringing about improvement in operational efficiency, productivity and customer service. Greater cost consciousness and improvement in the non-fund business are also relevant in this context.

1.21 Given the magnitude and complexity of the task before banks, a degree of mechanisation is called for not only to improve customer service, house-keeping and control of head offices over branches, but also to enable better policy formulation through a well-equipped information system. A phased programme of mechanisation on the lines of the recommendations of the Reserve Bank Committee on Mechanisation in the Banking Industry is expected to go a long way towards improving the speed and productivity of banks' operations.

1.22 Some recent developments in the overseas operations of Indian banks have brought into focus the need for streamlining the monitoring and control mechanism. Steps already taken by the Reserve Bank and the banks concerned have facilitated closer supervision and control of overseas operations. With the professional skills that Indian banks

लाभप्रदता को योगदान मिलेगा। अतः बैंकों की लाभप्रदता को सुधारने की समस्या का स्थायी हल इन मध्यावधि समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने में निहित है।

have acquired over the years, overseas operations would continue to contribute to the profitability of the Indian banking system. Thus, a lasting solution to the problem of improving the profitability of banks seems to lie in tackling successfully these medium-term problems.

अध्याय २
वाणिज्य बैंक व्यवसाय

समग्र समीक्षा

वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों की कुल जमाराशियों में राशि की दृष्टि से तो वृद्धि हुई (1983-84 के 10,581 करोड़ रुपये की तुलना में 1984-85 में 11,753 करोड़ रुपये) परन्तु जमाराशियों की वृद्धि दर 1983-84 के 19.6 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 18.2 प्रतिशत रह गयी। 1984-85 के दौरान ऋण-नीति के सम्बन्ध में किये गये उपायों में सारा जोर चलनिधि की वृद्धि को संयमित करने और मुद्रास्फीति की संभावना को रोकने पर रहा। इसके फलस्वरुप 1984-85 में 6,995 करोड़ रुपये का जो ऋण-विस्तार हुआ, वह 1983-84 में हुए (7,607 करोड़ रुपये के) ऋण-विस्तार से काफी कम रहा।

2.2 अर्थ-व्यवस्था में पहले से ही विद्यमान बहुत अधिक चलनिधि को ध्यान में रखते हुए, ऋण-नीति का मुख्य उद्देश्य प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि को संयमित करने का बना रहा। ऋण-नीति के मुख्य साधनों जैसे-नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का प्रयोग करके इस उद्देश्य के अनुसरण में यह सुनिश्चित किया गया कि अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण-राशि मिलने में कोई बाधा न पहुँचे।

2.3 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (कुल बैंक ऋण में जिनका अंश 95 प्रतिशत है) के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि बैंकों ने मार्च 1985 के लिए निर्धारित कुल निवल बैंक-ऋणों का 40 प्रतिशत तक अग्रिम प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को देने का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है। मार्च 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये उनके अग्रिम कुल निवल बैंक ऋणों के 39.9 प्रतिशत बैठते हैं।

CHAPTER 2
COMMERCIAL BANKING

Overall Review

During 1984-85 (July-June), though aggregate deposits of banks recorded increase in absolute terms (of Rs. 11,753 crores as against Rs. 10,581 crores in 1983-84), the rate of growth of deposits was lower at 18.2 per cent compared with 19.6 per cent in 1983-84. The overall emphasis of credit policy measures taken during 1984-85 was on moderating the growth of liquidity and curbing inflationary expectations. Consequently, credit expansion in 1984-85 of Rs. 6,995 crores was much lower than that in 1983-84 (Rs. 7,607 crores).

2.2 Considering the already high level of liquidity in the economy, the underlying objective of credit policy continued to be one of moderating the growth of reserve money. In pursuing this objective through the use of the main instruments of credit policy such as CRR, SLR and refinance facilities of the RBI, it was ensured that the flow of adequate credit to vital sectors of the economy continued unhindered.

2.3 Available data in respect of 50 scheduled commercial banks (which account for 95 per cent of gross bank credit) indicate that banks had almost achieved the target of priority sector advances at 40 per cent of total net bank credit set for March 1985; their advances to priority sectors accounted for 39.9 per cent of total net bank credit as at end-March 1985.

जमाराशियों और ऋण की प्रवृत्तियाँ

कुल जमाराशियाँ

2.4 वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 11,753 करोड़ रुपये की कुल जमाराशियाँ उनकी पहले वर्ष की 10,581 करोड़ रुपये की कुल जमाराशियों से अधिक थीं (सारणी 2.1), फिर भी जमाराशियों में वृद्धि की दर 1983-84 की 19.6 प्रतिशत से गिरकर 18.2 प्रतिशत ही रह गयी। पहली तिमाही अर्थात् जुलाई से सितम्बर 1984 को छोड़कर, जमाराशियों का विस्तार 1983-84 की इसी तिमाही में हुए जमाराशियों के विस्तार से अधिक था। वास्तव में 1985 की जनवरी-मार्च की तिमाही में जमाराशियों में पर्याप्त विस्तार हुआ, जबकि 1984 की इसी तिमाही में इसके बिल्कुल विपरीत जमाराशियों में कमी आयी। इसके विपरीत 1984-85 की प्रथम तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में जमाराशियों में जो वृद्धि देखी गयी, वह 1983-84 की इसी तिमाही के दौरान हुई जमाराशियों की वृद्धि की आधी से कम थी, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है –

Trends in Deposits and Credit

Aggregate Deposits

2.4 During 1984-85 (July-June), increase in aggregate deposits of scheduled commercial banks at Rs. 11,753 crores, was larger than that of Rs. 10,581 crores in the previous year (Table 2.1). The growth rate, however, slowed down to 18.2 per cent from 19.6 per cent in 1983-84. The deposit expansion except in the first quarter i.e., July-September 1984, was larger than in the corresponding quarters of 1983-84. In fact, in the January-March quarter of 1985, there was a sizeable accretion to deposits in sharp contrast to the contraction that took place in the corresponding quarter of 1984. The deposit growth recorded in the first quarter (July-September) of 1984-85 was less than half of that in the corresponding quarter of 1983-84, as may be seen below.

कुल जमाराशियों में वृद्धि
Growth in Aggregate Deposits

	1983-84		1984-85	
	राशि (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs. crores)	वृद्धि का प्रतिशत Percentage growth	राशि (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs. crores)	वृद्धि का प्रतिशत Percentage growth
जुलाई-सितम्बर July-September	.2,183	4.0	955	1.5
अक्तूबर-दिसम्बर October-December	5,004	8.9	5,375	8.2
जनवरी-मार्च January-March	-630	-1.0	1,165	1.6
अप्रैल-जून April-June	4,024	6.6	4,258	5.9
जोड़ (जुलाई-जून) Total (July-June)	10,581	19.6	11,753	18.2

यद्यपि पूर्ण रूप से देखा जाये तो 1984 के कम कामकाज के समय (मई से अक्तूबर 1984 तक) में जमाराशियों में वृद्धि,जो 5,583 करोड़ रुपये की थी, वह 1983 के कम कामकाज के समय में 5,146 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक रही, परन्तु प्रतिशत के हिसाब से 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर जो इस कम कामकाज के समय में देखी गयी वह पिछले वर्ष के कम कामकाज के समय से 0.7 प्रतिशत तक कम रही। इसके विपरीत अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1984 से अप्रैल 1984 तक) में जमाराशियों में वृद्धि 6,001 करोड़ रुपये या 9 प्रतिशत की थी, जोकि 1983-84 के अधिक कामकाज के समय में पायी गयी 3,916 करोड़ रुपये अथवा 6.9 प्रतिशत से क्रमश: राशि की दृष्टि से तथा प्रतिशत के आधार पर दोनों ही तरह से अधिक रही।

माँग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि

2.5 1984-85 के दौरान मीयादी जमाराशियों में काफी वृद्धि होकर यह 9,522 करोड़ रुपये की हो गयी जबकि 1983-84 में यह 8,587 करोड़ रुपये तक ही बढ़ी थी। जहाँ तक माँग जमाराशियों का संबंध है उनमें भी 2,231 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी अधिक वृद्धि हुई, जबकि 1983-84 में इनमें 1,994 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, फिर भी दोनों प्रकार की जमाराशियों के मामले में 1984-85 के दौरान वृद्धि दर 1983-84 की वृद्धि दर से कम रही। माँग और मीयादी जमाराशियों की तिमाही वृद्धि के आंकड़े नीचे दिये गये हैं जिससे यह पता लगता है कि 1984-85 की तीसरी तिमाही (जनवरी-मार्च) में माँग और मीयादी दोनों प्रकार की जमाराशियों में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इनमें कमी आयी थी।

ऋण संबंधी प्रवृत्तियाँ

2.6 इस वर्ष के दौरान बैंक-ऋणों का विस्तार 1983-84 में हुए बैंक-ऋणों के विस्तार से कम रहा, जिसका कारण यह था कि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अधिक चल-मुद्रा को कम करने के लिए ऋण नीति संबंधी अनेक उपाय किये गये। बैंक की ऋण-

Though, in absolute terms, deposit growth during the 1984 slack season (May-October 1984), at Rs. 5,583 crores was higher than that of Rs. 5,146 crores during the 1983 slack season, in percentage terms, the growth rate at 9.2 per cent during the period was lower by 0.7 percentage point than that in the previous slack season. As against this, the deposit accretion in the busy season (November 1984- April 1985) at Rs. 6,001 crores or 9.0 per cent was higher both in absolute and percentage terms, than that of Rs. 3,916 crores or 6.9 per cent recorded in the 1983-84 busy season.

Growth in Demand and Time Deposits

2.5 During 1984-85, time deposits showed a sizeably larger expansion of Rs. 9,522 crores as compared to a rise of Rs. 8,587 crores in 1983-84. Demand deposits, also recorded a slightly larger increase of Rs. 2,231 crores than that of Rs. 1,994 crores in 1983-84. However, in the case of both types of deposits, the growth rates in 1984-85 were lower than those in 1983-84. Data on quarterly growth in demand and time depoists are given below. It will be seen therefrom that in the third quarter of 1984-85 (January-March) both demand and time deposits had recorded increases in sharp contrast to the contraction that occurred in the corresponding quarter of the previous year.

Trends in Credit

2.6 The expansion in bank credit during the year was lower than that in 1983-84 reflecting the effectiveness of the several credit policy measures taken by the Reserve Bank to reduce the excess liquidity in the banking system. The

सारणी 2.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े
TABLE - 2.1 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

मदें Items	निम्नलिखित तारीखों को बकाया Outstanding as on			निम्नलिखित वर्षों के दौरान वृद्धि Increase during the year	
	जून June 24, 1983	जून June 29, 1984	जून June 28, 1985@	1983-84	1984-85
	1.	2.	3.	4.	5.
1. कुल जमाराशियां **Aggregate Deposits**	**54,039**	**64,620**	**76,373**	**+ 10,581**	**+ 11,753**
(क) मांग जमाराशियां (a) Demand Deposits	10,201	12,195	14,426	+ 1,994	+ 2,231
(ख) मीयादी जमाराशियां (b) Time Deposits	43,838	52,425	61,947	+ 8,587	+ 9,522
2. कुल बैंक ऋण **Total Bank Credit**	**36,006**	**43,613**	**50,608**	**+ 7,607**	**+ 6,995**
इसमें से : Of which :					
(क) खाद्यान्न वसूली हेतु अग्रिम (a) Food procurement advances	3,589	5,238	6,754	+ 1,649	+ 1,516
(ख) खाद्यान्न अग्रिमों को छोड़कर बैंक ऋण (b) Bank Credit excluding food advances	32,417	38,375	43,854	+ 5,958	+ 5,479
3. रिज़र्व बैंक से पुनःभुनाये गये बिल Bills rediscounted with the RBI	—	—	—	—	—
4. सकल बैंक ऋण **Gross Bank Credit**	**36,006**	**43,613**	**50,608**	**+ 7,607**	**+ 6,995**
5. सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश Investments in Government and other approved securities	19,970	23,260	27,251	+ 3,290	+ 3,991
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (a) Government Securities	13,533	15,248	17,473	+ 1,715	+ 2,225
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (b) Other approved securities	6,437	8,012	9,778	+ 1,575	+ 1,766
6. हस्तगत नकदी तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ Cash in hand and balances with the RBI	6,155	9,354	12,199	+ 3,199	+ 2,845
7. रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार Borrowings from the RBI	509	1,769	1,863	+ 1,260	+ 94
8. ऋण - जमा अनुपात Credit - Deposit Ratio	66.6	67.5	66.3		
9. खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात Non-food Credit-Deposit Ratio	60.0	59.4	57.4		
10. निवेश-जमा अनुपात Investment-Deposit Ratio	37.0	36.0	35.7		

@ : आंशिक रूप से संशोधित
Partially revised

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन प्राप्त विवरणियां
Source : Returns received under section 42 (2) of the RBI Act, 1934.

राशि में 6,995 करोड़ रुपये तक अथवा 16.0 प्रतिशत की वृद्धि इसके पहले वर्ष के दौरान पायी गयी 7,607 करोड़ रुपये अथवा 21.1 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम थी (सारणी 2.1)। लगातार दो भरपूर फसलों के होने के फलस्वरूप खाद्यान्न वसूली के कार्यों में 1984-85 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि हुई। 28 जून 1985 तक बकाया खाद्यान्न ऋण की राशि 1,516 करोड़ रुपये बढ़कर 6,754 रुपये हो गयी। इससे पहले वर्ष में खाद्यान्न ऋण में वृद्धि थोड़ी-सी ज्यादा (अर्थात 1,649 करोड़ रुपये) रही। खाद्येतर ऋणों में 5,479 करोड़ रुपये अथवा 14.3 प्रतिशत की वृद्धि भी 1983-84 के 5,958 करोड़ रुपये अथवा 18.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी।

increase in bank credit at Rs. 6,995 crores or 16.0 per cent was substantially lower than that of Rs. 7,607 crores or 21.1 per cent recorded during the previous year (Table 2.1). As a result of the two bumper harvests in succession, food procurement operations touched record levels during 1984-85; outstanding food credit rose by Rs. 1,516 crores to Rs. 6,754 crores by June 28, 1985. In the previous year,the increase in food credit was somewhat higher(i.e. Rs. 1,649 crores). The increase in non-food credit at Rs. 5,479 crores or 14.3 per cent was also smaller, as compared to Rs. 5,958 crores or 18.4 per cent in 1983-84.

माँग और मीयादी जमाराशियाँ

Demand and Time Deposits

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

	मांग जमाराशियों में वृद्धि Growth in demand deposits		मीयादी जमाराशियों में वृद्धि Growth in time deposits	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
जुलाई-सितम्बर July-September	-32	-504	2,215	1,459
अक्तूबर-दिसम्बर October-December	1,756	1,796	3,248	3,579
जनवरी-मार्च January-March	-613	473	-17	692
अप्रैल-जून April-June	883	466	3,141	3,792
जोड़ (जुलाई-जून) Total (July-June)	**1,994 (+ 19.5)**	**2,231 (+ 18.3)**	**8,587 (+ 19.6)**	**9,522 (+ 18.2)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वृद्धि दरों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets are percentage growth rates.

2.7 1984 के कम कामकाज के समय (मई से अक्तूबर तक) के दौरान बैंक-ऋणों में 3,083 करोड़ रुपये अथवा 7.4 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई,जबकि 1983 के कम कामकाज के समय में यह वृद्धि 2,220 करोड़ रुपये अथवा 6.3 प्रतिशत की थी। खाद्यान्न और खाद्येतर दोनों प्रकार के ऋणों में काफी विस्तार

2.7 During the 1984 slack season (May-October), bank credit recorded a substantially larger increase of Rs. 3,083 crores or 7.4 per cent as compared with the increase of Rs. 2,220 crores or 6.3 per cent in the 1983 slack season. The larger expansion was noticed in both food and

देखा गया और इनकी राशि बढ़कर क्रमशः 921 करोड़ रुपये और 2,162 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि पिछले वर्ष के कम कामकाज के समय में यह क्रमशः 506 करोड़ रुपये और 1,714 करोड़ रुपये थी। वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमाराशि का अनुपात 38.7 प्रतिशत रहा जो कि 1983 के कम कामकाज के समय के 33.3 प्रतिशत से ज्यादा है। 1984-85 के अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1984 से अप्रैल 1985 तक) के दौरान बैंक-ऋणों में वृद्धि कम रही, यह वृद्धि 4,018 करोड़ रुपये अथवा 9.0 प्रतिशत थी, जबकि 1983-84 के अधिक कामकाज के समय में यह 4,123 करोड़ रुपये अथवा 11.0 प्रतिशत थी। 1984-85 के अधिक कामकाज के समय के दौरान खाद्येतर ऋण में हुई वृद्धि पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की तुलना में कुछ अधिक थी, जबकि खाद्यान्न ऋणों में यह वृद्धि 1983-84 के अधिक कामकाज के समय की तुलना में काफी कम थी। वृद्धिशील खाद्येतर ऋण और जमाराशियों का अनुपात जो कि 56.6 प्रतिशत था, 1983-84 के अधिक कामकाज के समय के दौरान के 85.5 प्रतिशत के अनुपात से कम था।

निवेश तथा नकदी-शेष

2.8 1984 85 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों में 3,991 करोड़ रुपये अथवा 17.2 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वह इससे पहले वर्ष में हुई 3,290 करोड़ रुपये (16.5 प्रतिशत) से काफी अधिक रही। अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ी हुई सांविधिक चलनिधि प्रारक्षित निधि की शर्त के कारण जो कि दो स्तरों पर पूरी की जानी थी अर्थात् 28 जुलाई से 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 35.5 प्रतिशत और 1 सितम्बर 1984 से 36 प्रतिशत, इससे बैंकों के संविभागीय निवेशों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, जून 1985 की समाप्ति पर निवेश और जमाराशियों का अनुपात 35.7 प्रतिशत था, वह जून 1984 के स्तर से 0.3 प्रतिशत अर्थात् मामूली-सा कम रहा। बैंकों की हस्तगत नकदी और रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष राशियों में पहले की अपेक्षा कम वृद्धि हुई, इनमें पहले वर्ष के 3,199 करोड़ रुपये की तुलना में 2,845 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हो सकी।

non-food credit which amounted to Rs. 921 crores and Rs. 2,162 crores as compared with Rs. 506 crores and Rs. 1,714 crores, respectively, in the previous slack season. The incremental non-food credit-deposit ratio worked out to 38.7 per cent which was higher than that of 33.3 per cent in the 1983 slack season. During the 1984-85 busy season (November 1984 - April 1985), bank credit registered a smaller expansion of Rs. 4,018 crores or 9.0 per cent as compared to Rs. 4,123 crores or 11.0 per cent in the 1983-84 busy season. During 1984-85 busy season, while the expansion in non-food credit was slightly higher than in the preceding busy season, the increase in food credit was much smaller than in 1983-84 busy season. The incremental non-food credit-deposit ratio at 56.6 per cent was substantially lower than 85.5 per cent in the 1983-84 busy season.

Investments and Cash Balances

2.8 The increase in investments of scheduled commercial banks at Rs. 3,991 crores or 17.2 per cent in 1984-85 was substantially higher than that of Rs. 3,290 crores (16.5 per cent) in the previous year. The stipulation of a higher SLR requirement in two stages viz. from 35 per cent to 35.5 per cent from July 28 and to 36 per cent from September 1, 1984 among other things, resulted in substantial augmentation of banks' investments portfolio. However, the investment-deposit ratio of 35.7 per cent at the end of June 1985 was marginally lower by 0.3 percentage point than that in June 1984. Banks' cash in hand and balances with the Reserve Bank recorded a smaller increase of Rs. 2,845 crores as compared to Rs. 3,199 crores in the previous year. This was partly due to the release in two

इसका एक कारण यह भी रहा कि बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास 10 प्रतिशत अतिरिक्त नकद प्रारक्षित निधि अनुपात के अंतर्गत अक्तूबर 1980 के अंत से रखी जानेवाली वृद्धिशील नकद शेष राशि का पांचवाँ भाग 27 अक्तूबर और दिसम्बर 1984 को दो किस्तों में जारी किया गया।

बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

2.9 1984-85 के दौरान रिज़र्व बैंक ने समग्र ऋण नीतिगत उपायों के रूप में, बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के साधनों का सक्रिय रूप से प्रयोग किया। चूंकि बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि काफी मात्रा में बनी रही, अतः अनेक अवसरों पर खाद्यान्न वसूली का 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया गया। खाद्यान्न के पुनर्वित्त पोषण में चरणबद्ध रूप में वृद्धि की प्रक्रिया इसलिये अपनायी गयी ताकि बैंक अपने आपको भलीभांति संशोधित न्यूनतम सीमाओं के अनुकूल बना सकें। 30 नवंबर 1984 से बैंकों को 1983 के मासिक औसत आधार पर निर्यात-ऋणों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की सीमा तक निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किये गये, जबकि इससे पहले वर्ष वृद्धि के 125 प्रतिशत तक पुनर्वित्त प्रदान किये गये थे। पुनर्वित्त के अंश में यह कटौती, और अधिक सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिए की गयी थी। खाद्यान्न ऋण के पुनर्वित्त और उद्यत पुनर्वित्त के लिये ब्याज की दरें जो कई वर्षों तक बदली नहीं गयी थीं, इस वर्ष के दौरान बढ़ा दी गयीं। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत बैंकों को जो आर्थिक सहायता दी गयी उनकी समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गयी है।

खाद्यान्न ऋण का पुनर्वित्त

2.10 जून 1984 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों के खाद्यान्न-ऋण के पुनर्वित्त की सीमाएं 1,933 करोड़ रुपये तक पहुंच गयीं, परन्तु इसमें से केवल 885 करोड़ रुपये या 46 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया। बैंकों के खाद्यान्न ऋण की पुनर्वित्त की सीमायें

instalments on October 27 and December 1, 1984, of one-fifth of the incremental cash balances maintained by banks with the Reserve Bank at the end of October 1980 under the 10 per cent additional cash reserve ratio.

Reserve Bank Accommodation to Banks

2.9 During 1984-85, the Reserve Bank made an active use of the instruments of refinance to banks, as a part of overall credit policy measures. As the liquidity in the banking system continued to be large, the threshold for 100 per cent food procurement refinance was raised on various occasions. The process of phased increases was adopted to facilitate the banks to achieve smoother adjustment to the revised thresholds. With effect from November 30 1984, banks were provided export refinance to the extent of 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1983 as against 125 per cent of the increase in the previous year; the reduction in the proportion of refinance was in the nature of a restoration to a more normal situation. Also the interest rates for the refinance of food credit and stand-by refinance, which had remained unchanged for a number of years, were raised during the year under review. Accommodation provided to banks under the various RBI refinance facilities during the year is reviewed in the following paragraphs.

Food Credit Refinance

2.10 As on the last Friday of June 1984 the banks' food credit refinance limits amounted to Rs. 1,933 crores, of which only Rs. 885 crores or 46 per cent was utilised. The banks' food credit refinance limits reached the peak level of Rs. 2,154 crores as on June 28, 1985. The peak out-

28 जून 1985 को 2,154 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गयीं। 28 जून 1985 को ही खाद्यान्न ऋण के पुनर्वित्त की राशि 1,107 करोड़ रुपये (ऋण सीमाओं का 51.4 प्रतिशत) के सर्वाधिक बकाया-स्तर पर पहुंच गयी। सीमाओं के उपयोग की स्थिति 12 अक्तूबर 1984 को सर्वोच्च स्तर पर पहुंची, जबकि सीमा राशि की लगभग 71 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया था।

निर्यात-ऋण का पुनर्वित्त

2.11 1984-85 के दौरान बैंकों के निर्यात-ऋण पुनर्वित्त की सीमायें 27 जुलाई 1984 तक 721 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गयीं और बकाया राशि का सर्वोच्च स्तर (536 करोड़ रुपये) 9 नवम्बर 1984 को प्राप्त हुआ, जब सीमाओं के 80 प्रतिशत का उपयोग किया गया। जून 1985 के अन्त में निर्यात पुनर्वित्त की सीमाएं 640 करोड़ रुपये बैठती थीं, जबकि उपयोग 373 करोड़ रुपये का हुआ। जून 1984 के अंत में तुलनीय स्थिति के अनुसार सीमाओं की राशि 679 करोड़ रुपये और उपयोग की राशि 358 करोड़ रुपये थी।

उद्यत पुनर्वित्त

2.12 जून 1984 के अन्त तक बैंकों को स्वीकृत उद्यत पुनर्वित्त की सीमाएं 5 करोड़ रुपये की थीं, परन्तु उस तारीख तक उनका कोई उपयोग नहीं हुआ था। 4 जनवरी 1985 तक बैंकों को स्वीकृत अधिकतम उद्यत पुनर्वित्त की सीमा 55 करोड़ रुपये थी और 9 नवम्बर 1984 को अधिकतम बकाया राशि 5.5 करोड़ रुपये थी। बैंकों को स्वीकृत उद्यत पुनर्वित्त सीमाओं की राशि जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को शून्य थी।

विवेकाधीन पुनर्वित्त

2.13 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों को काफी अधिक विवेकाधीन पुनर्वित्त सहायता दी गयी। बैंकों को स्वीकृत विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाएं अक्तूबर 1984 के अन्त से बढ़नी प्रारंभ हुई और 11 जनवरी 1985 को 318 करोड़ रुपये की उच्चतम

standings of food credit refinance amounting to Rs. 1,107 crores (51.4 per cent of the limits) was also reached on June 28, 1985. The utilisation of the limits reached a peak on October 12, 1984 when nearly 71 per cent of the limits were utilised.

Export Credit Refinance

2.11 During 1984-85, banks' export credit refinance limits reached a peak of Rs. 721 crores as on July 27, 1984 and the peak level of outstanding (Rs. 536 crores) was reached on November 9, 1984 when 80 per cent of the limits were utilised. At the end of June 1985, the export refinance limits amounted to Rs. 640 crores, while the utilisation was Rs. 373 crores; the comparable position at the end of June 1984 was limits of Rs. 679 crores and utilisation of Rs. 358 crores.

Stand-by Refinance

2.12 The stand-by refinance limits sanctioned to banks as at the end of June 1984 amounted to Rs. 5 crores which remained unutilised as on that date. The maximum amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks was Rs. 55 crores as on January 4, 1985 and the maximum outstanding was Rs. 5.5 crores as on Novemebr 9, 1984. The amount of stand-by refinance limits sanctioned to the banks as on last Friday of June 1985 was nil.

Discretionary Refinance

2.13 During 1984-85 (July-June), banks were provided with a substantial discretionary refinance accommodation. The discretionary refinance limits sanctioned to banks started increasing from the end of October 1984 and reached the maxi-

अनुसूचित वाणिज्य बैंक-चुनी हुई मदें
SCHEDULED COMMERCIAL BANKS – SELECTED ITEMS
(अंतिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

करोड़ रुपये
CRORES OF RUPEES

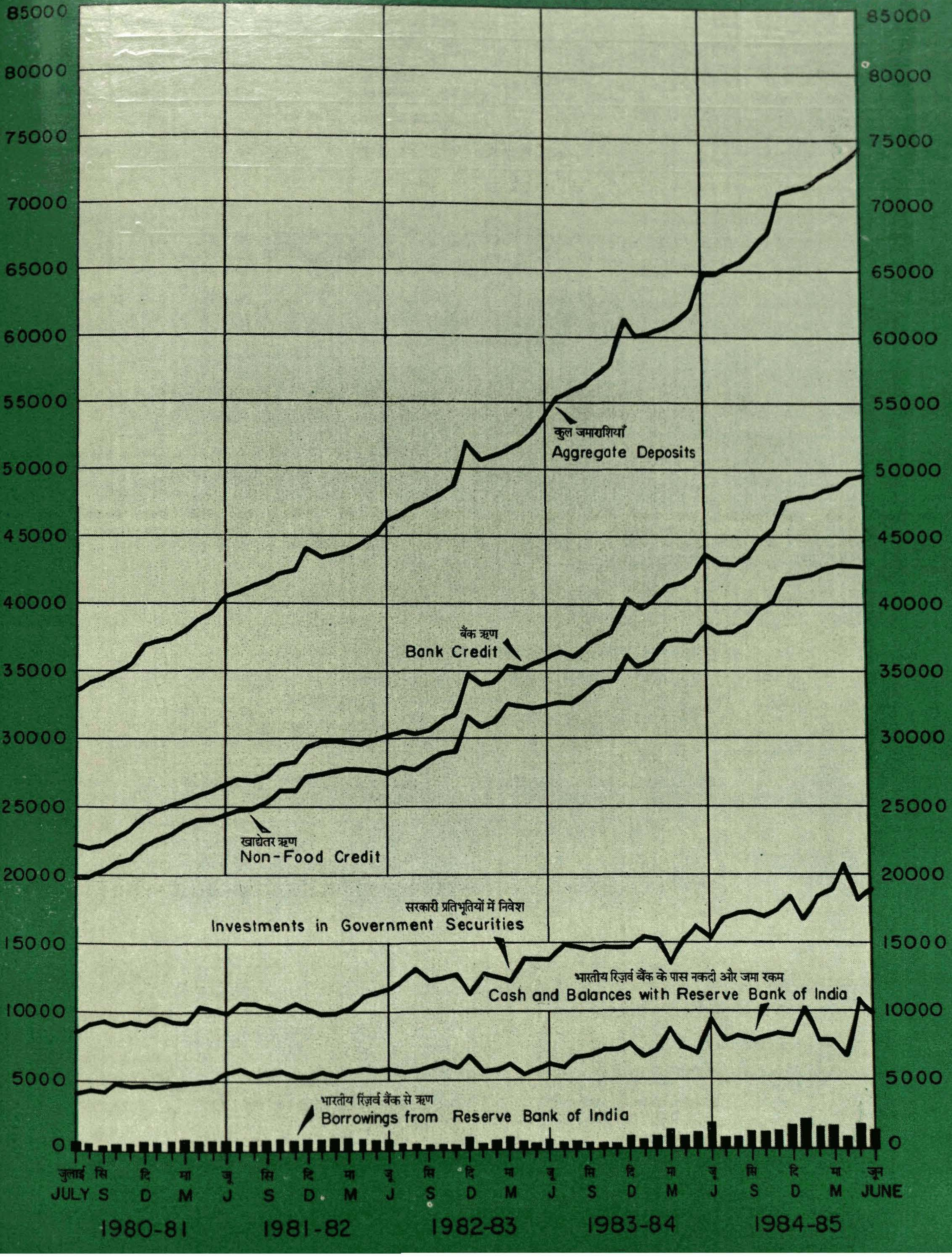

2

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नक्दी, निवेश और ऋण-जमा अनुपात

SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' CASH, INVESTMENTS AND CREDIT-DEPOSIT RATIOS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

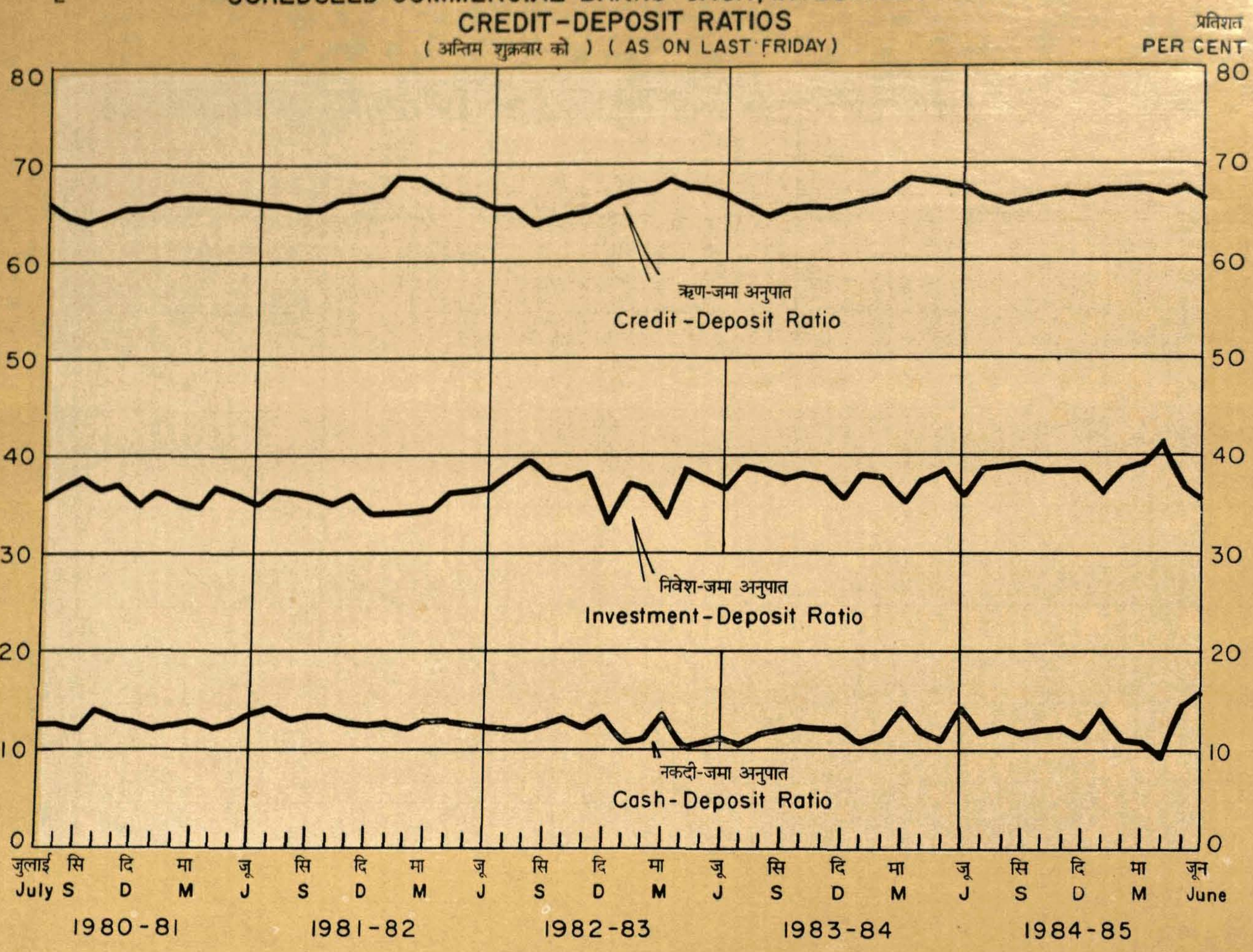

3

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण 1983-84 और 1984-85 के दौरान घट-बढ़

SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT VARIATIONS DURING 1983-84 AND 1984-85

(अप्रैल – मार्च) (APRIL - MARCH)

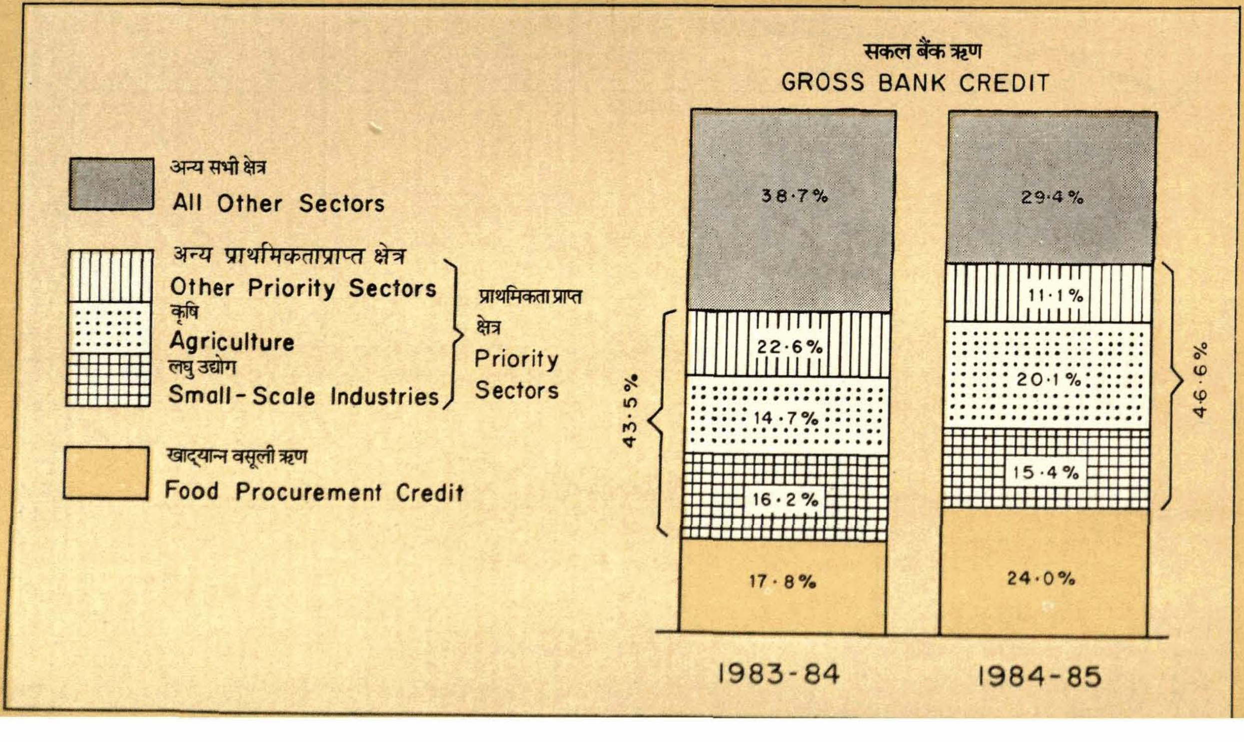

सीमा पर पहुच गयी । विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की अधिकतम बकाया राशि 25 जनवरी 1985 को 232 करोड़ रुपये थी । विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि जून 1984 के अन्तिम शुक्रवार को 128 करोड़ रुपये थी और वह जून 1985 के अन्तिम शुक्रवार को घटकर शून्य रह गयी । इसी अवधि के दौरान बकाया राशि भी 122 करोड़ रुपये से घटकर शून्य रह गयी ।

mum of Rs. 318 crores as on January 11, 1985. The maximum outstanding amount against the discretionary refinance limits was Rs. 232 crores as on January 25, 1985. The amount of discretionary refinance limits declined from Rs. 128 crores as on the last Friday of June 1984 to nil as on the last Friday of June 1985; the outstanding amount also declined from Rs. 122 crores to nil over the same period.

समग्र स्थिति

2.14 रिज़र्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध कुल पुनर्वित्त की सीमाएं (पोतलदान ऋणों तथा शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) जून 1984 के अंत के 2,744 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1985 के अंत में 2,794 करोड़ रुपये हो गयी । (देखिए सारणी 2.2) । इसी अवधि के दौरान कुल बकाया पुनर्वित्त की राशि 1,365 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,480 करोड़ रुपये हो गयी ।

Overall Position

2.14 The total of limits available under various Reserve Bank refinance facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty drawback) rose from Rs. 2,744 crores at the end of June 1984 to Rs. 2,794 crores at the end of June 1985 (vide Table 2.2); during the same period the total refinance outstanding increased from Rs. 1,365 crores to Rs. 1,480 crores.

सारणी - 2.2 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को वित्तीय सहायता

(पोतलदान ऋणों तथा शुल्क वापसी पर दिये गये विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर)

TABLE - 2.2 : RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

निम्नलिखित महीनों के अंतिम शुक्रवार को As on last Friday of	खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त Food Credit Refinance		निर्यात ऋण पुनर्वित्त Export Credit Refinance		उद्यत पुनर्वित्त Stand-by Refinance		विवेकाधीन पुनर्वित्त Discretionary Refinance		कुल पुनर्वित्त Total Refinance	
	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit*	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding	सीमा Limit	बकाया Outstanding
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मार्च 1984 March 1984	729.8	483.1	450.7	345.4	44.0	4.0	138.0	107.0	1,362.5	939.5
जून 1984 June 1984	1,932.8	885.0	678.6	358.0	5.0	..	128.0	121.5	2,744.4	1,364.5
मार्च 1985 March 1985	1,527.3	794.2	586.4	336.0	15.0	—	55.5	20.0	2,184.2	1,150.2
जून 1985 June 1985	2,193.9@	1,106.8	639.6	372.7	—	—	—	—	2,793.5	1,479.5

@ : अनन्तिम
Provisional

ऋण-नीति

समग्र दृष्टिकोण

2.15 वर्ष 1984-85 के दौरान ऋण-नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस व्यवस्था में पहले से ही जो काफी अधिक चलनिधि बनी हुई है उसका मूल्यों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इस उद्देश्य से इस नीति में प्रमुख रूप से प्रारक्षित राशि की वृद्धि को संयमित करने पर बल दिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ऋण-नीति इस प्रकार बनायी गयी कि वह उत्पादक क्षेत्रों की ऐसी ऋण-आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो कि ऋण के मानदण्डों और शर्तों के अनुरूप हों। ऋण-नीति के अन्य उद्देश्य थे - औद्योगिक वृद्धि में तीव्रता लाने के लिए पर्याप्त ऋण-सहायता प्रदान करना, 1984 की रबी और 1984-85 की ख़रीफ की फसल के दौरान खाद्यान्न वसूली के लिए ऋण की अपेक्षाओं को पूरा करना तथा बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निर्धारित ऋण-लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना।

2.16 आलोच्य वर्ष के दौरान, जबकि ऋण-नीति के सभी प्रमुख उपायों जैसे प्रारक्षित-निधि अनुपात, पुनर्वित्त सुविधायें, ब्याज-दरें तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रणों का प्रयोग किया गया, फिर भी मुख्य बल सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोग पर रहा जिसे 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत कर दिया गया। यह वृद्धि 1 सितंबर 1984 से चरणबद्ध रूप में की गयी। सांविधिक चलनिधि अनुपात एक बार फिर बढ़ाकर 36 प्रतिशत से 37 प्रतिशत कर दिया गया और यह चरणबद्ध वृद्धि 6 जुलाई 1985 तक पूरी की जानी है। यद्यपि सांविधिक चलनिधि अनुपात परंपरागत रूप से विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऋण के पुनः आबंटन का एक माध्यम समझा जाता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जानेवाले ऋण की राशि काफी अधिक होती है, सांविधिक चलनिधि अनुपात उतना ही सशक्त माध्यम है जितना कि नकदी प्रारक्षित अनुपात और इससे प्रारक्षित राशि की वृद्धि पर राजकोषीय विस्तार के प्रभाव को कम-से-कम किया जाता है।

Credit Policy

Overall Approach

2.15 The underlying objective of credit policy during 1984-85 was to ensure that the already high level of liquidity in the system did not adversely affect the price situation and to this effect the basic stance of the policy continued to be one of moderating the growth of reserve money. While ensuring the attainment of this objective, credit policy was geared to meet the credit requirements of the productive sectors consistent with the observance of credit norms and discipline. Other objectives of the credit policy were: provision of adequate credit support to facilitate acceleration of industrial growth, meeting the credit requirements for food procurement during Rabi 1984 and Kharif 1984-85, and exhorting banks to attain the stipulated credit targets and sub-targets in the priority sector.

2.16 During the year under review, while all the main instruments of credit policy such as reserve ratios, refinance facilities, interest rates and selective credit controls were used the main emphasis was, however on the use of the statutory liquidity ratio, which was raised from 35 per cent to 36 per cent, the increase being implemented in phases by September 1, 1984; the statutory liquidity ratio was once again raised from 36 per cent to 37 per cent and the phased increase is to be completed by July 6, 1985. While the SLR is traditionally considered as an instrument of reallocation of credit as between sectors, in a milieu in which Reserve Bank credit to Government is large, the SLR is an equally powerful instrument as the CRR, in minimising the impact of fiscal expansion on the growth of reserve money.

1984-85 में फिर पुनर्वित्त का माध्यम अधिक सक्रियता से प्रयोग में लाया गया जिसके द्वारा सितम्बर 1984, नवम्बर 1984 और अप्रैल 1985 में खाद्यान्न पुनर्वित्त के लिये न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया गया। इस न्यूनतम सीमा में और वृद्धि की घोषणायें की गयी हैं, जो चरणबद्ध रूप में अगस्त से सितम्बर 1985 के दौरान लागू की जानी हैं।

Again, in 1984-85, the instrument of refinance was used more actively raising the threshold for food refinance in September 1984, November 1984 and April 1985. Further increases in the threshold have been announced, which are to be implemented in phases during August and September 1985.

2.17 चूंकि बैंकिंग पद्धति की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अतः यह उचित समझा गया कि नवम्बर 1984 से खाद्यान्न-ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ाकर रियायत की मात्रा को कम कर दिया जाये। बैंकों की लाभप्रदता को निश्चित रूप से बढ़ाने के लिये रिज़र्व बैंक के पास रखे गये नकदी-शेषों पर ब्याज की दर नवम्बर 1984 में फिर से बढ़ा दी गयी। प्रारक्षित राशि के नियंत्रण पर लगातार बल दिये जाने तथा खाद्यान्न-ऋणों पर ब्याज-दर और प्रतिभूतियों पर लाभांश-दर बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि खाद्यान्न पुनर्वित्त और उद्यत सुविधाओं की पुनर्वित्त दरों को बढ़ा दिया जाये।

2.17 Since the banking system's profitability has come under increasing strain, it was deemed appropriate to increase the interest rate on food credit effective from November 1984, thereby reducing the element of concessionality; again in November 1984, essentially to shore-up bank profitability, the interest rate on cash balances held with the Reserve Bank was raised. With the continued emphasis on reserve money control, and in the context of the increase in the interest rate on food credit and the coupon rate on securities, it was deemed necessary to raise the refinance rates on the food refinance and stand-by facilities.

2.18 यह महसूस किया गया कि बैंकों को अपनी मीयादी देयताओं की परिपक्वता के ढांचे को निर्धारित करने के लिए कुछ लचीला रुख अपनाने की छूट दी जानी चाहिए और तदनुसार, प्रयोग के तौर पर, अप्रैल 1985 में बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे एक साल के अन्दर परिपक्व होनेवाली अल्पकालिक जमाराशियों की दरें निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि बैंकों को अल्पकालिक जमाराशियों की दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता के कारण कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा था, अतः रिज़र्व बैंक को सभी मीयादी जमाराशियों की विशिष्ट दरें निर्धारित करने के लिए मई 1985 में एक बार फिर हस्तक्षेप करना पड़ा। वर्ष के दौरान किये गये ऋण-नीति संबंधी उपायों का ब्यौरा आगे दिया गया हैं :

2.18 It was felt that banks should be given some flexibility in determining the maturity structure of their term liabilities and accordingly in an experimental move in April 1985, banks were permitted to determine short-term deposit rates for maturities under one year. Since the banks experienced difficulties in responding to the freedom bestowed on them to determine their own short-term deposit rates, the Reserve Bank once again intervened in May 1985 to fix specific rates for all term maturities.

Details of credit policy measures taken during the year are indicated overleaf :

सितम्बर 1984 में किये गये उपाय

2.19 सांविधिक चलनिधि अनुपात में 1 सितम्बर 1984 तक दो चरणों में 35 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक की एक प्रतिशत अंक तक वृद्धि किये जाने पर भी बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि काफी अधिक बनी रही और खरीफ की उत्साहवर्धक संभावना के बावजूद, मूल्य-स्थिति पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस वजह से तथा अगस्त 1984 के मध्य तक जमाराशियों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 28 सितम्बर 1984 से 100 प्रतिशत तक खाद्य ऋण के पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा को पहले के 3,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह भी निर्णय किया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 31 अक्तूबर 1980 की स्थिति के अनुसार उनकी 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अन्तर्गत नकद शेषों की अदायगी एक माह के लिए स्थगित कर दी जाये और तदनुसार बराबर राशि की दो किस्तें 27 अक्तूबर 1984 और पहली दिसम्बर 1984 को जारी की गयीं।

अक्तूबर 1984 में किये गये उपाय

2.20 1984-85 के अधिक कामकाज के समय के लिए 30 अक्तूबर 1984 को ऋण-नीति संबंधी जिन उपायों की घोषणा की गयी वे इस प्रकार हैं -

(i) 30 नवम्बर 1984 से खाद्यान्न-ऋण पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा राशि को 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,300 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा

(ii) 30 नवम्बर 1984 से बैंकों को 1983 के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत तक निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा, जबकि इससे पहले वर्ष 1982 के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 125 प्रतिशत तक निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किया गया था। पुनर्वित्त के इस अनुपात में जो कटौती की गयी उसका उद्देश्य पुनः सामान्य स्थिति लाना था, क्योंकि पुनर्वित्त के अनुपात को पहले वर्ष 125 प्रतिशत तक बढ़ाना एक संक्रमणकालीन उपाय था ताकि नवम्बर 1983 में द्वि-स्तरीय पुनर्वित्त फार्मूले के स्थान पर

September 1984 measures

2.19 Even after providing for the one percentage point increase in the statutory liquidity ratio from 35 per cent to 36 per cent in two phases by September 1, 1984 the liquidity of the banking system continued to be large and despite encouraging Kharif prospects, the price situation needed to be kept under watch. In this context, and having regard to the deposit growth till the middle of August 1984, with effect from September 28, 1984 the threshold for 100 per cent food credit refinance was raised from the earlier level of Rs. 3,300 crores to Rs. 4,000 crores. It was also decided to postpone the release of the scheduled commercial banks' cash balances under the 10 per cent incremental cash reserve ratio as on October 31, 1980 by one month and accordingly, the release of two equal instalments was effected on October 27, 1984 and December 1, 1984.

October 1984 measures

2.20 Credit policy measures announced on October 30, 1984 for the 1984-85 busy season were as follows : (i) The threshold for food credit refinance was raised from Rs. 4,000 crores to Rs. 4,300 crores effective November 30, 1984 and (ii) With effect from November 30, 1984 banks were to be provided with export refinance to the extent of 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1983, as against 125 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1982 provided in the previous year. The reduction in the proportion of the refinance was a restoration to a more normal situation, as the enhancement in the proportion of refinance to 125 per cent in the preceding year was a transitory measure to avoid a very sharp fall in

एक-स्तरीय फार्मूला लाये जाने से बैंकों की पुनर्वित्त सीमाओं में होनेवाली तीव्र कमी को दूर किया जा सके।

2.21 बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 में सांविधिक चलनिधि अनुपात से सम्बंधित संशोधनों को लागू किया जाना है और वे स्वयं इसके लिए तैयारी करें कि वे दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाये रखें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपनी चलनिधि की स्थिति के सम्बन्ध में ऊपरी दिखावे से बचें।

नवम्बर 1984 में किये गये उपाय

2.22 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी नकद शेष राशियों पर (उनकी निवल, मांग और मीयादी देयताओं की सांविधिक न्यूनतम 3 प्रतिशत शेष राशियों को छोड़कर परन्तु वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अधीन रखे गये सभी नकदी शेषों सहित) देय ब्याज दर 19 नवम्बर 1984 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी।

2.23 भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दर पहली अक्तूबर 1984 से 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.0 प्रतिशत कर दी गयी है।

मार्च 1985 में किये गये उपाय

2.24 8 मार्च 1985 को यह घोषणा की गयी कि 5 अप्रैल 1985 से 100 प्रतिशत खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की न्यूनतम राशि को 4,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,600 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। 16 मार्च 1985 को रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की घोषणा की गयी -

(i) **सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि :** सातवीं योजना में महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

refinance limits of banks when the two tier refinance formula was substituted by a single-tier formula in November 1983.

2.21 Banks were advised that the amendments relating to the SLR in the Banking Laws (Amendment) Act, 1983 were to be put into force and that they should prepare themselves for the effective maintenance of SLR on a daily basis. They were also urged to eschew from window-dressing of their liquidity position.

November 1984 measures

2.22 The rate of interest payable on cash balances maintained with the Reserve Bank by scheduled commercial banks (excluding the statutory minimum balance of 3 per cent of their net demand and time liabilities but including all the cash balances maintained under the incremental cash reserve ratio) was raised from 9 per cent to 10 per cent per annum, effective November 16, 1984.

2.23 The rate of interest charged on advances by scheduled commercial banks for procurement of foodgrains at support prices fixed by the Government of India, was raised from 12.5 per cent to 14.0 per cent per annum with effect from October 1, 1984.

March 1985 measures

2.24 On March 8, 1985, it was announced that the threshold for 100 per cent food credit refinance would be raised from Rs. 4,300 crores to Rs. 4,600 crores effective April 5, 1985. On March 16, 1985 the following two important policy measures were announced by the Reserve Bank :

(i) *Increase in the Statutory Liquidity Ratio :* In recognition of the need to pro-

स्वीकार करते हुए बैंकों को यह अग्रिम सूचना देना उपयोगी माना गया कि 1985-86 की प्रथम छमाही में इस प्रयोजन के लिए प्रावधान करना आवश्यक होगा। तदनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात दो चरणों में 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत अर्थात् 8 जून 1985 से 36.5 प्रतिशत और 6 जुलाई 1985 से 37 प्रतिशत कर दिया गया।

vide adequate resources for vital public sector investments in the Seventh Plan, it was felt useful to give banks advance intimation that provisions would need to be made for this purpose in the first half of 1985-86. Accordingly, the Statutory Liquidity Ratio was raised from 36 per cent to 37 per cent in two stages; to 36.5 per cent with effect from June 8, 1985 and to 37 per cent with effect from July 6, 1985.

(ii) **ऋणों पर ब्याज-दरें :** मुद्रा स्फीति की तीव्र दर के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अधिकतम ब्याज दरें सितम्बर 1969 से मार्च 1981 के बीच कई चरणों में 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 19.5 प्रतिशत तक कर दी गयी थीं, परन्तु मुद्रा-स्फीति की दर कम हो जाने की दृष्टि से ऋण पर ब्याज की यह दर अपेक्षाकृत ऊंची समझी गयी। बैंकों को ब्याज आय पर कर आधा कर दिये जाने पर अप्रैल 1983 में अधिकतम ब्याज दर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। चूंकि 1985-86 के केन्द्रीय बजट में बैंकों की ब्याजगत आय पर कर को समाप्त कर दिया गया, अत: अधिकतम ब्याज दर को और कम करना उचित समझा गया। इस प्रकार पहली अप्रैल 1985 से अधिकतम ब्याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया। ऋण की अधिकतम ब्याज-दर को आधा प्रतिशत अंक तक कम करने का प्रयोजन यह था कि उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणिओं जैसे - मझौले और बड़े आकार वाले उद्योगों के उधारकर्ताओं, 25 लाख रुपये तक के लघु उद्योगों के उधारकर्ताओं, वाणिज्यिक आधार पर वस्तुओं के क्रय-विक्रय में लगी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और 25,000 रुपये के ऊपर के खुदरा व्यापार के उधारकर्ताओं को व्यापक रूप से राहत प्रदान की जाये। पोतलदान-पूर्व ऋण तथा कुछ विशिष्ट निर्यातों के लिए ऋण पर बैंकों द्वारा वसूल की जानेवाली ब्याज-दर 14.5 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी गयी।

(ii) *Lending Rates :* The maximum lending rate of scheduled commercial banks had been raised in stages from 15 per cent to 19.5 per cent between September 1979 and March 1981 in the context of the high inflation rate; this lending rate was considered to be relatively high in view of the slowing down of the inflation rate. When the tax on interest income of banks was halved, the maximum lending rate was reduced in April 1983 to 18 per cent. Since the tax on interest income of banks was abolished in the Union Budget for 1985-86, it was considered appropriate to further reduce the maximum lending rate. Thus, effective April 1, 1985, the maximum lending rate was lowered from 18 per cent to 17.5 per cent. The downward adjustment in the maximum lending rate by one-half of one percentage point was intended to provide relief to a wide spectrum of borrowers, including medium and large industry borrowers, small-scale industry borrowers above Rs. 25 lakhs, public sector agencies entrusted with purchase and sale of commodities on commercial basis and retail trade borrowers above Rs. 25,000. The rate of interest chargeable by banks on pre-shipment credit and credit for certain specified exports was also lowered from 14.5 per cent to 14 per cent.

अप्रैल 1985 में किये गये उपाय

2.25 अप्रैल 1985 के प्रारंभ में ऋण-नीति की समीक्षा की गयी तथा मुद्रा और ऋण संबंधी गतिविधियों एवं 1985-86 (अप्रैल-मार्च) की पहली छमाही में होनेवाली गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए कुछ उपाय निश्चित किये गये। यद्यपि 1985-86 के दौरान अर्थव्यवस्था में होनेवाली समग्र वृद्धि दर का पूर्वानुमान उस समय नहीं लगाया जा सका था, तथापि उपलब्ध संकेतकों के आधार पर यह मान लेना तर्कसम्मत लगा कि 1985-86 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि अधिक-से-अधिक उतनी ही होगी जितनी कि 1984-85 में हुई थी। प्रारक्षित राशि की भारी मात्रा तथा पिछले तीन वर्षों में समग्र चलनिधि (एम3) की वृद्धि की ऊंची दर को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि मुद्रास्फीति के दबावों को दुबारा बढ़ने से रोका जाये। अत: रिज़र्व बैंक ने चलनिधि में समग्र वृद्धि की दर को 1984-85 की दर से कम रखने के प्रयास किये। 1984-85 में जमाराशियों में हुई 10,590 करोड़ रुपये * (17.5 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में और समग्र चलनिधि में निम्न वृद्धि दर के उद्देश्य के अनुरूप 1985-86 में जमाराशियों में 11,500 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत) की वृद्धि का व्यवहार्य अनुमान उचित समझा गया। इससे पहले जमाराशियों में वृद्धि प्राय: कमोबेश रूप में वित्तीय वर्ष की दोनों छमाहियों में समान ही रही थी। अत: बैंकों को ये निर्देश दिये गये कि वे अपने कार्यकलापों की योजना इस आधार पर करें कि 1985-86 की पहली छमाही के दौरान उनकी जमाराशियों में वृद्धि 5,750 करोड़ रुपये के आसपास हो, जबकि 1984-85 पहली छमाही में इनमें 4,979 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

* अनंतिम आंकड़ों पर आधारित।

April 1985 measures

2.25 The credit policy was reviewed in early April 1985 and in the light of monetary and credit developments and expectations of developments in the first half of 1985-86 (April-March) certain measures were formulated. Even though the overall growth rate for the economy in 1985-86 could not be predicted at that time, it was considered reasonable to assume, on the basis of available indicators, that the growth in real national income in 1985-86 would at best be of the same order as in 1984-85. Against the backdrop of a large overhang of reserve money and a high rate of growth of overall liquidity (M_3) in the past three years, it was considered imperative to avoid a resurgence of inflationary pressures. Therefore, the Bank endeavoured to contain the overall growth in liquidity to a rate lower than that for 1984-85. As compared with an increase in deposits of Rs. 10,590 crores* (17.5 per cent) in 1984-85 and consistent with the objective of a slower growth of overall liquidity, a working estimate of a deposit growth in 1985-86 of Rs. 11,500 crores (16.2 per cent) was considered reasonable. In the past, deposit growth had been generally distributed more or less evenly between the two halves of the financial year; hence banks were asked to plan their operations on the basis that the growth of deposits in the first half of 1985-86 would be around Rs. 5,750 crores as against an increase of Rs. 4,979 crores in the first half of 1984-85.

* Based on provisional data.

2.26 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अप्रैल-सितंबर 1985 के दौरान अपने स्वयं के साधनों में से लगभग, 2,000 करोड़ रुपये के बैंक-ऋण (400 करोड़ रुपये खाद्यान्न-ऋण के लिए और 1,600 करोड़ रुपये खाद्येतर-ऋण के लिए) उपलब्ध करा पायेंगे और कुछ सीमा तक अपनी चलनिधि का निर्माण भी कर लेंगे तथा/अथवा रिज़र्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों में कमी कर सकेंगे। खाद्यान्न ऋणों में होनेवाली अत्यंत तीव्र घट बढ़ों के प्रभाव को कम करने के लिए बिल्कुल अस्थायी रूप से पुनर्वित्त प्रदान किये जानेवाले मामलों को छोड़कर, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्ष की पहली छमाही में ऋण संबंधी अपेक्षाओं को अपने ही साधनों से पूरा कर पायेंगे। बैंकों से यह कहा गया था कि वे जून 1985 को समाप्त तिमाही के लिए खाद्यान्न ऋणों की राशि में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करने तथा सितंबर 1985 को समाप्त होनेवाली तिमाही में 600 करोड़ रुपये की कमी करने की व्यवस्था करें। बैंकों को ये भी निर्देश दिये गये कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न वसूली ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तथा इस ऋण को उनके उधार योग्य साधनों में प्रथम दायित्व के रूप में माना जाये। इस प्रकार, 1985-86 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग तंत्र से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपने संसाधनों को सुरक्षित रखे ताकि और अपेक्षित प्रारक्षित निधि बनाये रखने की आवश्यकता के संबंध में आनेवाली किसी भी कमी को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये परिवर्तन सुगमतापूर्वक हों ताकि दैनंदिन आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को भली प्रकार से बनाये रखा जा सके। तदनुसार, 6 अप्रैल 1985 को निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी।

खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त

2.27 अर्थव्यवस्था में चलनिधि की समग्र वृद्धि के संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शत-प्रतिशत खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की सीमा को 4,600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,800 करोड़

2.26 During April-September 1985, scheduled commercial banks are expected to be able to provide for about Rs. 2,000 crores of bank credit(Rs. 400 crores for food credit and Rs. 1,600 crores for non-food credit) out of their own resources and to some extent build back their liquidity and/or reduce their borrowings from the Reserve Bank. Except for very temporary refinance to smoothen out sharp swings in food credit, banks are expected to have adequate resources to meet the credit requirements in the first half of the year out of their own resources. Banks were asked to make a provision for an increase of about Rs. 1,000 crores in food credit in the quarter ending June 1985 and for a decrease of about Rs. 600 crores in the quarter ending September 1985. Banks were also asked to ensure that food procurement credit requirements are fully met with and that such credit is considered as a first charge on their lendable resources. Thus, during the first half of 1985-86, the banking system was expected to conserve its resources and to rectify any shortfalls in the maintenance of reserve requirements. Besides, banks were to ensure smooth transition to the effective maintenance of the SLR on a daily basis. Accordingly, the following package of measures was announced on April 6, 1985.

Food Credit Refinance

2.27 Taking into account the need to exercise caution in regard to overall growth of liquidity in the economy, a phased increase was announced in the threshold for 100 per cent food credit re

रुपये करने की एक चरणबद्ध वृद्धि की घोषणा की गयी, जो इस प्रकार है -

खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा (करोड़ रु.)	प्रभावी होने की तारीख
5,000	2 अगस्त 1985
5,400	30 अगस्त 1985
5,800	27 सितंबर 1985

खाद्यान्न पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा में चरणबद्ध वृद्धि की यह घोषणा, परिवर्तन लागू होने की तारीख से काफी पहले कर दिये जाने से यह अपेक्षा की जाती है कि इससे बैंकों को संशोधित न्यूनतम राशि संबंधी परिवर्तन सुगमतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी।

पुनर्वित्त दरें

2.28 पिछले कई वर्षों से पुनर्वित्त की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि अन्य मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। तदनुसार, पुनर्वित्त की दरों में कुछ परिवर्तन किये गये : (i) 1 अक्तूबर 1985 से खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की ब्याज दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी जायेगी। यह परिवर्तन खाद्यान्न ऋण की ब्याज दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.0 प्रतिशत किये जाने के फलस्वरूप हुआ है (ii) सरकारी तथा न्यासी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये जानेवाले **उद्यत पुनर्वित्त की** ब्याज दर 8 अप्रैल 1985 से 11.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गयी। यह वृद्धि सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में पिछले कई वर्षों के दौरान हुई वृद्धि का परिणाम है।

जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.29 बैंक की जमाराशियों के लिए निर्धारित 9 प्रकार की परिपक्वता अवधियों की संख्या 8 अप्रैल 1985 से घटाकर 5 कर दी गयी और यह शर्त रखी गयी कि एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज की दर 8 प्रतिशत हो। 15 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जमा की गयी राशियों पर ब्याज की दर अलग-अलग बैंक अपने आप

finance from Rs. 4,600 crores to Rs. 5,800 crores as follows :

Food Credit Refinance Threshold (Rs. crores)	Effective Date
5,000	August 2, 1985
5,400	August 30, 1985
5,800	September 27, 1985

The announcement of the phased increase in the food refinance threshold well in advance of the effective date of the change is expected to help the banks to achieve a smoother adjustment to the revised threshold.

Refinance Rates

2.28 The refinance interest rates had remained unchanged for a number of years, while other parameters had undergone significant changes. Accordingly, certain changes were made in the refinance rates : (i) Effective October 1, 1985, the interest rate on *food credit refinance* will be raised from 10 per cent to 11.5 per cent per annum. This change is consequent on the increase in the interest rate on food credit from 12.5 per cent to 14.0 per cent. (ii) Effective April 8, 1985, the interest rate on *stand-by refinance* against the collateral of Government and trustee securities was raised from 11 per cent to 12.5 per cent. This increase is consequent to the increases over the years in the interest rates on Government securities.

Deposit Rates

2.29 With effect from April 8, 1985, the number of prescribed maturity periods for bank deposits were reduced from nine to five. Subject to a maximum interest rate of 8 per cent for maturities of less than one year, individual banks were free to fix rates for other maturities from 15 days and above. However, at any point

निर्धारित कर सकते हैं। अलबत्ता परिपक्वता की निर्धारित अवधि के लिए अलग-अलग बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सभी शाखाओं में और अपने सभी ग्राहकों के लिए समान ब्याज-दरें रखें। साथ ही, एक वर्ष या उससे अधिक परंतु दो वर्ष से कम अवधि की जमाराशियों पर ब्याज-दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गयी। अन्य परिपक्वता-अवधियों के लिये जमाराशियों पर ब्याज की दर अपरिवर्तित रही।

मई 1985 में किये गये उपाय

2.30 यह अपेक्षा की गयी थी कि बैंक अब से ऐसे साधनों से जमाराशियां जुटा सकेंगे जिनसे कि अभी तक जमाराशियां नहीं जुटायी गयी हैं और इस प्रकार वे अपनी जमाराशियों के आधार को विस्तृत कर सकेंगे। यह भी आशा की गयी कि अल्पकालिक परिपक्वता अवधिवाली जमाराशियों के लिए ब्याज दरों में यथोचित वृद्धि किये जाने पर मीयादी जमाराशियों का विभिन्न परिपक्वता अवधियों के बीच और बेहतर वितरण किया जा सकेगा बजाय इसके कि अधिक अवधि की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दरों पर ही जमाराशियां संकेन्द्रित रहें। बैंकों को दी गयी, ब्याज निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने से यह भी अपेक्षा की गयी कि अलग-अलग बैंक अपनी ब्याज की दरें इस तरह निर्धारित करेंगे जिससे कि उनके चालू और बचत खातों की सुरक्षा भी बनी रह सके और साथ ही साथ वे निवेश संविभाग की व्यवस्था में सुधार ला सकें, तथापि अधिकांश बैंकों में 15 दिन तथा उससे ऊपर परन्तु एक वर्ष से कम की अवधिवाली जमाराशियों के लिए ब्याज की दर लाभप्रदता का विचार किये बिना, 8 प्रतिशत तय कर दी गयी। कुछ बैंक 15 दिन तक की मीयादवाली जमाराशियों को चालू खातों की तरह ही रखे हुए थे, जिसके फलस्वरूप चालू खातों से जमाराशियों और कुछ सीमा तक बचत खातों से भी जमाराशियों का अंतरण 15 दिन तक मीयादवाली जमाराशियों में किया जाने लगा। इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 27 मई 1985 से 90 दिन तक की मीयादवाली जमाराशियों

of time, individual banks were required to adopt uniform rates at all their branches and for all customers. Further, the interest rate on deposits for one year and over but less than two years was raised from 8.0 per cent to 8.5 per cent. The deposit rates for other maturities remained unchanged.

May 1985 Measure

2.30 It was expected that banks would be able to mobilise hitherto untapped sources and thereby widen their deposit base. A suitable increase in the interest rates for shorter maturities was also expected to achieve a better distribution of term deposits instead of the prevailing highly skewed distribution with concentration around the longer maturities at relatively higher costs. In exercise of the discretion given to them, it was also hoped that individual banks would fix the rates so as to safeguard their current and savings accounts and at the same time bring about a better portfolio management. However, many banks set a single rate of 8 per cent for maturities of 15 days and above but below one year, without regard to profitability. Some banks were managing their 15-day deposits almost like current accounts. In consequence, there was a shift of deposits from current accounts and to a lesser extent from savings accounts, to 15-day deposits. In view of these developments, with effect from May 27, 1985, the rates for maturities upto 90 days were restored to the levels prevailing prior to April 8, 1985; the rate for maturities of 91 days to less than 6 months was fixed at 6.5 per cent and the

जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज की दरें
SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' INTEREST RATES ON DEPOSITS

(प्रतिशत वार्षिक)
(per cent per annum)

	8 अप्रैल 1985 से पहले लागू दरें Rates Effective prior to April 8, 1985	8 अप्रैल 1985 से लागू दरें Rates Effective April 8, 1985	27 मई 1985 से लागू दरें Rates Effective May 27, 1985
1. चालू खाते Current Accounts	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2. बचत खाते Savings Accounts	5.0	5.0	5.0
3. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits			
(क) 15 दिनों से 45 दिन तक (a) 15 days to 45 days	3.0		3.0
(ख) 46 दिनों से 90 दिन तक (b) 46 days to 90 days	4.0		4.0
(ग) 91 दिन या उससे अधिक परन्तु 6 महीनों से कम के लिये (c) 91 days and above but less than 6 months	5.0	Not exceeding 8.00 से अधिक नहीं	6.5
(घ) छमाही तथा उससे अधिक परन्तु नौ महीने से कम (d) 6 months and above but less than 9 months	6.0		8.0
(ङ) नौ महीने तथा उससे अधिक परन्तु 1 साल से कम (e) 9 months and above but less than 1 year	7.0		
(च) 1 साल तथा उससे अधिक परन्तु 2 साल से कम (f) 1 year and above but less than 2 years	8.0	8.5	8.5
(छ) 2 साल तथा उससे अधिक परन्तु 3 साल से कम (g) 2 years and above but less than 3 years	9.0	9.0	9.0
(ज) 3 साल तथा उससे अधिक परन्तु 5 साल से कम (h) 3 years and above but less than 5 years	10.0	10.0	10.0
(झ) 5 साल तथा उससे अधिक (i) 5 years and above	11.0	11.0	11.0

टिप्पणी : जो बैंक विदेशी मुद्रा के लिए प्राधिकृत व्यापारी हैं तथा जो विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना तथा अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियां स्वीकार करते हैं, वे तुलनीय परिपक्वता अवधि की जमाराशियों पर मुद्रा की जमाराशियों पर देय ब्याज दरों से 2 प्रतिशत अंक वार्षिक की दर से अधिक ब्याज अदा करेंगे ।

Note : Banks which are authorised dealers in foreign exchange and who accept term deposits having a maturity period of one year and above under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme (FCNR) and the Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme (NRE) shall pay, on such deposits, interest at rates 2 percentage points per annum above the rates permissible on local currency deposits of comparable maturities.

पर ब्याज की दर 8 अप्रैल 1985 से पूर्व की स्थिति के अनुसार फिर से बहाल कर दी गयी। 91 वें दिन से लेकर 6 माह से कम तक की अवधि की जमाराशियों पर ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत और 6 माह से लेकर एक साल से कम तक की अवधि के लिये यह दर 8.00 प्रतिशत निर्धारित की गयी।

ऋण बजट

2.31 इस वर्ष के दौरान 1984-85 के लिए ऋण बजटों पर प्रत्येक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंक से चर्चा की गयी। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋण-विस्तार की अपनी योजना अपने साधनों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनायें। साथ ही वे यह मानकर चलें कि रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से उसी स्थिति में किया जायेगा जब उनके साधनों और निधियों के उपयोग में तालमेल नहीं बैठे। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे मार्च 1985 के अन्त की निर्धारित तारीख तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 40 प्रतिशत का लक्ष्य तथा विभिन्न उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करें। इसके अलावा, बैंको से यह भी अनुरोध किया गया कि वे ऐसे और अधिक प्रभावकारी उपायों को अपनायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए वितरित ऋण का उधारकर्ताओं की आय तथा ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी रूप में प्रयोग किया जाए। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उन्हें अलग-अलग रूप से दी गयी विशिष्ट सूचना के आधार पर अपने ऋण-बजटों को फिर से तैयार करें। तदनुसार, नीति में बाद में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की दूसरी छमाही में ऋण-बजटों को संशोधित किया गया। 6 अप्रैल 1985 को 1985-86 की प्रथम छमाही के लिए ऋण-नीति की घोषणा हो जाने के पश्चात् बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 1985 86 (अप्रैल-मार्च) के लिए अपने ऋण-बजट तैयार करें और इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंक से मई और जून 1985 में चर्चा की गयी। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे अपेक्षित

rate for 6 months to less than one year was fixed at 8 per cent.

Credit Budgets

2.31 During the year under review, credit budgets for the year 1984–85 were discussed with each of the major scheduled commercial banks. The banks were advised to plan their credit expansion on the basis of realistic assessment of their own resources and on the assumption that the Reserve Bank refinance facilities should be used essentially as a cushion in the event of a mismatch between the sources and uses of funds. Banks were also advised to make every effort to achieve the overall target of 40 per cent for priority sector advances as well as various sub-targets by the stipulated date of end of March 1985. Further, banks were urged to adopt more effective measures to ensure that credit disbursed for programmes like IRDP was used productively for enhancing the income and repayment capacity of recipients. The banks were advised to re-work their credit budgets on specific advice communicated individually to banks. Accordingly, the credit budgets were revised in the second half of the year, taking into account the subsequent changes in policy. After the announcement of the credit policy for the first half of 1985-86 on April 6, 1985, banks were advised to prepare their credit budgets for 1985-86 (April-March) and discussions were held in May and June 1985 with each of the major scheduled commercial banks. Banks were advised to ensure that adequate provision was made in their budgets for the

गारक्षित निधि को बनाये रखने के लिए अपने बजटों में पर्याप्त प्रावधान कर लें। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि वे सांविधिक चलनिधि अनुपात को दैनिक आधार पर बनाये रखें।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

2.32 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपायों में किये गये परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को तर्क-सम्मत बनाना

2.33 पिछले वर्षों के दौरान चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपाय जटिल हो गये थे, अतः यह आवश्यक हो गया कि सट्टेबाजी के लिए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के लिए बैंक-ऋण का उपयोग किये जाने पर रोक लगाने के मुख्य उद्देश्य से हटे बिना इन्हें तर्कसम्मत बनाया जाये। ब्याज की निर्धारित न्यूनतम दरों,ऋण के स्तरों से संबंधित शर्तों, न्यूनतम मार्जिनों, बही ऋणों पर ऋणों की मंजूरी पर प्रतिबंधों, मीयादी बिलों की पुनर्भुनाई तथा गैर-जमानती ऋणों की सुविधायें देने से संबंधित मूलभूत ढांचा वही बना रहने दिया गया। यह पुनर्व्यवस्था इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गयी थी कि इस पद्धति को आसानी से समझा जा सके, तथा जहां तक सम्भव हो नियम निर्धारणों की बहुलता से बचा जा सके और जहां नियंत्रण अनावश्यक महसूस हों, उन्हें हटा दिया जाये। 8 अप्रैल 1985 से लागू किये गये नये उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) **ऋण के स्तर :** जिन वस्तुओं के मामले में किन्हीं आधार वर्षों के ऋण स्तर के आधार संबंधी कोई शर्त हो वहां नयी आधार अवधि समान रूप से 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (नवम्बर-अक्तूबर) के 3 वर्ष की होगी। इस आधार अवधि को आगे बढ़ाये जाने से उन तारीखों के संदर्भों में जो अब संगत नहीं रह गयी हैं, ऋण के उपयोग का

maintenance of reserve requirements and in view of the amendment of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, banks were urged to ensure the *daily* maintenance of the statutory liquidity ratio.

Selective Credit Control

2.32 The changes made in the selective credit control measures are briefly described below.

Rationalisation of Selective Credit Controls

2.33 The selective credit controls had, over the years, become complex and there was need for their rationalisation without departing from the central objective of preventing bank credit from being utilised for speculative hoarding of essential commodities. The basic framework of prescribed minimum rates of interest, stipulations on levels of credit, minimum margins, prohibitions on grant of credit against book debts, discounting of usance bills and extension of clean credit facilities was maintained. What was sought to be achieved by the rationalisation was that the system should be easily understood and, to the extent possible, multiplicity of prescriptions avoided and where the controls were felt to be unnecessary, these were abolished. The new measures introduced with effect from April 8, 1985 are as follows :

(i) *Levels of Credit :* For commodities where there is a stipulation on the level of credit based on certain base years, the new base period will uniformly be the three-year period 1980-81, 1981-82 and 1982-83 (November-October). The bringing forward of the base would greatly reduce the burden on banks of monitoring credit utilisation with refer-

नियंत्रण करने के संबंध में बैंकों पर पड़नेवाला भार काफी कम हो जायेगा।

ence to dates which have ceased to be relevant.

(ii) **न्यूनतम मार्जिन** : स्टाकों के स्तरों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर प्रत्येक व्यापक पण्य-समूह के लिए निर्धारित न्यूनतम मार्जिनों की विविधता को जहां तक संभव हो सका है, खाद्यान्नों, दालों, वनस्पति तेलों तथा वनस्पति, रुई और कपास तथा चीनी, गुड़ और खांडसारी के मामलों में कम किया गया है, फिर भी न्यूनतम मार्जिन की शर्तों से कुछ विशेष पण्यों को छूट दी गयी है और इन सभी छूटों को आगे भी जारी रखा जायेगा। तथापि, तिलहनों के मामलों में वर्तमान न्यूनतम मार्जिनों के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। न्यूनतम मार्जिनों के नये ढांचे में जटिलता और विविधता को कम किया गया है और यह आशा की जाती है कि इससे अब नियंत्रणों को प्रभावी रूप से लागू करने में सुविधा होगी। बैंकों से यह कहा गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि स्टाकों से संबंधित जिन मानदंडों को अलग से निर्धारित किया गया है उनका दृढ़ता से पालन किया जाये। संशोधित न्यूनतम मार्जिनों में कुछ ऐसे क्षेत्रों को राहत दी गयी है, जिनके लिए पिछले कई वर्षों से काफी अधिक न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किया गया था। पण्यों के लिए न्यूनतम मार्जिन का नया ढांचा नीचे दिया गया है। (इनमें तिलहन शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके संबंध में मार्जिनों को अपरिवर्तित रखा गया है)।

(ii) *Minimum Margins :* The multiplicity of minimum margins prescribed for each broad commodity group based on levels of stocks and geographical areas has, to the extent posssible, been reduced in the case of foodgrains, pulses, vegetable oils and vanaspati, cotton and kapas and sugar, gur and khandsari. There are, however, a number of specific exemptions from minimum margin stipulations and all these exemptions would be continued. In the case of oilseeds, however, the existing structure of minimum margins was not altered. The new structure of minimum margins, reduces complex and multiple prescriptions and is expected to facilitate the efficacious operation of the controls. Banks have been asked to ensure that inventory norms, which are separately prescribed are strictly observed. The revised minimum margins provide some relief to certain sectors which have been subject to very high minimum margin requirements for a number of years. The new structure of minimum margins for commodities (other than for oilseeds which remain unaltered) is shown below :

(iii) **रोलर आटा मिलों के लिए छूट** : इस उद्योग के नियमित कार्यों तथा गेहूं के सरकारी क्षेत्रों के भंडारों की अच्छी स्थिति और यह तथ्य कि यह उद्योग पहले से ही केवल 25 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन की रियायत प्राप्त कर रहा था तथा ऋण के संबंध में कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि रोलर आटा मिलों को गेंहू पर दिये जानेवाले अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सभी प्रावधानों से पूर्णतः छूट दी जाये।

(iii) *Exemption for Roller Flour Mills:* Taking into account the regulated operations of this industry and the comfortable position of public sector stocks of wheat, and the fact that the industry already enjoyed a concessional minimum margin of only 25 per cent and there was no ceiling on the level of credit, it was decided to totally exempt advances against wheat to roller flour mills from all the provisions of selective credit controls.

चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले कुछ पण्यों के लिए बैंक के अग्रिमों पर नये न्यूनतम मार्जिन

New Minimum Margins on Bank Advances for Certain Commodities Covered by the Selective Credit Controls

(प्रतिशत) (Percentages)

पण्य Commodity	तैयार किये गये स्टॉकों पर / Against Stocks इकाइयों/मिलों द्वारा तैयार किये गये Processing Units-Mills	अन्यों द्वारा तैयार किये गये Others	भंडागारों की रसीदों पर Against Warehouse Receipts
1. खाद्यान्न (धान, चावल तथा गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न) Foodgrains (paddy, rice and other foodgrains including wheat)	45	60	45
2. दालें Pulses	45	60	45
3. वनस्पति तेल (मूंगफली, तोरिया,सरसों, बिनौले, अलसी, अरंडी तथा वनस्पति) Vegetable oils (groundnut, rapeseed/mustard seed, cottonseed,linseed, castor and vanaspati)	60*	75	60
4. रूई तथा कपास Cotton and kapas	25	60	45
5. चीनी Sugar			
(क) बफर स्टॉक (a) Buffer stocks	0		
(ख) जारी न किया गया स्टॉक (b) Unreleased stocks	17.5	75	60
(ग) जारी किया गया स्टॉक (c) Released stocks	75		
6. गुड़ और खांडसारी Gur and khandsari	45	75	60

* : पंजीकृत तेल मिलों तथा वनस्पति निर्माताओं पर लागू ।
Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers.

(iv) **अग्रिमों के लिए समग्र छूट की सीमा में वृद्धि :** चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के स्टॉकों पर प्रति उधारकर्ता को कुल 5,000 रु. की सीमा तक दिये गये अग्रिमों को इन नियंत्रणों से पूरी तरह से छूट दी गयी थी; यह निर्णय किया गया कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सभी प्रावधानों से इन सभी पण्यों के संबंध में प्रति उधारकर्ता की इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रु. कर दिया जाए; यह छूट इस शर्त पर दी गयी है कि उधारकर्ता केवल एक ही बैंक से ऋण ले ।

(iv) *Increase in Overall Exemption Limit for Advances :* Advances upto an aggregate limit of Rs. 5,000 per borrower against the stocks of commodities covered by selective credit control had been granted complete exemption from the controls; it was decided to raise this limit to Rs. 25,000 per borrower in respect of all commodities from all the provisions of selective credit controls; this exemption is subject to the condition that a borrower must deal with only one bank.

2.34 यह अपेक्षा की गयी थी कि इन सुधारों से बैंकों तथा उनके ग्राहकों दोनों को ही लाभ होगा, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सामान्य विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों और अनुशासन का पालन किया जाये तथा बैंक-ऋण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया हो तथा स्टॉकों की जमाखोरी के लिए इसके उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण में अन्य परिवर्तन

चावल निकालने वाली इकाइयों/मिलों को धान/चावल पर दिये जानेवाले अग्रिमों की ब्याज-दरें

2.35 4 जुलाई 1984 को रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया कि मिलों, चावल निकालने वालों को लेवी स्टाकों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के मामले में ब्याज की उचित दर निर्धारित करने के लिए मुख्य मानदंड निम्नलिखित होंगे : वे मूल्य जिनपर मिलों द्वारा स्टॉक खरीदे गये हों तथा राज्य सरकारों ने मिलवालों से खरीदा हो तथा ये स्टॉक क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए हैं या नहीं। यदि ये स्टॉक मिलों द्वारा खरीदे गये हों और फिर उनसे राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थित मूल्यों पर खरीदा हो और साथ ही ये स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हैं, तो मिलों को दिये गये ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर 12.5 प्रतिशत होगी (बाद में 1 अक्तूबर 1984 से इसे बढ़ाकर 14.0 प्रतिशत कर दिया गया) और इन अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन, ऋण के स्तरों तथा ब्याज दरों की शर्तें लागू नहीं होंगी, परन्तु, यदि ऐसे स्टॉक मिल वालों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थित मूल्य से ऊँची दर पर खरीदे गये हों तो ब्याज की दर 18 प्रतिशत लागू होगी (1 अप्रैल 1985 से इसे घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है), तथापि ऐसे स्टॉकों पर दिये गये अग्रिमों पर मार्जिन तथा ऋण के स्तर की शर्तें लागू नहीं होंगी।

2.34 While the rationalisation is expected to be beneficial to both the banks and their constituents, the banks have been asked to ensure that normal prudent banking norms and discipline are observed and bank credit is utilised only for the purpose for which it is sanctioned and that bank credit is not allowed to be utilised for a speculative build-up of inventories.

Other changes in Selective Credit Control

Interest Rates on Advances against paddy/rice to rice shelling Units/Mills:

2.35 On July 4, 1984 the Reserve Bank clarified to all scheduled commercial banks, that the essential criteria for determining the appropriate rate of interest in the case of advances to millers/rice shellers against levy stocks would be the prices at which the stocks are purchased by millers and procured by the State Governments from the millers and whether the stocks are meant for distribution under the Public Distribution System. If such stocks are purchased by millers and in turn by the State Government at support prices fixed by the Government of India and the stocks are meant for the public distribution system, the rate of interest applicable on such advances to the millers would be 12.5 per cent (subsequently raised to 14.0 per cent with effect from October 1, 1984) and these advances would be exempt from the stipulations of minimum margins, levels of credit and rate of interest. However, if the purchases of such stocks are made by millers at prices higher than the support prices fixed by the Government of India, an interest rate of 18 per cent (since lowered to 17.5 per cent with effect from April 1, 1985) would be

applicable; advances against such stocks would, however, be exempted from the margin and level of credit stipulations.

गैर-जमानती ऋण सुविधाएं

2.36 माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने तथा गैर-जमानती ऋण सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता वाले उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 17 जुलाई 1984 को यह सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित रूप में गैर-जमानती ऋण सुविधाएं मंजूर कर सकते हैं : (i) बैंक ड्राफ्टों की खरीद, (ii) अन्य पक्षों के चेकों की खरीद, (iii) सरकारी संस्थाओं को बेचे गये माल से संबंधित आपूर्ति बिलों पर अग्रिम, (iv) माल की आवाजाही से संबंधित गैर-जमानती मांग बिलों की खरीद तथा (v) माल की स्थानीय बिक्री से संबंधित ऐसे गैर-जमानती मांग बिलों की खरीद, जहां बिल उधारकर्ता अथवा उसके बिक्री एजेंटों से संबंधित पार्टियों के नाम आहरित न हों। अन्य पक्षों के चेकों की खरीद माल की आवाजाही से संबंधित गैर-जमानती मांग बिलों तथा माल की स्थानीय बिक्री से संबंधित गैर-जमानती मांग बिलों की खरीद के संबंध में दी जानेवाली अधिकतम गैर-जमानती ऋण सीमा इन श्रेणियों में से प्रत्येक में 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि गैर-जमानती मांग बिल माल की वास्तविक आवाजाही से ही संबंधित हों और इस वास्ते उन्हें परिवहन चालकों द्वारा जारी संबंधित बीजकों और रसीदों की जाँच कर लेनी चाहिए।

Clean Credit Facilities

2.36 With a view to facilitating the movement of goods and avoiding hardships to borrowers genuinely in need of clean credit facilities, the scheduled commercial banks were advised on July 17, 1984 that they may sanction clean credit facilities by way of (i) purchase of bank drafts; (ii) purchase of third party cheques; (iii) advances against supply bills arising out of sale of goods to Government bodies; (iv) purchase of clean demand bills arising out of movement of goods and (v) purchase of clean demand bills covering local sale of goods, where the bills are not drawn on parties connected with the borrower or his selling agents. The maximum clean credit limit that may be allowed in the case of purchase of third party cheques, clean demand bills arising out of movement of goods and clean demand bills covering local sale of goods should not exceed Rs. 5,000 for each of these categories. The banks were advised to ensure that the clean demand bills should have arisen out of actual movement of goods and for this purpose, they should verify the relative invoices and the receipts issued by transport operators.

1984-85 के पेराई मौसम के लिए चीनी उद्योग को अग्रिम

2.37 25 सितंबर 1984 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि अलग-अलग चीनी मिलों के चीनी उत्पादन के अनुमानों के आधार पर बैंक 1984-85 के मौसम (अक्तूबर से सितंबर) के लिए पिछले (1983-84) मौसम के दौरान प्राप्त अधिकतम

Advances to Sugar Industry for 1984-85 Crushing Season

2.37 Scheduled commercial banks were advised on September 25, 1984 that subject to the estimates of sugar production of individual sugar mills, the banks could sanction for the 1984-85 season (October to September) need-based credit limits

राशि के (अतिरिक्त अस्थायी आहरणों को छोड़कर) 80 प्रतिशत की सीमा तक आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमाएं रिज़र्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजूर कर सकते हैं। उधार खातों में वास्तविक आहरण मिलों के मासिक नकदी बजट में दिखायी गयी कमी के आधार पर नियमित किये जाने चाहिए। साथ ही समग्र आहरण सीमा के अंदर उपयुक्त उप-सीमायें भी निर्धारित की जा सकती हैं तथा इन्हें बंधक/दृष्टिबंधक रखे गये चीनी के स्टॉकों, भंडार-गृहों के स्टॉकों तथा उपभोग्य अतिरिक्त स्टॉकों, खरीदे और भुनाये गये बिलों आदि पर नकदी ऋण के रूप में दे सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे समग्र ऋण-सीमा के अलावा गैर-जमानती आधार पर अथवा अतिरिक्त स्टॉकों, अन्य कच्चे मालों, संयंत्र और मशीनों आदि जैसी आस्तियों की जमानत पर अन्य किसी भी प्रकार की ऋण-सुविधा न दें। ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली अलग-अलग चीनी मिलों को ऊपर बतायी गयी ऋण-सीमाओं के अलावा कोई अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करने से पहले रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

सूती वस्त्रों पर अग्रिम

2.38 रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि सूती धागों, हाथ से बने धागों और सूत तथा हाथ से बने हुए सूत से तैयार वस्त्रों सहित (निर्माणाधीन स्टॉकों सहित) सूती वस्त्रों पर दिये जानेवाले अग्रिमों को 8 जनवरी 1985 से चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सभी शर्तों से छूट दे दी गयी है। इस प्रकार केवल उपर्युक्त वस्तुओं का लेनदेन करनेवाले उधारकर्ता को बही ऋणों पर दिये जानेवाले अग्रिमों, सूती धागों, हाथ से बने धागों और सूत तथा हाथ से बने सूत से तैयार वस्त्रों सहित (निर्माणाधीन स्टॉकों सहित) सूती वस्त्रों से संबंधित बिलों की खरीद और भुनाई के संबंध में मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित विनियम अब इन वस्तुओं पर लागू नहीं हैं। तथापि, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऋण संबंधी सामान्य विवेकपूर्ण बैंकिंग नियमों का पालन किया जाये ताकि बैंक-ऋण का उपयोग केवल

upto 80 per cent of the maximum amount availed of during the previous (1983-84) season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation. The actual drawing in the borrowal accounts should be regulated on the basis of the deficit as disclosed in the monthly cash budget of mills. While suitable sub-limits could be fixed within the overall drawing limit and allowed as cash credit against stocks of sugar pledged/hypothecated, stocks of stores and consumable spares, bills purchased and discounted, etc., the banks should not allow any other credit facilities outside the overall limit whether on clean basis or secured by assets such as spares, other raw materials, plant and machinery, etc. The sanction of additional credit limits beyond those indicated above to individual sugar mills covered by the Credit Authorisation Scheme would require the prior authorisation of the Reserve Bank.

Advances against Cotton Textiles

2.38 The Reserve Bank advised all scheduled commercial banks that the advances against cotton textiles including cotton yarn, man-made fibres and yarn and fabrics made out of man-made fibres (including stocks-in-process) have been excluded from the purview of all the stipulations of selective credit control with effect from January 8, 1985. Thus, the regulations pertaining to margin requirements, advances against book-debts to a borrower dealing only in the aforesaid commodities, purchase or discounting of bills in respect of cotton textiles including cotton yarn, man-made fibres and yarn and fabrics made out of man-made fibres (including stocks-in-process) are not applicable to these commodities since then. The banks were, however, advised

उसी प्रयोजन के लिए किया जाये जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया हो तथा यह कि ऋण का उपयोग सट्टेबाजी के लिए, माल की जमाखोरी करने के लिए न किया जाये ।

ब्याज की न्यूनतम दर

2.39 पहली अप्रैल 1985 से उधार पर अधिकतम ब्याज दर 18.0 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किये जाने के कारण चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अधीन आनेवाले पण्यों (चीनी को छोड़कर) पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज दर भी 18.0 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दी गयी ।

ऋण का वितरण

2.40 वित्तीय वर्ष 1983-84 और 1984-85 के अंत में सकल बैंक ऋण* का क्षेत्रवार वितरण सारणी 2.3 में दिखाया गया है । जून 1984 से मार्च 1985 की अवधि के दौरान सकल बैंक ऋण में 5,071 करोड़ रुपये (11.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि 1983-84 की तदनुरूप अवधि के दौरान इसमें 4,932 करोड़ रुपये (13.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । खाद्यान्न वसूली के लिए बैंक ऋण में 589 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान हुई 433 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी । खाद्येतर सकल बैंक ऋण में 4,482 करोड़ रुपये (11.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4,499 करोड़ रुपये (14.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । 1984-85 में खाद्येतर सकल बैंक ऋण में हुई वृद्धि में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण का अंश आधे से अधिक था ।

* ये आंकड़े 50 वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं । सारणी 2.3 की पादटिप्पणी भी देखें ।

to ensure that normal prudent banking norms were observed so that bank credit was utilised only for the purpose for which it is sanctioned and that credit is not used for a speculative build-up of inventories.

Minimum Rate of Interest

2.39 Following the reduction in the maximum lending rate effective April 1, 1985 from 18.0 per cent to 17.5 per cent, the minimum lending rate on advances against commodities (other than sugar) covered under selective credit controls was also lowered from 18.0 per cent to 17.5 per cent.

Deployment of Credit

2.40 The sectoral deployment of gross bank credit@ as at the end of financial year 1983-84 and 1984-85 are presented in Table 2.3. During the period June 1984-March 1985, the gross bank credit rose by Rs. 5,071 crores (11.8 per cent) as compared with Rs. 4,932 crores (13.9 per cent) during the corresponding period of 1983-84. Bank credit for foodgrains procurement rose by Rs. 589 crores, which was larger than the increase of Rs. 433 crores in the corresponding period of the preceding year. Non-food gross bank credit expansion amounted to Rs. 4,482 crores (11.9 per cent) as compared with Rs. 4,499 crores (14.1 per cent) during the same period of the previous year; more than half of the expansion of non-food gross bank credit in 1984-85 was accounted for by bank credit to the priority sectors.

@ The data relates to 50 commercial banks. Also see footnotes to Table 2.3.

सारणी 2.3 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण @ (जारी)
TABLE - 2.3 : SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT @ (Contd.)
(अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

क्षेत्र SECTOR	बकाया Outstandings				निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ Variations during	
	जून June 1983	मार्च March 1984	जून June 1984	मार्च March 1985	जून 1983 की तुलना में मार्च 1984 में March 1984 over June 1983	जून 1984 की तुलना में मार्च 1985 में March 1985 over June 1984
I. सकल बैंक ऋण Gross Bank Credit	35,489	40,421	42,882	47,953	+ 4,932	+ 5,071
II. सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली ऋण Public Food Procurement Credit	3,589	4,022	5,238	5,827	+ 433	+ 589
III. खाद्येतर सकल बैंक ऋण Non-Food Gross Bank Credit	31,900	36,399	37,644	42,126	+ 4,499 (100.0)	+ 4,482 (100.0)
(अ) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (A) **Priority Sectors**	12,637	14,899	15,894	18,407	+ 2,262 (+ 50.3)	+ 2,513 (+ 56.1)
(i) कृषि Agriculture	5,375	6,144	6,551	7,657	+ 769 (+ 17.1)	+ 1,106 (+ 24.7)
(ii) लघु उद्योग Small-Scale Industries	4,584	5,447	5,750	6,608	+ 863 (+ 19.2)	+ 858 (+ 19.1)
(iii) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Other Priority Sectors	2,678	3,308	3,593	4,142	+ 630 (+ 14.0)	+ 549 (+ 12.2)
(आ) उद्योग (मझौले और बड़े) (B) Industry (Medium and Large)	13,394	14,621	14,767	15,948	+ 1,227 (+ 27.3)	+ 1,181 (+ 26.3)
(इ) थोक व्यापार (खाद्यान्न वसूली को छोड़कर) (C) Wholesale Trade (other than Food Procurement)	2,267	2,343	2,311	2,651	+ 76 (+ 1.7)	+ 340 (+ 7.6)
(i) भारतीय कपास निगम Cotton Corporation of India	264	193	125	103	—71 (— 1.6)	—22 (— 0.5)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक-ऋण) Food Corporation of India (Fertilizer Credit)	408	241	234	166	—167 (— 3.7)	—68 (— 1.5)
(iii) भारतीय जूट निगम Jute Corporation of India	21	49	20	116	+ 28 (+ 0.6)	+ 96 (+ 2.2)

सारणी 2.3 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण @ (समाप्त)

TABLE - 2.3 : SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT @ (Concld.)

(अंतिम शुक्रवार को)

(As on the last Friday)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

क्षेत्र SECTOR	बकाया Outstandings				निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ Variations during	
	जून June 1983	मार्च March 1984	जून June 1984	मार्च March 1985	जून 1983 की तुलना में मार्च 1984 में March 1984 over June 1983	जून 1984 की तुलना में मार्च 1985 में March 1985 over June 1984
(iv) अन्य व्यापार Other Trade	1,574	1,860	1,932	2,266	+ 286 (+ 6.3)	+ 334 (+ 7.5)
(ई) अन्य क्षेत्र (D) Other Sectors	3,602	4,536	4,672	5,120	+ 934 (+ 20.7)	+ 448 (+ 10.0)
VI. शुद्ध बैंक ऋण (सहभागिता प्रमाण पत्रों सहित) Net Bank Credit (Including PCs)	34,298	39,189	41,378	46,153	+ 4,891	+ 4,775
शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत Percentage of Priority Sector to net Bank Credit	36.8	38.0	38.4	39.9		
निर्यात ऋण (III के अंतर्गत शामिल) Export Credit (included under III)	1,775	2,041	2,279	2,342	+ 266	+ 63

@ : अनन्तिम
Provisional.

टिप्पणी : 1. आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जिनका अंश सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से पुन: भुनाये गये बिल और सहभागिता प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। शुद्ध बैंक ऋण के आंकड़ों में रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से पुनर्भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

Note : 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further, these gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved Financial Institutions and participation certificates. Net bank credit data are exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved Financial Institutions.

२. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर वृद्धिशील ऋण के अनुपात के आंकड़े हैं।

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक

Source : Credit Planning Cell, RBI.

2.41 जून 1984-मार्च 1985 की अवधि के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण में 2,513 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि जून 1983-मार्च 1984 की अवधि के दौरान इसमें 2,262 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में इन क्षेत्रों का कुल अंश 56.1 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह अंश 50.3 प्रतिशत था। मार्च 1985 के अन्त में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम शुद्ध बैंक ऋण के 39.9 प्रतिशत थे, जबकि एक वर्ष पहले इनका प्रतिशत 38.0 था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों में हुई इस वृद्धि में कृषि और लघु उद्योगों का अंश क्रमशः 1,106 करोड़ रुपये (44.0 प्रतिशत) और 858 करोड़ रुपये (34.1 प्रतिशत) था, जबकि 1983-84 की तदनुरूप अवधि में यह वृद्धि क्रमशः 769 करोड़ रुपये (34.0 प्रतिशत) और 863 करोड़ रुपये (38.2 प्रतिशत) थी। मार्च 1985 के अंत में बकाया अग्रिमों की राशि कृषि के लिए रु. 7,657 करोड़ रुपये, लघु उद्योगों के लिए 6,608 करोड़ रुपये तथा "अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों" जिनमें छोटे परिवहन चालक, स्वनियोजित व्यक्ति, ग्रामीण कारीगर आदि भी सम्मिलित हैं, के लिए 4,142 करोड़ रुपये थी।

2.42 जून 1984 - मार्च 1985 के दौरान मझौले और बड़े उद्योगों के लिए अग्रिमों में 1,181 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी वृद्धि देखी गयी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान इनमें 1,227 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। आलोच्य अवधि के दौरान वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बड़े और मझौले उद्योगों का अंश भी, 1983-84 की तदनुरूप अवधि के दौरान के 27.3 प्रतिशत से कुछ कम अर्थात् 26.3 प्रतिशत रहा। मार्च 1985 के अंत में मझौले और बड़े उद्योगों के बकाया ऋण की राशि 15,948 करोड़ रुपये थी, जबकि एक वर्ष पहले यह राशि 14,621 करोड़ रुपये थी।

2.41 Bank credit to priority sectors recorded an expansion of Rs. 2,513 crores during June 1984–March 1985 as compared with Rs. 2,262 crores during June 1983–March 1984; the aggregate share of these sectors in incremental non-food gross bank credit was 56.1 per cent as compared with 50.3 per cent in the previous year. At the end of March 1985, priority sector advances constituted 39.9 per cent of net bank credit as against 38.0 per cent a year ago. Of the rise in advances to the priority sectors, agriculture and small-scale industries accounted for Rs. 1,106 crores (44.0 per cent) and Rs. 858 crores (34.1 per cent), respectively, as compared with an increase of Rs. 769 crores (34.0 per cent) and Rs. 863 crores (38.2 per cent), respectively, in the corresponding period of 1983–84. As of end-March 1985, the amount of outstanding advances stood at Rs. 7,657 crores for agriculture, Rs. 6,608 crores for small-scale industries and Rs. 4,142 crores for 'other priority sectors', which included small transport operators, self-employed persons, rural artisans, etc.

2.42 Advances to medium and large industry during June 1984–March 1985 registered a smaller increase of Rs. 1,181 crores than that of Rs. 1,227 crores in the corresponding period of the previous year. The share of large and medium industry in incremental non-food gross bank credit during the period under review was also lower at 26.3 per cent as compared with 27.3 per cent in the corresponding period of 1983–84. The outstanding credit to medium and large industry at the end of March 1985 amounted to Rs. 15,948 crores as against Rs. 14,621 crores a year earlier.

सारणी 2.4 : सकल बैंक-ऋण का उद्योगवार वितरण@ (जारी)
TABLE - 2.4 : INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT@ (Contd.)

(अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

मद Item	बकाया Outstandings जून June 1983	 मार्च March 1984	घट-बढ़ Variations जून 83 की तुलना में मार्च 84 में March 1984 over June 1983	बकाया Outstandings जून June 1984	 मार्च March 1985	घट-बढ़ Variations जून 84 की तुलना में मार्च 85 में March 1985 over June 1984
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़) Industry (Total of Small-Scale, Medium & Large Scale)	**17,978**	**20,068**	**(+) 2,090**	**20,517**	**22,556**	**(+) 2,039**
1. कोयला Coal	72	147	(+) 75	113	118	(+) 5
2. लोहा और इस्पात Iron & Steel	1,572	1,594	(+) 22	1,560	1,431	(-) 129
3. अन्य धातुएं और धातुओं से बनी चीजें Other Metals & Metal Products	589	670	(+) 81	716	801	(+) 85
4. समस्त इंजीनियरी वस्तुएं All Engineering	4,225	4,815	(+) 590	4,933	5,558	(+) 625
5. बिजली (उत्पादन और वितरण) Electricity (Generation and Transmission)	299	303	(+) 4	366	415	(+) 49
6. सूती वस्त्र Cotton Textiles	1,399	1,644	(+) 245	1,725	1,872	(+) 147
7. जूट वस्त्र Jute Textiles	206	211	(+) 5	228	264	(+) 36
8. अन्य वस्त्र Other Textiles	1,001	1,192	(+) 191	1,252	1,367	(+) 115
9. चीनी Sugar	685	599	(-) 86	637	429	(-) 208
10. चाय Tea	267	247	(-) 20	248	296	(+) 48
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित) Vegetable Oils (Including Vanaspati)	234	265	(+) 31	289	313	(+) 24
12. तंबाकू तथा तंबाकू से बनी चीजें Tobacco & Tobacco Products	136	169	(+) 33	191	160	(-) 31
13. कागज तथा कागज से बनी चीजें Paper & Paper Products	411	486	(+) 75	518	604	(+) 86
14. रबड़ तथा रबड़ से बनी चीजें Rubber & Rubber Products	299	390	(+) 91	396	436	(+) 40
15. रसायन, रंग, पेंट, दवाइयां और औषधियां Chemicals, Dyes, Paints, Drugs & Pharmaceuticals	1,945	2,088	(+) 143	2,183	2,321	(+) 138
उनमें से : उर्वरक Of which : Fertilizers	(408)	(397)	(-) 11	(381)	(361)	(-) 12

सारणी 2.4 : सकल बैंक-ऋण का उद्योगवार वितरण@ (समाप्त)
TABLE - 2.4 : INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT@ (Concld.

(अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

मद Item	बकाया Outstandings जून June 1983	बकाया Outstandings मार्च March 1984	घट-बढ़ Variations जून 83 की तुलना में मार्च 84 में March 1984 over June 1983	बकाया Outstandings जून June 1984	बकाया Outstandings मार्च March 1985	घट-बढ़ Variations जून 84 की तुलना में मार्च 85 में March 1985 over June 1984
16. सीमेंट Cement	206	237	(+) 31	245	284	(+) 39
17. चमड़ा तथा चमड़े से बनी चीजें Leather & Leather Products	238	267	(+) 29	281	324	(+) 43
18. निर्माण Construction	180	216	(+) 36	219	265	(+) 46
19. नई योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज SAFAUNS*	333	368	(+) 35	372	376	(+) 4
20. पेट्रोलियम Petroleum	212	374	(+) 162	129	72	(-) 57
21. अवशिष्ट Residual	3,469	3,786	(+) 317	3,916	4,850	(+) 934

@ : अनंतिम
Provisional

* Ship acquired from abroad under new scheme

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Credit Planning Cell, RBI

2.43 बैंक-ऋण का उद्योग-वार (लघु उद्योग को मिलाकर) वितरण सारणी 2.4 में दिखाया गया है। जून 1984 - मार्च 1985 की अवधि के दौरान जिन उद्योगों के ऋणों में भारी वृद्धि हुई वे थे - इंजीनियरी समूह (625 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र उद्योग (147 करोड़ रुपये), रासायनिक पदार्थ (138 करोड़ रुपये) अन्य वस्त्र उद्योग (115 करोड़ रुपये) तथा अन्य धातुएं तथा धातुओं से बनी वस्तुएं (85 करोड़ रुपये), कागज़ तथा कागज़ से बनी वस्तुएं (86 करोड़ रुपये) इसके विपरीत जिन उद्योगों के मामले में बैंक-ऋणों में गिरावट आयी वे थे - चीनी उद्योग (208 करोड़ रुपये) लोहा तथा इस्पात (129 करोड़ रुपये), पेट्रोलियम (57

2.43 Industry-wise (inclusive of small scale industry) distribution of bank credit is presented in Table 2.4. Industries which accounted for a large increase in credit during June 1984-March 1985 were the engineering group (Rs. 625 crores), followed by cotton textiles (Rs. 147 crores), chemicals (Rs. 138 crores), other textiles (Rs. 115 crores), other metals & metal products (Rs. 85 crores) and paper and paper products (Rs. 86 crores). As against this, industries, which showed declines in bank credit included sugar (Rs. 208 crores), iron and steel (Rs. 129 crores),

करोड़ रुपये), तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद (31 करोड़ रुपये)।

2.44 थोक व्यापार (खाद्यान्न वसूली से इतर) को दिये गये अग्रिमों में जून 1984 -मार्च 1985 के दौरान 340 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान इनमें केवल 76 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि "अन्य व्यापार" (334 करोड़ रुपये) तथा भारतीय जूट निगम (96 करोड़ रुपये) को दिये गये अग्रिमों में भारी वृद्धि होने के कारण हुई। इसके विपरीत, भारतीय कपास निगम तथा भारतीय खाद्य निगम को उर्वरकों के वितरण के लिए दिये गये अग्रिमों में क्रमश: 22 करोड़ रुपये और 68 करोड़ रुपये की कमी हुई।

2.45 "अन्य क्षेत्रों", जो शेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों, उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कम्पनियों को दिये गये अग्रिम, निजी ऋण आदि सम्मिलित हैं, को दिये गये ऋण में जून 1984 -मार्च 1985 के दौरान 448 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 1983-84 की तदनुरूप अवधि के दौरान इसमें 934 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

2.46 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों और अग्रिमों की प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अंश से संबंधित, बैंकों से प्राप्त विशेष विवरणियों से एकत्र किये गये दिसम्बर 1983 तक के उपलब्ध आंकड़े सारणी 2.5 में दिये गये हैं। सारणी से यह पता चलता है कि कुल बैंक-ऋण में से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों का अंश दिसम्बर 1982 से 1983 के बीच 36.1 प्रतिशत से बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से कृषि के लिए अग्रिमों के अंश में 0.7 प्रतिशत अंक और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अग्रिमों में 0.2 प्रतिशत अंक की मामूली-सी कमी हुई। तथापि, राशि की दृष्टि से इन

Petroleum (Rs. 57 crores) and tobacco and tobacco products (Rs. 31 crores).

2.44 Advances to wholesale trade (other than food procurement), however, recorded a sharp increase of Rs. 340 crores during June 1984-March 1985 as against a rise of only Rs. 76 crores during the corresponding period of the previous year. This was due to substantial increases in credit advanced to 'other trade' (Rs. 334 crores) and to Jute Corporation of India (Rs. 96 crores). In contrast, advances to Cotton Corporation of India and Food Corporation of India for fertiliser distribution showed declines of Rs. 22 crores and Rs. 68 crores, respectively.

2.45 Credit to 'Other Sectors', which represent the residual and include advances to financial institutions, hire purchase agencies, leasing companies, personal loans, etc., showed an increase of Rs. 448 crores during June 1984 March 1985 as compared with that of Rs. 934 crores in the corresponding period of 1983 84.

Priority Sector Advances

2.46 The data on priority sector advances of all scheduled commercial banks and the share of scheduled castes/scheduled tribes (SCs/STs) in each category of advances, collected through special returns from banks and available upto December 1983, are given in the Table 2.5. It will be seen from the Table that the share of priority sector advances in total bank credit increased from 36.1 per cent to 37.2 per cent between December 1982 and December 1983. There was a marginal decline of 0.7 percentage point in the share of agriculture and 0.2 percentage point in that of small-scale industrial sector in total priority sector advances.

दोनों क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में दिसम्बर 1983 को समाप्त वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिमों में वर्ष के दौरान 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उनकी राशि दिसम्बर 1983 के अंत तक 618 करोड़ रुपये से बढ़कर 768 करोड़ रुपये हो गयी। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों में उनका अंश भी 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों में केवल कृषि के अग्रिमों का अंश 66.5 प्रतिशत था।

2.47 बैंकों द्वारा वित्तपोषित लघु उद्योग यूनिटों की संख्या में 1.79 लाख की वृद्धि होने से दिसम्बर 1983 के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर 12.29 लाख हो गयी। दिसम्बर 1983 के अंत तक लघु उद्योग यूनिटों के संबंध में कुल 5,301 करोड़ रुपयों के बकाया ऋणों में से 187 करोड़ रुपये, कारीगरों और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग धंधों की 6.5 लाख इकाइयों से संबंधित थे। औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करने के लिए बैंक अग्रिमों की राशि वर्ष के दौरान 56 करोड़ रुपये से बढ़कर 65 करोड़ रुपये हो गयी।

2.48 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में "अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों" का अंश दिसम्बर 1982 के अन्त के 20.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 1983 के अन्त में 21.5 प्रतिशत हो गया। "अन्य प्राथमिकता-प्राप्त" क्षेत्रों को दिये गये कुल 3,156 करोड़ रुपये के अग्रिमों में से 185 करोड़ रुपये के अग्रिम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दिये गये।

नये 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता

2.49 सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर 1984 के अंत में हिताधिकारियों को दी गयी सहायता की राशि 111.63 लाख खातों में 5,163 करोड़ रुपये थी, जबकि इसकी तुलना में पिछले

However, in absolute terms, advances to both these sectors increased substantially, during the year ended December 1983. Priority sector advances to SCs/STs increased over the year by 24.3 per cent from Rs. 618 crores to Rs. 768 crores by the end of December 1983. Their share in total priority sector advances also increased from 5.0 per cent to 5.2 per cent. In the case of SCs/STs, advances to agriculture alone formed 66.5 per cent of total priority advances extended to them.

2.47 The number of SSI units financed by banks increased by 1.79 lakhs to 12.29 lakhs at the end of December 1983. Of the total outstanding loans of Rs. 5,301 crores in respect of SSI units as at the end of December 1983, Rs. 187 crores were accounted by 6.5 lakh units of artisans and village and cottage industries. Banks' advances for setting up of industrial estates increased over the year from Rs. 56 crores to Rs. 65 crores.

2.48 The share of "other priority sector advances" in total priority sector advances increased from 20.5 per cent as at the end of December 1982 to 21.5 per cent at the end of December 1983. Of the total amount of Rs. 3,156 crores extended to "other priority sectors", Rs. 185 crores were given to SC/ST and other weaker sections of the society.

Financial assistance for implementation of the New 20-Point Programme

2.49 According to the provisional data in respect of 28 public sector banks, assistance to the beneficiaries under the New 20-Point Programme at the end of December 1984 amounted to Rs. 5,163 crores in 111.63 lakh accounts as com-

सारणी 2.5 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम (जारी)
TABLE - 2.5 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS (Contd.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

क्षेत्र Sectors	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया राशि Outstanding Priority Sector Advances as on the last Friday of							
	दिसंबर 1982 December 1982				दिसंबर 1983 (अनंतिम) December 1983 (Provisional)			
	कुल Total		उसमें से अनु. जातियों/अनु. जनजातियों का अंश Of which to SCs/STs		कुल Total		उसमें से अनु. जातियों/अनु. जनजातियों का अंश Of which to SCs/STs	
	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector
I. कृषि Agriculture	5,287.59	42.8	417.63	67.6	6,185.36	42.1	511.21	66.5
(क) प्रत्यक्ष वित्त (a) Direct Finance	4,060.54	32.9	375.40	60.8	4,859.49	33.1	467.89	60.9
(ख) परोक्ष वित्त (b) Indirect Finance	1,227.05	9.9	42.23	6.8	1,325.87	9.0	43.32	5.6
II. लघु उद्योग Small Scale Industries	4,464.32	36.2	51.70	8.4	5,300.94	36.0	72.00	9.4
(क) प्रत्यक्ष वित्त (a) Direct Finance	4,449.26	36.1	50.59	8.2	5,250.52	35.7	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.
(ख) परोक्ष वित्त (b) Indirect Finance	15.06	0.1	1.11	0.2	50.42	0.3	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.
III. औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करना Setting up of Industrial Estates	55.61	0.5	—	—	64.70	0.4	—	—

सारणी 2.5 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम (समाप्त)

TABLE - 2.5 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS (Concld.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

क्षेत्र Sectors	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया राशि Outstanding Priority Sector Advances as on the last Friday of							
	दिसंबर 1982 December 1982				दिसंबर 1983 (अनंतिम) December 1983 (Provisional)			
	कुल Total		उसमें से अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों का अंश Of which to SCs/STs		कुल Total		उसमें से अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों का अंश Of which to SCs/STs	
	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector	राशि Amount	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में प्रतिशत % to total Priority Sector
IV. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम Other Priority Sector Advances	2534.91	20.5	148.56	24.0	3156.17	21.5	184.71	24.1
(क) सड़क और जल परिवहन (a) Road & Water Transport Operators	1246.59	10.1	46.93	7.6	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	56.15	7.3
(ख) खुदरा व्यापार (b) Retail Trade	676.98	5.5	30.07	4.9	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	37.50	4.9
(ग) छोटे व्यवसाय (c) Small Business	252.49	2.0	23.67	3.8	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	32.31	4.2
(घ) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति (d) Professional & self-employed persons	288.31	2.4	26.02	4.2	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	33.75	4.4
(ङ) शिक्षा (e) Education	15.78	0.1	0.76	0.1	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	0.92	0.1
(च) कमजोर वर्गों और अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों को आवास ऋण (f) Housing Loans to Weaker Sections & SCs/STs	35.26	0.3	16.85	2.7	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	18.34	2.4
(छ) उपभोग ऋण (g) Consumption Loans	16.02	0.1	2.80	0.5	उ. न. N.A	उ. न. N.A.	3.69	0.5
(ज) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को परोक्ष वित्त (h) Indirect Finances in Other Priority Sectors	3.48	—	1.46	0.2	उ. न. N.A.	उ. न. N.A.	2.05	0.3
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम Total Priority Sector Advances	**12342.43 (36.1)**	**100.0**	**617.89**	**100.0**	**14707.17 (37.2)**	**100.0**	**767.92**	**100.0**

टिप्पणी : उ. न. - उपलब्ध नहीं
N.A. Not Available

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets are percentages of priority sector advances to total bank credit

वर्ष यह राशि 95.13 लाख खातों में 4,152 करोड़ रुपये थी।

प्रत्यक्ष कृषि-अग्रिमों की वसूली

2.50 बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि-अग्रिमों की वसूली के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़े जून 1984 से संबंधित हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि-अग्रिमों के संबंध में मांग में वसूली का प्रतिशत जून 1984 के अंत में 51.6 था। कृषि-अग्रिमों की वसूली की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे विशेष वसूली अभियान चलायें, संबंधित राज्य सरकारों से इस मामले में बार-बार अनुरोध करें तथा नियंत्रण कार्यालयों तथा कार्य-क्षेत्रों दोनों ही स्तरों पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने, ऋण देने के योजनाबद्ध दृष्टिकोण को अपनाने तथा ऋण देने से पहले की मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं ऋण देने के बाद की निरीक्षण तकनीक, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हिताधिकारियों से लगातार संपर्क बनाये रखना शामिल है, में सुधार लाने जैसे प्रभावी उपाय करें। बैंकों को ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये गये जिन्हें अपनाकर वे अपने वसूली-संबंधी कार्यों में सुधार ला सकते हैं।

अनिवासी खाते

2.51 अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत अनिवासी जमाराशियों के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़े सारणी 2.6 में दिये गये हैं।

2.52 जून 1984 और जून 1985 के बीच अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों की राशि में 728 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3,005 करोड़ रुपये हो गयी। इसी अवधि में खातों की संख्या में भी 2.7 लाख की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 16.98 लाख हो गयी। विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में पौंड स्टर्लिंग की शेष जमाराशियां जून 1984 के अन्त के 1,646 लाख पौंड से बढ़कर जून 1985 के अंत तक 2,272 लाख पौंड हो

pared with Rs. 4,152 crores in 95.13 lakh accounts in the previous year.

Recovery of Direct Agricultural Advances

2.50 The latest data available in respect of recovery of direct agricultural advances of banks relate to June 1984. The percentage of recovery to demand in respect of direct agricultural advances of public sector banks as at end of June 1984 was 51.6. With a view to improving recovery position of agricultural advances, banks were advised to launch special recovery drives, pursue the matter with the concerned State Governments and take effective measures like strengthening and gearing-up the organisational structure both at the controlling offices and field levels, adopting schematic approach to lending, and toning up pre lending appraisal systems and post-lending supervision techniques involving, *inter alia,* constant contact with the beneficiaries. The guidelines, which the banks could usefully follow for improving their recovery performance, were also issued to them.

Non-Resident Accounts

2.51 The latest data available on non-resident deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme (NRE) and the Foreign Currency (Non Resident) Accounts Scheme (FCNR) are given in Table 2.6.

2.52 Between June 1984 and June 1985 the amount in the NRE Accounts rose by Rs. 728 crores to Rs. 3,005 crores; the number of accounts also rose by 2.7 lakhs to 16.98 lakhs over the same period. In respect of the FCNR Accounts, deposit balances in pound sterling increased from £ 164.6 million at end-June 1984 to £ 227.2 million by end-June 1985, while those in

सारणी 2.6 : अनिवासी खातों के अंतर्गत शेष राशियां
TABLE 2.6 : BALANCES UNDER NON-RESIDENT ACCOUNTS

(क) अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता
(A) Non-Resident (External) Rupee Accounts

निम्नलिखित के अंत में As at the end of	खातों की संख्या No. of Accounts	राशि (करोड़ रुपये) Amount (Rs. Crores)
मार्च March 1984	14,15,815	2,254
जून June 1984	14,30,815	2.277
मार्च March 1985	16,85,956	2,864
जून June 1985	16,98,200*	3.005 *

(ख) विदेशी मुद्रा (अनिवासी खाता)
(B) Foreign Currency (Non-Resident) Accounts

निम्नलिखित के अंत में As at the end of	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	कुल जमाराशियां (हज़ारों में) Total amount of Deposits ('000)
जून June 1984	पौंड स्टर्लिंग £ Sterling	1,64,614
जून June 1985	पौंड स्टर्लिंग £ Sterling	2,27,203
जून June 1984	अमेरिकी डालर U.S. $	4,08,160
जून June 1985	अमेरिकी डालर U.S. $	6,19,060

* : अनंतिम।
Provisional

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग।
Source: Exchange Control Department of Reserve Bank of India

गयीं, जबकि अमेरिकी डॉलर की शेष जमाराशियां 4,082 लाख डालर से बढ़कर 6,191 लाख डालर हो गयीं ।

क्षेत्रवार तथा राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

2.53 ऋण की स्वीकृति और उपयोग के अनुसार क्षेत्रवार तथा राज्यवार ऋण-जमा अनुपात सारणी 2.7 में दिखाये गये हैं । उनसे यह पता चलता है कि 1974 और 1982 के बीच दोनों प्रकार के ऋण-जमा अनुपातों में अन्तर लगातार कम होता चला गया जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था । इससे यह पता चलता है कि बैंकों की शाखाओं में उस प्रवृत्ति में कमी आयी है जिसके अनुसार वे ऐसी इकाइयों के भी खाते रखती थीं जिनकी गतिविधियां अन्य राज्यों अथवा क्षेत्रों में होती थीं । दोनों ही वर्षों में हरियाणा, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा संघशासित क्षेत्र मिजोरम, दादरा और नगर हवेली तथा पांडिचेरी में स्वीकृति की तुलना में उपयोग का अनुपात अधिक रहा, परन्तु चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मामले में स्थिति इसके विपरीत रही । इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में, जहां महत्वपूर्ण महानगर हैं, स्वीकृति का अनुपात उपयोग के अनुपात से अधिक रहा ।

ग्रामीण तथा अर्धशहरी केन्द्रों में ऋण-जमा अनुपात

2.54 इस बात पर पुन: बल देना जरूरी है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में आयी विषमताओं को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके अनुसार बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं द्वारा अलग-अलग रूप से ऋण-जमा अनुपात का कम से कम 60 प्रतिशत तक मार्च 1979 के अंत तक प्राप्त करना था । निजी क्षेत्रों के बैंकों को भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करना अपेक्षित था । इस संबंध में विभिन्न राज्यों में बैंकों के ग्रामीण और अर्धशहरी

US dollars rose from $ 408.2 million to $ 619.1 million.

Region-wise and State-wise Credit – Deposit Ratios

2.53 Region-wise and State-wise credit-deposit ratios, according to sanction and utilisation of credit are given in Table 2.7. It will be seen therefrom that, between 1974 and 1982, the difference in the two sets of credit-deposit ratios continued to narrow down. As observed in the last Report, this indicates a decline in the tendency among the bank branches to maintain accounts of units whose actual activity takes place elsewhere in other States or Regions. In both the years, the ratio according to utilisation was higher than that according to sanction in Haryana, Punjab, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Orissa and in Union Territories of Mizoram, Dadra and Nagar Haveli and Pondicherry. But, reverse was the case with Chandigarh, Delhi, West Bengal, Tamil Nadu and Maharashtra. In these States/territories where important metropolitan centres are located, the ratio according to sanction was higher than that according to utilisation

Credit-Deposit Ratios in Rural and Semi-Urban Centres

2.54 It may be reiterated that, with a view to reducing wide urban-rural disparities in credit dispersal, a national target was laid down by the Government of India for public sector banks to achieve by March 1979 a credit-deposit ratio of at least 60 per cent in respect of their rural and semi-urban branches separately; the private sector banks were also required to reach this target within a time-bound programme. Banks' performance in this respect, as on the last Friday of June

सारणी 2.7 : ऋण की स्वीकृति और उसके उपयोग के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (जारी)
TABLE 2.7 : CREDIT-DEPOSIT RATIOS ACCORDING TO SANCTION AND UTILISATION OF CREDIT (Contd

(अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	दिसम्बर December 1974		दिसम्बर December 1979		दिसम्बर December 1980		दिसम्बर December 1981		दिसम्बर December 1982	
	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utili-sation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utili-sation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utili-sation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utili-sation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utili-sation
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**51.8**	**49.6**	**83.3**	**82.5**	**70.0**	**69.1**	**70.5**	**67.7**	**70.0**	**67.7**
हरियाणा Haryana	65.0	124.5	70.9	104.4	70.4	95.1	72.3	89.7	74.8	98.3
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	24.4	24.3	29.1	29.3	31.8	32.4	43.1	44.0	43.0	43.6
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	29.7	30.3	33.2	27.7	30.7	27.1	45.6	39.5	48.2	48.1
पंजाब Punjab	43.8	58.2	42.1	64.8	42.3	68.7	45.9	55.6	44.8	56.2
राजस्थान Rajasthan	58.0	62.9	67.8	73.3	67.4	72.8	70.7	75.8	70.1	74.1
चण्डीगढ़ Chandigarh	158.8	27.1	192.1	34.2	209.2	55.2	178.2	116.3	167.6	72.4
दिल्ली Delhi	48.7	35.1	108.5	102.0	81.0	71.4	78.9	68.3	78.9	69.8
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**36.6**	**69.0**	**37.1**	**52.9**	**45.2**	**62.5**	**39.3**	**58.7**	**41.2**	**57.5**
असम Assam	45.1	88.6	42.3	63.5	53.3	76.6	41.7	66.5	42.3	62.8
मणिपुर Manipur	38.8	39.8	26.8	30.8	36.9	42.8	38.4	45.8	42.1	44.1
मेघालय Meghalaya	10.7	11.2	14.8	15.4	15.1	15.3	20.9	21.2	22.6	22.3
नागालैंड Nagaland	15.4	15.7	24.4·	30.4	25.6	29.4	35.7	40.1	43.6	47.5
सिक्किम Sikkim	—	—	3.3	3.3	4.3	4.3	10.6	17.7	16.2	21.3
त्रिपुरा Tripura	15.0	19.4	55.2	58.5	49.2	51.1	68.7	73.6	66.3	68.9
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	7.7	59.2	10.1	24.3	10.4	22.7	14.4	36.0	19.0	31.6
मिजोरम Mizoram	6.5	2.2	6.7	8.6	9.7	23.7	20.0	23.2	21.8	65.9
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**69.8**	**69.0**	**58.2**	**57.9**	**55.9**	**55.0**	**52.2**	**52.5**	**56.1**	**55.2**
बिहार Bihar	39.5	56.4	41.1	52.2	41.2	49.3	39.4	48.5	42.8	50.7
उड़ीसा Orissa	52.0	70.7	58.4	66.4	58.5	66.1	66.0	74.2	76.1	81.4
पश्चिम बंगाल West Bengal	81.5 (101.8)	73.4 (52.8)	64.4 (81.5)	59.3 (46.1)	61.4 (79.7)	56.1 (42.7)	55.6 (70.2)	51.8 (46.5)	59.3 (76.5)	54.1 (50.6)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	23.0	23.5	25.3	34.7	26.0	28.0	35.6	40.5	29.8	34.3

सारणी 2.7 : ऋण की स्वीकृति और उसके उपयोग के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (समाप्त)
TABLE 2.7 : CREDIT-DEPOSIT RATIOS ACCORDING TO SANCTION AND UTILISATION OF CREDIT (concld.)

(अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/ Union Territory	दिसम्बर December 1974		दिसम्बर December 1979		दिसम्बर December 1980		दिसम्बर December 1981		दिसम्बर December 1982	
	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation	स्वीकृति के अनुसार As per Sanction	उपयोग के अनुसार As per Utilisation
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**48.0**	**53.8**	**46.7**	**50.7**	**46.1**	**49.4**	**49.9**	**53.6**	**47.8**	**50.6**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	62.2	67.1	53.1	56.3	55.2	57.6	62.0	63.8	58.2	61.2
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	43.6	49.7	44.5	48.8	43.2	46.7	46.0	50.4	44.7	47.3
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**80.4**	**77.1**	**69.2**	**66.6**	**72.2**	**70.1**	**71.3**	**69.6**	**73.7**	**73.0**
गुजरात Gujarat	62.6	69.9	53.7	57.7	57.5	61.1	54.7	55.8	52.0	53.9
महाराष्ट्र Maharashtra	87.9	80.6	76.1	70.5	79.1	74.8	79.1	76.0	83.7	81.7
	(95.4)	(72.8)	(83.0)	(64.6)	(87.7)	(71.8)	(88.0)	(75.4)	(94.1)	(83.6)
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	120.0	148.0	88.9	155.6	107.0	131.7	104.8	188.6	128.6	164.8
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	47.6	51.9	42.1	51.8	40.1	41.6	43.9	45.5	39.9	42.4
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**92.8**	**95.5**	**77.5**	**78.6**	**79.8**	**80.9**	**79.4**	**80.7**	**79.2**	**80.2**
आंन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	87.7	92.6	73.6	75.0	74.3	75.5	72.8	74.2	69.1	70.3
कर्नाटक Karnataka	94.2	100.0	79.4	81.0	75.5	77.0	76.2	78.9	79.5	81.3
केरल Kerala	71.1	75.5	64.3	65.8	68.1	69.3	72.1	73.3	67.8	68.9
तमिलनाडु Tamil Nadu	104.6	103.0	86.9	86.7	94.7	95.2	91.9	92.2	94.6	94.5
	(119.8)	(81.2)	(97.4)	(66.9)	(119.6)	(84.2)	(107.1)	(89.7)	(104.4)	(94.2)
लक्षद्वीप Lakshadweep	5.9	29.4	5.6	6.5	7.4	8.2	9.1	9.1	9.3	7.6
पांडिचेरी Pondicherry	90.6	109.2	60.3	66.6	57.4	63.7	54.9	58.8	54.3	63.8
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**71.0**	**71.0**	**68.9**	**68.9**	**66.9**	**66.9**	**66.4**	**66.4**	**67.1**	**67.1**

टिप्पणी : (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े महानगरीय केन्द्रों से सम्बन्धित हैं ।
(2) 1981 और 1982 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

Note : (1) Figures in brackets relate to metropolitan centres
(2) Data for 1981 and 1982 are provisional

स्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ
Source : Basic Statistical Returns

सारणी 2.8 : जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी* और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) (जारी)

TABLE 2.8 : STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS (%) OF OFFICES OF PUBLIC* AND PRIVATE SECTOR SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, ACCORDING TO POPULATION GROUP (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति)
(As on the last Friday of June 1984)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	ग्रामीण Rural			अर्धशहरी Semi-Urban			शहरी/महानगरीय Urban/Metropolitan			कुल Total		
	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**51.4**	**38.5**	**52.8**	**47.7**	**48.8**	**48.0**	**69.7**	**72.9**	**70.0**	**63.4**	**66.4**	**63.9**
हरियाणा Haryana	74.0	28.6	74.3	59.6	43.4	59.2	73.2	90.0	73.6	69.0	62.4	69.3
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	43.5	20.8	43.8	46.3	12.4	45.0	—	—	—	44.5	15.1	44.2
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	36.7	41.7	40.9	48.8	58.6	52.9	38.2	80.8	57.5	39.2	67.6	52.5
पंजाब Punjab	40.5	7.8	39.4	41.4	29.4	41.2	48.6	59.9	49.1	43.9	38.4	43.7
राजस्थान Rajasthan	82.1	78.4	90.4	56.3	55.1	56.8	75.2	63.4	73.5	71.5	63.3	72.7
चंडीगढ़ Chandigarh	65.2	—	65.2	37.5	—	37.5	235.8	59.3	232.5	228.9	59.3	225.7
दिल्ली Delhi	31.3	25.2	30.8	18.0	—	18.0	61.0	73.5	62.1	60.5	73.1	61.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**49.0**	**36.2**	**53.3**	**35.7**	**32.2**	**35.8**	**44.0**	**39.6**	**43.9**	**41.3**	**36.4**	**42.4**
असम Assam	53.7	37.5	55.6	40.4	34.7	40.1	49.5	43.9	48.3	45.9	39.8	45.9
मणिपुर Manipur	112.5	—	113.2	75.7	—	75.7	46.2	—	46.7	59.5	—	60.2
मेघालय Meghalaya	43.8	—	44.4	23.2	28.9	23.4	20.7	17.3	20.5	24.7	18.3	24.6
नागालैंड Nagaland	33.8	—	33.8	41.5	13.2	40.1	—	—	—	39.4	13.2	38.4
सिक्किम Sikkim	40.7	—	40.7	7.5	—	7.5	—	—	—	11.2	—	11.2
त्रिपुरा Tripura	77.1	—	100.8	52.9	—	63.7	53.8	12.5	58.6	58.9	12.5	72.0
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	19.4	23.1	19.4	20.0	—	20.0	—	—	—	19.4	23.1	19.4
मिजोरम Mizoram	20.1	—	20.1	8.5	—	8.6	—	—	—	9.9	—	10.0
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**45.9**	**28.7**	**55.8**	**32.8**	**29.2**	**33.2**	**63.4**	**64.5**	**63.4**	**54.2**	**62.6**	**56.1**
बिहार Bihar	43.8	—	52.9	35.5	18.1	35.4	40.8	31.8	40.5	39.5	30.4	41.5
उड़ीसा Orissa	97.9	—	123.2	68.7	—	69.9	87.5	60.4	86.6	85.2	60.4	92.2
पश्चिम बंगाल West Bengal	31.7	28.7	36.6	23.7	30.2	24.4	67.4	65.3	67.1	57.3	63.4	58.4
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	26.2	—	26.2	34.7	—	34.7	—	—	—	32.9	—	32.9

सारणी 2.8 : जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी* और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) (समाप्त)

TABLE 2.8 : STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS (%) OF OFFICES OF PUBLIC* AND PRIVATE SECTOR SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, ACCORDING TO POPULATION GROUP (Concld.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति)
(As on the last Friday of June 1984)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region /State/Union Territory	ग्रामीण Rural			अर्धशहरी Semi-Urban			शहरी/महानगरीय Urban/Metropolitan			कुल Total		
	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total	सरकारी Public	निजी Private	कुल@ Total
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**55.0**	**43.0**	**58.5**	**54.5**	**36.7**	**53.4**	**48.7**	**63.1**	**49.3**	**51.5**	**52.3**	**52.4**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	65.9	22.7	71.3	55.6	35.2	54.8	59.0	84.9	59.2	59.4	66.5	60.5
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	51.5	43.3	54.6	54.0	36.8	52.9	45.2	61.6	46.1	48.6	51.4	49.7
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**52.4**	**68.1**	**53.4**	**50.7**	**50.5**	**50.7**	**89.9**	**110.2**	**91.6**	**80.0**	**104.6**	**81.9**
गुजरात Gujarat	43.7	—	44.0	47.8	193.3	47.8	53.4	54.9	53.5	50.3	55.7	50.4
महाराष्ट्र Maharashtra	76.0	68.1	76.6	58.8	49.3	58.1	99.9	111.7	101.1	94.8	106.1	96.0
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	94.2	—	94.2	—	—	—	—	—	—	94.2	—	94.2
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	21.6	71.9	21.7	37.6	58.9	38.1	—	—	—	31.7	59.3	32.1
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**86.4**	**58.7**	**88.5**	**64.1**	**51.3**	**62.2**	**92.7**	**92.9**	**92.7**	**83.4**	**71.9**	**82.8**
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	89.1	61.8	93.6	67.7	45.6	66.9	75.2	60.1	74.2	75.9	57.6	76.1
कर्नाटक Karnataka	83.1	52.5	88.6	73.1	54.8	71.2	89.0	79.3	88.0	84.8	68.8	84.8
केरल Kerala	67.1	54.6	69.1	49.2	52.7	51.0	114.7	92.4	109.7	71.8	62.7	70.4
तमिलनाडु Tamil Nadu	94.1	67.3	91.9	73.9	47.3	69.6	106.4	109.6	106.8	96.8	87.6	95.6
लक्षद्वीप Lakshadweep	14.6	—	14.6	—	—	—	—	—	—	14.6	—	14.6
पांडिचेरी Pondicherry	84.1	45.9	82.6	38.6	28.3	38.2	56.1	61.1	56.4	58.6	56.3	58.5
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**58.7**	**50.7**	**62.5**	**50.9**	**48.5**	**50.9**	**76.2**	**85.4**	**77.0**	**68.2**	**75.0**	**69.3**

* : सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, उसके 7 सहायक बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित हैं ।
Public Sector Banks comprise of State Bank of India, 7 Associate Banks of S.B.I. and 20 Nationalised Banks.

@ : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ।
Including Regional Rural Banks.

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं ।
Note : The data are provisional.

स्रोत : समग्र जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित तिमाही विवरणी ।
Source : Quarterly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

कार्यालयों में जून 1984 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति सारणी 2.8 में दिखायी गयी है। इससे यह पता चलता है कि समग्र बैंकिंग प्रणाली* के लिए, ग्रामीण शाखाओं के लिए ऋण-जमा अनुपात का जो 60 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जून 1984 में उस लक्ष्य से भी अधिक अर्थात् 62.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त हुआ। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात लक्ष्य के काफी निकट अर्थात् 58.7 प्रतिशत तक पहुँच गया, परंतु निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के मामले में यह अनुपात लक्ष्य से काफी कम अर्थात् 50.7 प्रतिशत रहा। राज्यवार देखा जाये तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा (97.9), तमिलनाडु (94.1), आंध्र प्रदेश (89.1) कर्नाटक (83.1), राजस्थान (82.1), महाराष्ट्र (76.0) और हरियाणा (74.0) के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-जमा का अनुपात ऊँचा रहा, परंतु कुछ अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल (31.7), जम्मू व कश्मीर (36.7) और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार (41 और 44 प्रतिशत के बीच) में यह अनुपात काफी कम रहा। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात राजस्थान (78.4), महाराष्ट्र (68.1) और तमिलनाडु (67.3) में काफी अधिक रहा। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों की अर्धशहरी शाखाओं के ऋण-जमा अनुपात की स्थिति लगातार असंतोषजनक बनी रही और उनका अनुपात निर्धारित 60 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमश: 50.9 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत रहा।

2.55 ग्रामीण तथा अर्धशहरी बैंक-कार्यालयों के लिए पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़ों के साथ-साथ जून 1984 के अंत तक ऋण-जमा अनुपातों पर अलग-अलग रूप से आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण सारणी 2.9 में दिखाया गया है। ऐसे जिलों की संख्या जिनके ग्रामीण कार्यालयों में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और इससे अधिक तक पहुंच गया है, जो जून 1983 में 218 (409 में से) थी, जून 1984 में बढ़कर 231 (428 में से)

* इस खंड में विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों से अलग रखा गया है, परंतु उन्हें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अंतर्गत जोड़ा गया है।

1984, in their rural and semi-urban offices in different States is shown in Table 2.8. It will be noticed therefrom that, for the banking system as a whole*, credit-deposit ratio for rural branches had crossed the stipulated target of 60 per cent and reached a level of 62.5 per cent in June 1984. While the credit-deposit ratio of rural branches of public sector banks at 58.7 per cent was nearer the target, that of private sector bank branches at 50.7 per cent continued to remain much below the target. State-wise, public sector banks had reached high credit-deposit ratios in rural areas of some States such as Orissa (97.9), Tamil Nadu (94.1), Andhra Pradesh (89.1), Karnataka (83.1), Rajasthan (82.1), Maharashtra (76.0) and Haryana (74.0). But, in some other States, the ratios were very low, e.g. West Bengal (31.7), Jammu & Kashmir (36.7) and Punjab, Himachal Pradesh, Gujarat and Bihar (between 41 & 44 per cent). Private sector banks had reached high rural credit-deposit ratios in Rajasthan (78.4), Maharashtra (68.1) and Tamil Nadu (67.3). As regards credit-deposit ratio in semi-urban branches, the performance of both public and private sector banks continue to be unsatisfactory, the ratios remaining at 50.9 per cent and 48.5 per cent, respectively, as against the stipulated target of 60 per cent.

2.55 The frequency distribution of districts based on credit-deposit ratios separately for rural and semi-urban bank offices as at the end of June 1984 alongwith data for earlier two years is given in Table 2.9. The number of districts with credit-deposit ratio of 60 per cent and more in respect of rural offices has increased from 218 (out of 409) in June

* For the purpose of analysis in this section, RRBs are excluded both from public and private sector banks, but are included under all scheduled commercial banks.

सारणी 2.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का आवृत्ति वितरण

TABLE 2.9 : FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(अंतिम शुक्रवार की स्थिति)

(As on the last Friday)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

ऋण-जमा अनुपात Credit-deposit Ratios	जून June 1982			जून June 1983			जून June 1984		
	जिलों की संख्या No. of districts	जमा-राशियां@ Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of districts	जमा-राशियां@ Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of districts	जमा-राशियां@ Deposits	अग्रिम Advances
ग्रामीण कार्यालय Rural Offices									
20% तक Upto 20%	28	570 (20)	75	28	703 (25)	99	27	785 (29)	117
20% - 30%	33	844 (26)	209	27	782 (29)	195	25	700 (28)	165
30% - 40%	47	927 (20)	324	42	1,097 (26)	384	41	1,321 (32)	453
40% - 50%	51	901 (18)	405	43	981 (23)	454	51	1,228 (24)	546
50% - 60%	38	542 (14)	300	51	808 (16)	445	53	1,290 (24)	711
60% और उससे अधिक 60% and above	211 (51.7)*	2,680 (13)	2,479	218 (53.3)*	3,286 (15)	3,011	231 (54.0)*	4,187 (18)	3,954
कुल Total	**408**	**6,464**	**3,792**	**409**	**7,657**	**4,588**	**428**	**9,511**	**5,946**
अर्धशहरी कार्यालय Semi-Urban Offices									
20% तक Upto 20%	23	907 (39)	156	19	896 (47)	149	20	1,088 (54)	180
20% -30%	36	1,219 (34)	310	41	1,527 (37)	386	40	1,770 (44)	444
30% - 40%	60	1,794 (30)	635	54	1,887 (35)	663	52	2,047 (39)	721
40% - 50%	62	2,228 (36)	1,013	63	2,591 (41)	1,148	60	2,159 (36)	965
50% - 60%	53	1,722 (32)	943	62	2,369 (38)	1,288	62	2,717 (44)	1,495
60% और उससे अधिक 60% and above	125 (34.8)*	2,918 (23)	2,334	128 (34.9)*	3,622 (28)	2,912	140 (37.4)*	4,034 (29)	3,227
कुल Total	**359**	**10,788**	**5,391**	**367**	**12,892**	**6,546**	**374**	**13,815**	**7,032**

@ : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक आकार वर्ग के अंतर्गत प्रति जिला जमा राशियां दर्शाते हैं ।
Figures in brackets indicate amount of deposits per district under each size class.

* : जिलों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में ।
As percentage of total number of districts.

टिप्पणी : ये आंकड़े अनंतिम हैं ।
Note : The data are provisional.

स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित तिमाही विवरणी ।
Source : Quarterly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit.

हो गयी । इस प्रगति के साथ-साथ प्रति जिला औसत ग्रामीण जमाराशि में भी वृद्धि हुई। 1983 में यह राशि 15 करोड़ रुपये थी जो 1984 में बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गयी। जहां तक अर्धशहरी कार्यालयों का संबंध है, ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है जहां ऋण-जमा का अनुपात 60 प्रतिशत या उससे अधिक रहा। 1983 में इनकी संख्या 128 (367 जिलों का 34.9 प्रतिशत) थी जो 1984 में बढ़कर 140 (374 जिलों का 37.4 प्रतिशत) हो गयी।

2.56 ग्रामीण और अर्धशहरी कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपातों के अनुसार जिलों के राज्य-वार आवृत्ति वितरण से संबंधित आंकड़े सारणी 2.10 और 2.11 में दिये गये हैं। इनसे यह देखा जा सकता है कि हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के 80 प्रतिशत से अधिक जिलों को बैंक के ग्रामीण कार्यालयों में ऋण-जमा का अनुपात 60 प्रतिशत तथा अधिक बना रहा। ऐसे राज्य जिनके जिलों का यह प्रतिशत बहुत ही कम था वे थे - हिमाचल प्रदेश (16.7 प्रतिशत) पश्चिमी बंगाल (20.0 प्रतिशत) जम्मू और कश्मीर (21.4 प्रतिशत) गुजरात (21.1 प्रतिशत) और असम (28.6 प्रतिशत)। अर्धशहरी कार्यालयों के संबंध में हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे प्रत्येक प्रमुख राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में जून 1984 में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और इससे अधिक था। पर दूसरे राज्यों की स्थिति असन्तोषजनक बनी रही।

वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋण

2.57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋणों से संबंधित आंकड़े दिसम्बर 1982 तक के उपलब्ध हैं, जो कि सारणी 2.12 में दिये गये हैं। दिसम्बर 1981 की समाप्ति से लेकर दिसम्बर 1982 की समाप्ति के दौरान मीयादी ऋणों के खातों की संख्या 81 हजार की वृद्धि के साथ 733 हजार हो गयी। दिसम्बर 1982 के अन्त तक मीयादी ऋणों के अन्तर्गत ऋण सीमायें कुल 9,045 करोड़ रुपये की हो गयीं,

1983 to 231 (out of 428) in June 1984. This progress was accompanied by the increase in the average size of rural deposit per district from Rs. 15 crores in 1983 to Rs. 18 crores in 1984. As regards semi-urban offices, the number of districts having credit-deposit ratio of 60 per cent and more also increased from 128 (34.9 per cent of 367 districts) in 1983 to 140 (37.4 per cent of 374 districts) in 1984.

2.56 Data on State-wise frequency distribution of districts, according to credit-deposit ratios of rural and semi-urban offices, are given in Table 2.10 and 2.11. It will be observed that rural offices of banks in more than 80 per cent of the districts in the States of Haryana, Orissa, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh continued to have credit-deposit ratios of 60 per cent and above. The States reporting very low percentage of districts in this regard were Himachal Pradesh (16.7 per cent), West Bengal (20.0 per cent), Jammu & Kashmir (21.4 per cent), Gujarat (21.1 per cent) and Assam (28.6 per cent). In the case of semi-urban offices, more than 50 per cent of the districts in each of the major States like Haryana, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa and Andhra Pradesh had credit-deposit ratios of 60 per cent and above in June 1984. The position in other States, however, continued to be unsatisfactory.

Term Lending by Commercial Banks

2.57 The data on term loans of scheduled commercial banks are available upto end-December 1982, which are presented in Table 2.12. Between end-December 1981 and end-December 1982, the number of term loan accounts increased by 81 thousand to 733 thousand. Credit limits under term loans aggregated Rs. 9,045 crores at end-December 1982,

सारणी 2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (जारी)

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN RURAL CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios)								
	20% तक Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**6**	**434,53**	**63,32**	**5**	**156,07**	**36,51**	**10**	**221,95**	**73,57**
हरियाणा Haryana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	—	—	—	3	110,62	25,66	4	62,13	21,66
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	4	21,91	3,60	—	—	—	4	76,62	25,83
पंजाब Punjab	2	412,61	59,73	1	43,60	10,31	—	—	—
राजस्थान Rajasthan	—	—	—	1	1,86	54	1	6,38	2,38
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली Delhi	—	—	—	—	—	—	1	76,82	23,70
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**11**	**27,22**	**3,59**	**6**	**22,21**	**5,41**	**3**	**29,93**	**11,31**
असम Assam	3	6,15	90	—	—	—	1	27,11	10,41
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय Meghalaya	—	—	—	1	5,01	1,38	—	—	—
नागालैंड Nagaland	2	6,20	63	—	—	—	—	—	—
सिक्किम Sikkim	—	—	—	—	—	—	1	1,71	51
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	5	13,88	1,88	3	12,88	3,14	1	1,11	39
मिजोरम Mizoram	1	99	17	2	4,32	89	—	—	—
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**4**	**135,29**	**22,74**	**5**	**123,94**	**27,24**	**10**	**365,51**	**123,61**
बिहार Bihar	2	36,28	5,24	2	35,98	7,50	9	236,85	80,71
उड़ीसा Orissa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल West Bengal	2	99,01	17,50	2	85,56	19,20	1	128,66	42,90
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	2,39	54	—	—	—

सारणी 2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (जारी)

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN RURAL CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios)								
	20% तक Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**2**	**33,89**	**6,22**	**6**	**179,42**	**46,56**	**10**	**311,52**	**104,31**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	—	—	—	—	—	—	3	78,52	25,67
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	2	33,89	6,22	6	179,42	46,56	7	233,00	78,65
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**3**	**152,02**	**20,59**	**2**	**214,96**	**49,01**	**7**	**387,27**	**138,77**
गुजरात Gujarat	1	97,09	10,55	1	19,13	5,53	5	261,25	91,05
महाराष्ट्र Maharashtra	1	44,93	8,86	—	—	—	2	126,02	47,72
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	1	10,01	1,18	1	195,83	43,48	—	—	—
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**1**	**2,39**	**35**	**1**	**3,25**	**66**	**1**	**4,56**	**1,56**
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल Kerala	—	—	—	1	3,25	66	—	—	—
तमिलनाडु Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप Lakshadweep	1	2,39	35	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी Pondicherry	—	—	—	—	—	—	1	4,56	1,56
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**27**	**785,34**	**116,81**	**25**	**699,84**	**165,39**	**41**	**1,320,74**	**453,15**

सारणी 2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (जारी)

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN RURAL CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)

(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

संख्या क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios): 40% – 50%			50% – 60%			60% से अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की NO. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा राशियां Deposits	अग्रिम Advances
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**6**	**347,05**	**149,54**	**10**	**200,51**	**110,35**	**42**	**841,86**	**729,69**	**79**	**2201,97**	**1162,98**
हरियाणा Haryana	—	—	—	2	45,61	24,53	10	259,39	202,22	12	305,00	226,76
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	18,78	8,73	2	41,39	21,34	2	33,57	39,36	12	266,49	116,74
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	—	—	—	3	32,03	17,39	3	27,41	17,74	14	157,97	64,56
पंजाब Punjab	3	311,50	133,20	1	60,13	35,06	5	207,94	169,83	12	1035,79	408,13
राजस्थान Rajasthan	2	16,77	7,61	2	21,35	12,03	21	303,89	294,23	27	350,24	316,79
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	1	9,66	6,30	1	9,66	6,30
दिल्ली Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	76,82	23,70
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**10**	**50,24**	**22,05**	**7**	**50,13**	**26,79**	**16**	**64,11**	**60,91**	**53**	**243,83**	**130,07**
असम Assam	4	43,09	18,86	2	37,99	20,15	4	38,47	34,60	14	152,81	84,93
मणिपुर Manipur	1	63	27	—	—	—	7	3,45	4,34	8	4,07	4,61
मेघालय Meghalaya	2	2,38	1,09	2	7,78	4,26	—	—	—	5	15,17	6,73
नागालैंड Nagaland	2	3,12	1,33	2	4,05	2,22	1	91	64	7	14,28	4,82
सिक्किम Sikkim	1	1,02	50	1	31	15	1	32	20	4	3,36	1,37
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	3	20,96	21,14	3	20,96	21,14
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	27,87	5,41
मिजोरम Mizoram	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5,31	1,07
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**14**	**349,16**	**152,93**	**5**	**113,96**	**63,34**	**30**	**357,86**	**416,30**	**68**	**1445,72**	**806,17**
बिहार Bihar	7	150,00	66,89	3	56,14	30,35	15	155,24	163,83	38	670,49	354,52
उड़ीसा Orissa	1	14,38	6,97	—	—	—	12	180,16	232,69	13	194,54	239,66
पश्चिम बंगाल West Bengal	5	184,17	78,82	2	57,82	32,99	3	22,46	19,78	15	577,69	211,20
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andman & Nicobar Islands	1	61	25	—	—	—	—	—	—	2	3,00	79

सारणी 2.10 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)

TABLE 2.10 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN RURAL CENTRES (Concld.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)

(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

संख्या क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios) 40% - 50%			50% - 60%			60% से अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की NO. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा राशियां Deposits	अग्रिम Advances
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**14**	**294,65**	**137,02**	**15**	**359,75**	**200,48**	**55**	**845,67**	**689,89**	**102**	**2,024,90**	**1184,49**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	5	57,06	25,62	4	42,76	23.68	33	293.41	261.58	45	471.75	336,54
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	9	237,59	111,40	11	316.99	176.80	22	552,26	428.31	57	1,553.15	847.95
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**3**	**67,31**	**29,13**	**9**	**199,54**	**107,09**	**27**	**456,09**	**444,76**	**51**	**1,477,18**	**789,36**
गुजरात Gujarat	3	67.31	29.13	5	119.37	65.17	4	140.12	108.12	19	704.27	309.56
महाराष्ट्र Maharashtra	—	—	—	4	80.16	41.92	22	312.03	332.93	29	563.15	431.43
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	1	3,94	3.71	1	3.94	3.71
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	205.83	44.67
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**4**	**119,99**	**55,36**	**7**	**366,37**	**203,12**	**61**	**1,621,14**	**1,612.13**	**75**	**2,117,70**	**1,873,18**
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1	39.37	19.56	2	54.80	31.29	20	623.00	620.74	23	717.17	671.59
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	2	210.44	113.80	17	395.95	423.62	19	606.39	537.41
केरल Kerala	2	78.71	35.00	2	61.70	34.56	8	128.53	117.88	13	272.18	188.11
तमिलनाडु Tamil Nadu	—	—	—	1	39.44	23.47	14	463.89	438.85	15	503.33	462.32
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.39	35
पांडिचेरी Pondicherry	1	1.91	80	—	—	—	2	9.76	11.04	4	16.23	13.40
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**51**	**1,228.40**	**546.04**	**53**	**1,290.25**	**711.18**	**231**	**4,186.74**	**3,953.68**	**428**	**9,511.31**	**5,946.24**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

Note : Data are provisional.

स्रोत : समग्र जमाराशियां और सकल बैंक ऋण से संबंधित तिमाही विवरणी

Source : Quarterly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit

सारणी 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

TABLE 2.11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit Deposit Ratios) 20% तक Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**4**	**193,14**	**28,06**	**9**	**445,79**	**120,03**	**8**	**211,56**	**76,85**
हरियाणा Haryana	—	—	—	—	—	—	1	6,16	2,19
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	—	—	—	1	6,03	1,74	2	35,40	11,87
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	2	5,31	58	—	—	—	1	14,14	4,93
पंजाब Punjab	1	172,35	24,69	3	314,38	86,77	2	123,64	46,83
राजस्थान Rajasthan	—	—	—	5	125,38	31,52	1	23,85	7,88
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	1	8,37	3,14
दिल्ली Delhi	1	15,48	2,79	—	—	—	—	—	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**2**	**66,14**	**5,39**	**5**	**82,93**	**19,62**	**5**	**88,38**	**30,44**
असम Assam	—	—	—	3	72,16	17,40	3	79,78	27,83
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय Meghalaya	—	—	—	1	9,79	2,03	1	4,10	1,23
नागालैंड Nagaland	—	—	—	—	—	—	1	4,50	1,38
सिक्किम Sikkim	1	27,27	2,05	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	—	—	1	98	20	—	—	—
मिज़ोरम Mizoram	1	38,88	3,33	—	—	—	—	—	—
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**8**	**558,95**	**104,08**	**14**	**858,13**	**209,91**	**13**	**348,48**	**119,00**
बिहार Bihar	3	58,42	10,75	7	454,36	107,26	9	276,77	93,68
उड़ीसा Orissa		—	—	—		—	2	32,11	10,64
पश्चिम बंगाल West Bengal	4	499,88	93,25	7	403,76	102,66	1	28,64	10,74
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	1	65	8				1	10,96	3,95

सारणी 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

TABLE 2.11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit Deposit Ratios)								
	20% तक Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमाराशियां Deposits	अग्रिम Advances
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**4**	**18,78**	**2,80**	**10**	**204,78**	**51,95**	**17**	**338,81**	**119,32**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	1	2,96	55	5	76,03	19,60	6	54,96	19,83
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	3	15,82	2,25	5	128,75	32,36	11	283,86	99,49
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**—**	**—**	**—**	**2**	**177,82**	**42,48**	**6**	**818,32**	**284,33**
गुजरात Gujarat	—	—	—	1	156,36	36,41	3	285,12	91,75
महाराष्ट्र Maharashtra	—	—	—	1	21,45	6,06	2	180,87	58,41
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	—	—	—	—	—	—	1	352,34	134,17
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**2**	**250,48**	**39,62**	**—**	**—**	**—**	**3**	**241,78**	**90,85**
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1	88	14	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक Karnataka	—	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल Kerala	1	249,60	39,48	—	—	—	1	120,43	43,08
तमिलनाडु Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—	1	109,04	43,12
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी Pondicherry	—	—	—	—	—	—	1	12,31	4,65
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**20**	**1,087,50**	**179,95**	**40**	**1,769,44**	**444,00**	**52**	**2,047,33**	**720,80**

सारणी 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

TABLE 2.11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Contd.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)

(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

संख्या क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% से अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की No. of Dist-ricts	जमा-राशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dist-rists	जमा-राशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dist-ricts	जमा-राशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces	जिलों की संख्या No. of Dist-ricts	जमा-राशियां Depo-sits	अग्रिम Adva-nces
उत्तरी क्षेत्र NORTHERN REGION	**10**	**258,97**	**120,27**	**12**	**537,62**	**297,87**	**25**	**492,68**	**383,04**	**68**	**2,139,76**	**1,026,12**
हरियाणा Haryana	—	—	—	5	166,18	86,82	6	202,96	133,09	12	375.30	222.10
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	79,90	38,74	1	7,12	3,58	1	11,36	6,97	6	139.81	62.90
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	1	19,41	9,14	1	12,30	6,87	4	9,02	10,34	9	60,17	31.86
पंजाब Punjab	1	39,95	18,16	3	330,10	187,59	2	121,28	89,92	12	1,101,70	453,96
राजस्थान Rajasthan	7	119,71	54,23	2	21,93	13,01	12	148,07	142,72	27	438,94	249,37
चण्डीगढ़ Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8,37	3,14
दिल्ली Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15,48	2,79
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र NORTH-EASTERN REGION	**2**	**95,39**	**38,66**	**4**	**151,32**	**77,87**	**3**	**2,03**	**2,29**	**21**	**486,18**	**174,27**
असम Assam	1	60,16	24,12	2	141,41	72,39	1	2	2	10	353,53	141,76
मणिपुर Manipur	—	—	—	—	—	—	1	1,42	1,07	1	1,42	1,07
मेघालय Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	-	—	2	13,89	3,26
नागालैंड Nagaland	1	35,24	14,54	—	—	—	—	—	—	2	39,73	15,91
सिक्किम Sikkim	—	—	—	—	—	—	-		—	1	27,27	2,05
त्रिपुरा Tripura	—	—	—	2	9,90	5,48	1	59	1,20	3	10,49	6,68
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—		—	1	98	20
मिजोरम Mizoram	-	—	—	—	—	—	-	—	—	1	38,88	3,33
पूर्वी क्षेत्र EASTERN REGION	**6**	**97,64**	**43,71**	**4**	**76,04**	**42,72**	**20**	**269,00**	**214,71**	**65**	**2,208,24**	**734,14**
बिहार Bihar	3	47.12	20.24	3	28.69	14.81	10	149.68	112.26	35	1,015.04	358.98
उड़ीसा Orissa	2	29.89	13.66	-	—	--	9	119.17	102.30	13	181.17	126.61
पश्चिम बंगाल West Bengal	1	20.64	9.81	1	47.34	27.91	1	15	15	15	1,000.41	244.52
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	--	-	—	--	-					2	11.62	4.03

सारणी 2.11 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)

TABLE 2.11 : STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SCHEDULED COMMERCIAL BANK - OFFICES IN SEMI-URBAN CENTRES (Concld.)

(जून 1984 के अंतिम शुक्रवार को)
(As on the last Friday of June 1984)

(राशि लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र Region/State/Union Territory	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात) Frequency (Credit-Deposit Ratios)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% से अधिक 60% and above			जोड़ Total		
	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances	जिलों की संख्या No. of Districts	जमा-राशियां Deposits	अग्रिम Advances
मध्यवर्ती क्षेत्र CENTRAL REGION	**22**	**593,42**	**261,82**	**19**	**440,01**	**245,10**	**27**	**577,54**	**480,32**	**99**	**2,173,34**	**1,161,32**
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	8	147.04	64.83	11	201.56	110.76	13	152.71	132.85	44	635.26	348.42
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	14	446.38	196.99	8	238.45	134.34	14	424.83	347.47	55	1,538.08	812.90
पश्चिमी क्षेत्र WESTERN REGION	**12**	**500,68**	**228,08**	**8**	**428,51**	**240,79**	**21**	**665,98**	**517,75**	**49**	**2,591,31**	**1313,42**
गुजरात Gujarat	5	282.60	131.40	2	135.23	73.65	7	309.63	225.23	18	1,168.94	558.45
महाराष्ट्र Maharashtra	6	210.69	93.72	6	293.28	167.14	14	356.36	292.51	29	1,062.65	617.84
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	1	7.39	2.96	—	—	—	—	—	—	2	359.73	137.13
दक्षिणी क्षेत्र SOUTHERN REGION	**8**	**613,11**	**272,28**	**15**	**1,083,84**	**590,96**	**44**	**2,026,56**	**1,629,19**	**72**	**4,215,77**	**2,622,91**
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	3	128.02	59.70	5	219.78	118.53	14	579.87	442.53	23	928.55	620.90
कर्नाटक Karnataka	1	48.99	23.58	4	162.83	91.62	14	427.87	340.11	19	639.70	455.31
केरल Kerala	2	342.00	147.02	4	547.42	299.87	5	311.76	272.61	13	1,571.20	802.06
तमिलनाडु Tamil Nadu	1	93.59	41.73	2	153.82	80.95	11	707.06	573.94	15	1,063.52	739.74
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी Pondicherry	1	50	25	—	—	—	—	—	—	2	12.81	4.90
अखिल भारतीय ALL-INDIA	**60**	**2,159,21**	**964,81**	**62**	**2,717,33**	**1,495,31**	**140**	**4,033,79**	**3,227,31**	**374**	**13,814,60**	**7,032,18**

टिप्पणी : ये आंकड़े अनंतिम हैं ।
Note : Data are provisional

स्रोत : समग्र जमाराशियों और सकल बैंक-ऋण से संबंधित तिमाही विवरणी
Source : Quarterly Return on Aggregate Deposits & Gross Bank Credit

सारणी 2.12 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण
TABLE 2.12 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' TERM LOANS

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को As on the last Friday of	खातों की संख्या Number of Accounts		ऋण सीमा Credit Limit		बकाया राशि Amount Outstanding		बैंक ऋण (इसमें खाद्यान्न वसूली अग्रिम शामिल नहीं हैं) Bank Credit (excluding food procurement advances)	स्तंभ 7 में स्तंभ 5 का प्रतिशत Percentage of Col. 5 to Col. 7
	मीयादी ऋण Term Loans	समस्त खातों का योग Total of all accounts	मीयादी ऋण Term Loans	कुल बैंक ऋण Total Bank Credit	मीयादी ऋण Term Loans	कुल बैंक ऋण Total Bank Credit		
	1	2	3	4	5	6	7	8
जून 1978 June 1978	302.244 (34.8)	869.280	3.194 (14.6)	21.914	2.516 (17.8)	14.145	11.620	21.7
दिसम्बर 1978 December 1978	332.732 (34.3)	970.053	3.490 (15.8)	22.164	2.765 (17.8)	15.505	13.121	21.1
जून 1979 June 1979	373.794 (35.7)	1047.325	3.879 (15.8)	24.487	3.142 (18.7)	16.826	13.830	22.7
दिसम्बर 1979 December 1979	420.848 (37.0)	1138.517	4.428 (17.3)	25.639	3.640 (20.4)	17.854	15.155	24.0
जून 1980 June 1980	461.923 (38.4)	1201.912	4.849 (18.0)	26.952	3.928 (21.3)	18.426	16.016	24.5
दिसम्बर 1980 December 1980	519.635 (39.1)	1328.278	5.468 (18.4)	29.780	4.492 (22.2)	20.221	18.180	24.7
जून 1981 June 1981	580.395 (40.3)	1440.250	6.292 (20.7)	30.385	5.036 (23.6)	21.322	19.120	26.3
दिसंबर 1981 December 1981*	651.670 (40.9)	1593.101	7.533 (21.7)	34.659	5.790 (24.0)	24.126	21.814	26.5
दिसंबर 1982 December 1982*	732.782 (41.4)	1770.189	9.045 (22.3)	40.637	6.554 (22.7)	28.918	25.853	25.4

* : अंनतिम
Provisional

टिप्पणी : (1) इन आंकड़ों का संबंध उन खातों से है, जिनकी ऋण-सीमा 10.000 रुपये से अधिक है ।
(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल मीयादी ऋणों का प्रतिशत है ।

Note : (1) Data relate to accounts with credit limits over Rs. 10.000.
(2) Figures in brackets indicate percentage of term loans to total under each item.

स्रोत : आधारभूत सांख्यिकीय विवरणियां ।
Source : Basic Statistical Returns.

जबकि एक वर्ष पहले ये 7,533 करोड़ रुपये की थी। बकाया मीयादी ऋण दिसम्बर 1982 के अन्त तक 764 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,554 करोड़ रुपये हो गये। हाल के वर्षों में बैंकों के कुल बकाया खाद्येतर ऋणों में बकाया मीयादी ऋण का अंश लगभग चौथाई हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे. ग्रा. बैं.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

2.58 छठी पंचवर्षीय योजना में मार्च 1985 के अन्त तक 270 जिलों के लिए 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले जून 1985 के अन्त तक देश के 322 जिलों के लिए 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा चुके थे। दिसम्बर 1984 के अन्त में क्षे. ग्रा. बैंकों की राज्यवार स्थिति सारणी 2.13 में दी गयी है। जैसा कि सारणी से देखा जा सकता है, दिसम्बर 1984 के अन्त तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 10,245 शाखायें थीं। पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 2,452 शाखायें बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सर्वाधिक शाखायें (2,247) हैं, इसके बाद बिहार (1,480) और मध्य प्रदेश (1,132) का स्थान आता है।

शाखा विस्तार कार्यक्रम

2.59 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारी संख्या में अपनी शाखायें खोलकर ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने में प्रंशसनीय भूमिका अदा करने का कार्य करते आ रहे हैं। इनमें से 90% से अधिक शाखायें बैंक-सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली गयीं। अभी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास कुछ लाइसेंस/प्राधिकार-पत्र निलम्बित पड़े हुए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नयी शाखायें खोलने में जिन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, वे हैं - मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जैसे - सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कें, डाकघर, शाखाओं के लिए उपयुक्त परिसर, अपर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ आदि। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नाबार्ड द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान नीति के अनुसार एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिसका कार्यक्षेत्र एक जिला हो, 100 शाखायें खोलने की अनुमति है तथा ऐसे क्षेत्रीय

as compared to Rs. 7,533 crores a year ago. Outstanding term loans rose by Rs. 764 crores to Rs. 6,554 crores by end December 1982. In recent years, the outstanding term loans form about one fourth of total non-food bank credit outstanding.

Regional Rural Banks (RRBs)

Progress of RRBs

2.58 The Sixth Five-Year Plan envisaged establishment of 170 RRBs covering 270 districts by the end of March 1985. As against this, 183 RRBs had been established by the end of June 1985 covering 322 districts of the country. The State-wise position of RRBs as at the end of December 1984 is given in Table 2.13. As will be seen from the Table, RRBs had 10,245 branches as at the end of December 1984, representing an increase of 2,452 branches over the previous year. Uttar Pradesh had the largest number of RRB branches (2,247), followed by Bihar (1,480) and Madhya Pradesh (1,132).

Branch Expansion Programme

2.59 The RRBs have been playing a commendable role in providing credit and banking services to the rural areas by opening a large network of branches; more than 90% of these were opened in unbanked rural centres. Quite a few licences/authorisations were still pending with RRBs. The main difficulties faced by RRBs in opening new branches were lack of infrastructural facilities such as, all weather roads, post offices, suitable premises for location of branches, inadequacy of trained staff, etc. Continuous efforts are being made by NABARD to resolve these problems. According to the present policy, a RRB having one district as its area of operation is allowed to open 100 branches and the one having more

सारणी 2.13 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य-वार कार्यालय
TABLE 2.13 : STATE-WISE OFFICES OF REGIONAL RURAL BANKS

क्र. सं. Sr. No.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम Name of the State/ Union Territory	30 अप्रैल, 1985 को क्षे. ग्रा. बैंकों की सं. No. of RRBs as on April 30, 1985	31 दिसम्बर 1984 को शाखाओं की सं. No. of branches as on December 31, 1984	30 अप्रैल 1985 को राज्यों की सं. No. of districts as on April 30, 1985
1.	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	14	816	19
2.	अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	1	4	4
3.	असम Assam	5	223	10
4.	बिहार Bihar	22	1,480	37
5.	गुजरात Gujarat	9	175	15
6.	हरियाणा Haryana	4	181	9
7.	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1	87	3
8.	जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	3	238	10
9.	कर्नाटक Karnataka	13	818	19
10.	केरल Kerala	2	247	5
11.	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	22	1,132	40
12.	महाराष्ट्र Maharashtra	8	354	15
13.	मणिपुर Manipur	1	16	8
14.	मेघालय Meghalaya	1	30	3
15.	मिज़ोरम Mizoram	1	20	3
16.	नागालैंड Nagaland	1	4	7
17.	उड़ीसा Orissa	9	689	13
18.	पंजाब Punjab	3	79	6
19.	राजस्थान Rajasthan	14	683	27
20.	तमिलनाडु Tamil Nadu	1	130	2
21.	त्रिपुरा Tripura	1	64	3
22.	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	38	2,247	49
23.	पश्चिम बंगाल West Bengal	9	528	15
	जोड़ Total	**183**	**10,245**	**322**

ग्रामीण बैंक को जिसका कार्यक्षेत्र एक जिले से ज्यादा का हो, 75 शाखायें प्रत्येक जिले में खोलने की अनुमति है।

than one district is permitted to open 75 branches per district.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकलाप

2.60 दिसम्बर 1984 के अंत तक 173 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां और अग्रिमों की राशि क्रमश: 960 करोड़ रुपये और 1,081 करोड़ रुपये (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिमों को मिलाकर) थी, जबकि एक वर्ष पहले इनकी राशि 678 करोड़ रुपये और 751 करोड़ रुपये थी। बकाया प्रत्यक्ष अग्रिमों का प्रयोजनवार अलग-अलग ब्यौरा 31 दिसम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार नीचे दिया गया है -

Operations of RRBs

2.60 As at end-December 1984, the deposits and advances of 173 RRBs were Rs. 960 crores and Rs. 1,081 crores (including direct and indirect advances) respectively, as compared to Rs. 678 crores and Rs. 751 crores, respectively, a year ago. Purpose-wise break-up of outstanding direct advances as on December 31, 1984 is given below :

प्रयोजन Purpose	अग्रिमों की राशि Advances (करोड़ रुपयों में) (Rs. Crores)
अल्पावधि (फसल ऋण) Short term (crop loans)	208.1
कृषि कार्यों के लिए मीयादी ऋण Term loans for agricultural activities	230.8
सम्बद्ध कार्य Allied activities	205.2
ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग Rural artisans, village and cottage industries	62.1
खुदरा व्यापार, स्वरोजगार आदि Retail trade, self employed, etc.	253.1
उपभोग ऋण Consumption loans	9.3
अन्य प्रयोजन Other purposes	79.7
जोड़ **Total**	**1,048.3**

2.61 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिये गये 968.6 करोड़ रुपये के अग्रिम कुल प्रत्यक्ष अग्रिमों का 92 प्रतिशत हैं। इसी अवधि के दौरान 32.5 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष अग्रिम दिये गये, जिनमें से काफी भाग कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में

2.61 The advances by the RRBs to the weaker sections, at Rs. 968.6 crores, formed 92 per cent of the total direct advances. Indirect advances during the same period amounted to Rs. 32.5 crores, of which a sizeable portion was provided to the weaker sections. RRBs have

भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सक्रिय रूप से योगदान किया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके अग्रिम 9,76,985 खातों में 211.1 करोड़ रुपये के रहे, जबकि 31 दिसम्बर 1983 को 7,84,035 खातों में 151 करोड़ रुपये के थे । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए उनके अग्रिम की राशि कुल प्रत्यक्ष अग्रिम राशि का 22 प्रतिशत है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में योगदान के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस वर्ष के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों में सहायता करना जारी रखा ।

नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधायें

2.62 1984-85 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति में कुछ परिवर्तन किये गये । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक स्वीकृत की जानेवाली संमिश्र सीमा राशि को अब दो हिस्सों अर्थात् अल्पावधि सीमा* और मध्यावधि सीमा**(गैर-योजनाबद्ध) में बांट दिया गया है । नई योजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 1 जुलाई 1984 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अल्पावधि और मध्यावधि सीमाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करने होंगे । अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले की तरह संमिश्र सीमा के लिए पात्र होगें । संमिश्र/अल्पावधि पुनर्वित्त भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य ऋण व्यवस्था निधि में से उपलब्ध कराया जाता है, जबकि मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) पुनर्वित्त नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि) में से उपलब्ध कराया जाता है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध संमिश्र/अल्पावधि सीमाओं की मात्रा 40 से 50 प्रतिशत के बीच है और यह उनके कार्यकाल की अवधि तथा कारोबार के स्तर पर निर्भर करती है । तथापि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वे मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) सीमा के अंतर्गत निर्धारित 60 प्रतिशत

* राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृत ।

** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 24 के अंतर्गत स्वीकृत ।

actively involved themselves in the implementation of IRD Programme also. Their advances under the Programme amounted to Rs. 211.1 crores in 9,76,985 accounts as compared to Rs. 151 crores in 7,84,035 accounts as on December 31, 1983. Their IRDP advances represented 22 per cent of the total direct advances. Apart from their involvement in the implementation of IRD Programme, RRBs continued to further the objectives of the 20-Point Programme during the year under review.

Refinance facilities from NABARD

2.62 During 1984-85, the NABARD's refinance policy for RRBs underwent a change. The composite limit, hitherto, sanctioned to RRBs, has now been bifurcated into short-term limit* and medium-term (non-schematic) limit**. Under the new policy, RRBs which have completed 5 years of existence as on July 1, 1984 are required to apply for separate limits under short-term and medium term. Other RRBs are, however, eligible for a composite limit as hitherto. While the composite/short-term refinance is provided out of the funds obtained from RBI under General Line of Credit, the medium-term (non-schematic) refinance is out of NABARD's NRC (LTO) Fund. The quantum of refinance available to RRBs under the composite/short term limit ranges between 40 to 50 per cent, depending on their age and level of business. However, RRBs which have completed 5 years, are eligible for fixed 60 per cent refinance under medium term (non schematic) limit. Thus, at present, 56

* Sanctioned under Section 21 of NABARD Act, 1981.

** Sanctioned under Section 24 of NABARD Act, 1981.

तक पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं। इस प्रकार पुनर्वित्त नीति के अंतर्गत अब 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग-अलग सीमाओं के लिए पात्र हो गये हैं।

2.63 चालू वर्ष से कुछ सीमा तक वित्तीय अनुशासन भी लागू किया गया है। जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिदेयों की राशि मांग के 60 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें बढ़ायी हुई सीमा की स्वीकृति नहीं दी गयी है। ऐसे बैंकों के आवेदनों के संबंध में उनके द्वारा वसूली के लिए किये गये विशेष प्रयासों को ध्यान में रखकर पिछले वर्ष की सीमा के अंतर्गत रही उनकी बकाया रीशियों की सीमा तक मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।

2.64 वर्ष 1984-85 के दौरान (जून 1985 तक) नाबार्ड ने 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुल 40.6 करोड़ रुपये के मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) ऋण स्वीकृत किये तथा 126 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 202.5 करोड़ रुपये के अल्पावधि/संमिश्र ऋण स्वीकृत किये। 30 जून 1985 को मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) सीमाओं के संबंध में बकाया राशि 124.7 करोड़ रुपये थी तथा अल्पावधि सीमाओं की बकाया राशि 182.7 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नाबार्ड से दीर्घावधि पुनर्वित्त भी प्राप्त किया है। जून 1985 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड ने 445.0 करोड़ रुपये के ऋणों के योगदान की मंजूरी दी थी और उस तारीख तक इसमें से 346.8 करोड़ रुपये की राशि का आहरण किया गया, जबकि पिछले वर्ष 606 योजनाओं के संबंध में 283.2 करोड़ रुपये की मंजूरी में से 206.9 करोड़ रुपये का आहरण किया गया था।

प्रायोजक बैंक द्वारा पुनर्वित्त

2.65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से दिसंबर 1984 के अंत तक प्राप्त की गयी पुनर्वित्त की राशि 178.6 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह राशि 99 करोड़ रुपये ही थी।

RRBs have become eligible for separate limits under the revised refinance policy.

2.63 From the current year, certain amount of financial discipline has also been introduced. RRBs whose overdues exceed 60 per cent of the demand are not sanctioned enhanced limits. The applications of such banks are considered for sanction to the extent of their outstandings under previous year's limit, after taking into account the special recovery efforts made by them.

2.64 During 1984-85 (upto June 1985) the NABARD had sanctioned medium-term (non-schematic) limits aggregating Rs. 40.6 crores to 19 RRBs and short-term/composite limits of Rs. 202.5 crores to 126 RRBs. The outstanding against medium-term (non-schematic) limits were Rs. 124.7 crores as on June 30, 1985 and Rs. 182.7 crores in respect of short-term limits as on June 30, 1985. The RRBs have also availed of long-term refinance from the NABARD. As at the end of June 1985, 892 schemes involving NABARD's commitment of Rs. 445.0 crores were sanctioned to RRBs and drawals against these amounted to Rs. 346.8 crores as on that date, as compared to 606 schemes involving a commitment of Rs. 283.2 crores and drawal of Rs. 206.9 crores a year before.

Refinance from Sponsor Bank

2.65 The amount of refinance availed of by RRBs from their sponsor banks was Rs. 178.6 crores as at the end of December 1984, as against Rs. 99 crores as at the end of previous year.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए कार्यकारी दल

2.66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तीव्र गति से हुए विस्तार तथा गरीबों के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अदा की गयी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि उनके कार्यों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाये, ताकि उनके संगठनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा हाल के वर्षों के उनके कार्यों से प्राप्त अनुभवों के संदर्भ में उनकी समग्र क्षमताओं में सुधार लाने की दृष्टि से यथोचित उपाय निर्धारित किये जा सकें। अत: भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया। आशा है कि यह दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

2.67 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था भारतीय कृषि वित्त निगम ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सक्षमता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अनुसंधान और विकास निधि

2.68 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, नाबार्ड ने मानदंडों में इस प्रकार छूट दे दी थी कि उसकी अनुसंधान और विकास निधि में से प्रदान की जानेवाली सहायता का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकाधिक उपयोग कर सकें। इस प्रकार 1 जनवरी 1985 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पांच वर्षों के लिए पूरी राशि की सहायता प्रदान की जा रही है। कक्षों में नियुक्त किये जानेवाले तकनीकी अधिकारियों की अर्हताओं में भी छूट दी गयी है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तकनीकी स्टाफ संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्यताप्राप्त कर्मचारियों को आकर्षित कर सकें।

विशेष ऋण योजनाएं/सुविधाएं

ऋण प्राधिकरण योजना

2.69 ऋण प्राधिकरण योजना वर्ष 1965 से ऋण विनियमन के कारगर साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस योजना को कार्यान्वित

Working Group to evaluate the functioning of RRBs

2.66 In view of the rapid expansion of the RRBs and the important role being played by them in the implementation of development programmes directed to the poor, a need was felt to review the various aspects of their functioning so as to identify appropriate measures for strengthening their organisational structure and improving their overall capabilities in the light of the experience of their working in the recent past. Government of India has, therefore, set up a Working Group to evaluate the functioning of RRBs. The Group is expected to submit its Report soon.

2.67 As mentioned in the previous Report, the Agricultural Finance Corporation of India has submitted its report on viability of RRBs. Their recommendations are being examined.

R & D Fund

2.68 As mentioned in the last Report, the NABARD relaxed the norms in order to enable RRBs to make greater use of the assistance offered out of its R & D Fund. Thus, with effect from January 1, 1985, RRBs are being provided with assistance in full for five years. The qualifications of the technical officers to man the cells have also been relaxed so that RRBs may be able to attract qualified personnel to meet their requirements of technical staff.

Special Credit Schemes/Facilities

Credit Authorisation Scheme (CAS)

2.69 Since 1965, the Credit Authorisation Scheme (CAS) has been playing a significant role as an effective instrument

कर योजनागत प्राथमिकताओं तथा विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों से बैंकिंग के संसाधनों के संबंध में आनेवाली मांगों के अनुरूप निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बड़े ऋणकर्ताओं को ऋण सुलभ कराने पर बारीकी से नज़र रखी जाती है।

'शीघ्र कार्रवाई' की व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

2.70 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य का परिचालनगत पहलुओं से पुनरीक्षण करनेवाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के बाद जनवरी 1985 में बैंकों को और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त, अन्य बातों के साथ-साथ, 1 अप्रैल 1984 से अमल में आयी 'शीघ्र कार्रवाई' की व्यवस्था के बारे में बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधि से संबंधित थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की इस तथ्य के कारण आवश्यकता महसूस की गयी कि 'शीघ्र कार्रवाई' की व्यवस्था में होनेवाले सुनिश्चित लाभों के बावजूद उक्त व्यवस्था ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की थी। बैंकों से इस बात का भी आग्रह किया गया कि वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण वितरण में होनेवाले विलंब को, निर्धारित मानदंड और वित्तीय अनुशासन को कम किये बिना, न्यूनतम रखा जाए, अपने ग्राहकों के बीच 'शीघ्र कार्रवाई' की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के वास्ते प्रभावशाली विपणन दृष्टिकोण अपनायें।

ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत 'उत्पाद-शुल्क' का वर्गीकरण

2.71 (क) बैंकों को आलोच्य वर्ष के दौरान यह सूचित किया गया कि वे ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत अनुमत बैंक वित्त का निर्धारण करते समय उत्पाद शुल्क के लिए किये गये प्रावधान को 'चालू देयता' के रूप में वर्गीकृत करें। इसी तरह से, विवादग्रस्त उत्पाद शुल्क का भी, जब तक कि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किया जाता, 'चालू देयता' के

of credit regulation. Through the operation of the scheme, a close watch is kept on the flow of credit to the large borrowers, both in the private and public sectors, consistent with the plan priorities together with the existing and emerging demands from various competing sectors on the banking resources.

Guidelines for 'Fast Track' Arrangement

2.70 Following the acceptance of recommendations of the Committee, which reviewed the work of the CAS from operational aspects as mentioned in the last Report, further guidelines were issued to banks in January 1985. The guidelines, *inter alia,* related to the procedure to be followed by banks in regard to 'Fast Track' arrangement which had come into force from April 1, 1984. This was necessitated by the fact that depite its obvious advantages, the 'Fast Track' arrangement had not made much progress. The banks were also urged to adopt a vigorous marketing approach for selling the 'Fast Track' concept to their clients, particularly with a view to ensuring that delays in credit disbursal for productive purposes were minimised without diluting the prescribed norms and financial discipline.

Classification of 'Excise Duty' under CAS :

2.71 (a) The banks were advised during the year that, while assessing the permissible bank finance under the Credit Authorisation Scheme, they should classify the provision made for excise duty as 'current liability'. Similarly, the disputed excise duty, unless paid over a period exceeding one year, should also be classi-

रूप में वर्गीकरण किया जाए। अन्यों को 'दीर्घकालीन देयता' के रूप में वर्गीकृत किया जाए और उन्हें शुद्ध कार्यकारी पूंजी में शामिल किया जाए। यदि विवादग्रस्त उत्पाद शुल्क के लिए किये गये प्रावधान का अलग से, जैसे कि बैंकों के पास सावधि जमाराशियों आदि में, निवेश किया गया हो तो उसका संबंधित निवेश के संदर्भ में समायोजन कर लिया जाए अर्थात् निवेश द्वारा उस सीमा तक रक्षित ऐसे प्रावधान को चालू देयता में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है और संबंधित निवेश को चालू आस्तियों के अधीन नहीं दिखाया जाए। ऐसा करने से ऋणकर्ता को ऐसे निवेश के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि को शुद्ध कार्यकारी पूंजी के रूप में लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी ऋणकर्ता कंपनी ने विवादग्रस्त उत्पाद-शुल्क संबंधी देयता की पूर्ति करने के लिए अलग से किये गये प्रावधान का बैंक ऋण को उस सीमा तक कम स्तर पर रखने के वास्ते उपयोग कर लिया है और अनुमोदित न किये गये प्रयोजनों के लिए उसका विनियोजन नहीं किया है तो उत्पाद-शुल्क की अदायगी के लिए संबंधित देयता की पूर्ति करते समय ऋण सीमाओं में वृद्धि करने की अनुमति दी जा सकती है,बशर्ते कि उक्त कंपनी के लिए लागू ऋण प्रदान करने की प्रणाली के अनुसरण में उक्त सीमाएं स्वीकार्य हों। (ख) निर्देश समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चालू आस्तियों और चालू देयताओं का वर्तमान वर्ष सहित सभी वर्षों के लिए निर्धारण करने के वास्ते कराधान और अग्रिम अदायगी के लिए किये गये प्रावधान की शुद्ध राशि निकालने की एकसमान क्रियाविधि अपनायें।

बोनस की अदायगी के लिए तदर्थ सीमाएं

2.72 सितंबर 1984 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि बोनस या अन्य सांविधिक देयताओं के रूप में होनेवाला व्यय किसी निर्माता-संस्था के व्यय की एक नियमित मद है और कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं का निर्धारण करते समय उन्हें हिसाब में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः इन ऋणकर्ता संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से अथवा अनुमत कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के भीतर इन

fied as 'current liability'. Others may be classified as 'long-term liability' and the same will be reflected in net working capital. If the provision made for disputed excise duty is invested separately, say in fixed deposits with banks, it may be set-off against the relative investment i.e., such provision to the extent it is covered by investment need not be shown under current liability and the relative investment may not be shown under current assets. By doing this, the borrower is not required to bring in any amount as net working capital equivalent to 25 per cent of such investment. If any borrowing company has utilised the provision set apart to meet the disputed excise duty liability for keeping bank borrowing lower to that extent and has not diverted it for unapproved purposes, an increase in the credit limits, when the relative liability for payment of excise duty is to be met, is permissible provided the limits asked for are admissible in terms of the method of lending applicable to it. (b) Following the recommendations of the Committee of Direction, banks were also advised that they should follow the procedure of netting out provision for taxation and advance payment of taxes for determining current liabilities and current assets uniformly for all the years, including the current year.

Ad-hoc limits for payment of bonus

2.72 In September 1984 the banks were reminded that outflows in the form of bonus or other statutory liabilities were normal items of expenditure for a manufacturing concern and they were to be taken into consideration while fixing the working capital limits; as such, these borrowing concerns were expected to meet such liabilities out of their own

देयताओं की पूर्ति कर लें। फिर भी, यदि किसी संस्था के सामने चलनिधि संबंधी कोई समस्या हो, तो बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे ऐसी संस्था को बोनस की अदायगी के लिए अस्थायी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करें तथा ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली पार्टियों के मामले में उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दे दें।

मीयादी ऋण की मंजूरी

2.73 मार्च 1985 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि मीयादी ऋण मंजूर करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त करने के संदर्भ में एक करोड़ रुपये की उच्चतम ऋण सीमा ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली या न आनेवाली किसी ऋणकर्ता संस्था को बैंकिंग-तंत्र से प्रदत्त कुल मीयादी ऋणों से संबंधित होनी चाहिए, न कि उसे प्रदत्त प्रत्येक अलग-अलग मीयादी ऋण से। इस उच्चतम ऋण सीमा के संगणन के लिए बैंकों के लिए यह जरूरी था कि वे समग्र रूप से बैंकिंग-तन्त्र से लिये गये वर्तमान मीयादी ऋणों की बकाया राशि को तथा वर्तमान आस्थगित अदायगी गारंटियों के अधीन बकाया राशि एवं आस्थगित अदायगी की शर्तों पर स्वीकृत सीमाओं को भी हिसाब में ले लें। पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के वास्ते प्रदत्त परंतु तीन वर्षों की अवधि में प्रतिदेय उन मीयादी ऋणों के लिए भी पूर्व प्राधिकरण जरूरी होगा जो उच्चतम ऋण सीमा से अधिक हों। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नयी पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए एक करोड़ रुपये की निर्दिष्ट सीमा से कम राशि के मीयादी ऋण तथा तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिदेय अल्पावधि ऋण प्रदान न करें। सामान्यत: जो बैंक किसी ऋणकर्ता को कार्यकारी पूंजीगत निधियां प्रदान करते आ रहे हैं, वे ही मीयादी ऋण सुविधाएं प्रदान करें। मीयादी ऋणदायी संस्थाओं की सहभागिता में समरूप आधार पर प्रदान किये जानेवाले मीयादी ऋणों के लिए भी यही सिद्धान्त लागू होगा। आस्थगित अदायगी की गारंटियों के अधीन बैंकों पर आनेवाले दायित्वों एवं व्यतिक्रमवाले खातों का पुनरीक्षण करने के बाद तीन महीने से अधिक अवधि

resources or within the permitted working capital limits. However, the banks were allowed to grant temporary additional accommodation for the payment of bonus if a unit had a liquidity problem, under advice to the Reserve Bank in case of CAS parties.

Sanction of Term Loans

2.73 In March 1985, banks were advised that the cut-off point of Rs. 1 crore for obtaining the Reserve Bank's prior authorisation for granting term loans should relate to total term loans from the banking systemto a borrowing entity and not to each individual term loan, in respect of both CAS and non-CAS borrowers. For computation of this cut-off point, banks were required to take into account balances outstanding in the existing term loans from the banking system as a whole as also the balances outstanding under the existing Deferred Payment Guarantees (DPGs) and acceptance limits on deferred terms. Prior authorisation will also be required for short-term loans above the cut-off point, granted for acquiring capital assets but repayable within a period of three years. Term loans below the cut-off point of Rs. 1 crore and short-term loans repayable within a period of three years, are not expected to be granted by banks for purposes other than for acquisition of new capital assets. Ordinarily the banks which have been providing working capital funds to a borrower should only extend term loan facilities. The same principle should apply to term loans sanctioned on a *pari passu* basis in participation with term lending institutions. All liabilities devolving on banks under DPGs, as also all the defaults

के लिए रहनेवाले व्यतिक्रमों के बारे में रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

exceeding three months after reviewing the defaulted accounts, should immediately be reported to Reserve Bank.

पूर्व प्राधिकरण से छूटें

2.74 ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य का पुनरीक्षण करनेवाली समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निर्देश समिति ने 5 सितंबर 1985 को हुई अपनी बैठक में पूर्व प्राधिकरण से दी जानेवाली वर्तमान छूटों का पुनरीक्षण किया ताकि उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। निर्देश समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और बैंकों को उन दोनों तरह की छूटों के बारे में सूचित किया गया जिन्हें वापस लिया गया है तथा जिन्हें जारी रखा गया है।

Exemptions from Prior Authorisation

2.74 In pursuance of the recommendation of the Committee, which reviewed the working of the CAS, the Committee of Direction (COD) at its meeting held on September 5, 1984 reviewed the existing exemptions from prior authorisation, with a view to rationalising them. The COD's recommendations were accepted and banks were accordingly advised of the exemptions which were withdrawn and those which were to be continued.

ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यप्रणाली

2.75 ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आनेवाली पार्टियों की संख्या जून 1984 के अंत के 764 से बढ़कर जून 1985 के अंत में 818 हो गयी। योजना के अधीन आनेवाली पार्टियों के संदर्भ में अमल में रहनेवाली कुल सीमाओं की राशि जून 1985 के अंत में 21,689 करोड़ रुपये थी, जबकि एक वर्ष पहले वह 17,986 करोड़ रुपये थी। इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 14,254 करोड़ रुपये या कुल राशि का 65.7 प्रतिशत था।

2.76 जून 1985 के अंत में अमल में रहनेवाली कुल सीमाओं का सुविधावार वितरण का स्वरूप लगभग अपरिवर्तित रहा, अर्थात् वह पैकिंग ऋण और बिलों सहित कार्यकारी पूंजीगत प्रयोजनों के लिए 93.6 प्रतिशत (20,297 करोड़ रुपये), मीयादी वित्त के लिए 5.3 प्रतिशत (1,145 करोड़ रुपये) और आस्थगित अदायगी के आधार पर मशीनों के विक्रय के लिए 1.1 प्रतिशत (247 करोड़ रुपये) था।

2.77 यदि कार्यकलापवार देखा जाए तो कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में से इंजीनियरी उद्योग, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के निर्माण उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग का अंश क्रमशः 2,460 करोड़ रुपये (12.1 प्रतिशत), 1,473 करोड़ रुपये (7.2 प्रतिशत) और 1,161 करोड़ रुपये (5.7 प्रतिशत)

Working of CAS

2.75 The number of parties covered under CAS increased from 764 as at the end of June 1984 to 818 as at the end of June 1985. Total limits in force relating to parties covered under the scheme were Rs. 21,689 crores as at the end of June 1985, as compared to Rs. 17,986 crores a year before; the share of public sector undertakings was Rs. 14,254 crores or 65.7 per cent of the total.

2.76 The facility-wise distribution pattern of the total limits in force, as at the end of June 1985, remained more or less unchanged i.e., 93.6 per cent for working capital purposes including packing credit and bills (Rs. 20,297 crores), 5.3 per cent for term finance (Rs. 1,145 crores) and 1.1 per cent for sale of machinery on deferred payment basis (Rs. 247 crores).

2.77 Activity-wise, of the total working capital limits, the share of engineering, manufacture of chemicals and chemical products and cotton textiles was Rs. 2,460 crores (12.1 per cent), Rs. 1,473 crores (7.2 per cent) and Rs. 1,161 crores (5.7 per cent), respectively. Industry as a

था। कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में 10,153 करोड़ रुपये या 50.0 प्रतिशत अंश समग्र रूप से उद्योगों का था। सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में अमल में रहनेवाली 13,755 करोड़ रुपये की कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में व्यापार क्षेत्र का अंश 67.6 प्रतिशत था (कुल में खाद्यान्नों की वसूली का अंश 54.0 प्रतिशत था और उर्वरकों के वितरणों का अंश 4.8 प्रतिशत था), इंजीनियरी क्षेत्र का अंश 7.7 प्रतिशत, पेट्रोलियम उद्योग का अंश 5.2 प्रतिशत तथा बिजली के उत्पादन और वितरण का अंश 2.0 प्रतिशत था।

रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान

2.78 औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए वाणिज्य बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को फरवरी 1985 में यह सूचित किया गया कि वे अपने ऋण संबंधी संविभाग में रुग्णता के बढ़ते हुए अवसरों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने और सक्षमता का अध्ययन करने तथा संभाव्य रूप से यूनिटों का समय गंवाये बिना, पुनः स्थापन करने के लिए पैकेज कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया। बैंकों को इस बात से सावधान किया गया कि इस संदर्भ में कार्रवाई करने में विलंब करने का मतलब केवल स्थिति को बदतर बनाना होगा। उनको यह भी सूचित किया गया कि वे संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त एक छोटा सा कार्यकारी दल गठित करें जो प्रत्येक बड़ी रुग्ण यूनिट का निम्नलिखित उद्देश्य से ब्यौरेवार गहन अध्ययन करेगा (क) अर्थक्षमता का निर्धारण करना और (ख) अर्थक्षम यूनिटों के पुनः स्थापन के लिए स्वीकार्य पैकेज कार्यक्रम तैयार करना, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जिन मामलों में एक से अधिक संस्थाएं शामिल हैं, उन मामलों में संयुक्त बैठकों में किये गये निर्णयों का कार्यान्वयन पूर्व निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए।

2.79 बैंकिंग-तंत्र से अलग-अलग रूप से एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण-सीमा प्राप्त करनेवाले बड़े रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये तिमाही

whole accounted for Rs. 10,153 crores or 50.0 per cent of total working capital limits. Of the total working capital limits in force of Rs. 13,755 crores in respect of public sector, trading accounted for 67.6 per cent (the share of food procurement being 54.0 per cent and of fertiliser distribution 4.8 per cent of the total), engineering 7.7 per cent, petroleum industry 5.2 per cent and generation and distribution of electricity 2.0 per cent.

Sick Industrial Undertakings

2.78 In view of the growing incidence of sickness in the industrial sector, the Chairmen/Chief Executives of commercial banks were advised, in February 1985, to take all possible measures to minimise rising incidence of sickness in their advances portfolio. The need for detection of sickness at an early stage and for undertaking studies to determine the viability as well as formulation of the package programme for rehabilitating potentially viable units without loss of time was reiterated. Banks were cautioned that any delay in taking action in this behalf could only worsen the situation. They were also advised to set up a small Task Force comprising the concerned senior officials to have a detailed critical review of each of the large sick units for (a) determining the viability and (b) evolving acceptable package of rehabilitation of the viable units, and the banks were also advised that implementation of the decisions taken in joint meetings, where more than one institution is involved, should be done according to a time-bound schedule.

2.79 According to the quarterly data (provisional) furnished by the banks to the Reserve Bank on large sick industrial units individually enjoying credit

आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार जून 1984 के अंत में ऐसे 544 बड़े रुग्ण औद्योगिक यूनिट थे जिनके कुल बकाया बैंक ऋण की राशि दिसंबर 1984 के अंत में 2,338.5 करोड़ रुपये थी, इसके विपरीत जून 1984 के अंत में ऐसे 513 यूनिटों के संदर्भ में 2,112.4 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंकों द्वारा पता लगाये गये 544 बड़े रुग्ण यूनिटों में से 441 यूनिटों के संदर्भ में सक्षमता अध्ययन पूरे किये गये थे, इन 441 यूनिटों में से 342 यूनिटों को संभाव्यत: सक्षम माना गया है और उनमें 217 यूनिटों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। दिसंबर 1984 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों की संख्या 92,015 थी जिनके संदर्भ में बैंक वित्त की राशि 878 करोड़ रुपये थी, इसके विपरीत एक वर्ष पहले ऐसे 81,647 रुग्ण यूनिटों के संबंध में बैंक वित्त की राशि 788 करोड़ रुपये थी। इन 92,015 लघु रुग्ण यूनिटों में से बैंकों द्वारा 6,242 यूनिटों को संभाव्यत: सक्षम और 85,773 यूनिटों को अक्षम माना गया है। उक्त 6,242 यूनिटों में से संभाव्यत: सक्षम 2,228 यूनिटों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।

जूट उद्योग को अग्रिम

2.80 इस आशय के अभिवेदन प्राप्त होने पर कि वर्ष के दौरान विद्यमान पटसन और तैयार वस्तुओं के उच्च मूल्यों के अनुरूप जूट मिलों की कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 1984 में बैंकों को दिये गये अपने अनुदेशों को दोहराया कि ऋण सीमाओं में किसी वृद्धि की परिकल्पना न होने पर भी वे बड़े ऋणकर्ताओं के खातों का वार्षिक रूप से पुनरीक्षण करें। बैंकों को यह सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि ऐसे पुनरीक्षण वर्तमान मूल्यों पर आधारित हों तथा ऋणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले पूर्वानुमानों में प्रत्याशित मूल्य वृद्धि को शामिल न रहने दिया जाए। बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे जूट मिलों के खातों का तेजी से पुनरीक्षण करें और जहां आवश्यक हो वहां रिज़र्व बैंक

limit of Rs. 1 crore and above from the banking system, there were 544 large sick industrial units with aggregate outstanding bank credit of Rs. 2,338.5 crores as at the end of December 1984, as compared to 513 units with an outstanding amount of Rs. 2,112.4 crores as at the end of June 1984. Out of the 544 large sick units identified by banks, viability studies in respect of 441 units were completed; of the 441 units, 342 units were considered as potentially viable and of the latter, 217 units were put under nursing programme by the banks. At the end of December 1984, there were 92,015 small-scale sick industrial units involving bank finance of Rs. 879 crores, as compared to 81,647 sick units involving bank finance of Rs. 788 crores as at end - June 1984. Out of 92,015 small-scale sick units, 6,242 units were considered by banks as potentially viable and 85,773 units as non-viable. 2,228 potentially viable units (out of 6,242) were brought by banks under the nursing programme.

Advances to Jute Industry

2.80 The Reserve Bank, on receiving representations that working capital limits of jute mills should be raised in line with the high prices of raw jute and finished goods prevailing during the year, reiterated its instructions in October 1984 to the banks to review the accounts of the larger borrowers annually, even if no increase in credit limits was envisaged. The banks were cautioned to base such reviews on current prices and not allow anticipated price increases to be built into the projections submitted by the borrowers. The banks were required to expeditiously carry out the review of jute mills' accounts and grant suitable

के पूर्व प्राधिकरण के साथ उन्हें उचित ऋण सीमाएं प्रदान करें।

जूट उद्योग के लिए टंडन समिति के मानदंडों का पुनरीक्षण

2.81 आलोच्य वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने वस्त्र उद्योगों से संबंधित उप समिति की उन सिफारिशों को स्वीकार किया जो जूट वस्त्र मिलों की माल सूची में सम्मिलित निर्माणाधीन स्टाक के स्तर को टंडन समिति द्वारा निर्दिष्ट ¼ महीने की उत्पादन-लागत से बढ़ाकर $^1/_3$ महीने की उत्पादन लागत कर देने से संबंधित थीं, अन्य मानदंड पूर्ववत् बने रहे।

बंबई स्थित रुग्ण वस्त्र मिलों को वित्तीय सहायता

2.82 बंबई की हड़ताल से प्रभावित वस्त्र मिलों के संदर्भ में वर्ष 1983 में पुनःस्थापन पैकेज कार्यक्रम बनाये गये थे। कतिपय मामलों में, जिन पूर्वानुमानों के आधार पर ये पैकेज कार्यक्रम बनाये गये थे, वे विभिन्न कारणों से सफल नहीं हो पाये थे। अतः 10 जनवरी 1985 को हुई बैठक में इन मिलों की स्थिति का पुनरीक्षण किया गया। बैंकों की अधिग्रहण पूर्व की देय राशियों के मामले में भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि यूनिटों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के मामले में, बैंकों और संस्थाओं की, अधिग्रहण के बाद की तथा अधिग्रहण पूर्व की, देय राशियों को उनके द्वारा लिये जानेवाले ब्याज सहित संरक्षा प्रदान की जाएगी।

गुजरात में रुग्ण और बंद वस्त्र मिलों को वित्तीय सहायता

2.83 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, कार्यकारी दल ने गुजरात स्थित उन वस्त्र मिलों का पता लगाने का कार्य पूरा किया जिनके लिए पुनःस्थापन के उपयुक्त पैकेज कार्यक्रम बनाकर उन्हें पुनः सक्षम बनाया जा सकता है। ऐसी 33 मिलों का पुनरीक्षण कार्य पूरा किया गया, सक्षम अथवा संभाव्यतः सक्षम यूनिटों के संदर्भ में

credit limits to them with prior authorisation of the Reserve Bank, where necessary.

Review of Tandon Committee Norms for Jute Industry

2.81 During the year, the Bank accepted the recommendations of the sub-committee on textiles regarding increase in the level of stocks-in-process in the inventory of jute textile mills from ¼ month's cost of production prescribed by Tandon Committee to $^1/_3$rd month's cost of production. The other norms remained the same.

Financial Assistance to Sick Textile Mills in Bombay

2.82 Rehabilitation packages in respect of strike-affected textile mills of Bombay were evolved in 1983. In certain cases, the projections on the basis of which these packages were formulated could not materialise for a variety of reasons. Hence, the position of these mills was reviewed at a meeting held on January 10, 1985. Regarding pre-takeover dues of banks, the Government of India has decided that, in the event of nationalisation of units, the entire amount of pre takeover and post-takeover dues of banks and institutions, including the interest charged by them would be protected.

Financial Assistance to Sick and Closed Textile Mills in Gujarat

2.83 As mentioned in the previous Report, the working group completed identification of Gujarat based textile mills which could be made viable by evolving suitable rehabilitation packages. Review of 33 mills had been completed, programmes in respect of viable or potentially viable units were implemented on a priority basis and the

कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया और अधिकांश मिलों को अब पुनः शुरू कर दिया गया है/उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। ये पैकेज कार्यक्रम सामान्यतः बंबई स्थित वस्त्र मिलों के पुनःस्थापन पैकेज कार्यक्रमों के आधार पर बनाये गये थे। कतिपय मामलों में गुजरात सरकार ने बैंकों और संस्थाओं को गारंटियाँ दी हैं।

2.84 शेष राज्यों की बंद/रुग्ण वस्त्र मिलों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के वास्ते भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के सहयोग से कार्यकारी दल गठित किये। भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय वस्त्र उद्योग परामर्शदात्री परिषद में भी भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व था। भारत सरकार ने अब तक परिषद की ३ बैठकें आयोजित की हैं।

तंबाकू उद्योग की ऋण संबंधी आवश्यकताएँ

2.85 कर्नाटक में 1984 के मौसम के दौरान तंबाकू नीलामी प्रणाली अमल में लायी गयी। उसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर भारत सरकार ने तंबाकू बोर्ड के परामर्श से आंध्र प्रदेश में भी 1985 के मौसम (फरवरी-मई) के दौरान नीलामी प्रणाली अमल में लाने का निश्चय किया है। नीलामी प्रणाली प्रारंभ करने का उद्देश्य मुख्यतः यह था कि तंबाकू उद्योग को देय राशि की अदायगी में लगनेवाले समय के अंतराल को कम किया जाए। तंबाकू के पत्ते की खरीद के संबंध में पहले प्रचलन में रही वाउचर प्रणाली बहुत सफल सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि कृषकों/उत्पादकों को देय राशि की अदायगी करने में पहले की तरह लगभग पांच छः महीने, कभी-कभी नौ-दस महीने भी लग जाते थे। नीलामी प्रणाली अमल में लाने के फलस्वरूप खरीदार खरीद-मूल्य के 50 प्रतिशत की अदायगी 10 दिन के भीतर करेंगे और शेष 50 प्रतिशत की अदायगी नीलामी के ज़रिए खरीद करने की तारीख से 45 दिन के भीतर करेंगे।

majority of the mills had since reopened/commenced operations. These packages were generally drawn on the analogy of rehabilitation packages of Bombay-based textile mills. In certain cases, Government of Gujarat offered guarantees to banks and institutions.

2.84 The Government of India, in association with the Reserve Bank constituted working groups for reviewing the position of closed/sick textile mills in the remaining States. Reserve Bank of India was also represented on the Central Advisory Council on Textiles constituted by Government of India. So far 3 meetings of this Council have been convened by Government of India.

Credit needs of Tobacco Industry

2.85 The tobacco auction system was introduced in Karnataka during the 1984 season. Encouraged by its success, Government of India, in consultation with Tobacco Board, decided to introduce the auction system in Andhra Pradesh also during the 1985 season (February - May). The purpose of introduction of the auction system was mainly to reduce the time gap in payment of dues to tobacco growers. Tobacco leaf purchase voucher system, earlier in vogue, had not proved very successful as the time involved in the payment of dues to the farmer/grower continued to be around five-six months, at times extending upto nine-ten months. With the introduction of the auction system, the buyers would be paying 50% of purchase value within 10 days and the balance 50% within 45 days from the date of purchase through auction. The growers would thus get their dues quickly.

2.86 नीलामी प्रणाली के कार्यान्वयन का निश्चय करने का उद्देश्य जहां उत्पादकों को तेज़ी से अदायगी करना था वहां उसका उद्देश्य यह भी था कि उन व्यापारियों के लिए बैंक वित्त अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाए जो अब तक काफी अधिक अवधि के लिए कृषकों की राशि उधार रखकर काम चलाते थे। इसी संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंबई में 19 फरवरी 1985 को तंबाकू व्यापार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करने के वास्ते एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में तंबाकू व्यापार की समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित निर्णय किये गये :

(i) व्यापारियों को चाहिए कि यदि बैंकिंग-तन्त्र से अतिरिक्त सीमाओं की आवश्यकता हो तो वे अपने बैंकरों को संपूर्ण वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि बैंकर उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकें।

(ii) बैंकरों को उपलब्ध करायी गयी नकदी निधि संबंधी एवं अन्य जानकारी के आधार पर ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन अपने मूल्यांकन सहित वे पूर्व प्राधिकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करेंगे। रिज़र्व बैंक ऐसे आवेदनपत्रों पर यथाशीघ्र विचार करेगा।

(iii) मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक स्वयं ही पुनरीक्षण करेंगे।

(iv) तंबाकू की खरीद के संदर्भ में नियत तारीखों को अदायगी करने के वास्ते तंबाकू बोर्ड के पक्ष में प्रस्तुत की जानेवाली बैंक गारंटी के संबंध में बैंक अपने लिए सुविधाजनक प्रणालियाँ (अर्थात् परिक्रामी गारंटी, साख पत्र जारी करना, स्वीकृति सुविधा प्रदान करना आदि) अपनायेंगे।

(v) बढ़ायी गयी ऋण सीमाएं निर्धारित करते समय बैंकों को प्रायोजकों/ऋणकर्ताओं के 25 प्रतिशत के न्यूनतम अंशदान पर ज़ोर देना होगा।

2.86 While the decision to implement the auction system meant speedy payment to growers, it also meant the need for higher availability of bank finance for the traders who were hitherto enjoying farmers' credit for extended periods. It was in this context, that a meeting was convened by the Reserve Bank of India in Bombay on February 19, 1985, to discuss the credit needs of the tobacco trade. In the meeting, the problems of the trade were discussed extensively and the following decisions were taken :

(i) The traders should furnish complete financial data to their bankers to enable them to assess their credit requirements, if additional limits from banking system were required.

(ii) The bankers would approach RBI for authorisation under Credit Authorisation Scheme alongwith their assessment based on cash flow and other information made available to them. The Reserve Bank would consider such applications as expeditiously as possible.

(iii) The banks would take a view on their own regarding margin requirements.

(iv) The banks would adopt practices convenient to them (i.e. issue of revolving guarantee, letter of credit, grant of acceptance facility, etc.) with regard to the bank guarantee to be furnished in favour of the Tobacco Board for the payments on due dates in respect of the purchases made.

(v) The banks should insist on a minimum promoters'/borrowers' contribution of 25% while fixing the enhanced credit limits.

(vi) बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जुलाई 1985 के बाद पुराने स्टाक (1983 और 1984 के मौसम तथा उसके पूर्व के मौसमों से संबंधित) के मूल्य को ऋणकर्ताओं को उपलब्ध करायी गयी सीमाओं के अंतर्गत निर्धारित की गयी आहरण सीमा में से हटाया जाता है। तंबाकू व्यापारियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने संपूर्ण पुराने स्टॉक को जुलाई 1985 के अंत से पहले निर्यात कर के अथवा घरेलू बिक्री के ज़रिए समाप्त करने की जिम्मेदारी लें।

(vi) The banks were also advised to ensure that after end-July 1985, the value of old stock (pertaining to 1983 and 1984 seasons and earlier) were excluded from the drawing power fixed under the limits made available to the borrowers. The tobacco traders were required to undertake the responsibility of disposing of the entire old stocks by export or domestic sales before the end of July 1985.

(vii) चूंकि किसी भी नीलामी में अनबिकी तंबाकू खरीदने के लिए तंबाकू बोर्ड वचनबद्ध था, बोर्ड इस प्रयोजन के वास्ते उचित ऋण सीमा के लिए अपने बैंकरों से अनुरोध करेगा।

(vii) As the Tobacco Board was committed to purchase the unsold tobacco at any auction, the Board would approach its bankers for a suitable credit limit for this purpose.

2.87 रिज़र्व बैंक ने तदनुसार ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यक्षेत्र के भीतर आनेवाले 7 ऋणकर्ताओं के संबंध में 58.5 करोड़ रुपये की कुल सीमा के लिए दो बैंकों को प्राधिकृत किया।

2.87 Reserve Bank had accordingly authorised two banks an aggregate limit of Rs. 58.5 crores, involving 7 borrowers coming within the purview of CAS.

विभेदक ब्याज दर योजना

2.88 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन और भी प्रगति की। 1984 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या 5.52 लाख बढ़कर 42.98 लाख हो गयी तथा बकाया ऋणों की राशि 369.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 443.56 करोड़ रुपये हो गयी। प्रति खाता ऋण की औसत राशि भी उक्त वर्ष के दौरान 986 रुपये से बढ़कर 1,032 रुपये हो गयी। विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन जून 1984 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की राशि दिसम्बर 1983 के अंत में विद्यमान उनके कुल अग्रिमों का 1.2 प्रतिशत थी।

Differential Rate of Interest Scheme

2.88 Public sector banks made further progress under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme. During the calendar year 1984, the number of loan accounts under the scheme rose by 5.52 lakhs to 42.98 lakhs and the amount of loans outstanding from Rs. 369.39 crores to Rs. 443.56 crores. The average amount of loan per account also increased from Rs. 986 to Rs. 1,032 during the same year. The public sector banks' advances under DRI Scheme at the end of December 1984 formed 1.2 per cent of their total advances as at the end of December 1983.

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वनियोजन की योजना

2.89 पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त योजना 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहेगी। वर्ष 1984-85 के लिए योजना की मुख्य-मुख्य

Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth

2.89 Mention was made in the last Report of the continuance of the scheme during the financial year 1984-85. The salient features of the scheme for 1984-

बातें निम्नप्रकार हैं : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए सहायता दिये जाने के वास्ते हिताधिकारियों की संख्या 2.50 लाख निर्धारित की गयी अर्थात् वर्ष 1983-84 के लिए भी यही संख्या निर्धारित की गयी थी। उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सूचित किया कि वर्ष 1984-85 के दौरान हिताधिकारियों की राज्यवार व्याप्ति और लक्ष्य के राज्यवार आबंटन का कार्य संबंधित राज्यों को करना है। प्रत्येक राज्य में ज़िला उद्योग केन्द्रों को बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित करने थे। (ख) प्रत्येक राज्य/ज़िला उद्योग केन्द्र के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य में से वर्ष के दौरान मंजूर किये जानेवाले औद्योगिक जोखिमों का अनुपात 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा और कारोबारी जोखिमों का अनुपात मंजूर किये गये मामलों के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ज़िला उद्योग केन्द्रों और बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे ऋणों की सिफारिश करते समय तथा उन्हें मंजूर करते समय, इन सीमाओं का अनुपालन करें। तदनंतर उद्योग मंत्रालय ने इन राज्यों के कतिपय ज़िलों में मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए इन सीमाओं के संदर्भ में कतिपय रियायतें दी। उद्योग मंत्रालय ने यह सूचित किया था कि ज़िला स्तर पर आंतरिक समायोजन कर के राज्य सरकारें समग्र रूप से राज्य के लिए उद्योगों के संदर्भ में न्यूनतम 50 प्रतिशत हिताधिकारियों की शर्त का तथा कारोबारी जोखिमों के संदर्भ में न्यूनतम 30 प्रतिशत की शर्त का पालन करें। (ग) प्रत्येक ज़िला उद्योग केन्द्र में वर्तमान ज़िला उद्योग केन्द्र कार्यकारी दल का, उसमें ज़िले के उन दो और अग्रणी बैंकों के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल कर विस्तार किया गया जिनका, शाखाओं की संख्या, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों की मात्रा, स्वरोज़गार योजना के अधीन वित्तपोषण के लिए अपेक्षित हिताधिकारियों की संख्या आदि की दृष्टि से ज़िले में अधिक प्रतिनिधित्व था। ज़िले के अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि के अलावा, जो पहले से कार्यकारी दल का सदस्य था, उक्त दो बैंक-प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और (घ) हिताधिकारियों के चयन अथवा उनकी संवीक्षा के लिए या बैंकों को की जानेवाली सिफ़ारिश के लिए ज़िला उद्योग केन्द्र कार्यकारी दल के

85 are as follows : (a) The number of beneficiaries to be assisted was fixed at 2.50 lakhs for the financial year 1984-85, i.e. the same as fixed for 1983-84. The Ministry of Industry advised the State Governments the number of beneficiaries to be covered State-wise during 1984-85 and the allocation of district-wise target was to be done by the respective States. The District Industries Centres were to fix the bank-wise target in each district. (b) The proportion of industrial ventures to be sanctioned during the year out of the total target set for each State/DIC shall not be less than 50% and that of business ventures shall not be more than 30% of the cases sanctioned. The DIC and banks were required to follow these ceilings while recommending and sanctioning loans. Subsequently, certain relaxations were made by the Ministry of Industry in respect of these ceilings in certain States in view of non-availability of infrastructure facilities in certain districts of these States. The Ministry of Industry had advised that the State Governments by making internal adjustments at the district level should adhere to minimum of 50% beneficiaries for industries and to the maximum of 30% for business ventures for the State as a whole. (c) The existing DIC Task Force in each DIC was expanded by inclusion of a representative each of two more leading banks of the district having larger representation in the district in terms of number of branches, quantum of priority sector advances, number of beneficiaries expected for financing under self employment scheme, etc. This would be, over and above the representative of the Lead Bank of the district which was already a member of the Task

साथ किसी भी गैर-आधिकारिक एजेंसी के गैर-आधिकारिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उक्त योजना के अंतर्गत, वर्ष 1983-84 के दौरान 2.50 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 2.41 लाख हिताधिकारियों को कुल 401.54 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1984-85 के दौरान बैंकों ने 2,12,505 आवेदन पत्र मंजूर किये हैं जिनसे संबंधित ऋण की राशि 282.2 करोड़ रुपये है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2.90 वर्ष 1984-85 के दौरान (मार्च 1985 तक) 38.4 लाख हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी और उन्हें बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित 836.3 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण प्रदान किये गये, जबकि 1983-84 के दौरान 36.9 लाख हिताधिकारियों को सहायता दी गयी थी और 773.5 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण जुटाये गये थे।

2.91 भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि ज़िला स्तर पर बैंकों, सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन योजनाओं को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन करने से संबंधित तकनीकों में प्रशिक्षित करने के वास्ते कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित किये जाएँ। तदनुसार भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ज़िला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के जिलाध्यक्षों/अध्यक्षों को इस आशय के अनुदेश जारी किये कि वे अग्रणी बैंक की सहभागिता में ज़िला स्तर पर छमाही सेमिनार आयोजित करें और सहभागियों की संख्या के आधार पर सेमिनार आयोजित करने की लागत को अग्रणी बैंकों के बीच बांट लें। इन सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए नाबार्ड द्वारा उचित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी। जुलाई 1984 में रिज़र्व बैंक ने समस्त अग्रणी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपने अग्रणी बैंकों

Force and (d) No non-officials of non-official agencies would be associated with the DIC Task Force for selection of beneficiaries or with the scrutiny or recommendations to be made to the banks. Under the above scheme, during 1983-84, total loan amounting to Rs. 401.54 crores was disbursed to 2.42 lakh beneficiaries against the target of 2.50 lakhs. According to latest data available during 1984-85, banks have sanctioned 2,12,505 applications involving loan amount of Rs. 282.2 crores.

Integrated Rural Development Programme (IRDP)

2.90 During 1984-85 (upto March 1985), 38.4 lakh beneficiaries were assisted and term credit of Rs. 836.3 crores was granted by banks (including RRBs and Co-operatives) as against 36.9 lakh beneficiaries assisted and term credit of Rs. 773.5 crores mobilised during 1983-84.

2.91 It was decided by the Government of India that workshops/seminars may be organised for training the personnel of banks, co-operatives as well as the Government officials at the district level in the techniques for preparation, appraisal and implementation of schemes under IRDP. Accordingly, Government of India, Ministry of Rural Development issued instructions to the Collectors/Chairmen, DRDAs, to organise six-monthly seminars at the district level in collaboration with the lead banks and to share the costs of organising the seminars with the lead banks proportionately depending upon the number of participants. Suitable training material for these seminars/workshops was prepared by NABARD. All lead banks were advised by the RBI in July 1984 to

में कार्यशालाएँ आयोजित करने में स्वयं सक्रिय रूप से योगदान दें।

2.92 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, नवंबर 1983 में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणकर्ताओं को ऋण पास बुक जारी करें किन्तु यह पाया गया कि उनमें जो विवरण प्रस्तुत किये जाने थे, उनमें एकरूपता नहीं थी। अत: नाबार्ड के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किये गये ऋण-पास बुक का प्रोफार्मा समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भेजा गया और उनसे यह कहा गया कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को प्रोफार्मा के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ऋण-पास-बुक जारी करें ताकि उनमें एकरूपता को सुनिश्चित किया जाए।

2.93 सितंबर 1984 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे अपने नियंत्रक कार्यालयों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष गठित करें, जिससे उक्त कार्यक्रम पर बारीकी से निगरानी रखी जा सके। इन कक्षों से यह अपेक्षा की गयी कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण की उपलब्धता की आवधिक रूप से जाँच करें, रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, शाखाओं से आंकड़े इकट्ठे करें और बैंक के मुख्य कार्यालय को समेकित आंकड़े उपलब्ध करायें।

प्राकृतिक आपदाओं, दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक सहायता

2.94 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 1984 में बैंकों को बाढ़, सूखे, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुन:स्थापन सहायता प्रदान करने के वास्ते भारत सरकार के परामर्श से तैयार किये गये संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। बैंकों द्वारा किये जानेवाले विभिन्न उपायों में फसल ऋणों को मीयादी ऋणों में परिवर्तित करना, मीयादी ऋण की किस्तों की चुकौती-अवधि का पुनर्निर्धारण करना,

ensure that they actively associate themselves in organising the workshops in their lead districts.

2.92 As mentioned in the previous Report, banks had been advised in November 1983 to issue loan pass books to the IRDP borrowers. However, it was found that there was no uniformity in the details required to be furnished therein. Therefore, a proforma of the loan pass book, prepared by RBI in consultation with NABARD, was circulated to all scheduled commercial banks and they were advised to issue loan pass books to IRDP beneficiaries in regional languages, as per the proforma in order to ensure uniformity.

2.93 Banks were also advised in September 1984 to set up IRDP cells in their controlling offices such as Zonal/Regional Offices with a view to ensuring closer monitoring of the IRDP. The cells were required to make periodical review of the flow of credit to the IRDP beneficiaries, ensure the implementation of the guidelines issued by RBI and Government of India, collect data from the branches and make available the consolidated data to the Head Office of the bank.

Bank assistance to persons affected by natural calamities, riots, etc.

2.94 In August 1984, RBI issued to the banks revised guidelines, drawn up in consultation with Government of India, for providing relief and rehabilitation assistance to the people affected by natural calamities such as floods, droughts, cyclones, etc. The various measures to be taken by banks included conversion of crop loans into term loans, rescheduling of repayment period of term loan instal-

नये/अनुपूरक ऋण जारी करना आदि शामिल हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अतिरिक्त विशेषता यह थी कि उपद्रवों/दंगों के शिकार हुए लोगों के मामलों में भी इन्हें लागू किया गया। इसके फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को अलग से यह सूचित किया कि वे सितंबर 1984 में हैदराबाद में और अप्रैल 1985 में अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में हुए उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करें। अक्तूबर/नवंबर 1984 में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में जो दंगे हुए थे, वे अत्यंत विशेष स्वरूप तथा पैमाने के थे, अत: नवंबर 1984 में रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर में कटौती करने और मार्जिन तथा जमानत आदि संबंधी अपेक्षाओं में छूट देने के उद्देश्य से बैंकों को विशेष अनुदेश जारी किये।

ments, grant of fresh/supplementary loans, etc. An additional feature in these guidelines was that these were also made applicable in case of victims of riots/disturbances. Pursuant to this, all banks were advised separately by RBI to provide assistance to the victims of riots, etc. in Hyderabad in September 1984, and to the victims of riots in Ahmedabad and other parts of Gujarat in April 1985. As the disturbances, which took place in October/November 1984 in Delhi and other parts of the country were of exceptional character and magnitude, special instructions were issued to banks by RBI in November 1984 to provide for reduction in rate of interest and relaxation in margin and security requirements, etc.

राष्ट्रीय बायो-गैस कार्यक्रम को बैंक वित्त

2.95 राष्ट्रीय बायो गैस संयंत्र कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाये गये और रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये। वर्ष 1984 85 के दौरान उठाये गये/जारी किये गये कतिपय महत्वपूर्ण कदम/अनुदेश नीचे दिये गये हैं :

Bank finance for National Bio-gas Programme

2.95 With a view to ensuring the speedier implementation of the National Bio gas Programme, a number of steps had been taken and instructions were issued by RBI to commercial banks from time to time. Some of the important steps taken/instructions issued during 1984 85 are given below :

(i) बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋणकर्ताओं द्वारा बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लिये जानेवाले अग्रिमों पर वार्षिक 10 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज लें भले ही वह 'छोटा' हो या किसी अन्य प्रकार का हो।

(i) Banks were advised to charge concessional rate of interest of 10% per annum on the advances for setting up bio gas plants by borrowers, irrespective of whether he was 'small' or otherwise.

(ii) अमल में आ रही राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से और वर्ष 1984-85 के दौरान 1.50 लाख संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैर पारंपरिक ऊर्जा विभाग ने वित्त मंत्रालय, रिज़र्व बैंक, और नाबार्ड की उच्च स्तरीय

(ii) With a view to ensuring expeditious implementation of ongoing National Project for Bio-gas Development and achieving target of installation of 1.50 lakh plants during 1984-85, the Department of Non-Conventional Energy Sources had convened high-level meet-

बैंठकें आयोजित की थीं। बैंठकों में किये गये निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाये गये :

(क) अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर निगरानी रखने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रत्येक राज्य में कार्यकारी दल स्थापित किया जाना था। असम, पंजाब और उड़ीसा को छोड़कर समस्त राज्यों ने अब तक कार्यकारी दल गठित कर लिये हैं। (ख) नाबार्ड द्वारा स्वयमेव पुनर्वित प्रदान करने की सुविधा गोबर गैस संयंत्रों के लिए भी लागू कर दी गयी है। (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे ऋणकर्ताओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इस आशय के अनुदेश जारी किये गये कि जिन मामलों में उपदान अग्रिम रूप से अथवा बायो गैस संयंत्रों के लिए ऋण की मंजूरी के साथ-साथ वितरित किया गया हो, उनमें ऋण की शुद्ध राशि में उपदान-राशि भी शामिल की जानी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को यह निदेश भी दिया गया कि यदि इस प्रकार संगणित राशि 5,000 रुपये अथवा उससे कम हो तो वे भूमि को गिरवी रखने पर ज़ोर न दें। बैंकों से कहा गया कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से बायो-गैस संयंत्र के लिए प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्रों को अधिमानता दें और 15 दिन के भीतर समस्त आवेदनपत्रों को निपटायें। (घ) राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के आयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को भी अनुदेश दिये गये कि वे राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति/ज़िला परामर्शदात्री समिति में बायो-गैस कार्यक्रम से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करें ताकि इस संदर्भ में होनेवाली किन्हीं कठिनाइयों को, यदि कोई हों, दूर किया जा सके। (ङ) ये भी अनुदेश दिये गये कि जिन राज्यों में बायो गैस संयंत्रों के संदर्भ में राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के अधिक उपदान उपलब्ध था, बैंक अतिरिक्त बायो गैस संयंत्रों का वित्तपोषण करें और लक्ष्य की पूर्ति होते ही वित्तपोषण करना बंद न कर दें। (च) अंततः बैंकों को यह सूचित किया गया कि बायो गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए दिये जानेवाले अग्रिम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की ऋण गारंटी योजना के अधीन रक्षा के लिए पात्र हैं।

ings of Ministry of Finance, RBI and NABARD. Pursuant to the decisions taken at the meetings, the following steps were taken : (a) A Task Force was to be constituted in each State by NABARD to monitor the pending applications. All States, except Assam, Punjab and Orissa, have since constituted a Task Force. (b) The facility of automatic refinance by NABARD was made applicable also to schemes for Gobar Gas Plants. (c) To ensure that small borrowers were not put into difficulties, instructions were issued that in cases where subsidy was released in advance or simultaneously with sanction of loan for bio-gas plants, the loan amounts should be computed net of subsidy. Further, banks were also directed not to insist upon mortgage of land if the loan amount so computed was Rs. 5,000 or less. Banks were advised to give preference to applications for bio-gas from persons belonging to SCs/STs and dispose of all applications within 15 days. (d) The convenor banks of SLBC and the lead banks were also instructed to discuss the problems regarding bio-gas programme in SLBC/DCC meetings with a view to overcoming bottlenecks, if any. (e) Instructions were also given that the States where subsidy was available for the bio-gas plants in excess of the target fixed for those States, banks might finance such excess bio-gas plants and should not stop financing as soon as the targets were achieved. (f) Lastly, banks were informed that advances for setting up bio-gas plants were eligible for cover under the Credit Guarantee Scheme of DICGC.

अग्रणी बैंक योजना

जिला ऋण योजनाएँ और वार्षिक कार्य योजनाएँ

2.96 ज़िला ऋण योजनाओं के तीसरे दौर में जनवरी 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि को शामिल किया गया। ज़िला ऋण योजनाओं के चौथे दौर की व्याप्ति और उसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तब अंतिम रूप दिया जाएगा जब सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन आंबटनों, प्राथमिकताओं आदि की घोषणा की जाएगी। इस बीच रिज़र्व बैंक ने अगस्त 1984 में 1985 के लिए वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया और उसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कतिपय ज़िलों को छोड़कर समस्त अग्रणी ज़िलों में लागू कर दिया गया।

2.97 सितंबर 1984 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये कि वार्षिक कार्य योजना के परिव्ययों के आंबटन को बैंकों की शाखाओं के कार्य निष्पादन बजट के साथ समेकित किया जाए। इन नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रति बैंकों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही और यह अपेक्षा की गयी कि वे अब इन दो लक्ष्यों को समेकित कर सकेंगे।

अग्रणी बैंक योजना पर निगरानी रखने के लिए ज़िला और राज्य स्तरीय मंच

2.98 अग्रणी बैंक योजना की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण करने के वास्ते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने जैसे कि सिफारिश की थी, अधिकांश ज़िलों में ज़िला परामर्शदात्री समितियों और ज़िला स्तरीय पुनरीक्षण समितियों का पुनर्गठन किया गया। इस कारण तथा अग्रणी बैंक अधिकारियों को सौंपी गयी विस्तृत भूमिका और हैसियत के फलस्वरूप यह आशा की गयी कि अग्रणी बैंकों से इतर बैंकों के ज़िला समन्वयक और रिज़र्व बैंक के अग्रणी ज़िला अधिकारी ज़िला स्तर पर समन्वयकारी तन्त्र को अधिक ठोस और कारगर बना पायेंगे। राज्य-स्तरीय मंचों अर्थात् राज्य-स्तरीय बैंकरों की समितियों और राज्य-स्तरीय समन्वयन समितियों के संबंध में

Lead Bank Scheme

District Credit Plans and Annual Action Plans

2.96 The third round of District Credit Plans (DCPs) covered the period January 1982 to March 1985. The contents and coverage of fourth round of DCPs and the guidelines therefor would be finalised when the allocations, priorities, etc. under the Seventh Five-Year Plan were published. Meanwhile, guidelines for the preparation of Annual Action Plan (AAP) for 1985 were issued by RBI in August 1984. AAP for 1985 was finalised and launched in all the lead districts, except in certain districts of the North-Eastern Region.

2.97 In September 1984, RBI issued specific guidelines to banks for ensuring integration of allocations of AAP outlays with the performance budgets of banks' branches. Banks, by and large, responded well to these new guidelines and it was expected that they would now be able to achieve integration of these two sets of targets.

District and State-level forums for monitoring Lead Bank Scheme

2.98 As recommended by the working Group set up by the Reserve Bank of India to review the working of the Lead Bank Scheme, District Consultative Committees and District-Level Review Committees in most of the districts had been reconstituted. This, together with the enlarged role and status accorded to the Lead Bank Officers, District Co-ordinators of non-lead banks and Lead District Officers of RBI, was expected to make the co-ordinating machinery at the district level more compact and effective. In regard to the State-level forums, viz., State-Level Bankers' Committees and

कार्यकारी दल द्वारा की गयी संबंधित सिफारिशों को भारत सरकार के पास विचारार्थ भेजा गया। इस बीच, भारत सरकार ने अग्रणी बैंक योजना के कतिपय पहलुओं का पुनरीक्षण करने और योजना को अधिक कारगर तथा परिणाम उन्मुख बनाने के वास्ते उपाय सुझाने के लिए मार्च 1985 में एक कार्यकारी दल गठित किया। इस दल के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे: खंड/जिला/राज्य स्तर पर विद्यमान विभिन्न मंचों की भूमिका की जाँच करना तथा ऐसी त्रि-स्तरीय समितियों के अधिक तर्कसंगत विन्यास के बारे में सुझाव देना।

State-Level Co-ordination Committees, the relevant recommendations made by the Working Group were referred to the Government of India for consideration. Meanwhile, the Government of India set up a Working Group in March 1985 to review some aspects of the Lead Bank Scheme and to suggest measures to make the scheme more effective and result-oriented. The terms of reference of this Group included, *inter alia*, examining the role of various forums at Block/District/State-level and suggesting a more raionalised frame of such three-tier committees.

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत परिशोधित आसूचना प्रणाली

2.99 अग्रणी बैंक योजना से संबंधित कार्यकारी दल ने तथा नये 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका से संबंधित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया था कि अग्रणी बैंक-योजना के लिए आसूचना प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित अनुसूचियों को सरल बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार बैंकरों के साथ परामर्श कर सरलीकृत प्रारूपों का एक सैट तैयार किया गया। सहकारी बैंकों के महासंघ के परामर्श से सहकारी बैंकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अलग-अलग प्रारूप बनाये गये। अग्रणी बैंक योजना के अधीन वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों के लिए लागू संशोधित आसूचना प्रणाली मार्च 1985 को समाप्त हुई तिमाही से अमल में आयी।

Revised information system under Lead Bank Scheme

2.99 The Working Group on the Lead Bank Scheme as also the Committee on the Role of Banks in the implementation of the New 20-Point Programme had, *inter alia*, recommended that the schedules prescribed under the Information System for Lead Bank Scheme needed to be simplified. Accordingly, a set of simplified formats was evolved in consultation with bankers. To suit the requirements of co-operative banks, separate formats were devised in consultation with Federation of Co-operative Banks. The Revised Information System under the Lead Bank Scheme applicable to both commercial banks (including regional rural banks) and co-operative banks, had come into effect from the quarter ended March 1985.

ज़िला ऋण योजनाओं/वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.100 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंक कार्मिकों और ज़िला-स्तर के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने का उल्लेख किया

Training Programmes in implementation of DCPs/AAPs

2.100 Reference was made in the last year's report to the joint training programmes for bank officials and State Government functionaries at the district level in regard to the implementation of

गया था। तदनुसार अग्रणी बैंकों द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िला ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में 105 सेमिनार चलाये गये।

Lead Bank Scheme. Accordingly, 105 seminars were conducted by the Lead Banks during the year on implementation of DCPs.

नये गठित जिलों के लिए अग्रणी बैंक/अग्रणी जिम्मेदारियों का अंतरण :

2.101 आलोच्य अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग नामक वर्तमान ज़िले में से कुछ क्षेत्र को अलग निकल कर तावांग नामक एक नया ज़िला बनाया गया और उसके लिए अग्रणी जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को सौंपी गयी। इसके अलावा सिक्किम राज्य की अग्रणी जिम्मेदारी, भारत सरकार और सिक्किम राज्य सरकार के साथ परामर्श कर के भारतीय स्टेट बैंक को अंतरित कर दी गयी, अबतक यह दायित्व स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का था।

Lead Banks for newly constituted districts/transfer of lead responsibility

2.101 During the period, a new district viz., Tawang was created by carving it out from the existing district of West Kameng in Arunachal Pradesh and the lead responsibility for it was assigned to State Bank of India. Besides, the lead responsibility of Sikkim State which so far remained with the State Bank of Sikkim, was transferred to State Bank of India, in consultation with the Government of India and Sikkim State Government.

2.102 राज्य सरकारों द्वारा कुछ ज़िलों का पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरुप गठित नये ज़िलों के संदर्भ में अग्रणी जिम्मेदारी नीचे दिखाये गये अनुसार बैंकों को सौंपी गयी :

2.102 Consequent on the re-organisation of some of the districts by State Governments, the lead responsibility for the newly formed districts was entrusted to banks as shown below :

राज्य State	उस पुराने जिले का नाम जिसमें से नया ज़िला बनाया/काटकर बनाया गया Name of the old district from which the new district was formed or carved	पुराने जिले के लिए अग्रणी बैंक Lead Bank for old district	नये ज़िले/ज़िलों का/के नाम Name/s of the new district/s	नये ज़िले के लिए अग्रणी बैंक Lead Bank for the new district
असम Assam	गोलपाड़ा Goalpara	युनाइटेड कमर्शियल बैंक United Commercial Bank	ढुबरी Dhubri	युनाइटेड कमर्शियल बैंक United Commercial Bank.
	-वही- -do-	-वही- -do-	कोक्राझार Kokrajhar	-वही- -do-
	कामरूप Kamrup	-वही- -do-	बाड़पेटा Barpeta	-वही- -do-
	कामरूप और नागांव Kamrup & Nagaon	-वही- -do-	प्राग्ज्योतिष्पुर Pragjoytishpur	-वही- -do-
	दारांग Darrang	-वही- -do-	शोणितपुर Sonitpur	-वही- -do-
	सिबसागर Sibsagar	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India	जोरहाट Jorhat	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India
	कछार Cachar	-वही- -do-	करीमगंज Karimganj	-वही- -do-

तमिलनाडु Tamil Nadu	रामनाथपुरम Ramnathapuram	इंडियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank	(i) रामनाथपुरम (i) Ramnatha puram	इंडियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
			(ii) पसुम्पोन्मुथु राम लिंगम (ii) Pasumpon Muthurama lingam	-वही- -do-
			(iii) कामराजार (iii) Kamrajar	-वही- -do-

आवास वित्त

2.103 वर्ष 1984 के दौरान बैंकिंग-तन्त्र द्वारा ऋणकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रदान किये जाने के लिए निर्धारित 150 करोड़ रुपये की समग्र राशि अपरिवर्तित रही। आलोच्य वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए 12 बैंकों के सहायता-संघ को 8.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी। आवास वित्त के संबंध में नये नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप दिये जाने तक यह निश्चय किया गया कि वर्ष 1985 के दौरान बैंक वर्तमान शर्तों पर आवास विकास वित्त निगम को परोक्ष वित्त के रूप में 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करें, इससे कुल राशि बढ़कर 30 करोड़ रुपये हो जाएगी।

Housing Finance

2.103 The overall quantum of Rs. 150 crores earmarked for housing finance to be provided by the banking system for various categories of borrowers during 1984 remained unchanged. During the year, an amount of Rs. 8.62 crores was allowed to a consortium of 12 banks for assistance to the flood victims of Andhra Pradesh. Pending finalisation of fresh policy guidelines on housing finance, it was decided that banks may provide Housing Development Finance Corporation an additional amount of Rs. 20 crores taking the aggregate to Rs. 30 crores by way of indirect finance during 1985 on the existing terms and conditions,

निर्यात-वित्त

निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968

2.104 रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों और पात्र सहकारी बैंकों को, उनके द्वारा निर्यातकों को प्रदत्त निर्यात ऋण के संबंध में भारत सरकार (वाणिज्य मंत्रालय) की विपणन विकास सहायता निधि में से 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज उपदान संवितरित किया। इसके अलावा बैंक ने बांगला देश को भारत से किये जानेवाले उसके आयातों के लिए प्रदत्त कतिपय विशेष ऋण सुविधाओं के संदर्भ में विदेश मंत्रालय की ओर से विभिन्न दरों पर विशेष उपदान संवितरित किया। पहली जुलाई 1984 से 31 मार्च 1985 तक की अवधि

Export Finance

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

2.104 From the Marketing Development Assistance (MDA) Fund of the Government of India (Ministry of Commerce), the Reserve Bank disbursed interest subsidy to commercial banks and eligible co-operative banks at 1.5 per cent per annum on the export credit extended by them to the exporters. Besides, on behalf of the Ministry of External Affairs (MEA) the Bank disbursed at different rates special subsidy

के दौरान अदा किये गये ब्याज उपदान के विवरण निम्नप्रकार हैं :

(अ) विपणन विकास सहायता निधि में से 1.5 प्रतिशत की दर पर सामान्य उपदान – 20 करोड़ रुपये

(आ) विदेश मंत्रालय की ओर से अदा किया गया विशेष उपदान –

(i) **25 करोड़ रुपये का विशेष ऋण** : भा. औ. वि. बैंक (1-4-82 से निर्यात-आयात बैंक) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 3 प्रतिशत की दर पर अदा किया गया उपदान - 42.6 लाख रुपये ।

(ii) **7 करोड़ रुपये का विशेष ऋण** : निर्यात-आयात बैंक और पंजाब नैशनल बैंक को 1.5 प्रतिशत की दर पर अदा किया उपदान - 6.3 लाख रुपये ।

(iii) **10 करोड़ रुपये का विशेष ऋण** : निर्यात-आयात बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को 2 प्रतिशत की दर पर अदा किया गया उपदान - 17.8 लाख रुपये ।

शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976

2.105 पहली नवंबर 1984 से 31 अक्तूबर 1985 तक की अवधि के लिए 24 बैंकों को कुल 17.6 करोड़ रुपये की सीमाएँ मंजूर की गयी हैं ताकि वे रिज़र्व बैंक से उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध ब्याज-मुक्त पुनर्वित्त प्राप्त कर सकें । 30 अप्रैल 1985 को 2.4 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

शाखा विस्तार

2.106 1982-85 की शाखा लाइसेन्सीकरण नीति का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार लाना था । उक्त नीति के अनुसार प्रत्येक ज़िले के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की आबादी को व्याप्त करना था । इस अवधि (1982-85) के दौरान ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लगभग 12,300 केन्द्रों का आबंटन किया गया । उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में लगभग 5,000 नये कार्यालय खोलने के लिए

in respect of certain special lines of credit extended to Bangladesh for its imports from India. The particulars of interest subsidy paid during the period July 1, 1984 to June 30, 1985 were as under :

(A) General subsidy at 1.5 per cent from MDA – Rs. 20 crores

(B) Special subsidy paid on behalf of MEA-

(i) **Rs. 25 crores special credit :** Subsidy at 3 per cent paid to IDBI (Exim Bank from 1-4-82) and United Bank of India - Rs. 42.6 lakhs.

(ii) **Rs. 7 crores special credit :** Subsidy at 1.5 per cent paid to Exim Bank and Punjab National Bank – Rs. 6.3 lakhs.

(iii) **Rs. 10 crores special credit :** Subsidy at 2 per cent paid to Exim Bank and State Bank of India – Rs. 17.8 lakhs.

Duty Draw-back Credit Scheme, 1976

2.105 For the period November 1, 1984 to October 31, 1985, 24 banks have been sanctioned limits aggregating Rs. 17.6 crores to enable them to avail of interest-free refinance from the Reserve Bank admissible under the scheme. The outstanding as on 30th April 1985 was Rs.2.4 crores.

Branch Expansion

2.106 The main objective of the 1982-85 branch licensing policy was to improve the banking facilities in the rural and semi-urban areas, particularly in the interior regions. The policy aimed at achieving a coverage of a population of 17,000 per bank office in the rural and semi-urban areas of each district. During this period (1982-85), allotments of about 12,300 centres had been made for opening additional bank offices in rural/semi-urban areas. According to the latest

बैंकों के पास लाइसेंस थे। आगामी पाँच वर्ष (1985-90) के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति बनाने का कार्य चल रहा है।

2.107 फरवरी 1985 के अंत में बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण सारणी 2.14 में दिया गया है। जुलाई 1984 से फरवरी 1985 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 3,600 कार्यालय खोले, इससे देश में बैंक कार्यालयों की संख्या बढ़कर 48,932 हो गयी, जबकि जून 1984 के अंत में वह 45,332 थी। इन 3,600 नये कार्यालयों में से 431 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा, 1,042 कार्यालय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, 94 कार्यालय निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा और 2,033 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले गये (सारणी 2.15)। प्रति बैंक कार्यालय राष्ट्रीय औसत जनसंख्या जहाँ जून 1969 के अंत में 65,000 और जून 1984 के अंत में 15,000 थी, वहाँ फरवरी 1985 के अंत में वह घटकर 14,000 रह गयी।

2.108 जुलाई 84-फरवरी 1985 के दौरान खोली गयी 3,600 नयी शाखाओं की कुल संख्या में अब तक के बैंक-सुविधा-रहित केन्द्रों की संख्या 2,808 अथवा उनका प्रतिशत 78.0 थी इस प्रकार 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अबतक (अर्थात् 19 जुलाई 1969 से फरवरी 1985 तक) खोले गये 40.611 कार्यालयों में से 26,174 कार्यालय (64.5 प्रतिशत) बैंक-सुविधा-रहित केन्द्रों में थे।

ग्रामीण शाखा विस्तार

2.109 जनसंख्या समूहों के अनुसार वाणिज्य बैंक कार्यालयों के जाल से संबंधित आंकड़े सारणी 2.16 में दिये गये हैं। कुल संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक कार्यालयों का अनुपात जहाँ जून 1984 के अंत में 56.0 प्रतिशत था, वहाँ फरवरी 1985 के अंत तक बढ़ कर 57.5 प्रतिशत हो गया, जून 1969 में उक्त प्रतिशत केवल 22.1 था।

available data, banks were holding licences for opening around 5,000 new offices at rural and semi-urban areas. The formulation of the branch licensing policy for the next five years (1985-90) is in progress.

2.107 The State-wise distribution of bank offices as at the end of February 1985 is given in Table 2.14. During July 1984 to February 1985, commercial banks opened 3,600 offices, taking the total number of offices in the country to 48,932 as compared to 45,332 at the end of June 1984. Of the 3,600 new offices, 431 were opened by the SBI and its associate banks, 1,042 by the 20 nationalised banks, 94 by private sector banks and 2,033 by the RRBs (Table 2.15). The national average population per bank office, which was 65,000 as at the end of June 1969 and 15,000 as at the end of June 1984, declined to 14,000 by the end of February 1985.

2.108 Hitherto unbanked centres accounted for 2,808 offices or 78.0 per cent of the total number of 3,600 new branches opened during July 1984–February 1985. Thus, of the 40,611 offices opened since the nationalisation of 14 major banks (i.e. from July 19, 1969 upto February 1985), 26,174 offices (64.5 per cent) were at unbanked centres.

Rural Branch Expansion

2.109 Data regarding the commercial bank offices' net-work, according to population groups, are given in Table 2.16. The proportion of banks offices in rural areas to the total, which was 56.0 per cent at the end of June 1984, increased to 57.5 per cent by the end of February 1985; in June 1969, the percentage was only 22.1

प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या
28 फरवरी 1985 को (आंकड़े हजारों में)
आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं

AVERAGE POPULATION PER COMMERCIAL BANK OFFICE

AS ON FEBRUARY 28, 1985 (FIGURES ARE IN THOUSANDS)
DATA ARE BASED ON 1981 CENSUS

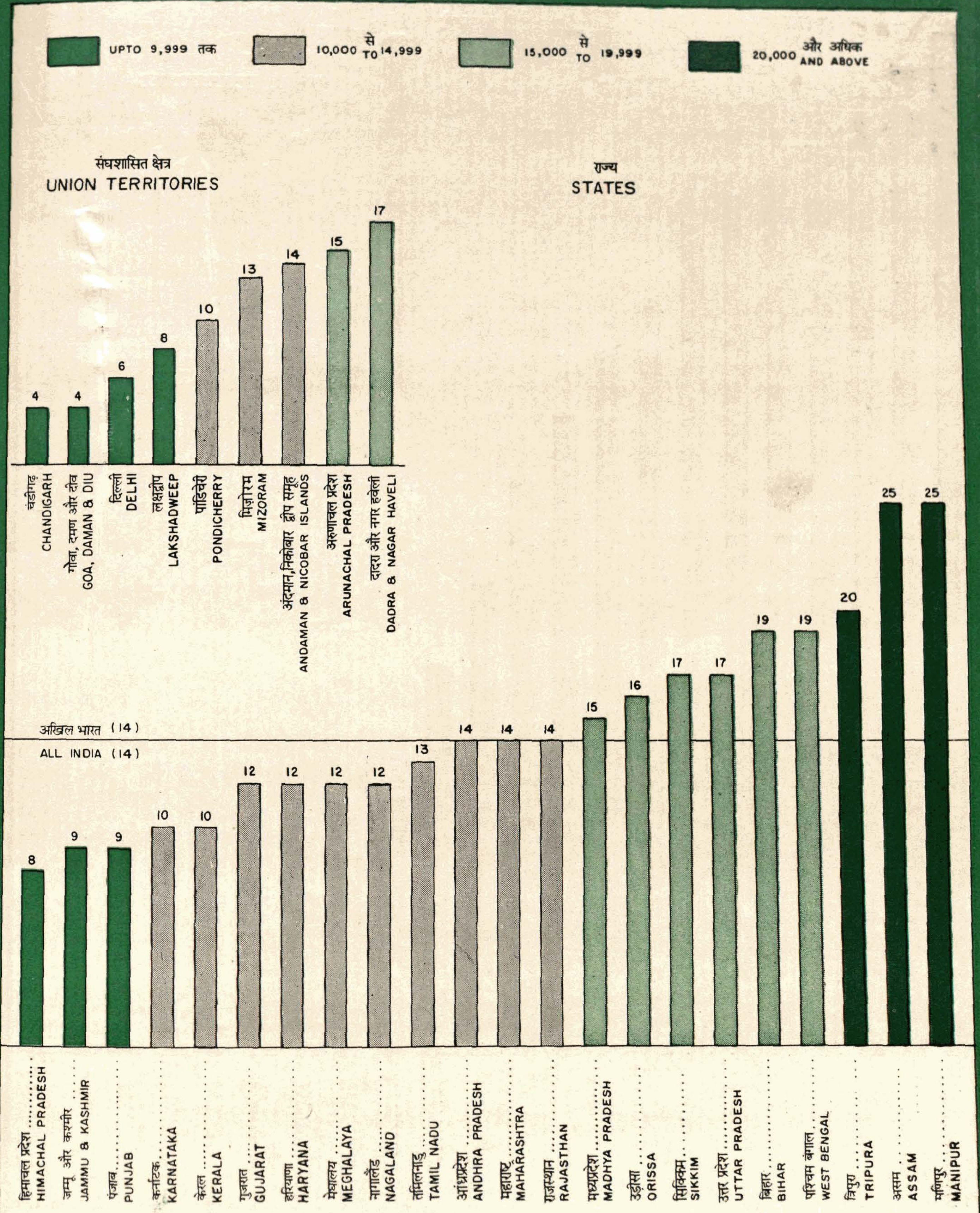

वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या
NUMBER OF OFFICES OF COMMERCIAL BANKS

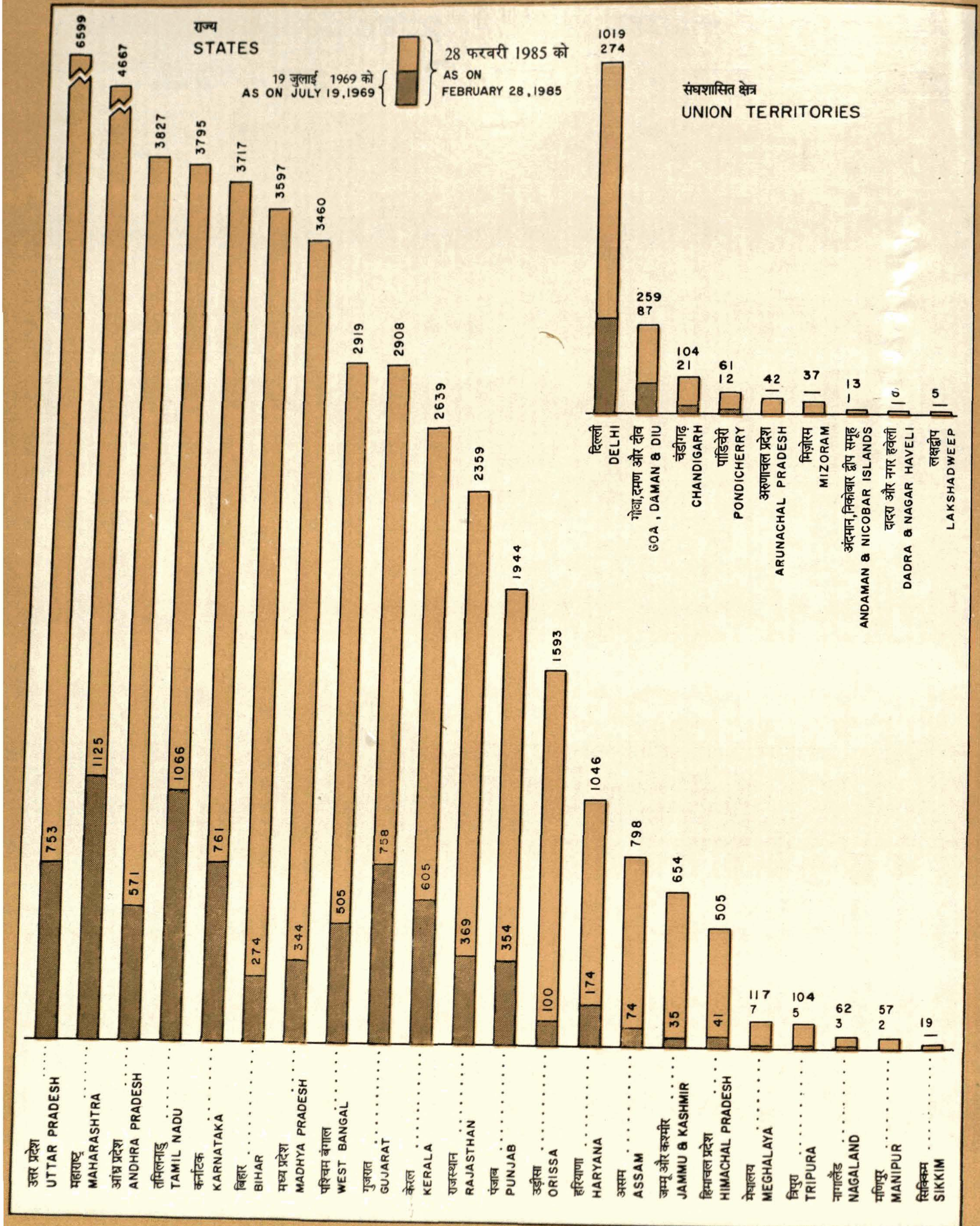

सारणी 2.14 : जून 1969, जून 1984 और फरवरी 1985 को बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण और प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या
TABLE 2.14 : STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AND POPULATION PER BANK OFFICE AS AT THE END OF JUNE 1969, JUNE 1984 AND FEBRUARY 1985 (Contd.)

राज्य/संघशासित क्षेत्र State Union Territory	निम्नलिखित के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या No. of Offices as at the end of			1983-84 के दौरान खोले गये Opened during 1983-84 @	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at Unbanked Centres	1984-85 (जुलाई-फरवरी 1985) के दौरान खोले गये Opened during 1984-85 (July 84 - February 1985)	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at Unbanked Centres	निम्नलिखित के दौरान प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजारों में) Population Per Bank Office (In Thousands) as at the end of		
	जून June 1969	जून June 1984	फरवरी February 1985					जून June 1969	जून June 1984	फरवरी February 1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	567	3,492	3,827	215	177	335	244	75	15	14
असम Assam	74	720	798	67	61	78	70	198	28	25
बिहार Bihar	273	3,195	3,597	145	123	402	371	207	22	19
गुजरात Gujarat	752	2,763	2,908	157	132	145	103	34	12	12
हरियाणा Haryana	172	1,012	1,046	63	47	34	14	57	13	12
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	42	495	505	34	31	10	7	80	9	8
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	35	630	654	45	40	24	15	114	9	9
कर्नाटक Karnataka	756	3,451	3,717	301	259	266	165	38	11	10
केरल Kerala	601	2,574	2,639	73	51	65	49	35	10	10
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	343	3,171	3,460	397	342	289	254	116	16	15
महाराष्ट्र Maharashtra	1,118	4,394	4,667	278	222	273	208	44	14	14
मणिपुर Manipur	2	51	57	7	7	6	5	497	28	25
मेघालय Meghalaya	7	98	117	19	18	19	18	147	14	12
नागालैंड Nagaland	2	56	62	6	4	6	4	205	14	12
उड़ीसा Orissa	100	1,466	1,593	161	150	127	94	212	18	16
पंजाब Punjab	346	1,844	1,944	66	51	100	71	42	9	9
राजस्थान Rajasthan	364	2,144	2,359	230	199	215	189	70	16	14
सिक्किम Sikkim	—	19	19	8	7	—	—	—	17	17

सारणी 2.14 : जून 1969, जून 1984 और फरवरी 1985 को बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण और प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या
TABLE 2.14 : STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AND POPULATION PER BANK OFFICE AS AT THE END OF JUNE 1969, JUNE 1984 AND FEBRUARY 1985

राज्य/संघशासित क्षेत्र— State Union Territory	निम्नलिखित के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या No. of Offices as at the end of			1983-84 के दौरान खोले गये Opened during 1983-84 @	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at Unbanked Centres	1984-85 (जुलाई-फरवरी 1985) के दौरान खोले गये Opened during 1984 85 (July 84-February 1985)	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में Of which at Unbanked Centres	निम्नलिखित के दौरान प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हज़ारों में) Population Per Bank Office (In Thousands) as at the end of		
	जून June 1969	जून June 1984	फरवरी February 1985					जून June 1969	जून June 1984	फरवरी February 1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु Tamil Nadu	1,060	3,612	3,795	218	179	183	114	37	13	13
त्रिपुरा Tripura	5	89	104	1	1	15	9	276	23	20
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	747	5,871	6,599	585	527	728	618	119	19	17
पश्चिम बंगाल West Bengal	504	2,711	2,919	112	80	208	164	87	20	19
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	1	13	13	1	1	—	—	82	14	14
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	—	36	42	5	5	6	6	—	17	15
चंडीगढ़ Chandigarh	20	98	104	5	1	6	2	7	5	4
दादरा और नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	—	6	6	—	—	—	—	—	17	17
दिल्ली Delhi	274	982	1,019	42	5	37	—	10	6	6
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	85	257	259	7	6	2	—	8	4	4
लक्षद्वीप Lakshadweep	—	5	5	—	—	—	—	—	8	8
मिज़ोरम Mizoram	—	19	37	4	3	18	18	—	26	13
पांडिचेरी Pondicherry	12	58	61	1	—	3	—	31	10	10
जोड़ Total	**8,262**	**45,332**	**48,932**	**3,253**	**2,729**	**3,600**	**2,808**	**65**	**15**	**14**

@ : बंद किये गये कार्यालयों के लिए समायोजित ।
Adjusted for offices closed.

टिप्पणी : प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या स्तंभ 10 और 11 में 1981 की जनगणना पर तथा स्तंभ 9 में 1961 की जनगणना पर आधारित है ।
Note : The average population per bank office is based on 1981 Census in Cols. 10 and 11 and on 1961 Census in Col. 9

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India.

सारणी 2.15 : 1983-84 के दौरान और जुलाई 1984 से जून 1985* तक के दौरान खोले गये कार्यालयों का बैंक समूह वार वितरण
TABLE 2.15 : BANK GROUP-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OPENED DURING 1983-84 AND JULY 1984 UPTO JUNE 1985*

	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय@ New offices opened by commercial banks@						बैंक कार्यालयों की संख्या Bank offices as on		निम्नलिखित तारीखों को बैंकों की संख्या No. of Banks as on	
	1983-84			जुलाई 1984-जून 1985 July 1984-June 1985						
बैंक-समूह Bank group	जुलाई-दिसंबर July-December	जनवरी-जून January-June	जुलाई-जून July — June	जुलाई-दिसंबर July December	जनवरी-फरवरी January-February	जुलाई 84 फरवरी 85 July 84-February 1985	30 जून 1984 को June 30, 1984	28 फरवरी 1985 को February 28, 1985	30 जून 1984 June 30, 1984	28 फरवरी 1985 February 28, 1985
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	175 (135)	65 (39)	240 (174)	238 (107)	45 (32)	283 (139)	6,636	6,919	1	1
भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक Associate Banks of SBI	115 (73)	37 (9)	152 (82)	134 (69)	14 (4)	148 (73)	3,117	3,265	7	7
20 राष्ट्रीयकृत बैंक 20 Nationalised Banks	591 (453)	247 (129)	838 (582)	848 (476)	194 (145)	1,042 (621)	22,592	23,634	20	20
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	1,056 (1,020)	831 (788)	1,887 (1,808)	1,476 (1,405)	557 (538)	2,033 (1,943)	8,360	10,393	162	177
अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक Other Scheduled Commercial Banks	106 (67)	27 (14)	133 (81)	84 (28)	10 (4)	94 (32)	4,456	4,550	34	34
विदेशी बैंक Foreign Banks	1 (—)	— (—)	1 (—)	1 (—)	— (—)	1 (—)	134	135	20×	21×
समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक All Scheduled Commercial Banks	2,044 (1,748)	1,207 (979)	3,251 (2,727)	2,781 (2,085)	820 (723)	3,601 (2,808)	45,295	48,896	244	260
गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक Non Scheduled Commercial Banks	2 (2)	— (—)	2 (2)	— (—)	-1 (—)	-1 (—)	37	36	4	3
समस्त वाणिज्य बैंक All Commercial Banks	**2,046 (1,750)**	**1,207 (979)**	**3,253 (2,729)**	**2,781 (2,085)**	**819 (723)**	**3,600 (2,808)**	**45,332**	**48,932**	**248**	**263**

* : फरवरी 1985 के अंत तक की जानकारी
Information upto end-February 1985.

@ : बंद किये गये कार्यालयों के लिए समायोजन करने के बाद
After adjustment for offices closed.

× : शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अंतर्गत रहनेवाले 2 बैंकों को मिलाकर
Includes 2 banks under the Custodian of Enemy Property

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बैंक-सुविधा रहित उन केन्द्रों के आंकड़े हैं जहाँ कार्यालय खोले गये ।
Note : Figures in brackets are number of unbanked centres at which offices were opened.

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

बैंक-सुविधा रहित खंड-मुख्यालय

2.110 देश के बैंक सुविधा रहित खंड मुख्यालयों के रूप में पता लगाये गये 675 केन्द्रों में से 618 केन्द्रों को वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के अंतर्गत लाया गया। शेष केन्द्रों में से, 49 केन्द्रों के संदर्भ में लाइसेंस बैंकों के पास अनिर्णीत पड़े थे। शेष 8 बैंक-सुविधा रहित खंड मुख्यालयों में, जिनमें से सभी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं, कार्यालय खोलने के प्रश्न पर संबंधित बैंक/राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

बैंकों का लाइसेंसीकरण

2.111 आलोच्य अवधि (अर्थात् जुलाई 1984 से अप्रैल 1985 तक) के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन निम्नलिखित दो बैंकों को भारत में बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये गये, अर्थात् (1) बैंक ऑफ बेहरीन एण्ड कुवैत बी. एस. सी., बेहरीन और (2) सोसाइटी जनरेल पैरिस (फ्रांस)। अब लाइसेंसीकृत वाणिज्य बैंकों की (नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सहित, जो शत्रु परिसंपत्ति के परिरक्षक के अधीन है) कुल संख्या 53 है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जिनकी संख्या 28 है, भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस की जरुरत नहीं होती। 30 अप्रैल 1985 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंस के बिना कार्य करनेवाले निजी क्षेत्र (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) बैंकों की संख्या 7 पर (एक विदेशी अनुसूचित बैंक अर्थात् हबीब बैंक लिमिटेड सहित, जो शत्रु परिसंपत्ति के परिरक्षक के अधीन है) अपरिवर्तित रही।

2.112 ओमान अरब अफ्रीकन बैंक, और बैंक ऑफ बेहरीन एण्ड कुवैत बी. एस. सी. बेहरीन ने, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन क्रमशः सितंबर 1983 और जुलाई 1984 को लाइसेंस प्रदान किये गये थे, अबतक भारत में अपना बैंकिंग कारोबार प्रारंभ नहीं किया है। सोसाइटी जनरेल, पैरिस (फ्रांस) ने, जिसे सितंबर 1984 में

Unbanked Block Headquarters

2.110 Of the 675 centres identified as unbanked block head quarters in the country, 618 were covered by branches of commercial banks/RRBs. Of the remaining centres, licences in respect of 49 were pending with the banks. The question of opening of offices at the remaining 8 unbanked block head quarters, all of which are in the North-Eastern region, is being pursued with the concerned banks/State Governments.

Licensing of banks

2.111 During the period under review (i.e., July 1984 to April 1985), licences under Section 22 of the B. R. Act, 1949 were granted to two banks viz. (1) Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C., Bahrain and (2) Societe Generale Paris (France) for commencing banking business in India. The total number of licensed commercial banks (including National Bank of Pakistan, which is under the Custodian of the Enemy Property) now stands at 53. The public sector banks numbering 28 do not require a licence to carry on banking business in India. As on April 30, 1985, the number of commercial banks in the private sector (scheduled and non-scheduled) functioning without a licence under Section 22 of the B. R. Act, 1949, remains unchanged at 7 (including a foreign scheduled bank, viz., Habib Bank Ltd., which is under the Custodian of the Enemy Property).

2.112 The Oman Arab African Bank (S. A. O.) and the Bank of Bahrain and Kuwait B. S. C., Bahrain, which were granted licences under Section 22 of the B. R. Act, 1949 in September 1983 and July 1984, respectively, have not so far commenced their banking business in India. The Societe Generale, Paris

सारणी - 2.16 : वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण
TABLE - 2.16 : POPULATION GROUP-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES

(निम्नलिखित महीने के अंत में)
(As at the end of)

जनसंख्या समूह Population Group	जून 1981 June 1981	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1982 June 1982	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1983 June 1983	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1984 June 1984	जोड़ में प्रतिशत % to total	जून 1985* June 1985*	जोड़ में प्रतिशत % to total
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्रामीण Rural	17,650	49.4	20,394	52.1	22,678	53.9	25,372	56.0	28,116	57.5
अर्ध शहरी Semi urban	8,426	23.6	8,764	22.4	9,036	21.5	9,262	20.4	9,529	19.5
शहरी Urban	5,126	14.4	5,359	13.7	5,577	13.2	5,769	12.7	6,132	12.5
महानगरीय/पत्तन शहर Metropolitan/Port-town	4,505	12.6	4,660	11.8	4,788	11.4	4,929	10.9	5,155	10.5
जोड़ Total	**35,707**	**100.0**	**39,177**	**100.0**	**42,079**	**100.0**	**45,332**	**100.0**	**48,932**	**100.0**

* : 28 फरवरी 1985 की स्थिति
Position as on February 28, 1985

टिप्पणी : ग्रामीण केन्द्र - 10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान
Note : Rural centres - Places with population upto 10,000.

अर्ध शहरी केन्द्र - 10,000 से अधिक और 1,00,000 तक की जनसंख्यावाले स्थान
Semi-urban centres - Places with population over 10,000 and upto 1,00,000.

शहरी केन्द्र - 1,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक की जनसंख्यावाले स्थान
Urban centres - Places with Population over 1,00,000 and upto 10,00,000.

महा नगरीय केन्द्र - 10,00,000 से अधिक जनसंख्यावाले स्थान। यह वर्गीकरण 1971 की जनगणना पर आधारित है।
Metropolitan centres - Places with population over 10,00,000. The classification is based on 1971 Census.

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India.

लाइसेंस प्रदान किया गया और 21 मार्च 1985 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया, 25 फरवरी 1985 से भारत में अपना बैंकिंग कारोबार प्रारंभ किया है। दो पाकिस्तानी बैंकों अर्थात् नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड (जो शत्रु परिसंपत्ति के परिरक्षक के अधीन हैं) को मिलाकर परंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या 30 जून 1985 को 83 थी। दि चार्टड बैंक नामक एक कार्यरत विदेशी वाणिज्य बैंक का नाम 1 जनवरी 1985 से बदलकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कर दिया गया है। समीक्षाधीन अवधि अर्थात् 30 जून 1985 के बाद ओमान अरब अफ्रीकन बैंक (एस. ए. ओ.) और अमीरात्स कमर्शियल बैंक लिमिटेड के नाम बदल कर क्रमशः 4 जुलाई 1985 से ओमान इंटरनैशनल बैंक और 1 जुलाई 1985 से अबूधाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड कर दिये गये हैं।

समामेलन

2.113 भारत सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत 52 बैंकों के संदर्भ में समामेलन की योजनाएं मंजूर की थीं।* संबंधित योजनाओं में किये गये प्रावधान के अनुसार 33 बैंकों की आस्तियों के अंतिम मूल्यांकन का कार्य अप्रैल 1983 से पहले पूरा किया गया था। आलोच्य अवधि के दौरान जाँच रिपोर्टों के आधार पर 13 बैंकों की आस्तियों के अंतिम मूल्यांकन से संबंधित मामले पर संबंधित हस्तांतरी बैंक के साथ कार्रवाई की गयी। एक बैंक के संदर्भ में हस्तांतरी बैंक से अंतिम मूल्यांकन विवरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है और उसके साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है, जबकि 2 बैंकों के संदर्भ में भारत सरकार ने अंतिम मूल्यांकन के लिए समयावधि

* ब्योरों के लिए कृपया पिछली रिपोर्ट का पैरा 2.175 देखें।

(France), which was granted a licence in September 1984 and included in the Second Schedule to the RBI Act 1934, on March 21, 1985, had commenced it banking business in India with effect from February 25, 1985. The total number of scheduled commercial banks including two Pakistani banks, viz., National Bank of Pakistan and Habib Bank Ltd., (which are under the Custodian of Enemy Property) but excluding Regional Rural Banks, stood at 83 on June 30, 1985. The name of the Chartered Bank, an existing foreign commercial bank, had been changed to Standard Chartered Bank with effect from January 1, 1985. Subsequent to the period of review i.e., June 30, 1985, the names of the Oman Arab African Bank (S. A. O.) and Emirates Commercial Bank Ltd., were changed to Oman International Bank on July 4, 1985 and Abu Dhabi Commercial Bank Ltd., on July 1, 1985, respectively.

Amalgamation

2.113 The Government of India had sanctioned schemes of amalgamation under Section 45 of the B. R. Act, 1949, in respect of 52 banks.* The final valuation of the assets of 33 banks as provided in the relative schemes was completed prior to April 1983. During the period under review, the matter with regard to the final valuation of the assets of 13 banks on the basis of scrutiny reports was pursued with the concerned transferee banks. The final valuation statement in respect of one bank had not been received so far from the transferee bank and the matter was being pursued with it

*For details, please see para 2.175 of the previous Report.

बढ़ा दी। हाल ही में निम्नलिखित तीन बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड और मिरज स्टेट बैंक को समामेलन की योजना के अधीन लाया गया है।

परिसमापन

2.114 आलोच्य अवधि के दौरान, 5 बैंकों का परिसमापन किया गया। 30 जून 1985 को परिसमापन के अधीन आनेवाले बैंकों की संख्या 144 थी। इन बैंकों के संदर्भ में परिसमापन की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने से संबंधित मामले पर आधिकारिक/न्यायालयीन परिसमापकों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

विदेशों में शाखा विस्तार

2.115 भारतीय स्टेट बैंक ने 5 सितंबर 1984 को जापान में ओसाका में एक शाखा खोली, जबकि उसने 12 अक्तूबर 1984 को नोटिंघम (ब्रिटेन) स्थित अपनी शाखा बंद कर दी। इस प्रकार तेरह भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की कुल संख्या 30 जून 1985 को 141 पर अपरिवर्तित रही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हरारे (जिम्बाब्वे) में 14 सितंबर 1984 को एक शाखा कार्यालय खोला था, जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने फ्रेंकफर्ट (पश्चिम जर्मनी) स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय के कार्यों को उसी स्थान पर कार्यरत अपनी शाखा के कार्यों के साथ समामेलित कर दिया। इंडियन बैंक द्वारा जकार्ता (इंडोनेशिया) में 7 मई 1984 को खोले गये प्रतिनिधि कार्यालय को जोड़ लेने पर भारतीय बैंकों के विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 30 जून 1985 को 12 हो गयी।

बैंकिंग सहायक कंपनियाँ/जमा प्राप्तकर्ता कंपनियाँ

2.116 केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से हांगकांग में 17 दिसंबर 1984 को इंडो-हांगकांग इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड नामक एक जमा-प्राप्तकर्ता कंपनी स्थापित

while in regard to 2 banks, extension of time for the final valuation had been granted by the Government of India. Recently 3 more banks have been brought under the scheme of amalgamation viz. Bank of Cochin Ltd., Lakshmi Commercial Bank Ltd. and Miraj State Bank Ltd.

Liquidation

2.114 During the period under review, 5 banks were dissolved. As on June 30, 1985, the number of banks under liquidation was 144. The matter with regard to the early completion of the liquidation proceedings in respect of these banks was being pursued with the Official/Court Liquidators.

Overseas Branch Expansion

2.115 State Bank of India opened a branch at Osaka in Japan on September 5,1984, while its Nottingham (U.K.) branch was closed down on October 12, 1984. Thus, the total number of overseas branches of the thirteen Indian banks remained unchanged at 141 as on June 30, 1985. Bank of Baroda opened a representative office at Harare (Zimbabwe) on September 4, 1984, while State Bank of India merged the functions of its representative office at Frankfurt (West Germany) with those of its branch at the same place. Taking into account the representative office opened by Indian Bank at Jakarta (Indonesia) on May 7, 1984, the number of representative offices of Indian banks abroad stood at 12 as on June 30, 1985.

Banking subsidiaries/Deposit-taking companies

2.116 Canara Bank, Syndicate Bank and Central Bank of India have jointly set up a deposit-taking company in Hongkong styled Indo-Hongkong International Finance Ltd., on December 17, 1984, tak-

की है जिससे भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में स्थापित जमा-प्राप्तकर्ता कंपनियों की संख्या बढ़कर 3 हो गयी और वे सभी हांगकांग में स्थित हैं। तथापि पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनियों की संख्या 2 ही थी अर्थात् उनमें से एक भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) लिमिटेड लॉस एंजेलिस (अमेरिका) में थी और दूसरी भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा) लिमिटेड टोरांटो (कनाडा) में स्थित थी जिसकी एक शाखा वेंकूवर (कनाडा) में कार्यरत थी।

ing the total number of overseas deposit-taking companies set up by Indian banks to 3, all in Hongkong. The number of wholly-owned subsidiaries, however, remained at 2 viz., State Bank of India (California) Ltd., at Los Angeles (U.S.A.) and State Bank of India (Canada) Ltd., at Toronto (Canada), which has a branch at Vancouver (Canada).

विनिमय कंपनियों और बैंकों के साथ प्रबंध सेवा करार

2.117 भारतीय स्टेट बैंक को जून 1984 में बेहरीन की एक विनिमय कंपनी अर्थात् बेहरीन एक्सचेंज सेंटर के साथ प्रबंध सेवा करार निष्पादित करने की अनुमति दी गयी। चूंकि विनिमय कंपनी को कतिपय औपचारिकताएँ पूरी करनी थीं, अत: बैंक ने अब तक किसी प्रबंध सेवा का अभिग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार, मिडिल ईस्ट में विनिमय कंपनियों की संख्या, जिनका प्रबंधन भारतीय बैंकों द्वारा किया जा रहा है, 30 जून 1985 को 11 थी, इनमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुवैत में प्रबंधित एक विनिमय कंपनी भी शामिल है, जिसमें 45 प्रतिशत ईक्विटी सहभागिता है।

Management services contracts with exchange companies and banks

2.117 State Bank of India was permitted in June 1984 to enter into a Management Services Agreement with the Bahrain Exchange Centre, an exchange company in Bahrain. The bank had not so far taken over the management services as the exchange company was yet to complete certain formalities. Thus, the number of exchange companies in the Middle East which were being managed by Indian banks stood at 11 as on June 30, 1985, including one exchange company in Kuwait managed by S.B.I. with 45 per cent equity participation.

भारत में विदेशी बैंक

2.118 जून 1984 के अंत में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या क्रमश: 133 और 14 थी। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक नैशनल डि पैरिस (फ्रान्स) ने कलकत्ता स्थित अपनी शाखाओं में से एक शाखा को बंद कर दिया और एक अगस्त 1984 को नयी दिल्ली स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसे शाखा कार्यालय में परिवर्तित कर दिया। दो फ्रेंच बैंकों, अर्थात् बैंक पैरिबस और क्रेडिट कमर्शियल डि पैरिस, ने नयी दिल्ली और बम्बई में जहाँ क्रमश: 4 फरवरी 1985 और 18 मार्च 1985 को अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले वहाँ बैंक मॉट्रियल ने 1 नवम्बर 1984 को नयी दिल्ली स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को बंद कर दिया। सोसाइटी जनरेल (फ्रान्स) ने नयी दिल्ली स्थित

Overseas banks in India

2.118 As at the end of June 1984, the number of branches and representative offices of foreign banks in India stood at 133 and 14, respectively. During the year Banque Nationale de Paris (France) closed down one of its branches at Calcutta and upgraded its representative office in New Delhi into a branch on August 1, 1984. While two French banks viz., Banque Paribas and Credit Commercial de Paris opened their representative offices at New Delhi and Bombay on February 4, 1985 and March 18, 1985, respectively. Bank Montreal (Canada) closed down its representative office in New Delhi on November 1, 1984. Societe

अपने प्रतिनिधि कार्यालय को 31 मार्च 1985 को बंद कर दिया और बंबई में 25 फरवरी 1985 को एक शाखा खोली। इस प्रकार भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 30 जून 1985 को क्रमश: 134 और 13 थी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम - 1983

2.119 वर्ष 1983 के लिए 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक, 16 विदेशी बैंक और 34 अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक) के कार्य-परिणामों से संबंधित आंकड़े सारणी 2.17 में दिये गये हैं। ये आंकड़े बैंकों द्वारा प्रकाशित लाभ और हानि लेखों पर आधारित हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग प्रकार की लेखा-प्रणाली अपनायी जाने के कारण समस्त बैंकों के लिए इन आंकड़ों के समेकन का कार्य पहले की तरह कठिन ही बना रहा। अधिकांश बैंक जहाँ प्रारक्षित आकस्मिकता निधियों के अधीन बोनस का प्रावधान दिखाते हैं, कुछेक बैंक उन्हें वेतन, मज़दूरी आदि से युक्त स्थापना व्यय के एक अंश के रूप में शामिल करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रारक्षित आकस्मिकता निधियों में अन्य प्रयोजनों के लिए किये जानेवाले प्रावधान शामिल हैं और अत: अदा किये गये बोनस की वास्तविक राशि आकस्मिकता प्रारक्षित निधियों में दर्शाये गये आंकड़ों से कम ही होगी। चूंकि इस संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं हैं, अत: शुद्ध लाभ की राशि निकालने के लिए संपूर्ण आकस्मिकता प्रारक्षित निधियों की राशि को घटा दिया गया है।

2.120 कराधान, बोनस/स्टाफ को अनुग्रह राशि की अदायगी आदि की व्यवस्था करने के बाद 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल लाभ की राशि वर्ष 1983 में 85.3 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के लाभ के मुकाबले 6.6 करोड़ रुपये या 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक थी। वर्ष 1982 में उसके पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले लाभ-राशि में 14.9 करोड़ रुपये या 23.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1983 के दौरान लाभों की वृद्धि-दर अलग-अलग बैंक समूहों के लिए अलग-अलग थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में

Generale (France) closed its representative office in New Delhi on March 31, 1985 and opened a branch in Bombay on February 25, 1985. Thus, the number of branches and representative offices of foreign banks in India as on June 30, 1985 stood at 134 and 13, respectively.

Working Results of Scheduled Commercial Banks - 1983

2.119 Data relating to the working results of 78 scheduled commercial banks (28 public sector banks, 16 foreign banks and 34 other Indian scheduled commerical banks) for the year 1983 are given in Table No. 2.17. These data are based on the published profit and loss accounts of banks. Consolidation of these data for all banks continues to be difficult due to the different accounting procedures adopted by banks. While most of the banks show provision for bonus under contingency reserves, a few include it as part of establishment expenses comprising salaries, wages, etc. It may be mentioned that contingency reserves also include provision for other purposes and hence the actual amount of bonus paid would be lower than the figure shown by contingency reserves. Since the details of this are not available, the entire contingency reserves have been deducted for arriving at net profit.

2.120 The aggregate profits of 78 scheduled commercial banks after providing for taxation, bonus/ex-gratia payment to staff amounted to Rs. 85.3 crores in 1983, recording an increase of Rs. 6.6 crores or 8.3 per cent over the profits of the previous year. In 1982, profits had increased by Rs. 14.9 crores or 23.4 per cent over the previous year. The rate of growth in profits during 1983 varied among different bank groups. Among

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1982 के 26.3 प्रतिशत के मुकाबले आलोच्य वर्ष में 2.6 प्रतिशत वृद्धि-दर दर्ज की। निजी क्षेत्र में भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभ-राशि में गिरावट दर्ज हुई और वह 4.13 करोड़ रुपये से घटकर 4.11 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें पिछले वर्ष हुई 12.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, तथापि विदेशी बैंकों ने 15 प्रतिशत की वृद्धि-दर दर्ज की (पिछले वर्ष उक्त दर 19 प्रतिशत थी)।

2.121 वर्ष 1983 के दौरान समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय में 907.2 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज हुई तथा उनके कुल व्यय की राशि भी 900.6 करोड़ रुपये बढ़ गयी। ब्याज और बट्टे के रूप में, जो कि आय के पक्ष में मुख्य मदें हैं, प्राप्तियाँ 936.3 करोड़ रुपये बढ़ गयीं, जबकि जमाराशियों और उधारों पर अदा किये गये ब्याज की राशि में 622.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बैंकों के स्थापना व्यय की राशि 1982 के 154.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983 में 217.1 करोड़ रुपये हो गयी।

बैंकों का निरीक्षण

2.122 भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपी गयी शक्तियों के अनुसरण में समीक्षाधीन अवधि के दौरान पहले की तरह वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण किया जाता रहा। इस संदर्भ में की गयी प्रगति नीचे दी गयी है।

वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन-व-वित्तीय निरीक्षण

2.123 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 6 बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया और उसे पूरा किया गया। बैंकों के निरीक्षण से संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जनवरी 1985 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन निरीक्षण करना समाप्त कर दिया गया है और वार्षिक वित्तीय पुनरीक्षण करने की प्रणाली प्रारंभ कर दी गयी है और बैंकों की वार्षिक लेखा-परीक्षा पूरी होने पर प्रति वर्ष ऐसा पुनरीक्षण किया जाएगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी

the public sector banks, nationalised banks recorded a growth rate of 2.6 per cent as against 26.3 per cent in 1982. In the private sector, Indian scheduled commercial banks recorded a decline of the profit from Rs. 4.13 crores to Rs. 4.11 crores, i.e. by 0.5 per cent as against an increase of 12.5 per cent in the previous year. Foreign banks, however, recorded a growth rate of 15 per cent (19 per cent in the previous year).

2.121 During 1983, the total earnings of all the scheduled commercial banks recorded an increase of Rs. 907.2 crores and total expenditure also rose by Rs. 900.6 crores. Receipts by way of interest and discount which are the major items on the income side, rose by Rs. 936.3 crores, while interest paid on deposits and borrowings went up by Rs. 622.5 crores. Establishment expenses of the banks, increased by Rs. 217.1 crores in 1983 as against Rs. 154.1 crores in 1982.

Inspection of banks

2.122 In terms of powers vested in Reserve Bank of India, inspections of commercial banks continued to be carried out during the period under review. The progress is indicated below:

Annual Appraisal and Annual Appraisal-cum-Financial Inspections

2.123 During the period under review, Annual Appraisal of 6 public sector banks was taken up and completed. Following implementation of the recommendations of the Working Group on Inspection of Banks, the annual appraisal inspection of public sector banks has been dispensed with, with effect from January 1985 and a system of Annual Financial Review has been introduced which will be conducted each year after the annual audit of banks is completed.

सारणी 2.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य-परिणाम (जारी)
TABLE - 2.17 : WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Contd.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

वर्ष Year	स्टेट बैंक समूह (8) State Bank Group (8)				20 राष्ट्रीयकृत बैंक 20 Nationalised Banks				अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (34) Other Indian Scheduled Commercial Banks (34)	
	1980	1981	1982	1983	1980	1981	1982	1983	1980	1981
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I **कुल प्राप्तियां** **Total Earnings**	**1,323.37** (31.3)	**1,704.36** (28.8)	**2,022.90** (18.7)	**2,277.57** (12.6)	**2,509.47** (25.5)	**3,123.71** (24.5)	**3,676.60** (17.7)	**4,231.74** (15.1)	**212.92** (31.0)	**266.12** (25.0)
उसमें से Of which										
ब्याज और बट्टा Interest and Discount	1,118.10 (32.8)	1,464.44 (31.0)	1,748.88 (19.4)	1,995.56 (14.1)	2,296.27 (26.7)	2,877.69 (25.3)	3,339.04 (16.0)	3,941.58 (18.0)	191.88 (32.9)	241.58 (25.9)
II **कुल व्यय** Total Expenditure	**1,310.21** (31.4)	**1,688.04** (28.8)	**2002.58** (18.6)	**2,254.19** (12.6)	**2,482.95** (25.6)	**3,094.17** (24.6)	**3,639.30** (17.6)	**4,193.47** (15.2)	**210.13** (31.4)	**262.45** (24.9)
उसमें से Of which										
(क) जमाराशियों; उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज (a) Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.	842.16 (35.3)	1133.43 (34.6)	1,369.15 (20.8)	1514.51 (10.6)	1673.17 (28.4)	2121.02 (26.8)	2467.24 (16.3)	2877.74 (16.6)	123.59 (32.8)	153.78 (24.4)
(ख) कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और बोनस/अनुग्रह की राशि (b) Salaries, Allowances, Provident Fund and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	347.43 (21.6)	403.18 (16.0)	452.11 (12.1)	522.61 (15.6)	586.47 (20.7)	695.91 (18.7)	786.10 (13.0)	915.68 (16.5)	59.28 (28.9)	73.43 (23.9)
III कराधान और कर्मचारियों को अदा किये जानेवाले बोनस/अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान करने के बाद लाभ-राशि Profit after provision for taxation and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	**13.16** (18.1)	**16.32** (24.0)	**20.32** (24.5)	**23.38** (15.1)	**26.52** (16.7)	**29.54** (11.4)	**37.30** (26.3)	**38.27** (2.6)	**2.79** (9.0)	**3.67** (31.5)

सारणी 2.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य-परिणाम (समाप्त)
TABLE - 2.17 : WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Concld.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

			विदेशी बैंक Foreign Banks (16)				जोड़ Total (78)			
	1982	1983	1980	1981	1982	1983	1980	1981	1982	1983
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I कुल प्राप्तियां	**312.17**	**372.00**	**183.11**	**228.77**	**261.93**	**299.44**	**4,221.66**	**5,322.96**	**6,273.60**	**7,180.75**
Total Earnings	(17.3)	(19.2)	(12.1)	(24.9)	(14.5)	(14.3)	(26.7)	(26.1)	(17.9)	(14.5)
उसमें से Of which										
ब्याज और बट्टा	282.46	338.28	146.00	183.25	212.44	243.74	3,745.99	4,766.96	5,582.82	6,519.11
Interest and Discount	(16.9)	(19.8)	(13.5)	(25.5)	(15.9)	(14.7)	(28.0)	(27.3)	(17.1)	(16.8)
II कुल व्यय	**308.04**	**367.89**	**174.15**	**214.48**	**244.92**	**279.86**	**4,170.38**	**5,258.94**	**6,194.84**	**7,095.41**
Total Expenditure	(17.4)	(19.4)	(12.0)	(23.2)	(14.2)	(14.3)	(26.8)	(26.1)	(17.8)	(14.5)
उसमें से Of which										
(क) जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज (a) Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.	181.93	220.54	77.94	87.02	102.51	130.53	2,712.53	3,495.25	4,120.83	4,743.32
	(18.3)	(21.2)	(10.0)	(11.7)	(17.8)	(27.3)	(29.8)	(28.9)	(17.9)	(15.1)
(ख) कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और बोनस/अनुग्रह की राशि (b) Salaries, Allowancesm, Provident Fund and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	85.42	100.07	35.08	40.49	43.51	45.83	1,026.51	1,213.01	1,367.14	1,584.19
	(16.3)	(17.1)	(7.2)	(15.4)	(7.5)	(5.3)	(20.7)	(18.2)	(12.8)	(15.9)
III कराधान और कर्मचारियों को अदा किये जानेवाले बोनस/अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान करने के बाद लाभ-राशि Profit after provision for taxation and Bonus/Ex-gratia Payment to Staff	**4.13**	**4.11**	**8.96**	**14.29**	**17.01**	**19.57**	**51.28**	**63.82**	**78.76**	**85.33**
	(12.5)	(- 0.5)	(14.8)	(59.5)	(19.0)	(15.0)	(16.0)	(24.5)	(23.4)	(8.3)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ को दर्शाते हैं ।

Note : Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year.

क्षेत्र के एक बैंक का वार्षिक वित्तीय पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और पूरा किया गया।

वित्तीय निरीक्षण

2.124 सरकारी क्षेत्र के 3 बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन एवं वित्तीय निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 9 बैंकों, निजी क्षेत्र के 20 बैंकों और 9 विदेशी बैंकों का वित्तीय निरीक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों, निजी क्षेत्र के 18 बैंकों और समस्त विदेशी बैंकों का निरीक्षण कार्य पूरा किया गया। भारत सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का निरीक्षण भी शुरू कर के पूरा किया गया।

2.125 इन निरीक्षणों के अलावा बैंकों/उनके कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों/धोखाधड़ियों और आरोपों की जांच के बारे में संवीक्षा की गयी।

बैंकों के निरीक्षण से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट

2.126 बैंकों के निरीक्षण से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें, कुछ मामलों में उचित संशोधनों के साथ, स्वीकार कर ली गयीं तथा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों, वाणिज्य बैंकों और नाबार्ड को उनके समय पर कार्यान्वयन के वास्ते आवश्यक अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं।

भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन का नियंत्रण और पर्यवेक्षण

2.127 भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं पर प्रधान कार्यालय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से अगस्त 1984 में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था जिसमें रिज़र्व बैंक, भारत सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दल का काम परिचालन और नियंत्रण प्रणाली के संबंध में उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना था।

During the period under review, the Annual Financial Review of one public sector bank was taken up and completed.

Financial Inspections

2.124 The annual appraisal-cum-financial inspections of 3 public sector banks were also carried out. In addition to this, financial inspections of 9 public sector banks, 20 private sector banks and 9 foreign banks were taken up of which inspections of 2 public sector banks, 18 private sector banks and all foreign banks were completed during the period. As advised by the Government of India, the inspection of State Bank of Sikkim was also taken up and completed.

2.125 In addition to these inspections, number of scrutinies regarding investigations into various complaints/frauds and allegations against banks/their employees were also carried out.

Working Group Report on Inspection of Banks

2.126 Majority of recommendations of the Working Group Report on Inspection of Banks were accepted with suitable modifications in some cases and necessary instructions/guidelines have been issued to Regional Offices of RBI, commercial banks and NABARD for their timely implementation.

Control and Supervision of Overseas Operations of Indian Banks

2.127 In order to strengthen the Head Office supervision and control over the overseas branches of Indian banks, a Working Group comprising representatives of Reserve Bank, Government of India and major public sector banks was set up in August 1984 to frame suitable guidelines on operating and control systems in this regard.

बैंकों में धोखाधड़ी

2.128 कतिपय क्षेत्रों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तथा परिचालनगत पहलुओं में पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए बैंकों द्वारा किये गये सुधारात्मक उपायों पर निगरानी रखने के बारे में रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता आ रहा है। पहली जुलाई 1984 से 31 मार्च 1985 तक की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के विशेष जांच कक्ष/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकों के 46 कार्यालयों में 34 धोखाधड़ियों/शिकायतों की जांच की गयी। इन जांचों के निष्कर्षों को सुधारात्मक कार्रवाई तथा स्टाफ की दृष्टि से मामलों की छानबीन करने के लिए, संबंधित बैंकों को सूचित कर दिया गया है। जहां कहीं आवश्यक था वहाँ इस छानबीन के परिणामों को सरकार के ध्यान में भी लाया गया। साथ ही, शेष अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में उक्त कक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों पर बैंकों को अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये :

(i) कुछ वर्गों के ऋणकर्ताओं के खातों में पायी गयी अनियमितताएँ/धोखाधड़ियाँ, (ii) बैंको द्वारा जाली आपूर्ति बिलों/हुंडियों की भुनाई, (iii) बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहकों से आतिथ्य स्वीकारना, (iv) अनियमितताओं तथा बड़ी समस्यावाले अग्रिमों के कारगर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में बैंकों के कायपालक निदेशकों/अध्यक्षों की भूमिका, (v) बैंकों द्वारा बिलों को सम्मिलित रूप से स्वीकार करना, (vi) बड़े अग्रिमों की समीक्षा (vii) साख पत्र खोलना और (viii) तीसरी पार्टी की गारंटी/मार्जिन को स्वीकार करना।

रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पुनस्थापना से संबंधित समिति

2.129 तिवारी समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट, जिसका उल्लेख पिछली रिपोर्टों में किया गया था, का अनुशीलन किया गया। समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ रिज़र्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। अन्य सिफारिशों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

Frauds in banks

2.128 From time to time, the Reserve Bank has been issuing to banks guidelines for prevention of frauds in certain areas and monitoring the remedial measures taken by banks for setting right the deficiencies revealed in operational aspects. During the period July 1, 1984 to June 30, 1985, investigations of 34 frauds/complaints at 46 offices of the banks were carried out by the Special Investigation Cell/Regional Offices of RBI. The findings have been communicated to the concerned banks for corrective action and examination of the cases from staff angle. The outcome of the scrutinies was also brought to the notice of Government, wherever necessary. Further, as a sequel to the follow-up action, instructions/guidelines were issued by the Cell to banks on the following issues : (i) Irregularities/frauds observed in the accounts of certain groups of borrowers; (ii) Discounting of fictitious supply bills/hundies by banks; (iii) Acceptance of hospitality by the senior executives of banks from their clients; (iv) Role of the Executive Directors/Chairmen of banks for effective supervision and monitoring of irregular and large problem advances; (v) Co-acceptance of bills by banks; (vi) Review of large advances; (vii) Opening of letters of credit; and (viii) Acceptance of third party guarantee margin.

Committee on Rehabilitation of Sick Industrial Undertakings

2.129 The report submitted by the Tiwari Committee, to which a reference was made in the previous Reports, was processed. The Committee's recommendation with a few modifications have been accepted by the Bank. Follow-up action in regard to the recommendations

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना

2.130 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना से संबंधित अधिनियम संसद द्वारा पारित कर दिया गया तथा सितंबर 1984 में उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गयी। औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक प्रमुख ऋण और पुनर्गठन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा ऐसे कामों में लगी हुई अन्य संस्थाओं के काम का समन्वय करेगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को हुई तथा इसके परिणामस्वरूप पहले के भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का काम उस तारीख से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को अंतरित और उसे सौंपा हुआ माना जाएगा।

निर्देश संबंधी समिति

2.131 रिज़र्व बैंक में 1975 से कार्यरत निर्देश संबंधी समिति ने, जो जुलाई 1983 में पुनर्गठित की गयी थी, पांच उप-समितियों का गठन किया है*। रसायन उद्योग को अपेक्षाकृत छोटे और स्पष्ट रूप से पहचाने जानेयोग्य भागों में बाँटकर उक्त उद्योग के लिए मानदंडों की समीक्षा करने/उन्हें निर्धारित करने के लिए एक अन्य उप-समिति गठित की गयी है। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, वस्त्र-उद्योग संबंधी उप-समिति की सिफारिशों को रिज़र्व बैंक ने स्वीकार कर लिया तथा बैंकों को संशोधित मानदंडों का कार्यान्वयन करने के बारे में जून 1984 में सूचित किया गया। उस समय जूट उद्योग से संबंधित मानदंडों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी, परंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दिसंबर 1984 में यह निर्णय किया गया कि उद्योग के निर्माणाधीन स्टाक के लिए मानदंड को संशोधित किया जाए और तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया। बिजली उद्योग समूह संबंधी उप-समिति की सिफारिशों की जांच की गयी; परन्तु विद्यमान समग्र ऋण स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यान्वयन को रोक

* ब्यौरों के लिए पिछले वर्ष की रिपोर्ट का पैरा 2.148 देखें।

is under way.

Establishment of IRBI

2.130 The Act for the establishment of the Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was passed by the Parliament and received the assent of the President in September 1984. The IRBI will act as the principal credit and reconstruction agency for industrial revival and co-ordinate similar work of other institutions engaged therein. IRBI was established on March 20, 1985 and consequently the work of the erstwhile Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) stands transferred to and vests in the IRBI from the said date.

Committee of Direction (COD)

2.131 The Committee of Direction functioning in the Reserve Bank since 1975, which was reconstituted in July 1983, has set up five sub-committees*. Another sub-committee has been set up to review/lay down norms for the chemical industry after disaggregating the industry into smaller and clearly identifiable segments. As mentioned in the previous Report, the recommendations of the sub-committee on textile industry were accepted by the Reserve Bank and banks were advised in June 1984 to implement the revised norms. It was then felt not necessary to effect any change in norms pertaining to the jute industry. However, as stated earlier, it was decided in December 1984 to revise the norm for the industry's stocks-in-process and banks were advised accordingly. The recommendations of the sub-committee on electrical group were examined, but implementation thereof was withheld in

* For details, please see para 2.148 of previous year's Report.

लिया गया। चमड़ा, कांच आदि संबंधी उप-समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्देश-समिति ने चर्चा की और उप-समिति से यह अनुरोध किया गया कि वह कतिपय उद्योगों के संदर्भ में सिफारिश किये गये मानदंडों की पुनरीक्षा करे।

the context of the prevailing overall credit situation. The report submitted by the sub-committee on leather, glass, etc. was discussed by the COD and the sub-committee has been requested to re-examine the norms recommended in respect of certain industries.

2.132 व्यापार उद्योग-समूह संबंधी उप-समिति ने उन यूनिटों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो जहाज तोड़नेवाले उद्योग और हीरों के व्यापार में लगे हुए हैं। हालांकि जहाज तोड़नेवाले यूनिटों के लिए मानदंड/अनुमत बैंक वित्तपोषक संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं तथा तदनुसार बैंकों को अनुदेश जारी कर दिये हैं,पर हीरा-निर्यातक यूनिटों से संबंधित सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इंजीनियरी-उद्योग संबंधी उप-समिति की सिफारिशों की भी जांच की जा रही है।

2.132 The sub-committee on trading group has submitted its reports on units engaged in ship-breaking industry and diamond trade. While recommendations for norms/permissible bank finance for ship-breaking units have been accepted and instructions issued to banks accordingly, the recommendations on diamond export units are being examined. The recommendations of the sub-committee on engineering industry are also being examined.

2.133 निर्देश समिति की 15 दिसंबर 1984 को हुई बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक अन्य उप-समिति गठित की गयी थी : (i) आहरण अधिकार के संगणन के लिए अदत्त स्टाकों के संबंध में नीति और (ii) आहरिती बिल प्रणाली का कार्यान्वयन। पहली मार्च 1985 को हुई बैठक में उप-समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया गया। अदत्त स्टाकों के संबंध में नीति के मुद्दे पर की गयी सिफारिशें जहां स्वीकार कर ली गयीं, वहां उप-समिति से यह कहा गया कि आहरिती बिल योजना के मुद्दे की वह फिर से जांच करे तथा यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक योजना सुझाए और तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

2.133 Another sub-committee was set up at the meeting of COD held on December 15, 1984, to examine two issues, viz., (i) treatment of unpaid stocks for the purpose of calculation of drawing power and (ii) implementation of Drawee Bills System. The recommendations contained in the report submitted by the sub-committee were considered at the meeting held on March 1, 1985. While the recommendations on the issue of treatment of unpaid stocks were accepted, the sub-committee was asked to re-examine the issue of Drawee Bills Scheme and, if necessary, suggest an alternative scheme which is workable, and to submit the report within a period of 3 months.

गैर-कंपनी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के खातों की लेखा परीक्षा

2.134 निर्देश समिति की 20 जुलाई 1984 को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया कि बैंकिंग तंत्र से 10 लाख रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा का लाभ

Audit of Accounts of Non-Corporate Borrowers

2.134 It was decided at the meeting of the COD held on July 20, 1984, to introduce audit by chartered accountants of annual accounts of all non-corporate

उठानेवाले सभी गैर-कंपनी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के वार्षिक लेखों की सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा कराने की प्रणाली प्रारंभ की जाए ताकि इन ऋणकर्ताओं की लेखा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। चूंकि वित्त अधिनियम, 1984 में यह प्रावधान है कि जिन फर्मों के कुल कारोबार की राशि 40 लाख रुपये से अधिक है तथा जिन व्यावसायिकों की आयगत प्राप्तियाँ 10 लाख रुपये से अधिक हैं, उनके बही खातों की लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जानी चाहिए, अतः यह महसूस किया गया कि आय-कर नियमावली, 1962 के अधीन इन फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के ही प्रारूप को गैर कंपनी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं की लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपनाया जाए। भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्देश-समिति ने तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखे, निधि उपलब्धता विवरण तथा विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट (जहां आवश्यक हो) के प्रारूपों को अंतिम रूप दिया और अप्रैल 1985 में बैंकों को आवश्यक निदेश जारी किये।

स्थायी समन्वय समिति

2.135 अगस्त 1983 में स्थायी समन्वय समिति का पुनर्गठन किये जाने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। यह समिति विगत में प्राप्त अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में मीयादी ऋण देने में आनेवाली अंतर्संस्थागत समस्याओं को सुलझाने तथा मीयादी ऋण प्रदान करने में बैंकों और मीयादी ऋण-दात्री संस्थाओं के योगदान की समीक्षा करने के वास्ते एक स्थायी मंच प्रदान करती है। मीयादी ऋण के संबंध में जानकारी समेकित करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के अलावा समिति अन्य किसी ऐसे मुद्दे पर भी, जो उसके पास भेजा जाता है, विचार करती है। अगस्त 1984 और फरवरी 1985 में हुई अपनी बैठकों के दौरान समिति ने जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं :

borrowers enjoying credit limits of Rs. 10 lakhs and above from the banking system, with a view to improving the accounting system of these borrowers. As the Finance Act, 1984 has provided for audit by chartered accountants of the books of accounts of firms with business turnover of over Rs. 40 lakhs and professionals with income receipts over Rs. 10 lakhs, it was felt that the same format of the audit report required to be submitted by these entities under the Income-tax Rules, 1962, might be adopted for the purpose of audit of non-corporate borrowers also. The formats of Balance Sheet, Profit & Loss Accounts, Funds Flow Statements and Special Audit Report (wherever necessary) were finalised by the COD after discussion with the Indian Banks' Association and the Institute of Chartered Accountants of India and the necessary instructions were issued to the banks in April 1985.

Standing Co-ordination Committee

2.135 A reference was made in the last year's Report to the reconstitution of the Standing Co-ordination Committee in August 1983. The Committee provides a standing forum for sorting out inter-institutional problems relating to term lending in the light of experience gained in the past and for reviewing the involvement of banks and term lending institutions in extending term credit. Besides, dealing with compilation and sharing of information on term credit, the committee deals with any other issues that may be referred to it. Some of the issues, discussed by the Committee at its meetings held in August 1984 and February 1985 are :

(क) वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण प्रदान करने के लिए भुचर समिति के मानदंड तथा बैंकों और मीयादी ऋण संस्थाओं के बीच परियोजना सहायता का आबंटन तथा वह आधार जिसके संदर्भ में बैंकों के हिस्से का हिसाब लगाया जाएगा।

(a) Bhuchar Committee norms for grant of term loans by Commercial banks and sharing of project assistance between banks and term lending institutions and the base with reference to which share of banks is to be computed.

(ख) एक करोड़ रुपये से अधिक की लागतवाले रुपया मीयादी ऋणों से युक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण के स्वरूप के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति की शर्त।

(b) Requirement of IDBI's clearance for financing pattern of projects, involving rupee term loans in excess of Rs. 1 crore.

(ग) परियोजना-सहायता में सहभागिता के प्रति बैंकों के दृष्टिकोण के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मत।

(c) IDBI's observations about banks' approach towards participation in project assistance.

(घ) बैंकों का इस आशय का प्रतिवेदन कि मीयादी ऋण-दात्री संस्थाएं अचल आस्तियों पर दूसरा प्रभार स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक रहती हैं।

(d) Representation from banks that term lending institutions have been unwilling to concede second charge over fixed assets.

(ङ) बैंक और राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वयन अर्थात् भिड़े समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

(e) Co-ordination between banks and state-level financial institutions, i.e., implementation of Bhide Committee's recommendations.

(च) जहां कहीं आदाता नियुक्त किया जाता है उन मामलों में सुरक्षा, परिरक्षण तथा आस्तियों के शांतिपूर्वक अधिग्रहण में होनेवाले व्यय को बांट लेना।

(f) Sharing of expenses relating to protection, preservation and peaceful takeover of assets in cases where a receiver is appointed.

(छ) अपनी विदेशी निवेश वित्त योजना के अंतर्गत निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋणों के लिए जमानत के रूप में बैंक गारंटी।

(g) Bank guarantee as security for term loans by EXIM Bank under its Overseas Investment Finance Scheme.

(ज) वाणिज्य बैंकों द्वारा परियोजना वित्तपोषण के लिए दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहभागिता।

(h) Short-term loans for project financing by commercial banks - Participation by IDBI.

(झ) बड़ी परियोजनाओं के संघीय वित्तपोषण में छोटे बैंकों की सहभागिता।

(i) Participation of smaller banks in consortium financing of large projects.

(ञ) मीयादी ऋण-दात्री संस्थाओं और बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता के बारे में किये जानेवाले मूल्यांकन में एकरूपता।

(j) Uniformity in assessment of working capital requirements of industrial undertakings by term lending institutions and banks.

(ट) जिन यूनिटों में प्रारंभिक रुग्णता के लक्षण दिख रहे हों, उनकी स्थिति में सुधार लाने के उपाय।

बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी करने से पहले स्थायी समन्वयन समिति की उक्त मुद्दों से संबंधित सिफारिशों की रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

चीनी उद्योग के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन हेतु स्थायी समिति

2.136 पिछली दो रिपोर्टों में चीनी उद्योग ऋण-संबंधी आवश्यकताओं और उससे संबंधित समस्याओं पर समन्वित दृष्टिकोण से विचार करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा उपर्युक्त समिति नियुक्त किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति ने तीन बार (नवंबर 1982 में अपने गठन के समय से कुल सात बार) अपनी बैठकें कीं तथा उद्योग को प्रभावित करनेवाली विभिन्न समस्याओं का हल पाने के लिए उन पर विचार-विमर्श किया गया। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में चीनी उद्योग में रुग्ण यूनिटों की पुन:स्थापना के लिए मुख्य उपाय सुझाने के वास्ते एक उप-समिति गठित करने के बारे में उल्लेख किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के तत्वावधान में अब तक सात औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं।

जूट उद्योग के लिए संस्थागत वित्त के समन्वयन के वास्ते स्थायी समिति

2.137 जूट उद्योग की ऋण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित समस्याओं पर समन्वित दृष्टिकोण से विचार करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा उपर्युक्त समिति नियुक्त किये जाने के बारे में भी उल्लेख किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बार (नवंबर 1982 में अपने गठन के समय से छ: बार) बैठकें हुई। इन बैठकों में निम्नलिखित समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संभाव्यत: सक्षम जूट मिलों की पुनर्स्थापना के संबंध में बनाये गये पैकेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आनेवाली रुकावटें, पटसन की कमी, पटसन और जूट की वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, जूट

(k) Measures to retrieve the position of units showing signs of incipient sickness.

The recommendations of the Standing Co-ordination Committee on the above issues are being examined by the Reserve Bank before issuing necessary instructions to banks.

Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for Sugar Industry

2.136 Reference was made in the previous two Reports to the appointment of the above Committee by the Bank with a view to taking a co-ordinated view on credit requirements and related problems of the sugar industry. The Committee met thrice during the year under review (seven times in all since its inception in November 1982) and various problems affecting the industry were discussed to arrive at solutions thereto. In the past year's Report, a reference was made to the constitution of a sub-committee to suggest broad measures for rehabilitation of sick units in the sugar industry. Seven formal meetings have been held so far under the auspices of IFCI.

Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for Jute Industry

2.137 Reference was also made in the last two Reports to the appointment of the above Committee by the Bank for taking a co-ordinated view on credit requirements and related problems of the Jute Industry. The Committee met twice during the year (six times since inception in November 1982). The discussions in the meetings related to the problems hampering the implementation of the rehabilitation packages for potentially viable jute mills evolved by IDBI, raw jute shortage, increase in prices of raw

मिलों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता तथा पटसन के उत्पादन में आयी स्थिरता। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने उन्हें सौंपी गयी 18 संभाव्यतः सक्षम जूट मिलों में से अधिकांश मिलों का सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया है। इन संस्थाओं द्वारा बनाया गया पुनर्व्यवस्था संबंधी पैकेज कार्यक्रम उनके अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर आधारित है जिसमें स्थूल रूप से निम्नलिखित रियायतों पर परिकल्पना की गयी है : (i) मार्जिन और ब्याज में कटौती, (ii) नकदी ऋण खातों में अनियमितताओं का संचयन, (iii) आंतरिक रूप से प्रोद्भूत राशि पर मीयादी ऋण की मंजूरी, और (iv) सांविधिक देयताओं का स्थगन आदि।

jute and jute goods, working capital requirements of jute mills and the stagnation in the production of raw jute. IDBI/IFCI/ICICI had completed the viability studies on most of the 18 potentially viable jute mills entrusted to them. The rehabilitation packages evolved by these institutions based on the reports of their study teams, broadly envisage the following concessions : (i) lowering of margins and interest, (ii) funding of irregularities in the cash credit accounts, (iii) granting of term loans against internal accruals, and (iv) deferment of statutory liabilities, etc.

उर्वरक उद्योग के लिए स्थायी समिति की उप समितियां

2.138 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि स्थायी समिति ने उर्वरक उद्योग के लिए दो उप-समितियां नियुक्त की हैं। उर्वरक उद्योग के लिए स्टाकों/प्राप्य वस्तुओं के मानदंडों की समीक्षा करनेवाली उप-समिति ने कुल तीन बैठकें आयोजित कीं तथा उसने अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट स्थायी समिति की आगामी बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए उसके समक्ष रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में किये जानेवाले अध्ययन के आधार पर वितरण प्रणाली की समीक्षा करनेवाली दूसरी उप-समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने आयातित उर्वरकों के वितरण में लगी हुई केन्द्रीय एजेंसियों की दो बैठकों का संयोजन भी किया।

Sub-Committees of Standing Committee for Fertiliser Industry

2.138 A mention was made in the last year's Report about the appointment of two sub-committees by the standing Committee for Fertiliser Industry. The sub-committee to review the inventory/receivables norms for the Fertiliser Industry held 3 meetings in all and has submitted its report to the Reserve Bank. The report would be placed before the Standing Committee for further action at its next meeting. The second sub-committee for reviewing the distribution system, on the basis of a study, to be undertaken in Uttar Pradesh and Bihar, had met twice so far. The Reserve Bank also convened, during the year, two meetings of the pool agencies engaged in distribution of imported fertilisers.

निर्यात वित्त से संबंधित स्थायी समिति

2.139 आलोच्य अवधि के दौरान उक्त समिति की, जो कि निर्यात वित्त पर नीति-निर्धारक उच्चाधिकार संस्था है, 8 फरवरी 1985 को दूसरी बार बैठक हुई जिसमें निर्यात समुदाय के सामने आनेवाली विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। समिति के

Standing Committee on Export Finance

2.139 During the period under review, the above Committee which is a high-powered policy-making body on export finance, met for the second time on February 8, 1985, to discuss various problems faced by the exporting community.

महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई नीचे दी जा रही है : (क) बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे मार्च 1984 में हुई बन्दरगाह और गोदी के मज़दूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में पैकिंग -ऋण की अवधि उचित रूप से बढ़ा दें। (ख) रिज़र्व बैंक ने 180 दिनों से भी अधिक अवधि के लिए परेषण आधार पर पण्यों के निर्यात के लिए पोतलदानोत्तर ऋणों पर रियायती दर पर ब्याज लेने और उन पर ब्याज उपदान का दावा करने की जो अनुमति बैंकों को पहले दे रखी थी, उसे उसने 28 जनवरी 1985 से समाप्त कर दिया है। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी गयी थी कि यदि निर्यात-प्राप्तियों की वसूली की अवधि 180 दिनों से अधिक हो तो उसका अनुमोदन बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से होना जरूरी है। इसके फलस्वरूप परेषण आधार पर किये जानेवाले निर्यात अब पोतलदानोत्तर ऋणों (और उस पर अनुमत ब्याज उपदान पर बैंकों द्वारा ली जानेवाली ब्याज की दर) के मामलों में नकदी की शर्त पर एकमुश्त बिक्री के आधार पर किये जानेवाले निर्यातों के समान ही होंगे। (ग) भारत सरकार द्वारा गठित हस्तशिल्प संबंधी पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे हस्तशिल्प के निर्यात के लिए अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिए पैकिंग-ऋण प्रदान करें। (घ) 27 मार्च 1985 को बैंकों को यह सूचित किया गया कि खनिज लौह के निर्यात के मामले में पैकिंग-ऋण की अवधि को 180 दिन तक बढ़ाया जाए। (ङ) ईराक में परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए भारतीय निर्माण कार्य के ठेकेदार, इन परियोजनाओं में लगे मजदूरों के वेतन के परिवर्तनीय मुद्रा के अंश का वितरण कर सकें (ईराक में युद्ध की स्थिति होने के कारण वहाँ से भारत को प्रेषित की जानेवाली राशि को रोक रखा गया है) इस उद्देश्य से रुपया ऋणों पर ब्याज की जो दर पहले 18 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गयी थी और जिसे बाद में घटाकर 16.5 प्रतिशत कर दिया गया था, उसे पहली अप्रैल 1984 से और घटाकर 14 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया, और (च) निर्यात करनेवाले समुदाय से निर्यात ऋण पर बैंकों द्वारा लगायी जानेवाली ब्याज की दर में कटौती करने के बारे में बार-बार किये जानेवाले अनुरोध को देखते हुए यह

The follow-up action taken on some of the important decisions of the Committee is listed below : (a) Banks were advised to extend the period of packing credit suitably in the wake of the nation-wide port and dock workers strike in March 1984. (b) The Reserve Bank had with effect from January 28, 1985, withdrawn the permission earlier accorded to banks to charge concessional interest on post-shipment credit provided for export of commodities on consignment basis for the period even beyond 180 days and claim interest subsidy thereon, subject to the extension beyond 180 days for realisation of export proceeds being approved by Exchange Control Department of the Bank. Following this, the exports on consignment basis are now on par with exports on outright sale basis on cash terms in matters regarding rate of interest to be charged by banks on post-shipment credit and interest subsidy admissible thereon. (c) On the basis of a report of the Panel on Handicrafts set up by Government of India, banks were advised to grant packing credit for a maximum period of 180 days for export of handicrafts. (d) On March 27, 1985, banks were advised that the period of packing credit be extended to 180 days in the case of export of iron ore. (e) To enable the Indian construction contractors executing projects in Iraq to disburse the convertible currency portion of the wages of the labour employed on those projects (remittances to India from Iraq having been held up due to the war situation there), the rate of interest on rupee loans which was originally fixed at 18% p.a. and reduced to 16.5% p.a. later, was further reduced to 14% p.a. with effect from April 1, 1984 and (f) In view of an oft-repeated request from the

निर्णय किया गया कि रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, भारत सरकार, और किसी वाणिज्य बैंक से विशेषज्ञ लेकर निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के विन्यास का अध्ययन करने के वास्ते एक समिति गठित की जाए। प्रस्तावित समिति इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से मामले का गहराई से अध्ययन करेगी कि विशेष कर निर्यात ऋण के लिए ब्याज की दर में कटौती करने की आवश्यकता है या नहीं। समिति के विचारणीय विषय निम्नप्रकार हैं : (i) जमाराशियों/निर्यात ऋण सहित अग्रिमों पर वर्तमान ब्याज दर विन्यास के बारे में आंकड़े इकट्ठे करना ताकि अन्य देशों में प्रचलित दरों के साथ उनकी तुलना की जा सके (ii) कतिपय प्रमुख निर्यात मदों के उत्पादन की लागत का और उनपर निर्यात ऋण से संबंधित ब्याज दरों के प्रभाव का अध्ययन करना। (iii) भारत तथा अन्य देशों द्वारा प्रदान किये जानेवाले उपदानों/प्रोत्साहनों के रूप में समर्थन के बारे में जाँच करना और (iv) निर्यात ऋण के लिए ब्याज की दर में कटौती करने की आवश्यकता है अथवा नहीं-इस बात का, उसकी व्यापकता का तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव का पता लगाना।

exporting community for reduction in the rate of interest charged by banks on export credit, it had been decided to constitute a Committee comprising of experts drawn from RBI, NIBM, Government of India and a commercial bank to study the structure of interest rates on export credit. The proposed committee will look into the matter in detail with a view to finding out the necessity or otherwise for reduction in the rate of interest, particularly for export credit. Following are the terms of reference of the above Committee : (i) To collect data about existing interest rate structure on deposits/advances including export credit with a view to comparing them with those prevailing in other countries. (ii) To study cost of production of certain major export items and the impact of interest rate for export credit on them. (iii) Back-up support in the form of subsidies/incentives provided by India and other countries, and (iv) To find out the necessity or otherwise of the reduction in the rate of interest for export credit, its scope and financial implications on the profitability of banks/financial institutions.

अखिल भारतीय निर्यात परामर्शदात्री समिति

2.140 निर्यातक समुदाय से निरंतर संपर्क बनाये रखने तथा निर्यात ऋण एवं विदेशी मुद्रा की समस्याओं पर उससे पर्याप्त प्रति-सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1983 में अखिल भारतीय निर्यात परामर्शदात्री समिति गठित की थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें हुई। समिति की विभिन्न सिफारिशों से निर्यात वित्त से संबंधित स्थायी समिति को सूचना/उन पर लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया है।

All-India Export Advisory Committee (AIEAC)

2.140 The All-India Export Advisory Committee was constituted by Reserve Bank of India in 1983 in order to have a continuing dialogue and to receive adequate feed-back from the export community on problems of export credit and foreign exchange. The Committee met three times during the year under review. The various recommendations of the Committee have been brought to the notice of the Standing Committee on Export Finance for information/decision thereon.

निर्यात ऋण पर एक दिवसीय सेमिनार

2.141 बैंकरों और निर्यातकों, दोनों को निर्यात ऋण के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं पर विचार विमर्श करने के वास्ते एक समान मंच पर इकट्ठा लाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक देश के विभिन्न केन्द्रों पर "निर्यात ऋण" विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित करता आ रहा है। वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान बंगलूर और मद्रास में सेमिनार आयोजित किये गये जिससे अब तक के सेमिनारों की संख्या छह हो गयी।

परियोजना निर्यातों के लिए कार्यकारी दल

2.142 रिज़र्व बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और निर्यात-आयात बैंक के प्रतिनिधियों से युक्त कार्यकारी दल ने आलोच्य वर्ष के दौरान 172 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इस दल में से निर्यात-आयात बैंक निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं के, जिनमें तैयार हालत की परियोजनाओं और विदेशों में आस्थगित अदायगी की शर्तों पर सिविल निर्माण-कार्य संबंधी संविदाए शामिल हैं, निर्यात के लिए एकमुश्त स्वीकृति देन के वास्ते एक महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में कार्य करता है। कार्यकारी दल संप्रति पहले के 2 करोड़ रुपये के मुकाबले 5 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहा है।

बैंककारी विधान और अन्य विनियम

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983

2.143 पिछली रिपोर्ट में बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1983 की धारा 6, 7, 21, 26, 37 और धारा 42 के खंड (v) और (ix) को छोड़कर उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधान 15 फरवरी 1984 से लागू किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया था। इन धाराओं के प्रावधान भी आवश्यक नियमों/विनियमों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद अब भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1985 से लागू कर दिये गये हैं। ये संशोधन संक्षेप में इस प्रकार हैं :

One-day Seminar on Export Credit

2.141 The Bank had been conducting one-day seminars on 'Export Credit' at different centres in the country to bring together in a common forum, both the bankers and exporters for discussion on the various facilities available in the field of export credit. During 1984-85, (July-June), seminars were held in Bangalore and Madras taking the total number of seminars held so far to six.

Working Group for Project Exports

2.142 The Working Group comprising representatives of the Reserve Bank, ECGC and Exim Bank with the latter functioning as focal point for giving a package clearance to exporters, to export goods and services including turnkey projects and civil construction contracts abroad on deferred payment terms, cleared 172 proposals during the year under review. At present, the projects above Rs. 5 crores are cleared by the Working Group, as against Rs. 2 crores earlier.

Banking Legislation and Other Regulations

Banking Laws (Amendment) Act, 1983

2.143 Mention was made in the previous Report of the coming into force of the various provisions of the Banking Laws (Amendment) Act 1983, with effect from February 15, 1984, except Sections 6, 7, 21, 26, 37 and Clauses (v) and (ix) of Section 42 thereof. The provisions of these Sections have also been since brought into force by Government of India with effect from March 29, 1985, after finalisation of necessary rules/regulations. The amendments in brief are given on the next page.

संशोधन अधिनियम 1983 की धारा Section of the Amend-ment Act, 1983	वर्तमान अधिनियम/ धारा का संशोधन Amendment of the existing Act/Section	विषय Subject
6	भा. रि. बैंक अधिनियम, 42	अनुसूचित बैंकों की नकदी प्रारक्षित निधि - नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात बनाये रखने की अवधि में परिवर्तन तथा संबंधित विवरणियों को साप्ताहिक के बजाय पाक्षिक रूप से प्रस्तुत करना ।
6	RBI Act Section 42	Cash Reserve of scheduled banks - Change of periodicity of The Maintenance of CRR and submission of relative returns from weekly to fortnightly.
7	भा. रि. बैंक अधिनियम, 43	प्रेस विज्ञप्ति जारी करना ।
7	RBI Act Section 43	Issue of Press Communique.
21	बैंककारी विनियमन अधिनियम 18	गैर-अनुसूचित बैंकों की नकदी प्रारक्षित निधि ।
21	BR Act Section 18	Cash Reserve of non-scheduled banks.
26	बैंककारी विनियमन अधिनियम 24	बैंकों (अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित) की चलनिधि आस्तियां - शुद्ध स्थिति की संकल्पना के लिए प्रावधान करना तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात में 40 प्रतिशत तक वृद्धि, भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की नीति, दंड-प्रावधान आदि विनिर्दिष्ट करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान करना ।
26	BR Act Section 24	Liquid assets of banks (scheduled as well as non-scheduled) providing for netting concept and conferment of power on the Reserve Bank of India to specify the increase in the SLR upto 40 per cent, the mode of valuation of unencumbered approved securities, penalty provision, etc.
37	बैंककारी विनियमन अधिनियम-नयी धाराएं 45म से 45 यच तक सम्मिलित करना ।	(1) बैंक-अभिलेखों की परिरक्षण अवधि, (2) जमाकर्ताओं, लॉकरों और वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के किरायेदारों को नामांकन सुविधाओं के संबंध में प्रावधान करना ।
37	BR Act - Incorporation of new Sections 45Y to 45 ZF.	To provide for (1) Period of preservation of bank records. (2) Nomination facilities to depositors, hirers of lockers and safe custody of articles
42 (V)	सहकारी बैंकों पर यथाप्रवृत्त बैंककारी विनियमन अधिनियम - 18	गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों की नकदी प्रारक्षित निधि ।
42 (V)	BR Act Section 18 As applicable to co-operative banks	Cash Reserve of non-scheduled co-operative banks.
42 (IX)	सहकारी बैंकों पर यथाप्रवृत्त बैंककारी विनियमन अधिनियम - 24	सभी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) की चलनिधि आस्तियां ।
42 (IX)	BR Act Section 24 as applicable to co-operative banks	Liquid assets of all co-operative banks (scheduled and non-scheduled).

2.144 उल्लेखनीय है कि सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के प्रयोजन के लिए मांग और मीयादी देयताएं निर्धारित करने के वास्ते 29 मार्च 1985 से शुद्ध स्थिति की संकल्पना शुरू की गयी थी। इसके परिणामस्वरुप मांग और मीयादी देयताओं की गणना के आधार में परिवर्तन हुआ है। संशोधन से पहले, किसी बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से अथवा भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों से अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अथवा निर्यात-आयात बैंक से लिये गये अग्रिम शामिल नहीं किये जाते थे। संशोधन के बाद, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों से लिए जानेवाले ऋणों के लिए विशेष स्थिति हटा दी गयी है और इस तरह बैंकों को बैंकिंग-तंत्र के प्रति शुद्ध देयताओं की गणना करनी होती है।

2.145 इसके अलावा, सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षित प्रतिशतता बनाये रखने का दायित्व शनिवार से शुरू होनेवाले और बाद के दूसरे शुक्रवार को समाप्त होनेवाले पखवाड़े के प्रत्येक दिन का हो जाता है। इस प्रयोजन के लिए आधार, पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की मांग और मीयादी देयताएं रहेगा। अब रिजर्व बैंक को सांविधिक चलनिधि अनुपात का अनुपालन न किये जाने पर जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है। अनुपालन न करने पर जुर्माने की दर का आधार वही होगा जो नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात के लिए होता है अर्थात् पहले व्यतिक्रम पर 13 प्रतिशत (बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक), बाद के निरंतर व्यतिक्रम पर 15 प्रतिशत (बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक)। इसके अलावा, अब से मांग और मीयादी देयताओं की सांविधिक चलनिधि अनुपात की न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक लेकिन 40 प्रतिशत से अनधिक की प्रतिशतता का नियंत्रण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किया जायेगा।

2.146 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 में संशोधन के बाद, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फार्म "ए" में विवरणियों की अवधि बदलने की व्यवस्था है, उक्त अधिनियम की धारा 43 में भी संशोधन किया गया ताकि सभी अनुसूचित बैंकों की

2.144 It may be mentioned that with effect from March 29, 1985, the netting concept has been introduced for deciding DTL for the purpose of maintenance of SLR. As a result of this, there is a change in the basis of calculation of Demand and Time Liabilities. Before the amendment, any advances taken by a bank from RBI or from SBI and its Associates or from IDBI or from the Exim Bank were excluded. After the amendment, the special status for borrowing from SBI and its Associates has been removed, and thus the banks have to calculate the net liability to the banking system.

2.145 Secondly, the obligation to maintain the required percentage of SLR arises on each day of a fortnight commencing from Saturday and ending with the second following Friday. For this purpose, the base will be Demand and Time Liabilities on the last Friday of the second preceding fortnight. The Reserve Bank of India is now empowered to levy penalty for non-compliance with SLR. The rate of penalty for non-compliance will be on the same basis as Cash Reserve Ratio that is, first default 13 per cent (3 per cent over the Bank Rate), subsequent continuous default 15 per cent (5 per cent over the Bank Rate). Further, the percentage of SLR above the statutory minimum of 25 per cent but not exceeding 40 per cent of the Demand and Time Liabilities will henceforth be governed by the issue of a notification in the Official Gazette by Reserve Bank of India.

2.146 Consequent on the amendment to Section 42 of the RBI Act, 1934 which, *inter alia*, provides for change in the periodicity of returns in Form 'A' Section 43 of the said Act, was also amended to pro-

कुल देयताओं और आस्तियों की समेकित स्थिति दर्शाने के लिए अब तक जारी होनेवाली प्रेस विज्ञप्ति साप्ताहिक के बजाय पाक्षिक रूप से जारी की जा सके।

2.147 रिज़र्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए आधार निर्दिष्ट करे। इसके लिए, यह निर्णय किया गया है कि 29 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार किसी बैंक के पास रखी अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मौजूदा आधार पर किया जायेगा और इस प्रकार का मूल्यांकन अपरिवर्तित (फ्रोज़न) होगा। 29 मार्च 1985 के बाद खरीदी गयी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन लागत-मूल्य अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जायेगा।

बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट

2.148 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है, हुण्डियों के संबंध में समिति की रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशें बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की गयी थीं और इस आशय की सूचना सरकार को दे दी गयी थी। माल पर हक सम्बन्धी दस्तावेजों पर रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स) में दिये गये "ड्राफ्ट वेयर हाउस रिसीट्स बिल" पर भी बैंक के विचारों से सरकार को अवगत करा दिया गया था। जहाँ तक समिति की अन्य तीन रिपोर्टों की समीक्षा का सम्बन्ध है, इस वर्ष के दौरान स्थिति निम्न प्रकार रही :

परक्राम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट

2.149 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि विधि आयोग द्वारा अपनी 11 वीं रिपोर्ट में सुझाये गये मॉडल पर आधारित प्रारूप परक्राम्य लिखत विधेयक, 1960 की रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के साथ विचार-विमर्श करके समीक्षा की थी और उसे विचारार्थ भारत सरकार के पास भेज दिया था। सरकार ने अब रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा पहले दिये गये सुझावों को शामिल करते हुए नये विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करे। यह कार्य अब किया जा रहा है।

vide for issue of a fortnightly Press Communique giving a consolidated position of the aggregate liabilities and assets of all scheduled banks instead of weekly as hitherto.

2.147 The Reserve Bank is empowered to specify the basis of valuation of Government Securities for statutory liquidity ratio purposes. Accordingly, it has been decided that approved securities held by a bank as on March 29, 1985 will be valued as per the existing basis and such valuation will be frozen. Securities purchased after March 29, 1985 will be valued at cost price or face value whichever is lower.

Banking Laws Committee's Report

2.148 As already stated in the previous Report, the recommendations contained in the Committee's Report on Hundis were not accepted by the Bank and Government was advised accordingly. Bank's views on the Draft Warehouse Receipts Bill contained in the report on Documents of Title to Goods were also forwarded to Government of India. As regards the scrutiny of other three reports of the Committee, the position during the year was as below :

Report on Negotiable Instruments Law

2.149 It was mentioned in the previous Report that the draft Negotiable Instruments Bill, 1960 based on the model suggested by the Law Commission in its 11th report was reviewed by the Bank in consultation with Indian Banks' Association and forwarded to the Government of India for their consideration. The Government have now requested the Bank to draft a fresh bill, incorporating the various suggestions made by the Bank earlier. This is now being attended to.

निजी सम्पत्ति प्रतिभूति विधि पर रिपोर्ट

2.150 बैंकिंग विधि समिति द्वारा संस्तुत प्रारूप निजी सम्पत्ति प्रतिभूति विधेयक पर भारतीय बैंक संघ से प्राप्त टिप्पणियों पर फिर से विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अपने अंतिम विचार भारत सरकार के पास विचारार्थ भेज दिये हैं।

वास्तविक सम्पत्ति प्रतिभूति विधि पर रिपोर्ट

2.151 वर्ष के दौरान वास्तविक सम्पत्ति प्रतिभूति विधि के संबंध में समिति की रिपोर्ट की भारतीय बैंक संघ के साथ विचार-विमर्श करके जाँच की गयी और इस संबंध में बैंक के अंतिम विचार सरकार के पास विचारार्थ भेज दिये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का गठन

2.152 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों के नामित निदेशक अब केन्द्र सरकार की अनुमति तक और 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा कि केन्द्र सरकार उनके नियुक्ति पत्रों में निर्दिष्ट करे, कार्य करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल पिछली बार 1982 में गठित किये गये थे और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक, सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार जनवरी/फरवरी/मार्च/अप्रैल 1985 से, कार्यकाल की अपनी अवधि के बाद निदेशक नहीं रहे थे।

विदेशी बैंकों के स्थानीय सलाहकार मंडल

2.153 बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति के अनुसरण में विदेशी बैंकों को स्थानीय सलाहकार मंडल गठित करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, भारत में कार्य कर रहे 19 विदेशी बैंकों में से 16 में पहले ही स्थानीय सलाहकार मंडल गठित किये जा चुके थे, शेष 3 बैंकों को अपने स्थानीय मंडल गठित करने के लिए कदम उठाने के लिए यथोचित रूप से सूचित कर दिया गया है।

Report on Personal Property Security Law

2.150 After reconsidering the views received from the IBA on the Draft Personal Property Security Bill, recommended by the Banking Laws Committee, the Reserve Bank has forwarded its final views to the Government of India for their consideration.

Report on Real Property Security Law (RPSL)

2.151 During the year, the report of the Committee on Real Property Security Law were examined in consultation with IBA and the final views of the Bank in this regard have been furnished to the Government for their consideration.

Composition of the Board of Directors of Nationalised Banks

2.152 All the nominated directors on the boards of 20 nationalised banks will now hold office during the pleasure of the Central Government and for a period not exceeding 3 years as the Central Government may specify at the time of their appointments. The Boards of Directors of the nationalised banks, were last constituted in 1982, and non-official directors of all nationalised banks ceased to hold office of directors after expiry of their terms in January/ February/ March/ April 1985 in terms of Government notifications.

Local Advisory Boards of foreign banks

2.153 In pursuance of the policy of social control over banks, foreign banks were urged to constitute Local Advisory Boards. Accordingly, the Local Advisory Boards were already constituted by 16 out of 19 foreign banks operating in India; the remaining 3 banks have been suitably advised to take steps to constitute their Local Boards.

2.154 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, रिज़र्व बैंक द्वारा मई 1983 में लेखा-परीक्षा पारिश्रमिक के संबंध में गठित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट जून 1984 में प्रस्तुत कर दी थी। रिज़र्व बैंक ने दल की सभी सिफारिशों को मान लिया था। दल ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखा-परीक्षकों तथा स्टेट बैंक समूह के शाखा लेखा-परीक्षकों के लिए 1983 की लेखा-परीक्षा से उनके शुल्क का पूर्व प्रभावी रूप से भुगतान किया जाये,परन्तु सरकार ने इस संबंध में दल की सिफारिश को 1984 की लेखा-परीक्षा से स्वीकार किया है।

2.154 As mentioned in the previous Report, the Working Group on Audit Remuneration set up by RBI in May 1983 submitted its Report in June 1984. All the recommendations of the Group were accepted by RBI. The Group has recommended payment of the fees to auditors of nationalised banks and for branch auditors of SBI Group retrospectively with effect from 1983 audit onwards; however the Government accepted the Group's recommendation in this regard with effect from 1984 audit.

विविध

तार-अंतरण भुनाई-सुविधा

2.155 9 जुलाई 1975 से लागू, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध मौजूदा तार-अंतरण भुनाई-सुविधा को 31 अक्तूबर 1985 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत जिन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को तार-अंतरण भुनाई-सुविधाएं मंजूर की गयी थीं, उनकी संख्या 47 थी।

Miscellaneous

Telegraphic Transfer Discounting Facility

2.155 The existing telegraphic transfer discounting facility available to scheduled commercial banks, which came into force from July 9, 1975, was further extended by one year upto October 31, 1985. The number of scheduled commercial banks which had been sanctioned telegraphic transfer discounting facilities under the scheme stood at 47.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii क) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू करना

2.156 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दि. 19 सितम्बर 1984 की अपनी अधिसूचना के जरिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiiक) का लाभ निम्नलिखित सात बैंकों के संबंध में अप्रैल 1983 की पहली तारीख से और उसके बाद शुरू होनेवाले मूल्यांकन वर्षों के लिए उपलब्ध करा दिया है। ये बैंक हैं-भारतीय स्टेट बैंक, 2. बैंक ऑफ बड़ौदा, 3. बैंक ऑफ इंडिया, 4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 5. इंडियन ओवरसीज बैंक, 6. पंजाब नैशनल बैंक तथा 7. युनाइटेड कमर्शियल बैंक

Extension of Section 36(1) (viiia) of Income Tax Act, 1961 to public sector banks

2.156 The Central Board of Direct Taxes have,vide their notification dated September 19, 1984, extended the benefit of Section 36(1) (viiia) of Income Tax Act, 1961 to the following seven banks in respect of the assessment year commencing on and from the first day of April 1983 and any subsequent year. These banks are : 1. State Bank of India, 2. Bank of Baroda, 3. Bank of India, 4. Central Bank of India, 5. Indian Overseas Bank ,6. Punjab National Bank and 7. United Commercial Bank.

2.157 चूंकि उपर्युक्त बैंक जमाराशियों में स्वयं की निधियों के 2.5 प्रतिशत से कम के अनुपात और अपनी विदेशी शाखाओं में गैर-बैंकिंग जमाराशियों के 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का मानदण्ड पूरा करते हैं, अतः वे प्रत्येक वर्ष अपनी आय के 40 प्रतिशत से अनधिक की राशि से अंतरण के जरिए एक विशेष प्रारक्षित खाता खोल सकते हैं और उस पर आय कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित मानदण्ड के अनुसार यह सुविधा उक्त धारा केअन्तर्गत अपनी विदेशी शाखाओं में 50 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक की गैर-बैंकिंग जमाराशियों वाले बैंकों को भी उपलब्ध करा दी गयी है। तदनुसार, सरकार ने 10 जून 1985 के अपने आदेश एफ सं. 147(1)/85 टीपीएल के जरिए सिण्डिकेट बैंक और इंडियन बैंक को पहली अप्रैल 1986 को और उस से शुरू होनेवाले और बाद के किसी भी वर्ष से मूल्यांकन वर्ष के संबंध में धारा 36(1) (viiiक) के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया है।

2.157 As the aforesaid banks satisfy the criteria of having the ratio of owned funds to deposits below 2.5 per cent and the aggregate non-bank deposits of their foreign branches over U.S. $ 100 million, they can create a Special Reserve Account by transferring thereto from out of income each year an amount not exceeding 40 per cent of their income and claim rebate in tax. As per the revised criteria, benefit under the said Section has been extended to banks having non-bank deposits of U.S $ 50 million or more at their overseas branches. Accordingly, Government have, vide their order F. No. 147(1)/85 TPL dated June 10, 1985, notified Syndicate Bank and Indian Bank for the purpose of Section 36(1) (viiia) in respect of assessment year commencing on and from the 1st day of April 1986 and any subsequent year.

भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों की पूंजी में वृद्धि

2.158 भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों की पूंजी बढ़ाने की रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गयी योजना को भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है तथा स्टेट बैंक को सूचित किया गया है कि वह अपने बोर्ड के अनुमोदन के साथ योजना लागू करने का प्रारूप तैयार करे।

Increase in the capital of State Bank of India and its Associates

2.158 Government of India had approved, in principle, the scheme of augmenting capital of State Bank of India and its Associates formulated by RBI in consultation with State Bank of India, and the SBI has been advised to work out the modalities of implementing the scheme with the approval of their Board.

बैंकों के प्रकाशित लेखों के फार्मेट पर विचार करने के लिए समिति

2.159 उपर्युक्त समिति ने विभिन्न मामलों जैसे, प्रकाशित लेखों के फार्मेट संशोधित करने, इस प्रकार के लेखों को अधिक प्रकाश में लाने, विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रावधान करने के लिए मानदण्ड बनाने आदि पर अप्रैल 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य किया जा रहा है।

Committee to consider format of published accounts of banks

2.159 The above Committee submitted its Report in April 1985 on various issues such as, revising formats of published accounts, greater disclosure in such accounts, norms for making provisions for various purposes, etc. The Committee's Report is now being processed for follow-up action.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के फार्मों को युक्तिसंगत बनाना और उनके नये डिजाइन बनाना

2.160 भारत सरकार के कहने पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में फार्मों को युक्तिसंगत और उनके नये डिजाइन बनाने से संबंधित मामला भारतीय बैंक संघ को भेज दिया गया था। भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित समिति ने अपने अध्ययन के पहले चरण के रूप में अपना ध्यान 16 ऐसे विशिष्ट फार्मों को अंतिम रूप देने की ओर लगाया जो उन ग्राहकों के लिए विशेष महत्त्व के रहेंगे जो इन फार्मों का बहुधा इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों को रिज़र्व बैंक ने मान लिया था। केवल चेक फार्मों के संबंध में सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। जहां तक चालू खाते और बचत बैंक खाते के चेकों और ड्राफ्टों का संबंध है, एमआइसीआर कूटित फार्मों में मानक फार्मेटों को रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा बैंकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। भारतीय बैंक संघ ने अब निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी सदस्य बैंकों को सूचित करते हुए सिफारिश की है कि वे मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद मानकीकृत फार्म इस्तेमाल करें। संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह भी निदेश दिया है कि वे अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मानकीकृत फार्म का प्रयोग करने की सिफारिश करें। भारतीय बैंक संघ ने फार्मों का मानकीकरण करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने से सम्बंधित अध्ययन का दूसरा चरण शुरू करने के लिए एक उप-समिति गठित की है।

Rationalisation and redesigning of forms in public sector banks

2.160 At the instance of Government of India, the matter regarding rationalisation and redesigning of forms in public sector banks had been referred to IBA. The Committee set up by IBA, had in the first phase of its study, addressed itself to giving a final shape to 16 specific types of forms which would have a major relevance to the needs of the customers who use these forms very frequently. The recommendations contained in the Report submitted by IBA in this regard were accepted by the Reserve Bank, except in regard to the cheque forms. As regards the current account and savings bank account cheques and drafts, standard formats in MICR (Magnetic Ink Character Recognition) encoded forms had already been finalised by RBI and made available to banks. The Indian Banks' Association has since advised all member banks, including private sector banks, recommending the use of standardised forms after existing stocks have been exhausted. It has also directed public sector banks to recommend introduction of the standardised forms to Regional Rural Banks sponsored by them. Indian Banks' Association has constituted a sub-committee to undertake second phase of the study on standardisation and rationalisation of the forms.

बैंकों में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण

2.161 बैंकिंग-उद्योग में मशीनीकरण के संबंध में जुलाई 1983 में गठित समिति ने अगस्त 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और इसकी सिफारिशें रिज़र्व बैंक द्वारा मान ली गयी हैं। पहले चरण के रूप में, जिसमें 1985 से 1987 की अवधि आती है, बैंकों के प्रधान कार्यालय, आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय जिनकी

Mechanisation/Computerisation in banks

2.161 The Committee on mechanisation in Banking Industry, constituted in July 1983, submitted its report in August 1984 and its recommendations have been accepted by the Reserve Bank. In the first phase, covering 1985 to 1987, the Head Offices, Zonal/Regional Offices

संख्या लगभग 200 है तथा लगभग 2,500 बड़ी शाखाओं में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। स्थूल स्तर पर सिफारिशों की कारगर देखरेख करने और कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक उच्चस्तरीय स्थायी देखरेख समिति गठित की गयी है। इस समिति में सरकार, भारतीय बैंक संघ, प्रमुख बैंक, रिज़र्व बैंक आदि के प्रतिनिधि हैं। रिज़र्व बैंक पहले ही बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की कई बैठकें बुला चुका है ताकि बैंकों द्वारा परिचालन स्तर पर कार्य को गति दी जा सके और उसमें तालमेल बिठाया जा सके। अब तक जो कार्य किये गये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं, प्रत्येक प्रमुख बैंक में अलग से कम्प्यूटर नीति तथा योजना विभाग स्थापित करना, लेजर-पोस्टिंग मशीनें बनानेवालों की सूचियां तैयार करना, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का मानकीकरण, स्थापित किये जानेवाले सिस्टमों के विनिर्देश, प्रधान कार्यालयों में स्थापित किये जाने के लिए मेन-फ्रेम सिस्टम के लिए हार्डवेयर की आकृति (कन्फिग्रेशन) तय करना, 1985 तक लगभग 300 सिस्टम विश्लेषक/प्रोग्रामर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि। जुलाई 1985 में सरकार द्वारा घोषित अनुपालन कार्यक्रम के अनुसार मार्च 1986 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगभग 1,000 शाखाओं में लेजर-पोस्टिंग मशीनें तथा लगभग 100 क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में मिनी-कम्प्यूटर सिस्टम स्थापित किये जाने की उम्मीद है।

numbering about 200 and about 2,500 large branches of banks would be mechanised/computerised. For effective monitoring and overseeing implementation of the recommendations at the macro level, a high-level Standing Monitoring Committee has been constituted by the Bank, comprising representatives from Government, Indian Banks' Association, major banks, RBI, etc. Reserve Bank has already conducted several meetings of Liaison Officers of banks so as to speed up and co-ordinate action at operational level by the banks. The steps so far taken include setting up of separate Computer Policy and Planning Departments in each major bank, empanelment of manufacturers of Ledger Posting Machines, standardisation of hardware and software, specifications for systems to be installed, determination of hardware configuration for main-frame system for installation at Head Offices, arrangements for training of about 300 Systems Analysts/ Programmers by 1985 etc. As per the Action programme announced by the Government in July 1985, Ledger Posting Machines are expected to be installed in about 1,000 branches and mini-computer systems in about 100 Regional/Zonal Offices of public sector banks by the end of March 1986.

ऋण सूचना योजना

2.162 जुलाई 1984 से जून 1985 की अवधि के दौरान विभिन्न बैंकों से उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना योजना के लिए 709 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि पिछले लेखा वर्ष की इसी अवधि के दौरान 896 आवेदन प्राप्त हुए थे।

Credit Information Scheme

2.162 During the period July 1984 to June 1985, 709 applications were received from various banks seeking credit information on borrowers as against 896 applications during the corresponding period of the last accounting year.

बैंकों में हिन्दी की प्रगति/प्रयोग

2.163 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयास करना जारी रखा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 के लिए तैयार किया गया समयबद्ध कार्यक्रम सभी बैंकों को भेजा गया था और समय-समय पर कार्यान्वयन रिपोर्टें प्राप्त की गयीं।

2.164 कार्यान्वयन रिपोर्टों का अध्ययन करने से पता चला कि बैंकों द्वारा मूल पत्राचार हिन्दी में करने, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने, साइनबोर्ड, नाम पट्ट आदि द्विभाषिक/त्रिभाषिक रूप में लगाने में की गयी प्रगति संतोषजनक थी। अन्य क्षेत्रों जैसे, अखिल भारतीय प्रसार के लिए विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां और सार्वजनिक नोटिस, टेंडर सूचनाएं, करार, टेंडर फार्म, सामान्य आदेश, लाइसेंस जारी करने, चेक और ड्राफ्ट हिन्दी में स्वीकार करने में हिन्दी के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बैंकों ने पहले ही से इस्तेमाल किये जा रहे अधिकतर फार्मों के अलावा अपनी वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र द्विभाषिक रूप में मुद्रित करना जारी रखा। अधिकांश बैंकों ने हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अनुदेश लागू करने के लिए जांच बिन्दु बनाये हैं। बैंक हिन्दी में तार भी जारी कर रहे हैं। इसके अलावा, बैंकों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसीतरह, बैंकों ने अपने तंत्र में हिन्दी के कारगर इस्तेमाल के लिए राजभाषा सम्मेलन, समारोह आदि आयोजित किये। कुछ बैंकों ने पदोन्नति की अपनी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम में वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दी है। हिन्दी के प्रयोग के संबंध में एक खास बात यह रही कि कुछ बैंकों ने अपने परिचय पाठ्यक्रमों में हिन्दी-माध्यम शुरू कर दिया है। उनके प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ व्याख्यान हिन्दी में दिये जा रहे हैं।

Promotion/Use of Hindi in Banks

2.163 During the period under review public sector banks continued their efforts for the progressive use of Hindi in their work. A time-bound annual programme for the year 1984 prepared by the Government of India was circulated among the banks and implementation reports were obtained at intervals.

2.164 A study of the implementation reports revealed that the progress made by banks in originating correspondence in Hindi and in sending replies to letters received in Hindi, bilingual/trilingual display of sign-boards, name plates, etc. was satisfactory. The use of Hindi in other areas like advertisements, press communiques, and public notices meant for all-India coverage, issue of tender notices, agreements, tender forms, general orders, licences, acceptance of cheques and drafts in Hindi received special attention. Banks continued to print their annual reports and balance sheets bilingually in addition to most of the forms in use. Most of the banks have created check points for the implementation of instructions regarding use of Hindi. The banks are also issuing telegrams in Hindi. Besides, the banks have conducted Hindi workshops for imparting training in Hindi notings and drafting to such of their employees who have working knowledge of Hindi. Similarly, banks have organised Official Language Conference, functions, etc. for making effective use of Hindi in their set-up. Some of the banks have permitted optional use of Hindi medium in their promotional examinations. A special feature regarding the use of Hindi is that some of the banks have introduced Hindi medium in their induction courses. Some

2.165 रिज़र्व बैंक सरकार द्वारा गठित विभिन्न हिन्दी समितियों का काम देखता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा के प्रयोग के संबंध में लोकसभा/राज्यसभा के प्रश्नों के लिए आवश्यक सामग्री भेजता रहा है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न अनुदेश जारी किये गये। बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की सुविधा के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, खासतौर पर जनता के साथ सम्पर्क वाले स्थानों पर इस्तेमाल किये जानेवाले फार्मों तथा पत्राचार के संकलन को अंतिम रूप देने तथा उसे तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है। इस दल में रिज़र्व बैंक तथा पांच अन्य बैंक सदस्य हैं। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है, जिसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

सरकारी विभागों, अर्ध-सरकारी संस्थाओं आदि के बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी

2.166 यह निर्णय किया गया था कि जो सरकारी संस्थाएं/संगठन अपने कार्य करने के लिए बजटीय आबंटन (अर्थात् सरकार द्वारा बजट के ज़रिए किया गया निधियों का आबंटन) इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब अपने नाम पर बचत खाते खोलने की अनुमति न दी जाये। अलबत्ता, कुछेक संस्थाओं जैसे लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक और कृषि मज़दूर एजेंसी आदि जिन्हें अपने कार्यों के लिए निधियां बजटीय आबंटनों से मिल रही हों, को बैंकों में बचत खाते खोलने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी गयी है।

lectures are being delivered in Hindi in their training establishments.

2.165 The Reserve Bank of India attends to the work of various Hindi Committees set up by the Government. In addition to this, the Bank continues to supply necessary material for Lok Sabha/Rajya Sabha questions regarding the use of official language in the nationalised banks. Various instructions have been issued to public sector banks from time to time for the progressive use of Hindi. With a view to facilitating the use of Hindi in banks, a Working Group has been set up to finalise and prepare a compendium of forms and correspondence, etc. used in the public sector banks especially at the points of contact with the public. The Group consists of members from the Reserve Bank and five commercial banks. The Group has since submitted its Report, which will be published in the form of a booklet.

Payment of interest on Savings Bank Accounts of Government Departments, quasi-Government Institutions, etc.

2.166 It was decided that the Government institutions/organisations which are utilising budgetary allocation (i.e. allocation of funds by the Government made through the Budget) for performance of their functions, should not be allowed to open savings bank accounts in their names henceforth. However, certain institutions such as, Small Farmers' Development Agency, Marginal Farmers' and Agricultural Labourers' Agency, etc., which may be getting funds for their operations out of budgetary allocation, have been specifically allowed to open savings bank accounts with banks.

परिशिष्ट I
1 अप्रैल 1985 से लागू ब्याज दर का स्वरूप
APPENDIX I
INTEREST RATE STRUCTURE EFFECTIVE FROM APRIL 1, 1985

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	ब्याज दर (ब्याज-कर सहित) † वार्षिक प्रतिशत Rate of interest (inclusive of interest tax) † per cent per annum	
	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
I. सार्वजनिक वसूली और वितरण एजेंसियां **Public Procurement and Distribution Agencies**		
1. भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार के पूर्ण मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों (गेहूं, धान/चावल तथा मोटे अनाज) की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियों के रूप में कार्यरत राज्य सरकारों की एजेंसियां, जहाँ बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर की जाती है। 1. FCI, State Governments/agencies acting as agencies of FCI for procurement of foodgrains (wheat, paddy/rice and coarse foodgrains) under the full price support scheme of the Government of India, where the sales are at fixed prices through Government approved outlets	12.50	14.00
2. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर बिक्री के लिए निर्दिष्ट अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली/वितरण का कार्य सौंपा गया हैं, ये पण्य हैं : दालें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक और चीनी। 2. (i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with procurement/distribution of specified essential consumer commodities for sale at fixed prices through Government approved outlets, the commodities being pulses, edible oils, kerosene, salt and sugar	15.00	15.00

† ब्याज-कर 1 अप्रैल 1985 से समाप्त कर दिया गया था।
The interest tax was abolished with effect from April 1, 1985.

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्यों पर दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य सौंपा गया है।		
(ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of pulses and oilseeds at support prices fixed by the Central Government.	15.00	15.00
3. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी 2 में निर्दिष्ट पण्यों से इतर अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।		
3. (i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of essential consumer commodities other than those specified in category 2(i) above	16.50	16.50
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें ऐसी नकदी फसलों की वसूली का कार्य सौंपा गया है जहां मूल्य समर्थन दिया जाता है।		
(ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of cash crops where there is an element of price support	16.50	16.50
(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।		
(iii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of fertilizers, pesticides and seeds	16.50	16.50
4. केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें वाणिज्य-आधार पर बिक्री के लिए पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।		
4. Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis	Not exceeding 18.00 से अनधिक	Not exceeding 17.50 से अनधिक
II **चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा के भीतर आनेवाले पण्यों के लिए न्यूनतम उधार दरें**		
Minimum Lending Rate *(for commodities coming within the purview of selective credit control)*		
(i) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट		
(i) Loans/advances/cash credit/overdrafts against commodities subject to selective credit control	18.00	17.50

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
(ii) सभी स्टाकों के संदर्भ में चीनी मिलें (ii) Sugar mills in respect of all stocks	16.50	16.50
III. निर्यात **Exports**		
1. पोतलदानपूर्व ऋण 1. Pre-shipment Credit		
(क) निर्दिष्ट मध्यम और भारी इंजीनियरी वस्तुएं और भवन निर्माण सम्बन्धी संविदाएं (a) Specified medium and heavy engineering goods and construction contracts		
(i) 180 दिन तक (i) Upto 180 days	12.00	12.00
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक (ii) Beyond 180 days and upto 270 days	14.50	14.00
(ख) अन्य निर्दिष्ट वस्तुएं (अर्थात् कालीन, चमड़े की वस्तुएं, नारियल के रेशे, काजू, तम्बाकू आदि) 180 दिन तक (b) Other specified goods (e.g. carpets, leather manufactures, coir, cashew, tobacco, etc.) upto 180 days	12.00	12.00
(ग) अन्य वस्तुएं और परामर्शी सेवाएं (c) Other goods and consultancy services		
(i) 90 दिन तक (i) Upto 90 days	12.00	12.00
(ii) 90 दिन से अधिक और 135 दिन तक (ii) Beyond 90 days and upto 135 days	14.50	14.00
(घ) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत आनेवाले नकदी प्रोत्साहनों आदि पर (90 दिनों तक) (d) Against cash incentives, etc, covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	12.00	12.00
2. पोतलदानोत्तर ऋण 2. Post-shipment Credit		
(i) मांग बिल-पारवहन अवधि के लिए (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथानिर्दिष्ट) (i) Demand bills-for transit period (as specified by FEDAI)	12.00	12.00

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
(ii) मीयादी बिल-180 दिन तक जिसमें निर्यात बिलों की मीयाद, भारतीय विदेशी-मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से पारवहन अवधि और अनुग्रह अवधि (जहां लागू हो) शामिल है (ii) Usance bills-upto 180 days comprising usance period of the export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable	12.00	12.00
(iii) निर्यात ऋण और गारंटी निगम की निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी के अंतर्गत प्राप्य नकदी प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक) (iii) Cash incentives, duty draw-back, etc., receivable, covered by Export Production Finance Guarantee of ECGC (upto 90 days)	12.00	12.00
(iv) अनाहरित राशियां (90 दिनों तक) (iv) Undrawn balances (upto 90 days)	12.00	12.00
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय प्रतिधारण धन (केवल आपूर्ति के अंश के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक) (v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	12.00	12.00
3. आस्थगित ऋण 3. Deferred Credit		
एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण Deferred Credit for period beyond one year	8.65	8.65
4. शुल्क-वापसी ऋण योजना, 1976 4. Duty Draw-back Credit Scheme, 1976		
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिनों तक) Against duty draw-back as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	Free of interest ब्याज रहित	Free of interest ब्याज रहित
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण 5. Export credit not otherwise specified	Not exceeding 16.50 से अनधिक	Not exceeding 16.50 से अनधिक
IV. कृषि **Agriculture**		
b. प्रत्यक्ष वित्त - कृषकों को दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण A. Direct Finance - Short-term loans to farmers		
(क) 5,000 रु. तक (a) Upto Rs. 5,000	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 10,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 10,000	12.50	12.50

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
(ग) 10,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (c) Over Rs. 10,000 and upto Rs. 25,000	Not exceeding 14.00 से अनधिक	Not exceeding 14.00 से अनधिक
(घ) 25,000 रु. से अधिक (d) Over Rs. 25,000	Not exceeding 16.50 से अनधिक	Not exceeding 16.50 से अनधिक
आ. परोक्ष वित्त £ B Indirect Finance £ (given through PACS/FSS/LAMPS) (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से दिये जानेवाले)		
(क) 5,000 रु. तक (a) Upto Rs. 5,000	Not exceeding 9.00 से अनधिक	Not exceeding 9.00 से अनधिक
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 10,000 रु. से तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 10,000	Not exceeding 10.00 से अनधिक	Not exceeding 10.00 से अनधिक
(ग) 10,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (c) Over Rs. 10,000 and upto Rs. 25,000	Not exceeding 11.50 से अनधिक	Not exceeding 11.50 से अनधिक
(घ) 25,000 रु. से अधिक (d) Over Rs. 25,000	Not exceeding 14.00 से अनधिक	Not exceeding 14.00 से अनधिक

£ बैंकों द्वारा समितियों को दिये गये ऋणों पर लागू दरें। इसी प्रकार समितियों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं से ली जानेवाली दरें निम्नप्रकार हैं (पिछली दरें कोष्ठकों में दी गयी हैं):—
(क) 11.50 (11.50) से अनधिक, (ख) उसी क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा ली जानेवाली दरों के समान, परन्तु 12.50 (12.50) से अनधिक, (ग) उसी क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा ली जानेवाली दरों के समान, परन्तु 14.00 (14.00) से अनधिक, (घ) उसी क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा ली जानेवाली दरों के समान, परन्तु 16.50 (16.50) से अनधिक।
Applicable for loans from banks to societies. The rates to be charged by the societies to the ultimate borrower in the same order are (previous rates are shown in brackets) :
(a) Not exceeding 11.50 (11.50); (b) Same rate as charged by Co-operatives in the area but not exceeding 12.50 (12.50); (c) Same rate as charged by Co-operatives in the area but not exceeding 14.00 (14.00); (d) Same rate as charged by Co-operatives in the area but not exceeding 16.50 (16.50).

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
इ. बीजों के उत्पादन एवं वितरण दोनों में लगी इकाइयों को अग्रिम C. Advances to units engaged in both production and distribution of seeds	14.00	14.00
ई. उर्वरकों के वितरण के लिए अग्रिम D. Advances for distribution of fertilizers		
(क) 5,000 रु. तक (a) Upto Rs. 5,000	11.50	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	Not exceeding 14.00 से अनधिक	Not exceeding 14.00 से अनधिक
(ग) 25,000 रु. से अधिक (c) Over Rs. 25,000	Not exceeding 16.50 से अनधिक	Not exceeding 16.50 से अनधिक
V. लघु उद्योग Small-scale Industry		
1. 25,000 रु. तक के संमिश्र ऋण 1. Composite loans upto Rs. 25,000		
(क) पिछड़े क्षेत्र (a) Backward areas	10.00	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र (b) Other areas	12.00	12.00
2. निम्नलिखित सीमाओं के अल्पावधि अग्रिम : 2. Short-term advances, limits of :		
(क) 2 लाख रुपये सहित और 2 लाख रुपये तक (a) Upto and inclusive of Rs. 2 lakhs	Not exceeding 14.00 से अनधिक	Not exceeding 14.00 से अनधिक
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक (b) Over Rs. 2 lakhs and upto Rs. 25 lakhs	Not exceeding 16.50 से अनधिक	Not exceeding 16.50 से अनधिक
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक (c) Over Rs. 25 lakhs	Not exceeding 18.00 से अनधिक	Not exceeding 17.50 से अनधिक
3. कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) के सहायतार्थ राज्य-स्तरीय निगमों को अग्रिम 3. Advances to State-level corporations for assisting artisans, village and cottage industries (for the purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50	12.50

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
4. राज्य-प्रायोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास निगमों को (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) अग्रिम 4. Advances to State-sponsored scheduled castes/scheduled tribes' development corporations (for the purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50	12.50
VI. **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण** **Loans to IRDP beneficiaries**		
(क) कृषि क्षेत्र में (a) In the farm sector	—	10.00
(ख) गैर-कृषि क्षेत्र में (b) In the non-farm sector	—	10.00
उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में ब्याज की निर्धारित दर ली जायेगी, चाहे नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया हो या नहीं In both the above categories the prescribed rates will be charged irrespective of whether refinance is obtained from NABARD or not		
VII. **अन्य श्रेणियां** **Other Categories**		
1. विभेदक ब्याज दर अग्रिम 1. DRI advances	4.00	4.00
2. फुटकर व्यापार अग्रिम 2. Retail trade advances		
(क) 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक (a) Limits upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50	12.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक (b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	Not exceeding 15.00 से अनधिक	Not exceeding 15.00 से अनधिक
(ग) 25,000 रु. से अधिक (c) Over Rs. 25,000	Not exceeding 18.00 से अनधिक	Not exceeding 17.50 से अनधिक
3. शैक्षिक अग्रिम 3. Educational advances		
(क) भारत में उच्च अध्ययन के प्रयोजन के लिए निर्धन विद्यार्थी (a) Indigent students for purpose of higher education in India	Not less than Bank Rate बैंक दर से कम नहीं	Not less than Bank Rate बैंक दर से कम नहीं

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
(ख) अन्य शैक्षिक अग्रिम (b) Other educational advances	14.00-16.50	14.00-16.50
4. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र 4. Priority sector not otherwise specified	Not exceeding 16.50 से अनधिक	Not exceeding 16.50 से अनधिक
5. अन्य सभी अग्रिम 5. All other advances	Not exceeding 18.00 से अनधिक	Not exceeding 17.50 से अनधिक
VIII. मीयादी ऋण **Term Loans**		
1. लघु उद्योग की इकाइयाँ 1. Small-scale Industry Units in		
(i) पिछड़े क्षेत्रों में (i) Backward areas	12.50	12.50
(ii) अन्य क्षेत्रों में (ii) Other areas	13.50	13.50
2. अ. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) 2. A. Agriculture (Direct finance)		
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास (i) Minor irrigation and land development	10.00	10.00
(II) अन्य प्रयोजन (ii) Other purposes		
(क) लघु कृषक (a) Small farmers	10.00	10.00
(ख) अन्य कृषक (b) Other farmers	12.50	12.50
(iii) विविध प्रयोजन (नाबार्ड द्वारा यथा परिभाषित) (iii) Diversified purposes (as defined by NABARD)		
(क) लघु कृषकों को (a) To Small farmers	8.50	—
(ख) अन्य कृषकों को (b) To other farmers	11.00	—
(iv) उधारकर्ता/कृषक "लघु कृषक" है या नहीं इसको ध्यान में रखे बिना कृषि प्रयोजनों के लिए नये और नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों पर आधारित उपकरणों की खरीद के लिए मीयादी ऋणों के रूप में दिये गये अग्रिम (iv) Advances by way of term loans for purchase of equipment based on new and renewable sources of energy for agricultural purposes, irrespective of whether the borrower/farmer is "small farmer" or otherwise	—	10.00

परिशिष्ट I (जारी)
APPENDIX I (Contd.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
आ. **कृषि (परोक्ष वित्त) $** (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से दिये गये) B. Agriculture (Indirect finance) $ (given through PACS/LAMPS/FSS)		
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास (i) Minor irrigation and land development	8.50	8.50
(ii) विविध प्रयोजन (नाबार्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ii) Diversified purposes (as defined by NABARD)		
(क) लघु कृषकों को (a) To small farmers	8.50	8.50
(ख) अन्य कृषकों को (b) To other farmers	11.00	11.00
3. **गृह निर्माण** 3. Housing		
(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक (i) SCs/STs upto and inclusive of Rs. 5,000	4.00	4.00
(ii) अन्यों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक (ii) Others upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50	12.50
(iii) 5,000 रु. से अधिक और 50,000 रु. तक (iii) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 50,000	13.50	13.50
(iv) 50,000 रु. से अधिक (iv) Over Rs. 50,000	15.00	15.00
4. **सड़क परिवहन चालक** 4. Road Transport Operators		
(i) दो वाहनों तक (i) Upto two vehicles	12.50	12.50
(ii) तीन या अधिक वाहन (ii) Three or more vehicles	15.00	15.00
5. **अन्य सभी मीयादी ऋण** 5. All other term loans	15.00	15.00

बैंकों द्वारा समितियों को दिये गये ऋणों पर लागू दर । समितियों द्वारा अन्तिम उधारकर्ताओं से ली जानेवाली दरें वही हैं जो VIII 2अ-कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) के मामले में लागू हैं ।

Applicable for loans from banks to societies. The rates to be charged by societies to the ultimate borrower are the same as in the case of VIII. 2A-Agriculture (Direct Finance).

परिशिष्ट I (समाप्त)
APPENDIX I (Concld.)

अग्रिमों की श्रेणी Category of Advances	1 अप्रैल 1985 से पूर्व Prior to April 1, 1985	1 अप्रैल 1985 से लागू Effective April 1, 1985
IX अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋण) @ * Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (term loans) @ *	13.50	13.50
X. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋणों से भिन्न) Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (other than term loans) @ *	14.00	14.00
XI. शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वरोज़गार उपलब्ध कराने की योजना Scheme for providing self-employment to educated unemployed youth		
(क) पिछड़े ज़िले (a) Backward districts	—	10.00
(ख) अन्य ज़िले (b) Other districts	—	12.00
XII. विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत शामिल व्यक्तियों को छोड़कर विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता - प्रत्येक मामले में अधिकतम 2,500 रु. तक Financial assistance to physically handicapped persons other than those covered under the DRI Scheme for purchase of artificial limbs and aids subject to maximum of Rs. 2,500 in each case	—	Not exceeding 15.00 से अनधिक

@ "व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ वही लिया जायेगा जैसा कि दिनांक 7 फरवरी 1983 के परिपत्र आर. पी. सी. डी. सं. पीएस. बीसी. 21/सी-682-83 के अनुबंध I के पैरा 6 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को सूचित किया जा चुका है ।
The expression "professionals and self-employed persons" shall be understood on the lines clarified in paragraph 6 of Annexure I to the Reserve Bank of India's advice to commercial banks set out in RPCD No. PS. BC. 21/C.682-83 dated February 7, 1983.

* इस श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाली व्यक्तियों को दिये जानेवाले अग्रिम यदि श्रेणी I से VII में निर्दिष्ट अग्रिमों की किसी अन्य श्रेणी में भी आते हों, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की जो भी दर न्यून होगी, वही दर लागू होगी ।
In the event of the advances to persons coming in this category also falling within any other category of advances specified in categories I to VII, then, whichever rate of interest is lower, shall be the applicable rate of interest.

परिशिष्ट II

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें

APPENDIX II

RATES FOR TELEGRAPHIC TRANSFERS, BANK DRAFTS AND MAIL TRANSFERS UNDER THE RESERVE BANK'S REMITTANCE FACILITIES SCHEME

I. सामान्य जनता के लिए
For General Public

सामान्य जनता के सदस्य और अन्य पार्टियां, बैंक कार्यालयों, एजेन्सियों और ट्रेजरी एजेन्सियों के माध्यम से ड्राफ्टों तथा तार अंतरणों द्वारा तथा एजेन्सियों पर रखे गये खातों के बीच डाक अंतरणों द्वारा भी नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकते हैं :

Members of the general public and other parties may remit funds by drafts and telegraphic transfers through offices of the Bank, agencies and treasury agencies and also by mail transfers between accounts maintained at agencies as indicated below :

5,000 रु. तक = 12 पै. % ड्राफ्ट तथा डाक अंतरण के लिए न्यूनतम 25 पै. और तार अंतरण के लिए 1 रु. (इसमें तार प्रभार शामिल नहीं हैं)

Upto Rs. 5,000 = 12 P %; Minimum 25 P for drafts and mail transfers and Re. 1 for telegraphic transfers (excluding telegram charges)

5,000 रु. से अधिक = 6 पै. %; न्यूनतम 6 रु. ।

Over Rs. 5,000 = 6 P %; Minimum Rs. 6.

II. बैंकिंग संस्थाओं के लिए
For Banking Institutions

बैंकिंग संस्थाएं रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और एजेन्सियों के माध्यम से तार अंतरणों, डाक अंतरणों या ड्राफ्टों द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकती हैं :

Banking institutions may remit funds by telegraphic transfers, mail transfers or drafts through offices of the Bank and agencies as detailed below:

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(अ) अनुसूचित बैंक **(A) SCHEDULED BANKS**				
1. रिज़र्व बैंक कार्यालयों में रखे खातों के बीच Between accounts at RBI offices	सममूल्य पर At par	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में In multiples of Rs. 10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	कोई सीमा नहीं No limit	
2. (क) किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उप-कार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किंतु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी ।
(a)— From an agency office to an account maintained with RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Four times a week	Remittances are permitted to each of the scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II (Contd.)

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(ख) रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	-वही-	एक सप्ताह में पंद्रह बार	
(b) From an account with RBI to an agency office	At par	-do	Fifteen times a week	
3. किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक में रखे उसके खाते में किये गये अन्य प्रेषण	प्रीमियम पर- 2 पैसे % न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
Other remittances to its account with RBI from an agency office	At premium 2 P %; minimum Re. 1	No limit	No limit	
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण : Other remittances favouring-				
(क) स्वयं या किसी वाणिज्य या सहकारी बैंक या किसी सहकारी समिति	5.000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 1* रु. 5.000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
(a) Themselves or a commercial or co-operative bank or a co-operative society	Upto Rs. 5.000 3 P % minimum Re. 1* Over Rs. 5.000 2 P % minimum Rs. 1.50	do	do	
(ख) अन्य पार्टियां	5.000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 1 रु.* 5.000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	
(b) Other parties	Upto Rs. 5.000 6 P %; minimum Re. 1* Over Rs. 5.000 3 P%; minimum Rs. 3	-do	do	—

(आ) गैर-अनुसूचित बैंक
(B) NON-SCHEDULED BANKS

1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	20.000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5.000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	
Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 5.000, subject to a minimum of Rs. 20.000	No limit	—

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II (Contd.)

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय में रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों, या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किन्तु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।
(i) From an agency office to an account maintained with the RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000	Four times a week	Remittances are permitted to each of the non-scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	
(ii) From an account with the RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000.	Fifteen times a week	
3. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण : Other remittances favouring :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 1 रु* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.	—	—
(a) themselves	At premium	Upto Rs. 5,000-3 P%: minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-2 P%: minimum Rs. 1.50	—	—
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु.	—	—
(b) third parties	At premium	Upto Rs. 5,000-6 P%: minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-3 P%: minimum Rs. 3	—	—
ग. राज्य सहकारी बैंक **(C) STATE CO-OPERATIVE BANKS**				
1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	किन्हीं दो राज्य सहकारी बैंकों के खातों के बीच भी प्रेषणों की अनुमति है।
Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	No limit	Remittances are also allowed between accounts of any two state co-operative banks

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II (Contd.)

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय से From an agency office :				
(क) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते में (ख) किसी एजेंसी कार्यालय के पास रखे राज्य सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को उन राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है जिनके साथ वे इन सुविधाओं के प्रयोजन के लिए संबद्ध किये गये हैं ।
(a) to an account maintained with RBI (b) to the head office account of the state co-op. bank maintained with an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Four times a week	Central and industrial co-operative banks are treated as branches of state co-operative banks to which they are affiliated for the purposes of these facilities
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	राज्य सहकारी बैंक देश के केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं को एक सप्ताह में कुल मिलाकर केवल 15 प्रेषण कर सकता है, न कि अपनी प्रत्येक शाखा को 15
From an account with RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Fifteen times a week	A state co-operative bank can make only 15 remittances in all in a week to any of its branches at upcountry centres and not 15 remittances to each of its branches

परिशिष्ट II (जारी)
APPENDIX II (Contd.)

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
3. किसी एजेंसी कार्यालय से उसके द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में किये जाने वाले अन्य प्रेषण	प्रीमियम पर	2 पैसे % न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	
Other remittances to an account which it maintains with the RBI from an agency office	At premium	2 P%; minimum Re.	No limit	
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये जानेवाले अन्य सभी प्रेषण : Other remittances favouring :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर	5,000 रु. तक 3 पैसे % न्यूनतम 0.25	कोई सीमा नहीं	(i) किसी राज्य सहकारी बैंक के साथ संबद्ध मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के रूप में माना गया है ।
(a) themselves	At premium	Upto Rs. 5,000-3 P%; minimum Re. 0.25	No limit	(i) Central and industrial co-op. banks affiliated to a state co-op. bank are treated as branches of the latter
		5,000 रु. से अधिक 2 पैसे % न्यूनतम 1.50 रु.		(ii) किसी राज्य सहकारी बैंक या समिति को उसके पक्ष में राज्य सहकारी बैंक की सूचना पर किसी भी केन्द्र में प्रेषण जारी किये जायेंगे, चाहे उस केन्द्र में उसका कार्यालय हो या न हो ।
		Over Rs. 5,000-2 P%; minimum Rs. 1.50		(ii) Remittances will be issued to a state co-op. bank or society in its own favour on any centre at the instance of the state co-op. bank irrespective of whether it has an office at that centre or not

परिशिष्ट II (समाप्त)
APPENDIX II (Concld.)

	समसूल्य पर या प्रीमियम पर Whether at par or at premium	राशियों के संबंध में सीमा Limits on amounts	प्रेषणों की आवृत्ति Frequency of remittances	टिप्पणी Remarks
(ख) तीसरी पार्टियां (b) Third parties	प्रीमियम पर At premium	5,000 रु. तक 6 पैसे % न्यूनतम 0.25 रु. Upto Rs. 5,000-6 P%; minimum Re. 0.25 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे % न्यूनतम 3 रु. Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	कोई सीमा नहीं No limit	

* : छोटी राशियों के लिए ड्राफ्ट 12 पै. %; न्यूनतम 0.25 रु.
Drafts for small amounts at 12 P.%; minimum Re. 0.25

टिप्पणी : (i) "सप्ताह" से आशय है शनिवार से प्रारंभ होनेवाली और आगामी शुक्रवार को समाप्त होनेवाली अवधि ।
Note : 'Week' means the period commencing from a Saturday and ending with the succeeding Friday

(ii) जिन मामलों में प्रेषण तार अंतरण द्वारा भेजे जाते हैं उन मामलों में विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त तार प्रभार भी देय हैं ।
Where remittances are sent by telegraphic transfer, telegram charges are payable in addition to the exchange charges.

(iii) अन्य प्रेषण ट्रेजरी एजेंसियों को अथवा उनसे भी भेजे जा सकते हैं ।
'Other Remittances' can also be made to or from treasury agencies.

(iv) वे राज्य सहकारी बैंक जो अनुसूचित बैंक हैं, केवल योजना 'इ' के अंतर्गत प्रेषण सुविधाओं का लाभ स्वयं उठा सकते हैं, न कि योजना 'अ' के अंतर्गत ।
State co-operative banks, which are scheduled banks, will be able to avail themselves of remittance facilities only under Scheme C and not under Scheme A.

(v) वे सहकारी बैंक/समितियां भी उपर्युक्त मद (4) के अनुसार प्रेषण सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं जो किसी राज्य सहकारी बैंकों से संबंध नहीं हैं ।
Co-operative banks/societies which are not affiliated to any state co-operative bank are also entitled to remittance facilities as in item (4) above.

स्रोत : सरकारी और बैंक लेखा विभाग रिज़र्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना, 1975 की पुस्तिका ।
Source : Department of Government and Bank Accounts, RBI and Booklet on Reserve Bank of India Remittance Facilities Scheme, 1975.

अध्याय 3

सहकारी बैंकिंग

विहंगावलोकन

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के मामलों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)* की भूमिका पर पिछली रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी। इस अध्याय में 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान नाबार्ड के कार्यकलापों के साथ-साथ सहकारी बैंकिंग-क्षेत्र की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है।

3.2 1983-84 (जुलाई-जून) जिसके लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों को मिलाकर) की कुल जमाराशियों में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 में यह वृद्धि 20.1 प्रतिशत थी। बैंक-समूह-वार देखा जाए तो राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियों की वृद्धि-दर में 1982-83 की तुलना में सुधार आया, जबकि प्राथमिक सहकारी बैंकों की वृद्धि-दर में काफी गिरावट आयी।

3.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, जिनका सहकारी बैंकिंग-क्षेत्र की कुल जमाराशियों में महत्त्वपूर्ण भाग होता है, के अंश में थोड़ी-सी गिरावट आयी और यह जून 1983 के अंत के 28.6 प्रतिशत से गिरकर जून 1984 के अंत में 28.2 प्रतिशत रह गया। जून 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशियों में राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अंश क्रमश: 27.1 प्रतिशत, 39.9 प्रतिशत तथा 4.9 प्रतिशत रहे।

* नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में ग्रामीण क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में की गयी थी, इसने भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि-ऋण विभाग और पहले के कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के कार्यों को सम्भाला था।

CHAPTER 3

CO-OPERATIVE BANKING

Overview

The role of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)* in the sphere of credit for agriculture and other economic activities in rural areas was discussed in the previous Report. The performance of NABARD during 1984-85 (July-June) is analysed in this Chapter along with developments in the field of co-operative banking.

3.2 During 1983-84 (July-June), the latest year for which data are available, the total deposits in the co-operative banking sector (SCBs, CCBs, PACS and PCBs taken together) increased by 18.7 per cent, as compared with 20.1 per cent in 1982-83. Bank-group-wise, while the growth rate in deposits for SCBs, CCBs and PACS improved as compared to that in 1982-83, it declined sizeably in the case of PCBs.

3.3 The Primary (Urban) Co-operative Banks (PCBs), which account for a substantial portion of the aggregate deposits of the co-operative banking sector, had a marginal fall in their share in total deposits from 28.6 per cent at the end of June 1983 to 28.2 per cent at end-June 1984. The shares of SCBs, CCBs, and PACS in aggregate outstanding deposits were 27.1 per cent, 39.9 per cent and 4.9 per cent, respectively, at the end of June 1984.

* NABARD was set up in July 1982 as an apex institution for financing the rural sector; it took over the functions of the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India and the erstwhile Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC).

3.4 वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के लिए बकाया ऋणों के अतिदेय राशियों का प्रतिशत 6.3 से घट कर 6.1 हो गया। अलबत्ता मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋणों के अतिदेय राशियों का प्रतिशत जो काफी अधिक था और बढ़ गया।

3.4 Over the year, the percentage of overdues to loans outstanding decreased from 6.3 per cent to 6.1 per cent for the SCBs. In the case of CCBs and PACS, however, the percentage of overdues to loans outstanding which was quite high increased further.

सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति

3.5 वर्ष 1981-82 से 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा की गयी प्रगति सारणी 3.1 में दर्शायी गयी है। 28 राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियां जून 1983 के अंत के 2,117 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर जून 1984 के अंत में 2,556 करोड़ रुपये हो गयीं। इनमें 1982-83 के दौरान हुई 223 करोड़ रुपये अथवा 11.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 439 करोड़ रुपये अथवा 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1983-84 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये 4,444 करोड़ रुपये के कुल ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 254 करोड़ रुपये बढ़े, लेकिन इस वर्ष 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर 1982-83 की 10.1 प्रतिशत और 1981-82 की 32.5 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के अतिदेयों का प्रतिशत 6.3 प्रतिशत से मामूली-सा गिरकर 6.1 प्रतिशत हो गया।

Progress of Credit Co-operatives

3.5 Progress made by co-operative credit institutions during the years 1981-82 to 1983-84 (July-June) is indicated in Table 3.1. Deposits with 28 State Co-operative Banks (SCBs) rose sharply from Rs. 2,117 crores as at the end of June 1983 to Rs. 2,556 crores as at the end of June 1984, registering an increase of Rs. 439 crores or 20.7 per cent as compared to the rise of Rs. 223 crores or 11.8 per cent during 1982-83. Total amount of loans issued by the SCBs during 1983-84 at Rs. 4,444 crores was higher by Rs. 254 crores over the preceding year, but the rate of growth of 6.1 per cent was much lower than that of 10.1 per cent in 1982-83 and 32.5 per cent in 1981-82. The percentage of overdues to loans outstanding declined marginally from 6.3 per cent to 6.1 per cent over the year.

3.6 वर्ष (जुलाई 1983 - जून 1984) के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 9 बढ़कर 349 हो गयी। इसी अवधि के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियां 582 करोड़ रुपये अथवा 18.3 प्रतिशत बढ़कर 3,766 करोड़ रुपये हो गयीं, जबकि पिछले वर्ष इनमें 416 करोड़ रुपये अथवा 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये कुल 5,110 करोड़ रुपये के ऋण 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि 1982-83 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि रही। वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के अतिदेयों का प्रतिशत 30.9 से बढ़कर 33.3 हो गया।

3.6 Over the year (July 1983-June 1984), the number of Central Co-operative Banks (CCBs) rose by 9 to 349. During the same period, deposits with CCBs increased by Rs. 582 crores or 18.3 per cent to Rs. 3,766 crores as compared to a rise of Rs. 416 crores or 15.0 per cent in the preceding year. The total amount of loans issued by CCBs at Rs. 5,110 crores showed a rise of 13.4 per cent, as compared to 11.1 per cent in 1982-83. The percentage of overdues to loans outstanding increased over the year from 30.9 per cent to 33.3 per cent.

सारणी 3.1 : भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियां (जारी)
TABLE 3.1 : PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA (Contd.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

संस्था का प्रकार Type of Institution	मद Item	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून) Co-operative year (July-June)		
		1981-82	1982-83£	1983-84£
(क) राज्य सहकारी बैंक (a) State Co-operative Banks	संख्या Number	27	28	28
	स्वाधिकृत निधियां Owned Funds	398	473	544
	जमाराशियां Deposits	1,894	2,117	2,556
	रिज़र्व बैंक/नाबार्ड से लिये गये ऋण Borrowings from RBI/NABARD	742	955	1,184
	उसमें से : Of which :			
	अल्पावधि कृषि प्रयोजन Short-term agricultural purposes	528	573	584
	कार्यकारी पूंजी Working Capital	3,356	3,895	4,494
	जारी किये गये ऋण Loans issued	3,804	4,190	4,444
	बकाया ऋण Loans outstanding	2,512	2,906	2,916
	अतिदेय ऋण Loans overdue	165	183	178
(ख) मध्यवर्ती सहकारी बैंक (b) Central Co-operative Banks	संख्या Number	338	340	349
	स्वाधिकृत निधियां Owned Funds	733	825	900
	जमाराशियां Deposits	2,768	3,184	3,766
	रिज़र्व बैंक/नाबार्ड/अग्रणी बैंकों से लिए गये ऋण Borrowings from RBI/NABARD/Apex Banks	1,412	1,735	2,053
	कार्यकारी पूंजी Working capital	5,327	6,241	7,155
	जारी किये गये ऋण Loans issued	4,059	4,508	5,110
	बकाया ऋण Loans outstanding	3,683	4,305	4,707
	अतिदेय ऋण Loans overdue	1,094	1,330	1,567
(ग) राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक (c) State/Central Land Development Banks	संख्या Number	19	19	19
	स्वाधिकृत निधियां Owned Funds	327	352	378
	बकाया डिबेंचर Debentures outstanding	2,135	2,325	उ.न. N.A.
	कार्यकारी पूंजी Working capital	2,637	2,845	3,145

सारणी 3.1 : भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियां (समाप्त)
TABLE 3.1 : PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA (Concld.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

संस्था का प्रकार Type of Institution	मद Item	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून) Co-operative year (July June) 1981-82	1982 83£	1983 84£
	जारी किये गये ऋण Loans issued	369	426+	439
	बकाया ऋण Loans outstanding	1,855	2,047+	2,236
	अतिदेय ऋण@ Loans overdue @	236	285	283
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (d) Primary Agricultural Credit Societies	संख्या (हज़ारों में) Number (000's)	94	94	92
	सदस्यता (हज़ारों में) Membership (000's)	60,999	63,312	66,669
	स्वाधिकृत निधियां Owned Funds	824	880	957
	जमाराशियां Deposits	314	381	464
	उधार Borrowings	2,742	2,858	3,164
	जारी किये गये कुल ऋण Total loans issued	2,110	2,291	2,158
	कुल बकाया ऋण Total loans outstanding	2,966	3,108	2,554
	कुल अतिदेय ऋण Total loans overdue	1,205	1,309	1,238
(ङ) प्राथमिक सहकारी बैंक * (e) Primary Co-operative Banks*	संख्या Number	1,258	1,281	1,310
	स्वाधिकृत निधियां Owned funds	282	395	429
	जमाराशियां Deposits	1,650	2,278	2,659
	उधार Borrowings	146	315	185
	बकाया ऋण Loans outstanding	1,425	1,802	2,103

@ : ब्याज अतिदेय शामिल है ।
Includes interest overdue

* : वेतनभोगी समितियां शामिल हैं ।
Include Salary Earners' Societies

£ : अनंतिम आंकड़े
Provisional

\+ : दीर्घावधि ऋण
Long term Loans

स्रोत : नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक
Source : NABARD and RBI

3.7 पिछले वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत और अर्थ-सक्षम इकाइयों के रूप में पुनर्गठित करने की नीति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रही। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या जून 1983 के अंत की 94,089 से कम होकर जून 1984 के अंत में 92,496 रह गयी। अलबत्ता, उनकी सदस्य संख्या 34 लाख बढ़कर 667 लाख हो गयी। हालांकि प्रा. कृ. ऋ. समितियों की जमाराशियां जून 1983 के अंत के 381 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत में 464 करोड़ रुपये हो गयीं, इस वर्ष उनकी 21.8 प्रतिशत की वृद्धि-दर पिछले वर्ष की 21.3 प्रतिशत की वृद्धि-दर के मुकाबले कुछ ऊँची थी। वर्ष के दौरान प्रा. कृ. ऋ. समितियों द्वारा कुल 2,158 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। उनमें 1982-83 की 181 करोड़ रुपये अथवा 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कुछ कमी आयी अर्थात् यह 133 करोड़ रुपये अथवा 5.8 प्रतिशत रह गयी। प्रा. कृ. ऋ. समितियों के वसूली कार्य असंतोषजनक बने रहे। प्रा. कृ. ऋ. समितियों की बकाया राशियाँ जून 1983 के अंत की 1,309 करोड़ रुपये से घटकर जून 1984 के अंत में 1,238 करोड़ रुपये हो गयी थीं। ये पिछले वर्ष के बकाया कुल ऋणों के 42.1 प्रतिशत की तुलना में 48.5 प्रतिशत हो गयी।

3.7 The policy of reorganisation of PACS into strong and viable units followed over the years continued during the year under review. As a result, the number of PACS declined from 94,089 as at the end of June 1983 to 92,496 by the end of June 1984. Their membership, however, rose by 34 lakhs to 667 lakhs. The deposits of PACS increased from Rs. 381 crores as at end-June 1983 to Rs. 464 crores by end-June 1984; the rate of growth was slightly higher at 21.8 per cent as compared with that of 21.3 per cent in the previous year. During the year, loans aggregating Rs. 2,158 crores were disbursed by PACS, showing a decline of Rs. 133 crores or 5.8 per cent as against the rise of Rs. 181 crores or 8.6 per cent during 1982-83. The recovery performance of PACS continued to be unsatisfactory. The overdues of PACS which came down from Rs. 1,309 crores at the end of June 1983 to Rs. 1,238 crores at the end of June 1984 however formed 48.5 per cent of the total loans outstanding as against 42.1 per cent in the preceding year.

3.8 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संख्या जून 1983 के अंत की 1,281 से बढ़कर जून 1984 के अंत में 1,310 हो गयी। इन बैंकों की जमाराशियों में 1983-84 में 381 करोड़ रुपये अथवा 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान इनमें 628 करोड़ रुपये अथवा 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की कुल राशि जून 1984 के अंत में 2,103 करोड़ रुपये थी जो 1983-84 में 301 करोड़ रुपये अथवा 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की वृद्धि 377 करोड़ रुपये अथवा 26.5 प्रतिशत की थी।

3.8 The number of Primary Co-operative Banks (PCBs) increased from 1,281 at the end of June 1983 to 1,310 by the end of June 1984. The deposits with PCBs increased by Rs. 381 crores or 16.7 per cent during 1983-84, as compared with a much larger increase of Rs. 628 crores or 38.1 per cent during the previous year. The total amount of outstanding credit of the PCBs as at the end of June 1984 at Rs. 2,103 crores showed a rise of Rs. 301 crores or 16.7 per cent in 1983-84 as against an increase of Rs. 377 crores or 26.5 per cent in the preceding year.

कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण

CO-OPERATIVE LOANS FOR AGRICULTURAL PURPOSES

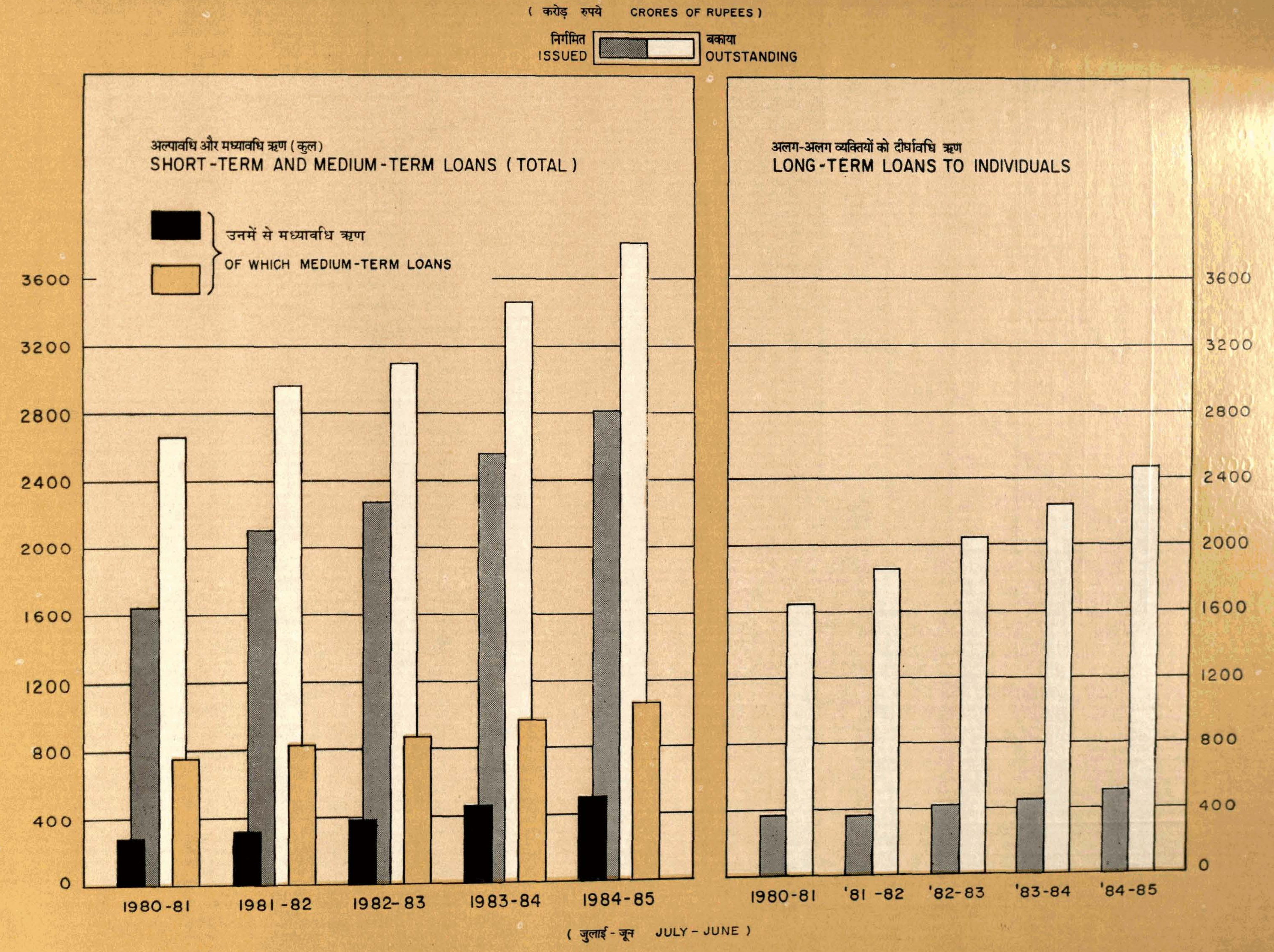

कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण

(करोड़ रुपये)

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण

7 NABARD CREDIT FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(CRORES OF RUPEES)

LOANS TO STATE GOVERNMENTS FOR CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL OF CO-OPERATIVE CREDIT INSTITUTIONS

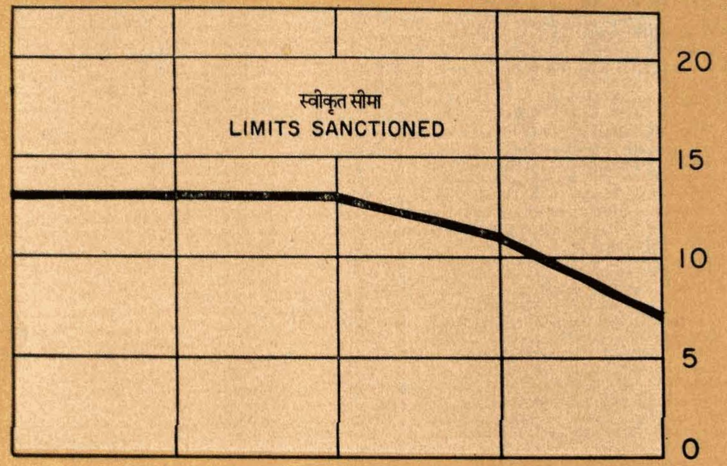

(अप्रैल – मार्च APRIL-MARCH)

मौसमी कृषि कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण

SHORT-TERM LOANS PROVIDED TO STATE CO-OPERATIVE BANKS FOR SEASONAL AGRICULTURAL OPERATIONS

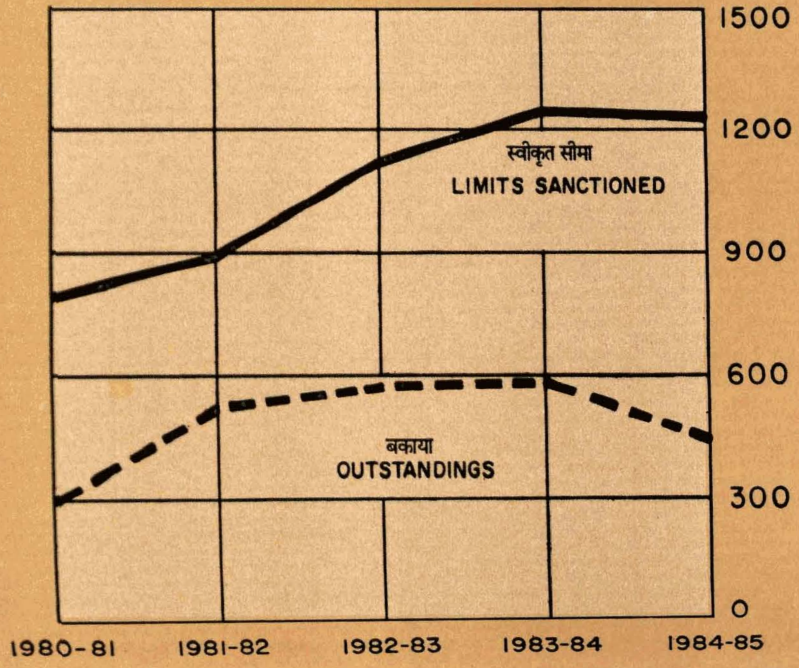

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

नाबार्ड के कार्य (योजना वित्त)

(करोड़ रुपये)

8 OPERATIONS OF NABARD (SCHEME FINANCE)

(CRORES OF RUPEES)

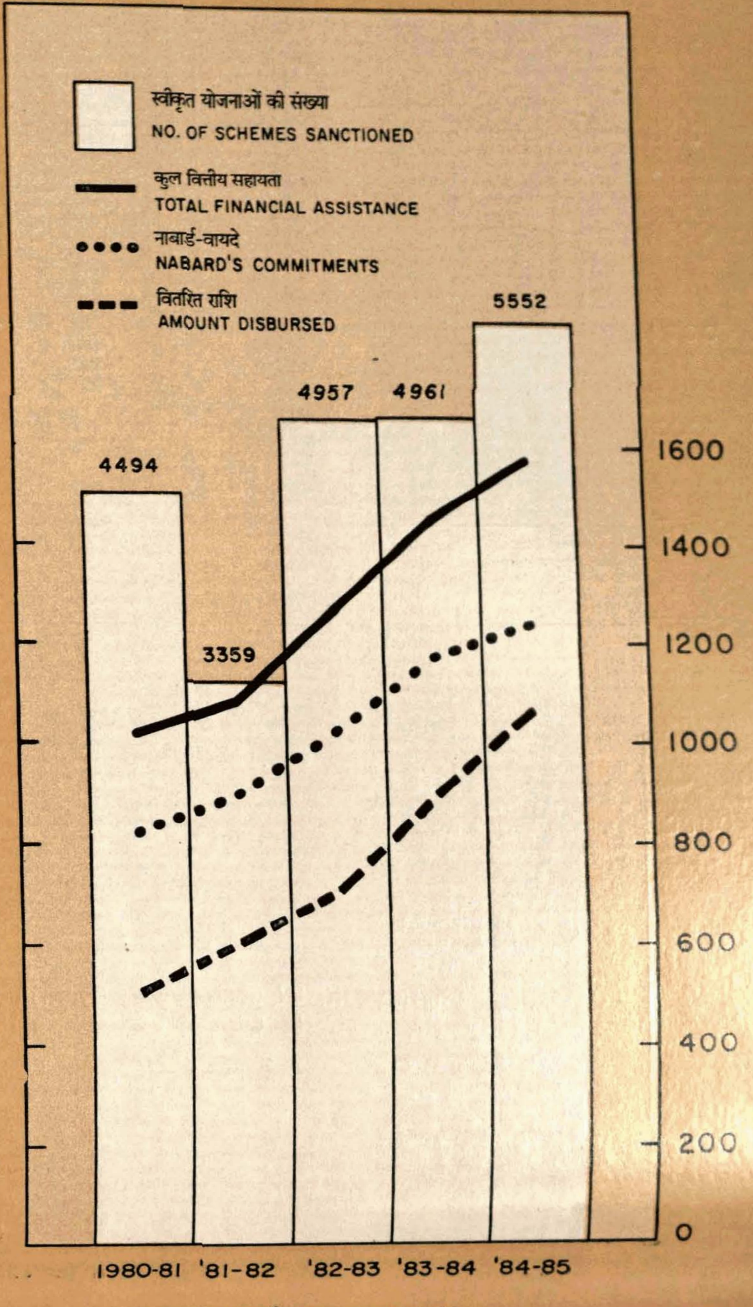

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

ऋण नीति

जमाराशियों पर ब्याज की दर

3.9 8 अप्रैल 1985 से प्रभावी, 15 दिन से लेकर एक वर्ष से कम की अवधि की अल्पावधि जमाराशियों के लिए ब्याज दरें तय करने का कार्य वाणिज्य बैंकों की ही तरह राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इसे अधिकतम 8 प्रतिशत तक रखा जाना था। अलबत्ता, लगायी जानेवाली दरें सभी शाखाओं में और सभी जमाकर्ताओं के लिए एकसमान रखी जानी थीं। इसी तरह, एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम की अवधि के लिए ब्याज दर को 8.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह छूट दी गयी है कि वे अपने विवेक पर, देशी जमाराशियों के लिए निर्दिष्ट दरों के ऊपर क्रमशः ¼, ½ तथा 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अदा कर सकते हैं। एक वर्ष तथा उससे अधिक अवधि के विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते तथा अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते पहले ही की तरह, समान मीयाद वाली स्थानीय जमाराशियों पर लागू दरों से दो प्रतिशत अधिक की ब्याज दर के लिए पात्र थे। अलबत्ता इन खातों पर राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को अपने विवेक पर क्रमशः ¼, ½ तथा 1 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर देने की वह छूट प्राप्त नहीं है, जो उन्हें देशी जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों के लिए प्राप्त है। इन परिवर्तनों की घोषणा के बाद हुई गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने 27 मई 1985 से शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए 8 अप्रैल 1985 से पहले लागू ब्याज दरों को बरकरार रखा है तथा 91 दिन से अधिक तथा 6 माह से कम की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत और 6 माह से अधिक और एक वर्ष से कम की मीयाद के लिए 8 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की है।

Credit Policy

Deposit Rates

3.9 As in the case of commercial banks, it was left to the discretion of State/Central Co-operative Banks, Regional Rural Banks and Primary Co-operative Banks to fix, with effect from April 8, 1985, the interest rates on short-term deposits ranging between 15 days and less than one year subject to a maximum of 8 per cent. However, the rates offered were to be uniform at all branches and for all depositors. Simultaneously, the interest rate on deposits of one year to less than two years was increased from 8 per cent to 8.5 per cent. SCBs, CCBs and PCBs were allowed, at their discretion, to pay additional interest rate upto ¼, ½ and 1 per cent per annum, respectively over and above the rates specified for domestic deposits. The Foreign Currency (Non-Resident) accounts and the Non-Resident (External) Rupee accounts of one year and above were to be, as before, entitled to an additional interest of two per cent over the rates permissible on local deposits of comparable maturities. The SCBs, CCBs and PCBs were, however, not allowed to pay at their discretion, additional interest of ¼, ½ and 1 per cent, respectively on these deposits which they are allowed to pay on domestic savings and term deposits. On a review of the developments that took place since the announcement of the aforesaid changes, RBI has restored, with effect from May 27, 1985, the interest rates for deposits of urban co-operative banks, state co-operative banks and district central co-operative banks to the levels prevailing prior to April 8, 1985 and has fixed the interest rates for maturities of 91 days to less than 6 months at 6.5 per cent and that for 6 months to less than one year at 8 per cent.

ऋण पर ब्याज की दरें

3.10 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर का ढांचा समीक्षाधीन वर्ष के अधिकतर भाग में अपरिवर्तित बना रहा। अलबत्ता, 31 मार्च 1985 के बाद, नीचे दिये गये कुछेक परिवर्तन किये गये थे। उधारकर्ताओं के बहुत बड़े वर्ग को राहत दिलाने की दृष्टि से राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वसूल की जानेवाली ब्याज की अधिकतम दर को पहली अप्रैल 1985 से 18 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया। प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा (i) निर्दिष्ट हलके और भारी इंजीनियरी माल तथा निर्माण कार्यों के लिए 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक तथा (ii) अन्य माल और परामर्शी सेवाओं के लिए 90 दिन से अधिक तथा 135 दिन तक के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण पर वसूल किये जानेवाले ब्याज की दर को भी 14.5 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। जहां तक तीसरी पार्टी की जमाराशियों पर दिये गये ऋणों पर ब्याज-दरों का प्रश्न है, प्राथमिक सहकारी बैंकों को उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए ऋण लिया गया हो। इससे पहले, वसूल की जानेवाली ब्याज-दर जमाराशियों के लिए लागू दर से कम-से-कम 2.5 प्रतिशत अधिक होती थी।

अग्रिमों के लिए अधिकतम सीमा

3.11 अग्रिमों के लिए अधिकतम सीमा पर अक्तूबर 1984 में व्यापक समीक्षा की गयी थी और तदनुसार विभिन्न प्रयोजनों जैसे व्यापार, वाणिज्य, कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए जमानती और गैर-जमानती अग्रिमों के लिए अधिकतम सीमायें बढ़ा दी गयी थीं। 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक की माँग और मीयादी देयताओं वाले बैंकों के संबंध में अधिकतम व्यक्तिगत ऋण-सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था। अलबत्ता उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं से अधिक के लिये ऋण सीमायें मंजूर करने के लिये रिज़र्व बैंक का पूर्व-ऋण प्राधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यापार, वाणिज्य, कुटीर/लघु उद्योगों तथा निर्दिष्ट उत्पादक प्रयोजनों जैसे

Lending Rates

3.10 The structure of interest rates or loans and advances remained unchanged for the greater part of the year under review. However, certain changes were made after March 31, 1985 which are discussed below. The maximum rate of interest charged by SCBs, CCBs RRBs and PCBs was brought down from 18 per cent to 17.5 per cent with effect from April 1, 1985 in order to provide relief to a wide spectrum of borrowers. The rate of interest to be charged by PCBs on pre-shipment credit for (i) specified medium and heavy engineering goods and construction contracts beyond 180 days and upto 270 days and (ii) for other goods and consultancy services beyond 90 days and upto 135 days was also lowered from 14.5 per cent to 14 per cent. As regards interest rates on loans against third party deposits, the PCBs were advised to determine the rate of interest taking into account the purpose for which the loan is granted. Earlier, interest was charged at a rate of at least 2.5 per cent over and above the rate applicable to deposits.

Maximum Limit on Advances

3.11 A comprehensive review of maximum limit on advances was made in October 1984 and accordingly ceiling limits on secured and unsecured advances for different purposes such as trade, commerce, cottage and small-scale industries were raised. The maximum individual loan limit was raised from Rs. 20 lakhs to Rs. 30 lakhs in the case of banks with demand and time liabilities (DTL) of Rs. 10 crores or more. However, prior credit authorisation of the Reserve Bank should be obtained for sanctioning credit limits in excess of the above ceiling limits. The limit of unsecured loans for

सारणी 3.2 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (जारी)
TABLE 3.2 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE (Contd.)

(अल्पावधि कृषि ऋण)
(Short-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies	निम्नलिखित तारीख से लागू Effective from
	1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	9.50/12.00	@	11.50/14.00	12-11-83
आंध्र प्रदेश Andhra pradesh	7.50	9.00/9.50/10.50	11.50/12.50/14.00	16-11-83
असम Assam	10.00/12.00	@	11.50/14.00	12-11-83
बिहार Bihar	7.75	9.75	11.50/14.00	1-4-83
गुजरात Gujarat	7.50	8.00/11.00	11.50/12.50/14.00	16-11-83
हरियाणा Haryana	7.25	9.00	11.50	1-9-83
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	7.60	10.00	12.50	1-4-83
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	7.50	9.35/10.35/11.85	11.50/12.50/14.00	16-11-83
कर्नाटक Karnataka	7.50/8.15	9.00/10.00/11.00	11.50/12.50/14.00	16-11-83
केरल Kerala	7.50/7.75	9.00/9.50	11.50/12.50	1-9-83
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	7.50/8.00	9.00/11.00	11.50/14.00	1-4-83
महाराष्ट्र Maharashtra	7.25	9.00	11.50/14.00	1-4-83
मणिपुर Manipur	10.00/11.00	@	11.50/12.50	12-11-83
मेघालय Meghalaya	10.00/12.50	@	11.50/14.00	1-4-83
नागालैंड Nagaland	10.00/11.00/12.50	@	11.50/12.50/14.00	12-11-83

सारणी 3.2 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (समाप्त)
TABLE 3.2 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE (Concld.)

(अल्पावधि कृषि ऋण)
(Short-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies	निम्नलिखित तारीख से लागू Effective from
उड़ीसा Orissa	7.50	10.00	12.50	12-7-81
पंजाब Punjab	7.30	9.00	11.50	1-4-83
राजस्थान Rajasthan	7.75	9.00/10.50	11.50/14.00	1-4-83
तमिलनाडु Tamil Nadu	7.66	9.00/10.00	11.50/12.50	1-4-83
त्रिपुरा Tripura	9.75	@	12.50	..
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	7.25	8.75/9.75	11.50/12.50/14.00	16-11-83
पश्चिम बंगाल West Bengal	7.75	9.75/10.00	11.00/11.50/12.50	1-12-83
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	9.50/10.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00	16-11-83
चंडीगढ़ Chandigarh	10.50/12.50	@	11.50/14.00	1-4-83
दिल्ली Delhi	9.50/12.00	@	11.50/12.50/14.00	16-11-83
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	9.00	@	11.00	Prior to 1-4-83 से पहले
पांडिचेरी Pondicherry	9.25/9.50/9.75	@	11.25/12.00/12.50	16-11-83

@ : इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है ।
There are no CCBs in these areas.

.. : अनुपलब्ध
Not available.

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज दरें दर्शायी गयी हैं, वे भिन्न-भिन्न आकार के ऋणों के लिये हैं ।
Note : Where more than one interest rates are indicated they are on the basis of the size of the loans.

स्रोत : नाबार्ड
Source : NABARD

सारणी 3.3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (जारी)
TABLE 3.3 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE (Contd.)

(मध्यावधि कृषि ऋण)
(Medium-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies	निम्नलिखित तारीख से लागू Effective from
	1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	8.25/10.50	@	10.25/12.50	12 11 83
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	7.50	9.00/9.50	10.25/12.50	16 11 83
असम Assam	9.00/10.50	@	10.25/12.50	12 11 83
बिहार Bihar	7.50/8.50	8.50/9.00/9.50	10.25/12.50	1 4 83
गुजरात Gujarat	7.00	8.00	10.00	Prior to 1 4 83 से पहले
हरियाणा Haryana	7.25/7.50	8.25/9.50	10.25/12.50	1 4 85
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	..	10.50	13.00	1 4 83
जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir	7.70	10.00	12.50	16 11 83
कर्नाटक Karnataka	7.50/7.75	8.75/10.00	10.25/12.50	16 11 83
केरल Kerala	7.50/7.75	8.25/9.50	10.25/12.50	1-9-83
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	7.50	8.25/9.50	10.25/12.50	1-4-83
महाराष्ट्र Maharashtra	7.25	9.00	12.00	..
मणिपुर Manipur	8.50/10.50	@	10.25/12.50	12-11-83
मेघालय Meghalaya	8.75/11.00	@	10.25/12.50	1-4-83
नागालैंड Nagaland	9.50/9.25/11.00	@	10.25/12.50	12-11-83

सारणी 3.3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (समाप्त)

TABLE 3.3 : RATES OF INTEREST CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE

(Concld.)

(मध्यावधि कृषि ऋण)

(Medium-term agricultural loans)

(प्रतिशत वार्षिक) (Per cent per annum)

राज्य/संघशासित क्षेत्र States/Union Territories	शिखर बैंक Apex Banks	मध्यवर्ती सहकारी बैंक Central Co-operative Banks	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां Primary Agricultural Credit Societies	निम्नलिखित तारीख से लागू Effective from
उड़ीसा Orissa	7.00/8.50	8.25/10.50	10.00/12.50	1-3-84
पंजाब Punjab	7.30	9.00	11.50	1-4-83
राजस्थान Rajasthan	7.25	8.25/10.00	10.25/12.50	1-4-83
तमिलनाडु Tamil Nadu	7.25/7.66	8.25/10.00	10.25/12.50	1-4-83
त्रिपुरा Tripura	9.00/9.25	@	10.50/11.50	..
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	7.20	8.75/10.00	10.25/12.50	16-11-83
पश्चिम बंगाल West Bengal.	7.75	9.75/10.00	11.00/11.50/12.50	1-12-83
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman & Nicobar Islands	8.25/10.50	@	10.25/12.50	16-11-83
चंडीगढ़ Chandigarh	9.25/11.50	@	10.25/12.50	1-4-83
दिल्ली Delhi		@	10.25/12.50	16-11-83
गोवा, दमण और दीव Goa, Daman & Diu	11.00	@	13.00	Prior to 1-4-83 से पहले
पांडिचेरी Pondicherry	9.00/9.50	@	10.25/12.00	16-11-83

@ : इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है ।
There are no CCBs in these areas.

: अनुपलब्ध
Not available.

टिप्पणी : जहां एक से अधिक ब्याज की दरें दी गयी हैं, वे पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां कि ये दरें ऋणों के आकार के अनुसार हैं, अन्यत्र अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं ।

Note : Where more than one interest rates are indicated they are for different purposes, except in West Bengal where they are on the basis of the size of loans.

स्रोत : नाबार्ड

Source : NABARD.

मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, डेरी उद्योग और साथ ही उत्पादन के प्रयोजनों के लिए कमजोर वर्गों सहित अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के लिए भी गैर-जमानती ऋणों की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के आधार पर क्रमिक रूप से ऐसे बैंकों के लिए 20,000 रुपये कर दिया गया था जिनकी माँग और मीयादी देयतायें एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम हैं तथा जिन बैंकों की मांग और मीयादी देयतायें 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैं, उनके लिये यह ऋण-सीमा 25,000 रुपये कर दी गयी थी।

3.12 एक से अधिक प्राथमिक सहकारी बैंक अधिकतम सीमा के भीतर एक ही उधारकर्ता का वित्तपोषण कर सकते हैं, बशर्ते वित्तपोषक बैंक पहले वित्तपोषक बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले। प्राथमिक सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे उधारकर्ता का वित्तपोषण करने की अनुमति नहीं है जो वाणिज्य बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा है और ये सुविधायें प्रस्तावित सहकारी बैंक द्वारा मंजूर की जानेवाली प्रस्तावित सीमाओं के साथ मिला देने से रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के लिए लागू ऋण प्राधिकार योजना के तहत निर्धारित अधिकतम (कट ऑफ) सीमा से अधिक हो जाती हैं।

संघीय वित्त

3.13 रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान 11.50 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए संघीय रूप में 6 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा महाराष्ट्र सहकारी आवासीय वित्त समिति लि., बम्बई को आवासीय प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण के प्रस्ताव की मंजूरी दी।

अन्य नीतिगत उपाय

कार्यमूलक समितियों का गठन और वित्तपोषण

3.14 नाबार्ड ने ऐसी कार्यमूलक समितियों के, जो अपने सदस्यों को ऋण प्रदान कर रही हैं, मामले की जाँच की और यह तय किया कि गैर-भूमि आधारित गतिविधियों जैसे डेरी (दूध-आपूर्ति), भेड़पालन,

financing trade, commerce, cottage/small-scale industries and identifiable productive purposes such as poultry farming, bee-keeping, dairying and also borrowers in other priority sectors, including weaker sections for productive purposes was raised from Rs. 15,000 in a graded manner depending on DTL of the bank, to Rs. 20,000 for banks with DTL of over Rs. 1 crore but less than Rs. 10 crores and to Rs. 25,000 for banks with DTL of Rs. 10 crores and over.

3.12 More than one primary co-operative bank can finance a borrower within the ceiling limit, provided the financing bank obtains a 'no objection certificate' from the previous financing bank. The PCBs are not allowed to finance, without prior approval of the Reserve Bank, a borrower who is enjoying credit facilities from commercial banks which together with the limits proposed to be sanctioned by the primary co-operative bank exceed the cut-off limit prescribed by the Reserve Bank under the Credit Authorisation Scheme administered for commercial banks.

Consortium Finance

3.13 The Reserve Bank approved a proposal to finance Maharashtra Co-operative Housing Finance Society Ltd., Bombay (MCHFS) for housing purposes by 6 PCBs in consortium for an aggregate amount of Rs. 11.50 crores during the year.

Other Policy Measures

Organisation and Financing of Functional Societies

3.14 NABARD examined the question of functional societies providing loans to their members and decided that organisation of such societies for

मुर्गीपालन, सुअरपालन आदि के लिए समितियों के गठन की चयनात्मक आधार पर अनुमति दे दी जाये। ऐसी समितियां फसलेतर प्रयोजनों जैसे पशुओं, चारे आदि की खरीद के लिए सदस्यों का वित्तपोषण करने के लिए ऋण देने का कार्य कर सकती हैं। इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश सभी संबंधित समितियों को जारी कर दिये गये हैं।

दार्जिलिंग चाय बागानों का पुनर्विकास

3.15 चाय बोर्ड ने एक ब्याज सहायता योजना तैयार की थी जिसमें लगभग 43 करोड़ रुपये की लागत से चाय-बगानों का विस्तार, पुराने और आर्थिक लाभ-रहित खेतों में फिर से पौध लगाने/उसे बदलने तथा 10 वर्ष की अवधि में उसके पुनर्विकास करने और साथ ही इन बागानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई और दूसरी निवेश-वस्तुओं की व्यवस्था करने की योजना बनायी गयी थी। विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में दार्जिलिंग चाय बागानों की महत्ता तथा दार्जिलिंग में अधिकतर बागानों द्वारा महसूस की जा रही वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए नाबार्ड ने दार्जिलिंग बागानों के लिए चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं को विशेष आधार पर निपटाने का निर्णय लिया और इसके लिए चरण-बद्ध रूप से मार्जिन, ऋण-ईक्विटी अनुपात बनाये रखने सम्बन्धी मानदण्डों को शिथिल करने, चाय कम्पनियों के अतिदेय ऋणों के लिए निधि उपलब्ध कराने और निधियों की चरणबद्ध रूप में चुकौती के लिए व्यवस्था करने तथा चुकौती की लम्बी अवधियों की अनुमति देने का फैसला किया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय बैंक ने 30 जून 1985 तक 733 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर 28 योजनाएं मंजूर कीं। इनमें नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की राशि 660 लाख रुपये हैं।

निधियों के स्रोत और उपयोग

नाबार्ड के संसाधन

3.16 इस वर्ष के दौरान नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित बनी रही। इसमें भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का योगदान बराबर-बराबर रहा। नाबार्ड की निधियों से अन्य स्रोत रिज़र्व बैंक

non-land based activities like dairy (milk supply), sheep rearing, poultry farming, pig rearing, etc., may be permitted on a selective basis. Such societies may undertake credit functions for non-crop based purposes viz., financing members for purchase of animals, feed, etc. Suitable instructions in this regard have been issued to all concerned.

Rejuvenation of Darjeeling Tea Gardens

3.15 The Tea Board had formulated an Interest Subsidy Scheme envisaging extension of area, replantation/replacement of the old and uneconomic area and rejuvenation over a period of 10 years along with provision of irrigation and other inputs for improving productivity in these gardens at a cost of about Rs. 43 crores. In view of the importance of Darjeeling Tea Gardens as foreign exchange earner and as most of the Gardens in Darjeeling were facing financial crisis, NABARD decided to treat the development schemes sponsored by the Tea Board for Darjeeling Gardens on a special basis by relaxing the norms in regard to margin, maintenance of debt-equity ratio, funding of overdue borrowings of tea companies and provision for repayment of the funds in a phased manner and allowing longer repayment period. Under the programme, NABARD has sanctioned upto June 30, 1985, 28 schemes with financial assistance of Rs. 733 lakhs involving NABARD refinance of Rs. 660 lakhs.

Sources and Uses of Funds

Resources of NABARD

3.16 The capital of NABARD remained unchanged during the year at Rs. 100 crores, subscribed equally by the Government of India and the Reserve Bank of India. The other sources of

से राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में अंशदान, रिज़र्व बैंक से अल्पकालिक ऋण, भारत सरकार से दीर्घावधि ऋण तथा बांडों और डिबेंचरों के जरिए बाजार से ऋण रहे। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान नाबार्ड द्वारा जुटाए गये शुद्ध संसाधन नीचे दर्शाये गये अनुसार 541 करोड़ रुपये के रहे, जबकि 1983-84 (जुलाई-जून) में 774 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

funds of NABARD are contributions from the Reserve Bank to NRC (LTO) Fund and NRC (Stabilisation) Fund, short-term borrowings from RBI, long-term loans from the Government of India (GOI) and market borrowings by way of bonds and debentures. The aggregate *net* resources mobilised by NABARD during 1984-85 (July-June) amounted to Rs. 541 crores as against Rs. 774 crores during 1983-84 (July-June) as indicated below:

नाबार्ड द्वारा जुटाये गये संसाधन (शुद्ध)

Resources (Net) Mobilised by NABARD

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

	1983-84 (जुलाई-जून) (July-June)	1984-85 (जुलाई-जून) (July June)
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus	35	30
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि NRC (LTO) Fund	325	415
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण)निधि NRC (Stabilisation) Fund	85	95
जमाराशियाँ Deposits	3	10
बांड और डिबेंचर Bonds and debentures	30	17
भारत सरकार से लिये गये उधार (विदेशी सहायता) Borrowings from GOI (external assistance)	167	233
भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार Borrowings from RBI	135	277**
अन्य देयताएं Other Liabilities	-6	18
जोड़ Total	**774**	**541**

** : बकाया राशि में कमी के कारण।

On account of the decrease in the outstandings.

3.17 रिज़र्व बैंक ने 1983-84 के अपने लाभ में से 275 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में डाले, जबकि 1982-83 के लाभ में से 225 करोड रुपये इस निधि में डाले गये थे। रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में भी 1983-84 के 75 करोड़ रुपये के अंशदान की तुलना में 80 करोड़ रुपये का अंशदान किया। नाबार्ड ने वर्ष 1984-85 के अपने लाभ में से क्रमशः 140 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण निधि) में अन्तरित किये। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत भारत सरकार से शुद्ध उधार पिछले वर्ष के 167 करोड़ रुपये की तुलना में 233.64 करोड़ रुपये रहे। डिबेंचर जारी करके खुले बाजार से जुटाई गयी राशि 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान जुटाई गयी 30.25 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 1984-85 (जुलाई-जून) में 16.5 करोड़ रुपये रही। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ई) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के अल्पावधि उधार कार्यों के वित्तपोषण के लिए 1983-84 में नाबार्ड को मंजूर की गयी 1,300 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा 1984-85 के लिए भी जारी रही। इस वित्तीय सहायता के लिए वसूल की गयी ब्याज की दर जो कि बैंक दर से 4.75 प्रतिशत कम थी, इस वर्ष के दौरान पहली जुलाई 1984 से बढ़ाकर बैंक दर से 4.5 प्रतिशत कम कर दी गयी।

3.18 वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा रिज़र्व बैंक से प्राप्त की गयी वित्तीय सहायता 30 जून 1984 की स्थिति की तुलना में 277.22 करोड़ रुपये कम रही। इस ऋण सुविधा के तहत जून 1985 के अंत में 761.83 करोड़ रुपये की राशियां बकाया थीं। इन ऋण सुविधा के तहत उधारों में कमी इस वजह से रही कि जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 30 जून 1984 को अपने कार्य के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें दिये गये मध्यावधि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से मंजूर किये गये ऋणों के रूप में माना गया है, जबकि अबतक उन्हें सामान्य ऋणों में से संमिश्र अल्पावधि ऋणों के रूप में गिना

3.17 The Reserve Bank allocated, out of its profits for the year 1983-84, Rs. 275 crores to the NRC (LTO) Fund as against Rs. 225 crores allocated from the profits of 1982-83. It also contributed Rs. 80 crores to the NRC (Stabilisation) Fund as against Rs. 75 crores contributed during 1983-84. NABARD transferred out of its profits for the year 1984-85, Rs. 140 crores and Rs. 15 crores to the NRC (LTO) and NRC (Stabilisation) Funds, respectively. The net borrowings from the Government of India under externally aided projects amounted to Rs. 233.64 crores as compared to Rs. 167 crores last year. The amount raised from open market through floatation of debentures aggregated Rs. 16.5 crores during 1984-85 (July-June) as against Rs.30.25 crores during 1983-84 (July-June). The credit limit of Rs. 1,300 crores sanctioned by the Reserve Bank to NABARD under Section 17 (4E) of the Reserve Bank of India Act, 1934 in 1983-84 for financing NABARD's short-term lending operations was continued for 1984-85 as well. The interest charged for this accommodation which was 4.75 per cent below the Bank Rate during the year 1983-84 has been raised to 4.5 per cent below the Bank Rate From July 1, 1984.

3.18 The financial accommodation availed of by NABARD from the Bank came down during the year by Rs. 277.22 crores as compared to the position as on June 30, 1984. The outstandings under this line of Credit as at the end of June 1985 stood at Rs. 761.83 crores. The reduction in the borrowings under this line of Credit is due to the fact that medium-term loans to RRBs which have completed more than five years of operation as on June 30, 1984 are treated

जाता था ।

3.19 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, नाबार्ड विदेशी सहायता वाली 41 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है । इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह और अन्य दाता देशों/एजेंसियों द्वारा मंजूर नाबार्ड के जरिए दिये जानेवाले कुल ऋण 30 जून 1985 तक 2,184 मिलियन अमरीकी डालर* थे, जबकि 30 जून 1984 तक यह राशि 2,137 मिलियन अमरीकी डालर थी । इस वर्ष के दौरान 40 मिलियन स्विस फ्रेंक (लगभग 20 करोड़ रुपये) के स्विस ऋण का समझौता किया गया जबकि 1983-84 के दौरान 3 देशों/एजेंसियों के साथ 47 करोड़ रुपये की सहायता के लिए समझौते किये गये थे । 1983-84 के दौरान ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी नाबार्ड ऋण परियोजना I का विश्व बैंक मिशन ने नवम्बर/दिसम्बर 1984 में मूल्यांकन किया ।

कृषि के लिए नाबार्ड-सहायता

मौसमी कृषि कार्यों का वित्तपोषण

3.20 मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को 1984-85 (जुलाई-जून) के लिए कुल 1,233 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं । पिछले वर्ष यह राशि 1,245 करोड़ रुपये थी । ऋण-सीमाओं में से बकाया राशियां 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार 446 करोड़ रुपये थी, जबकि 30 जून 1984 की स्थिति के अनुसार यह राशि 584 करोड़ रुपये थी । जहां रबी की फसल प्रमुख है, उन राज्यों में खरीफ और रबी फसलों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड ने अलग से ऋण सीमाएं मंजूर करना जारी रखा । नाबार्ड द्वारा कृषि और अन्य प्रयोजनों जैसे फसलों का विपणन, उर्वरकों का वितरण, हथकरघा बुनकर समितियां

* कर्नाटक सिंचाई परियोजना (आइडीए ऋण - 788 आइएन) के तहत नाबार्ड के जरिए किया जाने वाला ऋण आबंटन भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को सूचित किये गये पुन: आबंटन के परिणामस्वरूप 7 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर 2 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है ।

as loans sanctioned from the LTO Fund as against accounting them as composite short-term loans from the General Line of Credit as hitherto.

3.19 As stated in the last year's Report, NABARD has been associated with the implementation of 41 projects with external aid. The total credit to be routed through NABARD for the projects sanctioned by the World Bank Group and other donor countries/agencies aggregated U.S.$ 2,148* million till June 30, 1985 as against U.S. $ 2,137 million upto June 30, 1984. During the year, Swiss credit of 40 million Swiss Francs (approximately Rs. 20 crores) was negotiated as against the aid of Rs. 47 crores negotiated with 3 countries/agencies during 1983-84. The NABARD Credit Project I submitted to the World Bank during 1983-84 for credit assistance was appraised by World Bank Mission during November/December 1984.

NABARD's Assistance for Agriculture

Financing of Seasonal Agricultural Operations-Short-term Credit

3.20 Short-term credit limits aggregating Rs. 1,233 crores were sanctioned by NABARD to SCBs for financing seasonal agricultural operations for the year 1984-85 (July-June) as against Rs. 1,245 crores last year. The outstandings against the limit stood at Rs. 446 crores as on June 30, 1985 as compared with Rs. 584 crores at end-June 1984. NABARD continued to sanction separate credit limits for financing kharif and rabi crops to the states where rabi crops are predominant. The details of financial accommodation provided by NABARD

* The credit allocation to be routed through NABARD under Karnataka Irrigation Project (IDA Credit- 788 IN) has been reduced from US $ 7 million to US $ 2 million as a result of the reallocation advised to NABARD by Government of India.

आदि के लिए दी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे सारणी 3.4 में दिये गये हैं।

मध्यावधि ऋण

3.21 कृषि प्रयोजनों, सहकारी समितियों में शेयर-पूंजी के अंशदानों तथा अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने आदि के लिए मध्यावधि ऋण मंजूर करने की नाबार्ड की नीति वर्ष 1985 के लिए भी अपरिवर्तित रही। कैलेंडर वर्ष 1984 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की स्वीकृत की गयी ऋण-सीमायें और उनके द्वारा किये गये आहरण क्रमशः 25 करोड़ रुपये और 17 करोड़ रुपये के थे, जबकि पिछले वर्ष ये क्रमशः 31 करोड़ रुपये और 19 करोड़ रुपये रहे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए दिसम्बर 1984 के अंत में बकाया राशि कुल 38 करोड़ रुपये रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 37 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गयीं ऋण-सीमायें तथा उनके द्वारा किये गये आहरण सारणी 3.4 में दिखाये गये हैं।

परिवर्तन ऋण

3.22 नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में से 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान मंजूर की गयी 56 करोड़ रुपये की तुलना में 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 124 करोड़ रुपये की कुल ऋण-सीमायें मंजूर की गयी थीं,ताकि सूखे, बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में फसल खराब हो जाने पर राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक किसानों को मंजूर किये गये अल्पावधि कृषि ऋणों, जिनमें ऋणों की अदायगी फिर से निर्धारित करने और उनकी अदायगी अवधि बदलना भी शामिल है) को मध्यावधि ऋणों में बदल सकें। इन ऋण-सीमाओं में से 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान 73 करोड़ रुपये के आहरण किये गये, जबकि 1983-84 (जुलाई-जून) में आहरण 55 करोड़ रुपये के थे। बकाया राशि 120 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित बनी रही।

for agriculture and other purposes like marketing of crops, distribution of fertilizers, handloom weavers' societies, etc. are given in Table 3.4.

Medium-term Credit

3.21 NABARD's policy for sanctioning medium-term credit limits for agricultural purposes, share capital contributions in co-operative processing societies and conversion of short-term loans into medium-term loans, etc. for the year 1985 remained unchanged. During the calendar year 1984, credit limits sanctioned to SCBs and drawals made by them amounted to Rs. 25 crores and Rs. 17 crores, respectively, as against Rs. 31 crores and Rs. 19 crores, respectively, in the preceding year. The amount outstanding for the above purpose aggregated Rs. 38 crores at end-December 1984 as against Rs. 37 crores a year ago. Credit limits sanctioned to the SCBs and drawals made by them during the year are shown in Table 3.4.

Conversion Loans

3.22 An aggregate credit limit of Rs 124 crores was sanctioned by NABARD during 1984-85 (July-June) as against Rs. 56 crores during 1983-84 (July-June) from the NRC (Stabilisation) Fund to enable SCBs/CCBs to convert short-term agricultural loans (including rephasement and reschedulement of loans) granted to farmers into medium-term loans in the event of widespread crop failure as a result of drought, floods or other natural calamities. The drawals against these limits during 1984-85 (July-June) amounted to Rs. 73 crores as against Rs. 55 crores during 1983-84 (July-June), while the amount outstanding remained unchanged at Rs. 120 crores.

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (जारी)

TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS DURING 1983-84 AND 1984-85 (Contd.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा Section of the NABARD Act, 1981	अवधिवार/प्रयोजनवार-वित्त Term-wise/ Purpose-wise Finance	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं Period for which limits are sanctioned	1983-84 मंजूर की गयीं ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयीं राशियाँ Drawals	चुकायी गयीं राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings	1984-85 मंजूर की गयीं ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयीं राशियाँ Drawals	चुकायी गयीं राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. अल्पावधि **Short-term**	कुल **Total**	**1,609**	**2,637**	**2,610**	**746**	**1,531**	**2,013**	**2,125**	**634**
21(1)(i)/2(i)	(i) मौसमी कृषि-कार्य (मार्च 1978 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)* Seasonal agricultural operations (at 3% below Bank Rate from March 1978)*	जुलाई-जून July-June	1,245	1,991	1,980	584	1,233	1,578	1,716	446
	(ii) रुई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन (जून 1978 से बैंक दर पर) Marketing of crops other than cotton and kapas (at Bank Rate from June 1978)	जुलाई-जून July-June								
21(1)(i)/3(ख)	(iii) रुई की एकाधिकार वसूली सहित रुई और कपास का विपणन (जून 1978 से बैंक दर पर)	जुलाई-जून	21	60	64	—	27	32	32	—
21(1)(i)/3(b)	(iii) Marketing of cotton and kapas including monopoly procurement of cotton (at Bank Rate from June 1978)	July-June								
21(1)(ii)/3(ख) 21(1)(ii)/3(b)	(iv) उर्वरकों की खरीद और उनका वितरण (जून 1978 से बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर) (iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 1% above Bank Rate from June 1978)	जनवरी-दिसंबर January-December	25	8	7	5	20	17	6	16
21(i)(v)/3(क) 21(i)(v)/3(a)	(v) हाथकरघा उत्पादों का उत्पादन और विपणन (मार्च 1978 से बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम दर पर) (v) Production and marketing of handloom products (at 2½% below Bank Rate from March 1978)	अप्रैल-मार्च April-March	189	473	444	145	224	376	357	164

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (जारी)
TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS DURING 1983-84 AND 1984-85

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores) (Contd.)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा Section of the NABARD Act, 1981	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त Term-wise/Purpose-wise Finance	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं Period for which limits are sanctioned	1983-84 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयी राशियाँ Drawals	चुकायी गयी राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings	1984-85 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयी राशियाँ Drawals	चुकायी गयी राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21(1)(v)/3(क)	(vi) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्त पोषण (मार्च 1978 से बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम दर पर)$	अप्रैल-मार्च								
21(1)(v)/3(a)	(vi) Financing of other Cottage and small-scale industries (at 2½% below Bank Rate from March 1978)$	April-March	9	5	6	5	8	5	5	5
21(1)(iv)/ 21(4)	(vii) धागों की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर)	अप्रैल-मार्च								
	Purchase and sale of yarn (at Bank Rate)	April-March	10	6	5	2	9	5	5	2
21(1)(III)/ 21(3)	(viii) चीनी गिरवी रखने पर (बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर)	जुलाई-जून								
(a)(3)(b)	Against pledge of sugar (at 5% above Bank Rate)	July-June	107	88	·98	—	10	—	--	—
21(1)(iii)/ 21(2)(i)	(ix) मध्यावधि परिवर्तन ऋणों में राज्य सहकारी बैंक के अंश की पूर्ति के लिए कृषि स्थिरीकरण निधि में उद्दिष्ट प्रतिभूतियों की गिरवी पर (बैंक दर)	जुलाई-जून								
	Against pledge of securities earmarked under Agricultural Credit Stabilisation Fund for meeting SCB share in M.T. conversion loans (Bank Rate)	July-June	3	6	5	5			4	1
21(1)(iii)/ 21(3)(क)	लघु वन उपज का संग्रहण और विपणन (बैंक दर)	जुलाई-जून								
21(1)(iii)/ 21(3)(a)	(x) Collection and marketing of minor forest produce (Bank Rate)	July-June	—	—	1	—	—	—	—	—

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (जारी)
TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS DURING 1983-84 AND 1984-85

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores) (Contd.)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा Section of the NABARD Act, 1981	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त Term-wise/ Purpose-wise Finance	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं Period for which limits are sanctioned	1983-84 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयी राशियाँ Drawals	चुकायी गयी राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings	1984-85 मंजूर की गयी ऋण सीमाएं Limits sanctioned	निकाली गयी राशियाँ Drawals	चुकायी गयी राशियाँ Repayments	बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. मध्यावधि **Medium-term**	कुल **Total**	**87**	**74**	**77**	**157**	**150**	**90**	**89**	**158**
24	(i) कृषि प्रयोजनों के लिए (1 जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर) Agricultural purposes (at 3% below Bank Rate from January 1, 1979)	जनवरी-दिसंबर January-December	31	19	18	37	25	17	16	38
	(ii) सहकारी अभिसंस्करण समितियों में शेयर पूंजी का अंशदान Share capital contribution in co operative processing societies	जनवरी-दिसंबर January December	—	—	1	—	1	—	—	—
22	(iii) अभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन जिसमें ऋणों की अदायगी फिर से निर्धारित करने और उनकी अदायगी अवधि बदलना भी शामिल है (जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर) Conversion of short-term loans into Medium term loans in scarcity affected areas including rephasement and reschedulement (at 3% below Bank Rate from January 1979)	जुलाई-जून July-June	56	55	58	120	124	73	73	120

सारणी 3.4 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (समाप्त)

TABLE 3.4 : NABARD CREDIT TO CO-OPERATIVES AND STATE GOVERNMENTS DURING 1983-84 AND 1984-85

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores) (Concld.)

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा Section of the NABARD Act, 1981	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त Term-wise/ Purpose-wise Finance	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं Period for which limits are sanctioned	1983-84 मंजूर की गयीं ऋण सीमाएं Limits sanctioned	1983-84 निकाली गयीं राशियाँ Drawals	1983-84 चुकायी गयीं राशियाँ Repayments	1983-84 बकाया Outstandings	1984-85 मंजूर की गयीं ऋण सीमाएं Limits sanctioned	1984-85 निकाली गयीं राशियाँ Drawals	1984-85 चुकायी गयीं राशियाँ Repayments	1984-85 बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III. दीर्घावधि Long-term	**कुल Total**	**11**	**8**	**21**	**115**	**7**	**9**	**14**	**110**
27	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (6 प्रतिशत वार्षिक की दर से) Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions (at 6% per annum)	अप्रैल-मार्च April-March	11	8	21	115	7	9	14	110
	कुल ऋण (I + II + III) Total Credit I + II + III		**1,707**	**2,719**	**2,708**	**1,018**	**1,688**	**2,112**	**2,228**	**902**

* : संबद्ध योजनानुसार 1½ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूली होने पर
Subject to recovery of an additional interest of 1½ per cent as per linking scheme.

$: इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण कारीगर को दी गयी वित्तीय सहायता शामिल है ।
Include financing of individual rural artisans through PACS.

— : कुछ नहीं अथवा नगण्य
Nil or Negligible

स्रोत : नाबार्ड

Source : NABARD

दीर्घावधि ऋण

3.23 वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को 7 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमायें मंजूर की गयी थीं, जबकि 1983-84 के दौरान11 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। इन सीमाओं में से पिछले वर्ष की सीमाओं के संबंध में इस वर्ष अनुमत आहरणों सहित कुल आहरण 9 करोड़ रुपये के थे। इन ऋणों पर बकाया राशियां एक वर्ष पहले के 115 करोड़ रुपये से गिरकर मार्च 1985 के अंत में 110 करोड़ रुपये रह गयीं।

महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन

मौसमी कृषि-कार्य

3.24 इस वर्ष के दौरान मौसमी कृषि कार्यों के वित्त पोषण के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से 3 प्रतिशत कम पर अल्पावधि ऋण सीमायें मंजूर करने के संबंध में नाबार्ड की नीति अपरिवर्तित बनी रही। दालों और तिलहनों की खेती की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे इस प्रयोजन के लिए सामयिक और पर्याप्त ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने की जरूरत के बारे में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का ध्यान आकर्षित करें। सहकारी बैंकों को ऋण सीमायें मंजूर करते समय इन फसलों को उगाने के लिये ऋण जरूरतों को ध्यान में रखा गया था।

उर्वरकों का वितरण

3.25 उर्वरक वसूली, स्टॉक रखने तथा थोक वितरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण आवश्यकताएँ पहले ही की तरह वाणिज्य बैंकों, स्टेट बैंक समूह और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा संघीय आधार पर पूरी की जाती रहीं। नकद आधार पर उर्वरकों के खुदरा वितरण के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के रूप में पुनर्वित्त सुविधा नाबार्ड द्वारा केवल उतनी राशि के अन्तर के लिये

Long-term Credit

3.23 During the financial year 1984-85, long-term credit limits amounting to Rs. 7 crores were sanctioned to State Governments for contribution to the share capital of co-operative credit institutions as against Rs. 11 crores sanctioned during 1983-84. The drawals against these limits stood at Rs. 9 crores inclusive of drawals allowed during the year in respect of previous year's limit. The amount outstanding against these loans declined to Rs. 110 crores by the end of March 1985 from Rs. 115 crores a year ago.

Important Policy Changes

Seasonal Agricultural Operations

3.24 NABARD's policy in regard to sanctioning of short-term credit limits at 3 per cent below the Bank Rate to SCBs on behalf of CCBs for financing seasonal agricultural operations remained unchanged during the year under review. In view of the increasing importance being attached to the cultivation of pulses and oilseeds, NABARD advised SCBs to impress upon CCBs the necessity of providing timely and adequate credit facilities for this purpose. The credit requirements for raising these crops were taken into account while sanctioning credit limits to co-operative banks.

Distribution of Fertilizers

3.25 Credit requirements for meeting the needs of fertilizer procurement, stocking and wholesale distribution continued to be met on a consortium basis involving the commercial banks, SBI Group and SCBs as hitherto. Refinance facility in the form of short-term credit limits to SCBs for financing the retail distribution of fertilizers on cash and carry basis con-

उपलब्ध करायी जाती रही जिसे पूरा करना वाणिज्य बैंकों के लिए संभव नहीं था। राज्य सहकारी बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी थी कि वे कृषि कर्मी सदस्यों को, उन्हें वितरित किये गये फसल ऋण के हिस्से के रूप में रासायनिक उर्वरक वितरित करने में लगी ज़िला/प्राथमिक स्तर की समितियों की ऋण जरूरतों को भी प्राथमिकता दें।

मध्यावधि ऋण

अनुमोदित कृषि निवेश प्रयोजनों के लिए ऋण

3.26 वर्ष के दौरान नाबार्ड ने अनुमोदित कृषि-निवेश प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधि ऋण सीमायें मंजूर करने को नियंत्रित करनेवाली मौजूदा नीति को अपनाना जारी रखा। नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे योजनायें तैयार करें और यदि किसी प्रयोजन के वित्तपोषण के अधिक परिव्यय और लम्बी अदायगियों का मामला हों तो वहां वे उन योजनाओं को योजनाबद्ध आधार के तहत मंजूरी के लिए प्रस्तुत करें।

दीर्घावधि ऋण

शेयर पूंजी अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण

3.27 विभिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) में से ऋण मंजूर करना जारी रखा। उपर्युक्त ऋणों के संबंध में 1984-85 के दौरान नाबार्ड की नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे : (i) ऐसे प्राथमिक भूमि विकास बैंक शेयर पूंजी में अंशदान के लिए पात्र समझे जायेंगे जिनकी बकाया राशियां कुल मांग का 35 प्रतिशत तक हैं, बशर्ते राज्य सरकार प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शेयर पूंजी में मांग का 10 प्रतिशत तक अपने साधनों से अदा करे। इसके अलावा, प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शेयर पूंजी में राज्य सरकार का कुल अंशदान कुल शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना

tinued to be made available by NABARD only for the gap which the commercial banks were unable to meet. The SCBs were also required to give priority to the credit requirements of district/primary level societies engaged in the distribution of chemical fertilizers to the agriculturist members as a component of the crop loan disbursed to them.

Medium-term Credit

Loans for Approved Agricultural Investment Purposes

3.26 During the year, NABARD continued to follow its existing policy governing the sanction of medium-term credit limits to SCBs on behalf of CCBs for financing approved agricultural investment purposes. NABARD advised the SCBs to prepare schemes and approach it for sanction of such schemes under schematic lending wherever large outlays and longer repayments are involved in financing any purpose.

Long-term Credit

Long-term Loans to State Governments for Share Capital Contribution

3.27 NABARD continued to sanction loans from the NRC (LTO) Fund to the State Governments for contribution to the share capital of various co-operative credit institutions. The following changes were effected in the NABARD's policy in respect of above loans during 1984-85 : (i) PLDBs having overdues upto 35 per cent of total demand would be considered eligible for share capital contribution, provided the State Government contributes from out of its own resources to the extent of 10 per cent of the demand to the share capital of the PLDBs. Further, the total contribution

चाहिए तथा (ii) बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों के आवेदनों पर तभी विचार किया जायेगा जब इस प्रकार की समितियों में हर तरह का तकनीकी स्टाफ हों, अलबत्ता यदि कोई समिति ये शर्तें पूरी नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र देने पर उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा कि इस प्रकार की समितियों को जनजाति और अन्य विकास विभागों के विस्तारित स्टाफ की सेवायें उपलब्ध करा दी जायेंगी

of a State Government to the share capital of a PLDB should not exceed 50 per cent of its total share capital, and (ii) applications of the State Governments for contribution to the share capital of LAMPS would be considered, provided such societies have full complement of technical staff. However, if any of the societies fails to satisfy this condition, the application of the State Government would be considered on furnishing by it a certificate to the effect that the services of the extension staff of tribal and other development departments would be made available to such societies.

डेरी विकास के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए निवेश-पूर्व लागत के रूप में बीमा प्रीमियम की सुविधा देना

3.28 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, सभी राज्य भूमि विकास बैंकों को सूचित किया गया था कि डेरी विकास योजनाओं के तहत आनेवाली गतिविधियों के लिए निर्बन्ध बीमा नीति के संबंध में बीमा किस्त निवेश-पूर्व-लागत के रूप में समझी जाये और इस प्रकार की योजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को आवश्यक वित्त उपलब्ध कराया जाये। यह निर्णय किया गया था कि 16 अगस्त 1984 से लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण आदि के संबंध में विकास ऋणों के जरिये अर्जित आस्तियों के लिए अदा की जानेवाली बीमा किस्तें उधारकर्ता द्वारा शामिल किये जानेवाले प्रारंभिक व्ययों के हिस्से के रूप में मानी जायें और इस प्रकार के व्ययों के लिए ऋण सहायता दी जाये।

Extension of Insurance Premium as Pre-investment Cost to Activities other than Dairy Development

3.28 As stated in the last year's Report, all SLDBs had been advised that insurance premium in respect of blanket insurance policy covering activities under dairy development schemes may be treated as a part of pre-investment cost and that necessary finance be granted to borrowers for such schemes. It has been decided that with effect from August 16, 1984, the insurance premia paid for the assets acquired through development loans in respect of minor irrigation, farm mechanisation schemes, etc., may also be deemed to form part of the preliminary expenses to be included by the borrower and loan assistance may be provided to cover such expenditure.

राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए अंतरिम वित्त की व्यवस्था

3.29 राज्य भूमि विकास बैंकों को उपलब्ध कम मार्जिन, विशेष रूप से खुले बाजार से ऋण लेने के कारण उन की लागत में हुई वृद्धि की वजह से सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने में उनके मार्जिन में आयी कमी को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने 20 अगस्त

Provision of Interim Finance to SLDBs

3.29 Taking into account the reduced margin available to the SLDBs, particularly in regard to their loaning under normal programme because of the increase in the cost of borrowings from the open market, NABARD, decided to provide, with effect from August 20,

1984 से सामान्य और विशेष दोनों कार्यक्रमों के तहत राज्य भूमि विकास बैंकों को उनके ऋणों के लिए अंतरिम वित्त देने का फैसला किया। ऋण-सीमायें नाबार्ड द्वारा कतिपय शर्तों पर दोनों कार्यक्रमों के लिए निधियों की समग्र जरूरतों को देखते हुए मंजूर की जायेंगी। वसूलियों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड इस प्रकार के राज्य भूमि विकास बैंकों से 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज वसूल करेगा जिनका प्राथमिक स्तर पर वसूली कार्य पिछले वर्ष की माँग के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जबकि सामान्य ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक है।

भूमि विकास बैंकों में अतिदेयों की समीक्षा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

3.30 चूँकि अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पूरक ऋणों के जरिये निधियाँ जुटाना वचन-बद्ध व्यय की प्रकृति के अनुरूप ही था, अतः नाबार्ड ने 4 फरवरी 1985 को सभी भूमि विकास बैंकों को सूचित किया कि इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए ऋण नाबार्ड का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद कुछेक शर्तों पर पात्रता से अधिक मात्रा में दिये जा सकते हैं।

राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण-कार्यक्रम और संसाधन

3.31 वित्त वर्ष 1984-85 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के कुल ऋण कार्यक्रम पिछले वर्ष के 490 करोड़ रुपये की तुलना में 550 करोड़ रुपये के उच्चतर स्तर पर निर्धारित किये गये। इस कार्यक्रम के लिए स्रोत नाबार्ड को विशेष डिबेंचर (451 करोड़ रुपये), साधारण डिबेंचर (97 करोड़ रुपये) जारी करके और आंतरिक स्रोतों (2 करोड़ रुपये) से जुटाये गये थे, वर्ष 1983-84 के लिए ये आंकड़े क्रमशः 392 करोड़ रुपये, 95 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 1985-86 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम अस्थायी रूप से 566 करोड़ रुपये के निर्धारित किये गये हैं। यह राशि 471 करोड़ रुपये के

1984, interim, finance to the SLDBs to cover their loaning both under the normal and special programmes. Credit limits would be sanctioned by NABARD after considering the overall requirements of funds for both the programmes on certain terms and conditions. By way of encouragement to step up recoveries, NABARD will charge interest at 8½ per cent per annum to such of the SLDBs whose recovery performance at primary level is not less than 75 per cent of the demand in the previous year as against the normal rate of interest at 9 per cent per annum.

Guidelines for Review of Overdues in Land Development Banks

3.30 Since provision of funds by way of supplementary loans for completion of unfinished works was very much in the nature of committed expenditure, NABARD advised all the LDBs on February 4, 1985 that loans for such purposes might be given in excess of the eligibility subject to certain conditions, after obtaining prior approval of the NABARD.

Lending Programme and Resources of SLDBs

3.31 The total lending programme of the State Land Development Banks (SLDBs) for the financial year 1984–85 was fixed higher at Rs. 550 crores, as compared to Rs. 490 crores last year. The resources for this programme were raised by issue of special debentures to NABARD (Rs. 451 crores), issue of ordinary debentures (Rs. 97 crores) and internal resources (Rs. 2 crores); the corresponding figures for the year 1983–84 were Rs. 392 crores, Rs. 95 crores and Rs. 3 crores, respectively. The lending programme of SLDBs for the financial

विशेष डिबेंचर और 95 करोड़ रुपये के साधारण डिबेंचर जारी करके जुटायी जायेगी।

year 1985-86 has been tentatively fixed at Rs. 566 crores, which would be mobilised through floatation of special debentures of Rs. 471 crores and ordinary debentures of Rs. 95 crores.

3.32 भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान साधारण डिबेंचरों के ज़रिये जुटायी गयी वास्तविक राशि 92 करोड़ रुपये थी। वह राशि निर्धारित लक्ष्य से 5 करोड़ रुपये कम रही। इसका मुख्य कारण था आपसी समर्थन और स्वयं अपनी सहायता में कमी। (अर्थात् 29 करोड़ रुपये की तुलना में 24 करोड़ रुपये)। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए साधारण डिबेंचर कार्यक्रम के तहत संस्थागत निवेश दाताओं से प्राप्त समर्थन और 1985-86 के लिए लक्ष्य सारणी 3.5 में दर्शाये गये हैं।

3.32 The actual amount raised by the LDBs through floatation of ordinary debentures during the year amounted to Rs. 92 crores, which fell short of the target by Rs. 5 crores. This was due mainly to the shortfall in mutual support and self-help (i.e. Rs. 24 crores against the target of Rs. 29 crores). The support availed of from the institutional investors under the ordinary debenture programme for the years 1983-84 and 1984-85, together with targets for the year 1985-86, is indicated in Table 3.5

योजनाबद्ध ऋणों के तहत पुनर्वित्त सहायता

3.33 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान नाबार्ड ने 1,233 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त वचनबद्धताओं वाली 5,601 योजनायें मंजूर कीं, जबकि 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान 1,170 करोड़ रुपये की वचनबद्धताओं वाली 4,961 योजनायें मंजूर की गयी थीं। पिछले वर्ष (जुलाई-जून) में 892 करोड़ रुपये के वितरणों की तुलना में इस वर्ष वितरण 1,061 करोड़ रुपये के हुए। जून 1985 के अंत में नाबार्ड द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संचयी संख्या 34,722 रही। संचयी वचनबद्धतायें 7,909 करोड़ रुपये और संचयी वितरण 5,427 करोड़ रुपये के रहे (सारणी 3.6)।

Refinance Assistance under Schematic Lending

3.33 During 1984-85 (July-June), NABARD sanctioned 5,601 schemes involving refinance commitments of Rs. 1,233 crores as against 4,961 schemes with commitments of Rs. 1,170 crores during 1983-84 (July-June). Disbursements during the year amounted to Rs. 1,061 crores as against Rs. 892 crores in the preceding year (July-June). As at the end of June 1985, the cumulative number of schemes sanctioned by NABARD stood at 34,722 ,the cumulative commitments at Rs. 7,909 crores and the cumulative disbursements at Rs. 5,427 crores (Table 3.6).

3.34 पिछले वर्ष की ही तरह, मंजूर की गयी योजनाओं और की गयी वचनबद्धताओं, दोनों दृष्टियों से लघु सिंचाई का स्थान सबसे ऊपर बना रहा। 1984-85 के दौरान नाबार्ड ने लघु सिंचाई के लिए 444 करोड़ रुपये की वचनबद्धताओं वाली 1,813

3.34 As in the previous year, minor irrigation continued to occupy top position both with regard to the number of schemes sanctioned and commitments made. During 1984-85, NABARD sanctioned 1,813 schemes for minor irriga-

सारणी 3.5 : भूमि विकास बैंकों के संसाधन
Table 3.5 : Resources of Land Development Banks

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

मद Item	1983-84	1984-85	1985-86
	(उपलब्धि) (Achievement)		(लक्ष्य) (Target)
ऋण कार्यक्रम संसाधन : Lending Programme / Resources :	490	550	566
(क) नाबार्ड के विशेष डिबेंचर (a) NABARD's special debentures	392	451	471
(ख) आंतरिक संसाधन (b) Internal resources	3	2	—
(ग) सामान्य डिबेंचर (c) Ordinary debentures	95	97	95
(i) (ग) में से वास्तव में जारी किये गये डिबेंचर Out of (c) actual floatations	90	92	95
(ii) संस्थागत अंशदान/केन्द्र और राज्य सरकारें Institutional contributions : Central & State Governments	8	8	10
जीवन बीमा निगम L. I. C.	35	35	35
भारतीय स्टेट बैंक समूह S. B. I. Group	15	15	15
वाणिज्य-बैंक Commercial Banks	10	10	10
पारस्परिक समर्थन और अपनी स्वयं की सहायता Mutual support and self-help	22	24	25

स्रोत : नाबार्ड
Source : NABARD.

सारणी 3.6 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 और 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान दी गयी पुनर्वित्त सहायता की प्रयोजनवार मंजूरियां और वितरित राशि

TABLE 3.6 : PURPOSE-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS OF REFINANCE ASSISTANCE BY NABARD DURING 1983-84 AND 1984-85 (JULY-JUNE)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

प्रयोजन Purpose	1983-84			1984-85			30 जून 1985 को संचयी स्थिति @ Cumulative position as on June 30, 1985 @		
	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No. of schemes Sanctioned	प्रतिबद्धतायें Commitments	वितरित राशि Disbursements	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No. of schemes sanctioned	प्रतिबद्धतायें Commitments	वितरित राशि Disbursements	स्वीकृत योजनाओं की संख्या No. of schemes sanctioned	प्रतिबद्धतायें Commitments	वितरित राशि* Disbursements*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लघु सिंचाई Minor Irrigation	4,923	427	312	1,813	444	335	13,442	3,740	2,539
भूमि विकास/सीएडी Land Development/CAD	95	20	29	504	23	43	1,463	313	182
कृषि मशीनीकरण Farm Mechanisation	1,116	233	204	958	169	170	6,064	1,166	1,038
बागान/उद्यान Plantation/Horticulture	579	90	38	576	85	47	3,531	566	231
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सूअर पालन Poultry/sheep breeding/piggery	296	21	13	449	36	23	2,336	143	92
मत्स्य पालन Fisheries	184	22	7	175	17	10	1,474	157	72
डेरी विकास Dairy Development	279	21	13	380	39	23	2,637	198	111
भंडारण/मंडी Storage/Market Yards	71	9	9	149	17	12	1,471	203	165
अन्य Others	418	327	267	597	403	398	2,304	1,423	997
कुल Total	**4,961**	**1,170**	**892**	**5,601**	**1,233**	**1,061**	**34,722**	**7,909**	**5,427**

* : अल्पावधि ऋणों को छोड़कर
Excludes short term finance.

संचयी स्थिति में समायोजन शामिल हैं।
@ : Cumulative position includes adjustments.

स्रोत : नाबार्ड
Source : NABARD

योजनाएं और विविध प्रयोजनों@ (अर्थात् लघु सिंचाई को छोड़कर) के लिए 789 करोड़ रुपये की वचन-बद्धताओं वाली 3,788 योजनाएं मंजूर कीं। मंजूर की गयी योजनाओं; ऋणों की वचनबद्धताओं और वितरणों के ब्यौरे सारणी 3.6 में दिये गये हैं।

3.35 एजेंसी-वार देखा जाये तो, 1984-85 के दौरान नाबार्ड के कुल वितरणों में वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), राज्य भूमि विकास बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा क्रमशः 710 करोड़ रुपये (67 प्रतिशत), 314 करोड़ रुपये (30 प्रतिशत) तथा 37 करोड़ रुपये (3 प्रतिशत) रहा। 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान उनका हिस्सा क्रमशः 537 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत), 314 करोड़ रुपये (35 प्रतिशत) तथा 41 करोड़ रुपये (5 प्रतिशत) था (सारणी 3.7)।

3.36 क्षेत्र-वार देखा जाये तो कुल वितरणों में दक्षिणी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के अंश 1983-84 (जुलाई-जून) के क्रमशः 25.5 प्रतिशत, 21.3 प्रतिशत तथा 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 (जुलाई-जून) में क्रमशः 27.2 प्रतिशत, 22.5 प्रतिशत तथा 11.9 प्रतिशत हो गये। उत्तर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का अंश कमोबेश अपरिवर्तित बना रहा। अलबत्ता, कुल वितरणों में उत्तरी क्षेत्र का अंश 27.1 प्रतिशत से गिरकर 22.7 प्रतिशत रह गया (सारणी 3.8)।

3.37 नाबार्ड ने कम विकसित और/या कम बैंक-सुविधा वाले राज्यों में कृषि निवेशों के विकास और संवर्धन की नीति पर पुरजोर बल देना जारी रखा। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान इन क्षेत्रों में वितरण 445 करोड़ रुपये (कुल वितरणों का 41.9 प्रतिशत) रहे, जबकि 1983-84 (जुलाई-जून) में यह राशि 357

@ इनमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, पौधरोपण, मुर्गीपालन, डेरी-उद्योग, भेड़ पालन, मत्स्यपालन, भण्डारण गोदाम, मंडियों का विकास आदि शामिल है।

tion involving commitments of Rs. 444 crores and 3,788 schemes for diversified purposes @ (i.e. other than minor irrigation) involving commitments of Rs. 789 crores. The details of various schemes sanctioned, commitments and disbursement of loans are given in Table 3.6.

3.35 Agency-wise, the share of commercial banks (including RRBs), SLDBs and SCBs in total NABARD disbursements stood at Rs. 710 crores (67 per cent), Rs. 314 crores (30 per cent) and Rs. 37 crores (3 per cent), respectively, during 1984-85. During 1983-84 (July-June), their respective shares were Rs. 537 crores (60 per cent), Rs. 314 crores (35 per cent) and Rs. 41 crores (5 per cent) (Table 3.7).

3.36 Region-wise, while the shares of the Southern, Central and Eastern regions in total disbursements increased from 25.5 per cent, 21.3 per cent and 10.8 per cent, respectively in 1983-84 (July-June) to 27.2 per cent, 22.5 per cent and 11.9 per cent, respectively during 1984-85 (July-June), the share of North-Eastern and Western regions remained more or less at last year's level. The share of Northern region in total disbursements, however, came down to 22.7 per cent from 27.1 per cent (Table 3.8).

3.37 NABARD continued to pursue vigorously the policy of development and promotion of agricultural investments in the less developed and/or underbanked States. The disbursements in these areas stood at Rs. 445 crores (41.9 per cent of total disbursements) in

@ These include land development, farm mechanisation, plantation, poultry, dairying/sheep breeding, fisheries, storage, godowns, development of market yards, etc.

सारणी 3.7 : नाबार्ड द्वारा 1983-84 और 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान पुनर्वित्त सहायता की एजेंसीवार मंजूरियां और वितरित राशि

TABLE 3.7 : AGENCY-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS OF REFINANCE ASSISTANCE BY NABARD DURING 1983-84 AND 1984-85 (JULY-JUNE)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

एजेंसी Agency	योजनाओं की संख्या* 'Number of Schemes*		वित्तीय सहायता Financial Assistance		नाबार्ड की प्रतिबद्धता NABARAD'S Commitments		नाबार्ड द्वारा वितरित राशि Disbursements by NABARD		30 जून 1985 को संचयी स्थिति£ Cumulative position as on June 30, 1985£			
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85	योजनाओं की संख्या No. of schemes	एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता Financial Assistance by Agencies	नाबार्ड की प्रतिबद्धताएं NABARD's commitments	नाबार्ड द्वारा वितरित राशि@ Disbursements by NABARD@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. राज्य भूमि विकास बैंक State Land Development Banks	1,461	1,618	451	427	401	391	314	314	10,096	3,631	3,213	2,251
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर) Scheduled Commercial Banks (including RRBs)	3,379	3,854	939	1,078	719	796	537	710	23,959	5,740	4,445	3,016
3. राज्य सहकारी बैंक State Co operative Banks	121	129	57	54	50	46	41	37	667	286	251	160
जोड़ Total	**4,961**	**5,601**	**1,447**	**1,559**	**1,170**	**1,233**	**892**	**1,061**	**34,722**	**9,657**	**7,909**	**5,427**

@ : अल्पावधि वित्त को छोड़कर
Excludes short term finance.

* : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं को छोड़कर
Excludes IRDP plans.

£ : संचयी स्थिति में समायोजन शामिल हैं ।
Cumulative position includes adjustments.

स्रोत : नाबार्ड
Source . NABARD

सारणी 3.8 : नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण
TABLE 3.8 : REGION-WISE DISBURSEMENTS OF REFINANCE ASSISTANCE BY NABARD

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

क्षेत्र@ Region	1982-83 (जुलाई-जून) (July-June)	1983-84 (जुलाई-जून) (July-June)	1984-85 (जुलाई-जून) (July-June)
उत्तरी Northern	190 (27.0)	242 (27.1)	241 (22.7)
उत्तरपूर्वी North-Eastern	8 (1.1)	9 (1.0)	14 (1.3)
पूर्वी Eastern	90 (12.8)	96 (10.8)	126 (11.9)
मध्यवर्ती Central	151 (21.5)	190 (21.3)	238 (22.5)
पश्चिमी Western	80 (11.4)	128 (14.3)	153 (14.4)
दक्षिणी Southern	184 (26.2)	227 (25.5)	289 (27.2)
कुल Total	**703 (100.0)**	**892 (100.0)**	**1,061 (100.0)**

@उत्तरी क्षेत्र में : चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं ।
Northern Region : Comprises Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan;

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में : असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश हैं ।
North-Eastern Region : Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Arunachal Pradesh;

पूर्वी क्षेत्र में : सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं ।
Eastern Region : Sikkim, Bihar, Orissa, West Bengal and Andaman & Nicobar Islands;

मध्यवर्ती क्षेत्र में : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
Central Region : Madhya Pradesh and Uttar Pradesh;

पश्चिमी क्षेत्र में : गोवा, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं ।
Western Region : Goa,Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Gujarat and Maharashtra;

दक्षिणी क्षेत्र में : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु हैं ।
Southern Region : Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu.

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत हैं ।
Note : Figures in brackets are percentages to total.

स्रोत : नाबार्ड ।
Source : NABARD.

करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) थी (सारणी 3.9)। संचयी आधार पर जून 1985 के अंत तक इन क्षेत्रों में कुल वितरण 2,208 करोड़ रुपये के थे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वितरण

3.38 जून 1985 के अंत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड की संचयी वचनबद्धताएं 1,150 करोड़ रुपये की थीं, जिनमें से पुनर्वित्त के जरिए 887 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 353 करोड़ रुपये वितरित किये गये, जबकि 1983-84 के दौरान 233 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। कुल वितरणों में इस वर्ष के दौरान सर्वाधिक अंश वाणिज्य बैंकों (54.0 प्रतिशत) का रहा। उनके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (34.5 प्रतिशत) राज्य सहकारी बैंक (7.9 प्रतिशत) तथा राज्य भूमि विकास बैंक (3.6 प्रतिशत) के रहे। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान कुल वितरणों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्योग, सेवा तथा कारोबार घटक का अंश पिछले वर्ष के 52 करोड़ रुपये (22.3 प्रतिशत) की तुलना में 107 करोड़ रुपये (30.3 प्रतिशत) रहा।

पुनर्वित्त सुविधाएं : नीतिगत परिवर्तन

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं

3.39 नवम्बर 1984 से नाबार्ड ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ही रूपरेखा पर राज्य सरकारों/अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा तैयार की गयी विशेष योजनाओं का वित्तपोषण करने का फैसला किया। पुनर्वित्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋणों के 90 प्रतिशत तक तथा राज्य भूमि विकास बैंको द्वारा अर्थ-सक्षम कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए जारी किये गये विशेष विकास डिबेंचरों के 95 प्रतिशत तक मिलेगा।

1984-85 (July-June) as against Rs. 357 crores (40 per cent) in 1983-84 (July-June) (Table 3.9). On a cumulative basis, total disbursements in these areas upto the end of June 1985 amounted to Rs. 2,208 crores.

Disbursements under IRD Programme

3.38 As at the end of June 1985, NABARD's cumulative commitments under IRDP amounted to Rs. 1,150 crores against which disbursements by way of refinance amounted to Rs. 887 crores. The amount disbursed during 1984-85 (July-June) was Rs. 353 crores as against Rs. 233 crores during 1983-84. The highest share during the year in total disbursements was that of commercial banks (54.0 per cent), followed by RRBs (34.5 per cent), SCBs (7.9 per cent) and SLDBs (3.6 per cent). The Industry, Service and Business (ISB) component of the IRDP accounted for Rs. 107 crores (30.3 per cent) of the total disbursements during 1984-85 (July-June) as against Rs. 52 crores (22.3 per cent) in the previous year.

Refinance Facilities : Policy Changes

Schemes for Development of Scheduled Castes/Scheduled Tribes

3.39 NABARD, with effect from November 1984, decided to refinance special schemes formulated by State Governments/Scheduled Castes Development Corporations on the lines of IRDP. Refinance would be available upto 90 per cent of the loans issued by the commercial banks including RRBs and the SCBs and upto 95 per cent of the special development debentures floated by the SLDBs for viable agricultural and allied activities.

सारणी 3.9 : कम विकसित और/अथवा कम बैंक सुविधावाले राज्यों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की राशि का वितरण
TABLE 3.9 : DISBURSEMENTS OF REFINANCE ASSISTANCE BY NABARD TO LESS DEVELOPED AND/OR UNDER-BANKED STATES

(योजनाबद्ध ऋण)
(Schematic Lending)

(लाख रुपयों में) (Rs. Lakhs)

राज्य State	1983-84 (जुलाई-जून) (July-June)	1984-85 (जुलाई-जून) (July-June)
1. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	130.41	162.17
2. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	59.59	75.77
3. बिहार Bihar	49.56	66.56
4. राजस्थान Rajasthan	51.60	54.60
5. उड़ीसा Orissa	30.02	34.51
6. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	6.52	8.98
7. पश्चिम बंगाल West Bengal	16.26	24.39
8. असम तथा अन्य उत्तरी-पूर्वी राज्य Assam & Other North-Eastern States	9.27	13.80
9. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	3.45	4.00
10. अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह Andaman & Nicobar Islands	6	12
वितरण (1 से 10 तक) Disbursements (1 to 10)	356.74 (40.0)	444.90 (41.9)
कुल वितरण (अखिल भारतीय) **Total Disbursements (ALL-INDIA)**	**892.44**	**1,060.87**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वितरणों का वितरण प्रतिशत में दर्शाते हैं ।
Note : Figures in brackets indicate percentage disbursements to total disbursements.

स्रोत : नाबार्ड ।
Source : NABARD.

कृषि मशीनीकरण के लिए पुनर्वित्त

3.40 वर्ष 1984-85 के दौरान नाबार्ड ने कृषि मशीनीकरण के लिए पुनर्वित्त को नियंत्रित करने वाली अपनी नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये : (i) ट्रैक्टरों/बिजली चालित हलों (टिलरों) के संबंध में पुनर्वित्त के आहरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। तदनुसार अब बैंक पुनर्वित्त की सुविधा का लाभ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ही तरह एक तिमाही में या एक माह में केवल निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करके ले सकते हैं। (ii) वाणिज्य बैंकों के लिए कृषि मशीनीकरण के लिए पुनर्वित्त की सीमा मध्यप्रदेश तथा पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ की पुनर्वित्त की दर 90 प्रतिशत रहेगी अन्यत्र उसे 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, कृषि मशीनीकरण योजनाओं के संबंध में मध्यप्रदेश में राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों में नाबार्ड का अंशदान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया गया। मध्यप्रदेश, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में राज्य भूमि विकास बैंक इसी तरह के प्रयोजनों के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त 75 प्रतिशत की दर पर प्राप्त करते रहेंगे तथा (iii) किसानों के बोझ को कम करने की दृष्टि से नाबार्ड ने पहले यह सुझाव दिया था कि जहाँ तक सम्भव हो कृषि-कार्यों तथा ढुलाई के लिए लगभग 25 हार्सपावर के ट्रैक्टर खरीदे जायें। नाबार्ड ने अब अलग-अलग योजनाओं की सक्षमता के आधार पर 50 ड्रा बार हॉर्सपावर तक के ट्रैक्टरों की खरीद के लिए भी अपनी पुनर्वित्त सुविधा देने का फैसला किया है।

Refinance for Farm Mechanisation

3.40 During the year 1984-85, NABARD introduced the following changes in its policy governing refinance for farm mechanisation : (i) The procedure for drawal of refinance in respect of tractors/powertillers was simplified. Accordingly, banks were allowed to avail of refinance by mere submission of a prescribed statement once in a quarter or a month on the lines of the procedure followed for IRDP; (ii) The extent of refinance for farm mechanisation schemes to commercial banks was brought down from 75 per cent to 50 per cent except in Madhya Pradesh and the Eastern and North-Eastern regions where the refinance rate would be 90 per cent. Further, NABARD's contribution to the special development debentures floated by the SLDB in Madhya Pradesh in respect of farm mechanisation schemes was stepped up to 95 per cent. For similar purpose, the SLDBs in States other than Madhya Pradesh, Eastern and North-Eastern States would continue to get NABARD refinance at the rate of 75 per cent; and (iii) With a view to reducing loan burden of farmers, NABARD had earlier suggested purchase of tractors, as far as possible, of around 25 HP for farm operations and haulage. NABARD has now decided to extend its refinance for the purchase of tractors upto 50 draw bar horse power on the basis of viability of individual schemes.

टायर वाली गाड़ियों के लिए पुनर्वित्त

3.41 मौजूदा नीति के तहत नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता केवल छोटे किसानों द्वारा काम में लाये जाने वाले पशुओं/पशु-चालित गाड़ियों को खरीदने की योजनाओं के लिए ही उपलब्ध थी। प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए इस नीति की समीक्षा की गयी और इस

Refinance for Tyre Carts

3.41 Under the existing policy, refinance assistance from NABARD was available in respect of schemes for purchase of work animals/animal-driven carts by small farmers only. The policy was reviewed in the light of representations

वर्ष यह तय किया गया है कि गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों और विशेष योजना क्षेत्रों में छोटे/सीमान्त किसानों/कृषि मजदूरों के साथ-साथ अन्य किसानों के लिए भी बैंकों द्वारा टायर गाड़ियों की खरीद के लिये दिये गये योजनाबद्ध ऋणों को भी नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र माना जाये और इनके लिए वही शर्तें रहें जो योजना के तहत अन्य किसानों को विविध प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये ऋणों पर लागू होती हैं।

received and it has been decided during the year that schematic loans for purchase of tyre carts advanced by banks covering other farmers along with small/marginal farmers/agricultural labourers in the sugarcane-growing areas and special scheme areas would also be eligible for refinance assistance from NABARD subject to the same terms and conditions as applicable to other farmers under schemes sanctioned for diversified purposes.

औद्योगिक सहकारी संस्थायें

हथकरघा बुनकर समितियों को पुनर्वित्त

3.42 वर्ष 1984-85 के दौरान प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन और उनकी विपणन सम्बंन्धी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए तथा शिखर/क्षेत्रीय बुनकर समितियों को उनकी वस्त्र सम्बन्धी वसूली और उनके विपणन की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण करने के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध अल्पावधि वित्तीय सहायता के संबंध में नाबार्ड की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। (मंजूर की गयी सीमाओं, आहरणों आदि के ब्यौरों के लिए कृपया सारणी 3.4 देखें)।

हथकरघों पर उत्पादित वस्त्रों के लिए वित्त की मात्रा

3.43 नवगठित समितियों और फिर से चालू की जानेवाली निष्क्रिय समितियों के मामले में हथकरघों पर तैयार की गयीं कपड़े की निम्नलिखित किस्मों के संबंध में प्रति करघा वित्त की मात्रा में मार्च 1985 में संशोधन किये गये थे। सूती वस्त्रों के संबंध में वित्त की मात्रा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये, सूती वस्त्रों की विशेष किस्मों जैसे चादरें, फर्निशिग सामग्री, जैकार्ड, टैरी तौलिए तथा कपड़े की निर्यात किस्मों के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तथा ऊनी हथकरघों के संबंध में वित्त की मात्रा 3,000 रुपये से बढ़ा कर 4,000 रुपये कर दी गयी।

Industrial Co-operatives

Refinance to Handloom Weavers' Societies

3.42 During 1984-85, NABARD's policy with regard to the short-term financial accommodation available to the SCBs on behalf of the CCBs for financing the production and marketing activities of the primary weavers' co-operative societies and for financing the apex/regional weavers' societies for their procurement and marketing of cloth remained unchanged. (For details of limits sanctioned, drawals, etc., please see Table 3.4).

Scale of Finance for Cloth Produced on Handlooms

3.43 The per loom scales of finance in respect of the following varieties of cloth produced on handlooms in the case of newly organised societies or dormant societies to be reactivised were revised in March 1985. The scale of finance was revised from Rs. 2,000 to Rs. 3,000 in respect of cotton, from Rs. 3,000 to Rs. 5,000 for special varieties of cotton cloth like bedspreads, furnishing materials, jacquard, terry towels and export varieties of cloth and from Rs. 3,000 to Rs. 4,000 in respect of woollen handlooms.

अलबत्ता हथकरघों और पावरलूम पर निर्यात कपड़े की अन्य किस्मों के संबंध में वित्त की मात्रा अपरिवर्तित बनी रही।

The scale of finance in respect of other varieties of cloth produced on handloom as also that on powerlooms, however, remained unchanged.

हथकरघा इम्पोरियमों की स्थापना/नवीकरण

3.44 हथकरघों के संबंध में कार्य दल द्वारा की गयी एक सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रीय बैंक ने शिखर बुनकर समितियों द्वारा नये इम्पोरियम स्थापित करने और मौजूदा इम्पोरियमों का नवीकरण करने के लिए दिये गये मीयादी ऋणों के अग्रिमों पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया। तदनुसार नाबार्ड ने इस वर्ष के दौरान तमिलनाडु हैन्डलूम बुनकर सोसाइटी (को-ऑपटैक्स) द्वारा 5 नये इम्पोरियम स्थापित करने और 30 मौजूदा इम्पोरियमों के नवीकरण के संबंध में प्रस्तुत किये गये 60.75 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

Establishment/Renovation of Handloom Emporia

3.44 In pursuance of one of the recommendations made by the Task Force on handlooms, NABARD decided to extend refinance facility for term loans advanced for setting up of new emporia and renovation of existing ones by Apex Weavers' Societies. Accordingly, it has approved during the year a proposal submitted by the Tamil Nadu Handloom Weavers' Society (Co-optex) regarding setting up of 5 new emporia and renovation of 30 existing ones involving refinance assistance of Rs. 60.75 lakhs.

उधारों के लिए रक्षा के रूप में मजदूरी अग्रिम

3.45 मार्च 1985 से प्राथमिक बुनकर समितियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे उनके द्वारा बुनकरों को अदा किये गये समस्त मजदूरी अग्रिम, अपने ऋणों के लिए रक्षा के रूप में मान लें, बशर्ते अग्रिम मजदूरियों की राशि साधारण सूती किस्मों के संबंध में सदस्यों को जारी धागों की गांठों के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक न हो और ये कपड़ों की विशेष किस्मों जैसे सूती साड़ियाँ, पालिस्टर, सूती वस्त्रों की विशेष किस्मों आदि के संबंध में धागे के मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि कोई बकाया अग्रिम हों, तो उन्हें भी उधारों के लिए रक्षा के रूप में दर्शायी गयी अग्रिम मजदूरियों में से अलग किया जाना था।

Wage Advances as Cover for Borrowings

3.45 From March 1985, the primary weavers' societies have been allowed to reckon the entire wage advances paid by them to weavers as cover for their borrowings, provided the amount of advance wages did not exceed 50 per cent of the value of knots of yarn issued to the members in respect of ordinary cotton varieties and 25 per cent of the value of yarn in respect of special varieties of cloth viz., silk sarees, polyester, special varieties of cotton, etc. The overdue advances, if any, were also to be excluded from the advance wages shown as cover for borrowings.

अन्य औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

3.46 कुटीर और लघु उद्योगों के 22 बड़े समूहों में से किसी में भी लगी औद्योगिक सहकारी समितियों (बुनकरों को छोड़कर) के उत्पादन और उनके विपणन सम्बन्धी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और ज़िला औद्योगिक सहकारी बैंकों की

Other Industrial Co-operatives

3.46 The policy of NABARD governing sanction of short-term credit limits to SCBs on behalf of CCBs and district industrial co-operative banks for financing the production and marketing activities of industrial co-operative societies

ओर से राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी देने से सम्बन्धित नाबार्ड की नीति पहले की तरह ही बनी रही। नाबार्ड में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों और बड़े आकारवाली बहु-उद्देशीय समितियों के लिए कार्यकारी पूँजीगत अपेक्षाओं जैसे बुनकरों तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के अनुमोदित 22 बड़े समूहों के अन्तर्गत आनेवाले कार्यकलापों में लगी ऐसी समितियों के अन्य ग्रामीण कारीगर सदस्यों के उत्पादन तथा उत्पादित माल की बिक्री से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्त पोषण हेतु मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमायें भी स्वीकृत कीं। इस प्रकार की ऋण-सीमाओं की स्वीकृति देने से सम्बंधित नीति पहले जैसी ही बनी रही। (स्वीकृत ऋण-सीमाओं, आहरणों आदि के ब्यौरे के लिए सारणी 3.4 देखें)।

(other than weavers') engaged in any of the 22 broad groups of cottage and small-scale industries remained the same as before. NABARD also sanctioned short-term credit limits to SCBs on behalf of CCBs for financing the Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Farmers Service Societies (FSS) and Large-Sized Multi-purpose Societies (LAMPS) for working capital requirements i.e., production and marketing activities of weavers and other rural artisan members of such societies engaged in any of the activities covered under the approved 22 broad groups of cottage and small-scale industries. The policy governing sanction of such credit limits also remained the same as before. (For details of credit limits sanctioned, drawals, etc. please see Table 3.4)

रेशम विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं

3.47 नाबार्ड ने रेशम को अटेरने और बटने (रीलिंग और ट्विस्टिंग) के कार्यों के लिए मीयादी ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं 21 दिसम्बर 1984 से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, भले ही ये कार्य रेशम के कीड़े पालने वालों द्वारा कीड़े पालने के कार्यों के साथ-साथ किये जाते हों अथवा स्वतंत्र रूप से। इस तरह से रेशम-उद्योग की सम्पूर्ण गतिविधियां-शहतूत (मॅलबरी) पौधरोपण से लेकर अटेरने (रीलिंग) और कच्चे रेशम के उत्पादन तक इसके तहत आ जाती हैं। वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्वित्त की सीमा बैंक-ऋणों के 80 प्रतिशत के बराबर तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के मामले में पुनर्वित्त, यदि ऋण छोटे किसानों को दिये गये हैं तो बैंक ऋण के 90 प्रतिशत के बराबर और अन्य किसानों को दिये गये ऋणों के लिए 85 प्रतिशत के बराबर होगी। चरखों के लिए दिये गये ऋणों के संबंध में चुकौती अवधि 3 वर्ष और कुटीर आधारवाली (बेसिंग) और धागा बटने वाली (ट्विस्टिंग) इकाइयों के लिए 7 वर्ष होगी।

Refinance Facilities for Sericulture Development

3.47 NABARD extended term loan refinance facilities with effect from December 21, 1984 for reeling and twisting activities irrespective of whether these activities are carried on by sericulturists along with the rearing activity or independently, so that the entire range of sericulture activities from mulberry plantation and reeling to the production of raw silk is covered. The extent of refinance to commercial banks, SCBs and RRBs will be 80 per cent of the bank loans and in the case of SLDBs the refinance will be 90 per cent of bank loans if the loans are given to small farmers and 85 per cent in respect of other farmers. Repayment period is 3 years in respect of loans for *charkhas* and 7 years for cottage basins and twisting units.

3.48 कर्नाटक और तमिलनाडु में सिल्क रीलर्स सहकारी समितियां पुनर्वित्त सहायता का लाभ उठा सकें, इसके लिए नाबार्ड ने 21 दिसम्बर 1984 से

3.48 With a view to enabling silk reelers' co-operative societies in Karnataka and Tamil Nadu to avail of refinance assist-

रीलर्स सहकारी समितियों को उनकी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान कीं। इसके लिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि ये समितियां सिर्फ उत्पादन और बिक्री इकाइयों के रूप में ही कार्य कर रही हों। पुनर्वित्त का लाभ-उठाने के लिए वही शर्तें रहेंगी जो अन्य औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए होती हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ने उपर्युक्त दोनों राज्यों में 'ट्विस्टर्स' की सहकारी समितियों को उनकी कार्यकारी पूंजी-गत आवश्यकताओं के लिए दिसम्बर 1984 से पुनर्वित्त सुविधाएं कुछेक विशेष शर्तों/रक्षोपायों के तहत प्रदान कीं, इसके लिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि ट्विस्टिंग कार्य वे अपने आप ही करती हों।

नारियल के रेशे-उद्योग के विकास के लिए पुनर्वित्त

3.49 नाबार्ड ने नारियल के रेशे अलग करने वाली (डीफाइबरिंग) इकाइयां स्थापित करने के लिए प्राथमिक नारियल रेशा (कोयर) सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋणों के रूप में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं देने का फैसला किया। इसी तरह की सुविधाएं सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को ऐसे अलग-अलग उद्यमियों को दिये गये ऋणों के लिए दी गयी, जिन्होंने अपनी कार्यकारी पूंजी के प्रावधान के लिए बैंकों के साथ व्यवस्था की हुई है। हिताधिकारी का हिस्सा निवेश की लागत के अथवा भूमि की लागत के कम से कम 20 प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, होना चाहिए। नाबार्ड के पुनर्वित्त की सीमा, बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के 90 प्रतिशत के बराबर होगी। वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर राज्य सहकारी बैंकों के लिए 6.5 प्रतिशत होगी, जबकि प्राथमिक नारियल रेशा सहकारी समितियों को यह ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मिलेगा। वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त नाबार्ड द्वारा 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से इस शर्त पर उपलब्ध कराया जायेगा कि अलग-अलग उद्यमियों के लिए बैंकों की उधार पर ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से अधिक न हो। यह ऋण 10 वर्ष की अवधि में चुकाया जायेगा।

ance, NABARD extended refinance facility, with effect from December 21, 1984, to reelers' co-operative societies for their working capital requirements without insisting that they should be functioning as purely production-cum-sale units. The terms and conditions for availing refinance will be the same as in the case of other industrial co-operative societies. Further, NABARD extended refinance facilities to twisters' co-operative societies in the above two States with effect from December 1984 for their working capital requirements without insisting that the twisting activities are done on their own account subject to certain specific conditions/safeguards.

Refinance for Development of Coir Industry

3.49 NABARD has decided to extend refinance facilities to the SCBs on behalf of the CCBs by way of term loans for financing primary coir co-operative societies for installation of defibering units. Similar facilities were extended to all scheduled commercial banks (other than RRBs) in respect of their loans to individual entrepreneurs who have arrangements with the banks for provision of working capital. The involvement of the beneficiaries should at least be to the extent of 20 per cent of the cost of investment or the cost of land, whichever is more. NABARD's refinance would be limited to 90 per cent of the loans given by the banks. The rate of interest charged to SCBs would be 6.5 per cent. The primary coir co-operative societies, however, would get the loan at 9 per cent per annum. In the case of commercial banks, refinance would be provided by NABARD at 8 per cent per annum with a stipulation that the banks' lending rate to individual entrepreneurs should not exceed 12.5 per cent. The loan would be repayable within a period of 10 years.

बायो-गैस कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त की सुविधा

3.50 बायो- गैस कार्यक्रमों के लिए बैंकों के वित्तपोषण के लिए उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा को पहली जुलाई 1984 से नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है। इसके अलावा, 9 अक्तूबर 1984 से नाबार्ड ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उन्हें 6.5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध पुनर्वित्तपोषित अग्रिमों को, अंतिम हिताधिकारियों को, चाहे वे छोटे किसान हों अथवा बड़े, 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर उपलब्ध करायें। नाबार्ड ने कार्य न कर रहे/दोषपूर्ण बायो-गैस संयंत्रों के मालिकों को खराब संयंत्रों की मरम्मत आदि के लिए बैंकों द्वारा 500 रुपये प्रति संयंत्र की सीमा तक किये गये वित्तपोषण के लिए भी बैंकों को जनवरी 1985 से पुनर्वित्त सुविधा देने का फैसला किया है। (यह राशि इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गयी 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त होगी।) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करने के एक और उपाय के रूप में नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह अनुमति देने का फैसला किया कि वे लक्ष्य के अन्तर्गत आने वाले समूह के हिताधिकारियों को 3 घन मीटर क्षमता तक के बायो-गैस संयंत्रों के लिए वित्त प्रदान करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

3.51 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, रिज़र्व बैंक में फरवरी, 1984 में गठित शहरी बैंक विभाग प्राथमिक सहकारी बैंकों की वृद्धि की देखरेख करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। रिज़र्व बैंक मौजूदा/नये बैंकों और शाखाओं के लिए लाइसेंस देने, लघु इकाइयों के वित्तपोषण के लिए शहरी बैंकों की ओर से पुनर्वित्त के जरिए राज्य सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएं मंजूर करने, प्राथमिक सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों के ऋण आवेदनों की जांच करने और उन्हें सिफारिश के साथ नाबार्ड को भेजने और उनके सांविधिक निरीक्षण आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

Refinance Facility for Bio-gas Programme

3.50 Refinance facility to banks in respect of their financing for bio-gas programmes had been made automatic by NABARD with effect from July 1, 1984. Further, with effect from October 9, 1984, NABARD has advised the banks to charge a uniform lending rate of 10 per cent per annum to the ultimate beneficiaries on the refinanced advances available to them at 6.5 per cent per annum, irrespective of whether they are small or other farmers. NABARD has also extended refinance facility, with effect from January 1985, to banks for financing repairs of defunct/defective plants to the extent of Rs. 500 per plant (which will be in addition to the central subsidy of Rs. 500 sanctioned for the purpose) given by them to the owners of non-operating plants for rectification of the defective bio-gas plants. As a further step to maximise the use of available potential in the rural areas, NABARD decided to permit RRBs to provide finance for bio-gas plants upto 3 cubic metres capacity to the beneficiaries in the target group.

Primary (Urban) Co-operative Banks

3.51 As mentioned in the previous Report, the Urban Banks Department, set up in the Reserve Bank in February 1984, monitors and regulates the growth of Primary Co-operative Banks (PCBs). The Reserve Bank is also responsible for licensing of existing/new banks and branches, sanctioning of credit limits to SCBs by way of refinance on behalf of urban banks for financing the SSI units, processing of and recommending to NABARD the loan applications of State Governments for contribution to share

लाइसेंस जारी करना तथा निरीक्षण करना

3.52 1984-85 के दौरान (जुलाई-जून) देश में नये कार्यालय खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्राथमिक सहकारी बैंकों को 200 लाइसेंस जारी किये थे। इसी अवधि के दौरान बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए 16 मौजूदा और 19 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये थे। जून 1985 के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1,331 थी जिनमें से 428 लाइसेंस शुदा थे। वर्ष 1984-85 के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा की वह सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 35 के तहत 400 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया था, जबकि पिछले वर्ष 397 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया था।

अल्पावधि ऋण सीमाएं

3.53 वित्त वर्ष 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान ब्याज की रियायती दर अथात् बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम दर पर कुटीर और लघु औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण के लिए 70 प्राथमिक सहकारी बैंकों को कुल 36.0 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाए मंजूर कीं गयी थीं, जबकि पिछले वर्ष 101 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 56.4 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। इन ऋणों में से 31 मार्च 1985 को 25 करोड़ रुपये बकाया थे, जबकि एक वर्ष पहले बकाया राशियाँ 48 करोड़ रुपये की थीं।

ऋण प्राधिकरण योजना

3.54 अलग-अलग उधारकर्ताओं को अग्रिमों के संबंध में अधिकतम सीमा के बारे में रिज़र्व बैंक के निदेश की सीमा से छूट चाहने के लिए रिज़र्व बैंक को 1984-85 (जुलाई-जून) में 14 प्राथमिक सहकारी बैंकों से 78.0 करोड़ रुपये की कुल राशियों के लिए 94 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक ने 11 बैंकों के संबंध में कुल 65.1 करोड़ रुपये की राशि के 74 प्रस्ताव अनुमोदित किये।

capital of PCBs as well as conducting their statutory inspections.

Issue of Licences and Inspections

3.52 During 1984-85 (July-June), 200 licences were issued to various PCBs by the Reserve Bank for opening new offices in the country. Licences to carry on banking business were issued to 16 existing and 19 new PCBs during the same period. The total number of PCBs as at the end of June 1985 stood at 1,331 of which 428 were licensed. During 1984-85, inspections of 400 PCBs were conducted under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) as against 397 in the previous year.

Short-term Credit Limits

3.53 During the financial year 1984-85 (April-March), short-term credit limits for financing cottage and small-scale industrial units at concessional rate of interest i.e., 2.5 per cent below the Bank Rate, aggregating Rs. 36.0 crores were sanctioned to 70 PCBs as against Rs. 56.4 crores to 101 PCBs in the preceding year. The borrowings outstanding under the above limits amounted to Rs. 25 crores as on March 31, 1985 as against Rs. 48 crores a year ago.

Credit Authorisation Scheme

3.54 During 1984-85 (July-June), the Reserve Bank received 94 proposals from 14 PCBs for an aggregate amount of Rs. 78.0 crores seeking exemption from the purview of the Bank's directive on maximum limit on advances to individual borrowers. The Reserve Bank approved 74 proposals involving 11 banks for an aggregate amount of Rs. 65.1 crores.

अनिवासी (सामान्य/बाह्य) रुपया खाते

3.55 सहकारी बैंक अनिवासी (सामान्य/बाह्य) रुपया खाते रख सकें, इसके लिए अनिवासी खाता नियमावली 1970 के नियम 2 में संशोधन करने के बैंक के प्रस्ताव को मानते हुए भारत सरकार ने 21 फरवरी, 1985 से उक्त नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना जारी की। अब पूर्व अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय जिन प्राथमिक सहकारी बैंकों की कार्यकारी पूंजी कम से कम 10 करोड़ रुपये है और जिन्होंने दो लगातार वर्षों तक लेखापरीक्षा वर्गीकरण में "ए" अर्जित किया है तथा जिनकी कार्य-प्रणाली संतोषजनक पायी गयी है वे अनिवासी रुपया खाते रख सकते हैं।

Non-Resident (Ordinary/External) Accounts in Rupees

3.55 Accepting Reserve Bank's proposal to amend Rule 2 of Non-Resident Account Rules, 1970 to enable co-operative banks to maintain such accounts, the Government of India issued a notification dated February 21, 1985 effecting amendments to the said rules. Now PCBs having a minimum working capital of Rs. 10 crores and which have earned 'A' in audit classification for two consecutive years and whose working has been found to be satisfactory at the time of submission of application to the Reserve Bank for prior approval can maintain Non-Resident Accounts in rupees.

जमाराशियों पर ब्याज की दरें

3.56 रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 1985 को और फिर 27 मई 1985 के प्राथमिक सहकारी बैंकों की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज-दरों में संशोधन किया। 27 मई 1985 से जमाराशियों पर ब्याज दरें इस प्रकार हैं :

Interest Rates on Deposits

3.56 The Reserve Bank revised the interest rates on term deposits of PCBs on April 8, 1985 and again on May 27, 1985. The rates of interest on deposits since May 27, 1985 are as under :

मीयादी जमाराशियां Term deposits	(प्रतिशत वार्षिक) (per cent per annum)
(अ) 15 दिन से 45 दिन (a) 15 days to 45 days	3.0
(आ) 46 दिन से 80 दिन (b) 46 days to 90 days	4.0
(इ) 91 दिन से 6 माह से कम (c) 91 days to less than 6 months	6.5
(ई) 6 माह से अधिक और एक वर्ष से कम (d) 6 months & above but less than 1 year	8.0
(उ) एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम (e) 1 year & above but less than 2 years	8.5
(ऊ) दो वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम (f) 2 years & above but less than 3 years	9.0
(ए) 3 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम (g) 3 years & above but less than 5 years	10.0
(ऐ) 5 वर्ष से अधिक (h) 5 years and above	11.0

मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं पर अग्रिम

3.57 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सूती वस्त्रों, सूती धागे, मानव निर्मित रेशों तथा मानवनिर्मित रेशों से बने धागे और वस्त्रों, बही ऋणों, बिलों की खरीद और भुनाई आदि पर अग्रिमों के संबंध में विनियमों को 17 जनवरी 1985 से रद्द कर दिया गया है, अलबत्ता, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि दिये गये ऋण – स्टॉकों को सट्टेबाजी के लिए जमा करने के लिए इस्तेमाल न किया जाए तथा पार्टियां एक से अधिक बैंक से चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन वस्तुओं की जमानत पर ऋण-सुविधाओं का लाभ न उठा सकें।

लघु औद्योगिक इकाइयों तथा लघु उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम योजना

3.58 प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आनेवाली गतिविधियों जैसे "लघु परिवहन परिचालक", "खुदरा व्यापारी" "लघु कारोबार" में लगे उधारकर्ताओं तथा व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर कतिपय ऋण-सुविधाओं के संबंध में गारंटी रक्षा उपलब्ध कराने के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने पहली जुलाई 1984 से लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 नाम की एक नयी योजना शुरू की। सभी शहरी बैंक जो निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेने के लिए पात्र हैं वे नयी योजना के लिए भी पात्र हैं। इसमें भाग लेने के लिए पात्र शहरी बैंकों की संख्या 30 जून 1984 की 560 से बढ़कर 30 जून 1985 को 617 हो गयी।

सहकारिता के ढांचे को मजबूत करना और उसका भावी विकास

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन और पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का भावी विकास

3.59 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुनर्गठित करने का कार्यक्रम पिछले दो दशकों से चल रहा है।

Advances against Sensitive Commodities

3.57 Regulations on advances by PCBs against cotton textiles, cotton yarn, man-made fibres and the yarn and fabrics made out of man-made fibres (including stocks-in-process), book debts, purchase and discounting of bills, etc., have been rescinded with effect from January 17, 1985. However, banks have been advised to ensure that credit extended is not utilised for speculative build-up of inventories and the parties do not enjoy credit facilities against the security of commodities subject to the selective credit control from more than one bank.

DICGC Scheme for Financing of SSI Units and Small Borrowers

3.58 The DICGC introduced a new scheme from July 1, 1984 called Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 to provide guarantee cover in respect of certain credit facilities granted by the PCBs to borrowers engaged in activities under priority sectors like "small transport operators", "retail traders", "small business" and "professionals and self-employed persons". All urban banks which are eligible to participate in the DICGC's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 are also eligible to participate in the new scheme. Total number of urban banks eligible to participate in the schemes increased from 560 as on June 30, 1984 to 617 as on June 30, 1985.

Strengthening and Future Development of Co-operative Structure

Reorganisation of PACS and Future Development of Reorganised PACS

3.59 The reorganisation programme of the Primary Agricultural Credit Societies (PACS) has been under implementation for the last two decades. The pro-

यह कार्यक्रम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, किसी समिति को अर्थ-सक्षम इकाई बनने के लिए न्यूनतम 2 लाख रुपये की मीयादी ऋण कारोबार की व्यवस्था और साथ ही कारोबार का यह स्तर प्राप्त करने के लिए कुल 2,000 हैक्टेयर का फसल वाला क्षेत्र होना चाहिए, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है। पुनर्गठन के पश्चात् प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या को कम करके जून 1981 के अंत तक 90,000 तक लाने का उद्देश्य था। अलबत्ता, जून 1984 के अंत में भी देश में 93,496 प्राथमिक कृषि-ऋण समितियां कार्य कर रही थीं। इस कार्यक्रम के तहत सघन विकास के लिए 16 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने 30 जून 1985 तक 4,399 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को चुना था। चुनी हुई समितियों के संबंध में राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश राज्यों तथा पांडिचेरी संघशासित प्रदेश ने इन चुनी हुई समितियों को बहुउद्देशीय इकाइयों में बदलने के लिए कार्ययोजना बनाने के वास्ते पहले कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबार्ड द्वारा राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में 24 समितियों को लेते हुए एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया था ताकि पुनर्गठन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। अध्ययन रिपोर्टों की नाबार्ड द्वारा जांच की जा रही है।

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना

3.60 30 जून 1983 की स्थिति के अनुसार 134 कमजोर मध्यवर्ती सहकारी बैंक पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत रखे गये थे। कमज़ोर बैंकों की सबसे अधिक संख्या बिहार (33) में थी, उससे कम संख्या उत्तर प्रदेश (26), पश्चिम बंगाल (13), और कर्नाटक (12) में रही। पुनर्स्थापना कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए नाबार्ड ने अब तक 12 कमज़ोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में मूल्यांकन-अध्ययन पूरे कर लिये हैं। उनको मज़बूत करने के लिए उपयुक्त कार्य-संबंधी कार्यक्रम भी तैयार किये जा रहे हैं।

gramme, which envisaged, among others, a minimum short-term loan business of Rs. 2 lakhs for a society to become a viable unit and a coverage of gross cropped area of 2,000 hectares to achieve this level of business, has been almost completed in all the States except Gujarat, Jammu & Kashmir and Maharashtra. Following the reorganisation, the total number of PACS was targeted to come down to 90,000 by the end of June 1981. However, at the end of June 1984, 92,496 PACS were functioning in the country. Sixteen State Governments/ Union Territories have selected 4,399 PACS upto June 30, 1985 for intensive development under this programme. In respect of the selected societies, the States like Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Union Territory of Pondicherry have already taken steps to prepare action plans to convert the selected societies into multi-purpose units. A pilot study covering 24 societies was conducted by NABARD in Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh with a view to assessing the impact of reorganisation. The study reports are being examined by NABARD.

Rehabilitation of CCBs/SCBs

3.60 As on June 30, 1983, 134 weak CCBs were under rehabilitation programme. The largest number of weak banks existed in Bihar (33), followed by Uttar Pradesh (26), West Bengal (13) and Karnataka (12). NABARD has so far conducted evaluation studies in respect of 12 weak CCBs in order to implement the rehabilitation programme effectively. Suitable action programmes for their strengthening .are also being drawn up. The programme of rehabilitation also covers 7 SCBs in the area where two-tier

पुनर्स्थापना का कार्यक्रम उस क्षेत्र के सात राज्य सहकारी बैंकों के लिए भी है, जहां पर द्वि-स्तरीय सरकारी ऋण ढांचा मौजूद है। ये क्षेत्र हैं - असम, चंडीगढ़, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा।

co-operative credit structure prevails viz., Assam, Chandigarh, Delhi, Manipur, Meghalaya, Pondicherry and Tripura.

राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम

3.61 राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लागू किया जा रहा है। संगठन और प्रबंध अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करने की प्रगति की भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। उपर्युक्त राज्यों (कर्नाटक को छोड़कर) में राज्य भूमि विकास बैंकों की असंतोषजनक वसूली स्थिति पर नाबार्ड ने चिन्ता व्यक्त की है और राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य भूमि विकास बैंकों और उनकी शाखाओं से संबंधित संगठन और प्रबंध अध्ययन दलों की सिफारिशों को तुरंत लागू करें।

Rehabilitation Programme of SLDBs

3.61 The rehabilitation programme of SLDBs is being implemented in Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. The progress in the implementation of the recommendations made by the Organisation and Management (O & M) Study Team is being periodically reviewed by the Government of India and NABARD. NABARD has expressed its concern over the unsatisfactory recovery position of the SLDBs to the above mentioned States (except Karnataka) and has requested them to implement promptly the recommendations of the O & M Study Teams relating to the SLDBs and their branches.

अनुसंधान और विकास निधि

3.62 वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान नाबार्ड ने अपनी अनुसंधान और विकास निधि में से 11 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके तकनीकी, देखरेख तथा मूल्यांकन कक्ष स्थापित/मज़बूत करने के लिए सहायता प्रदान की। इस तरह निधि से सहायता प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार 14 हो गयी। 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार ही अनुसंधान और विकास निधि से सहायता प्राप्त राज्य भूमि विकास बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमश: 11 और 2 पर अपरिवर्तित बनी रही। वर्ष के दौरान नाबार्ड से संबंधित विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन/गोष्ठियां आयोजित करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन करने के लिए तथा राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने तकनीकी, देखरेख, तथा मूल्यांकन कक्ष गठित करने/मज़बूत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को उक्त निधि

Research and Development Fund (R&D)

3.62 During the year 1984-85 (July-June), assistance was provided by NABARD from its R&D Fund to 11 more RRBs for establishing/strengthening their Technical, Monitoring and Evaluation (TME) Cells, bringing the total number of RRBs assisted from the Fund to 14 as on June 30, 1985. The total number of SLDBs/SCBs assisted from the R&D Fund remained unchanged at 11 and 2, respectively, as on June 30, 1985. During the year, a sum of Rs. 22.1 lakhs was disbursed from the Fund to various agencies for undertaking research projects studies, organising seminars/conferences/symposia, etc., on subjects of relevance to NABARD and for setting

में से 22.1 लाख रुपये वितरित किये । इस निधि से सहायता के लिए अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों की कुल संख्या जून 1985 में 34 थी । इनमें से आठ प्रस्ताव तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा अनुमोदित किये गये थे । 1984-85 के दौरान नाबार्ड द्वारा भी 161.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वाले 8 अनुसंधान प्रस्ताव/अध्ययन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और व्यक्तियों को मंजूर किये गये थे ।

up/strengthening the Technical, Monitoring and Evaluation Cells in SLDBs and RRBs. The total number of research proposals approved for assistance from the Fund stood at 34 by end-June 1985, including 8 proposals approved by the erstwhile Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). Eight research proposals/studies involving financial assistance of Rs. 161.25 lakhs to various research institutions, universities and individuals were also approved by NABARD during 1984-85.

अन्य गतिविधियाँ

ऋण प्राधिकरण योजना

3.63 जैसे कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के घटकों की कार्यकारी और थोक पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए बड़े ऋणों के संबंध में रिज़र्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना के संचालन का उत्तरदायित्व नाबार्ड पर है। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान थोक पूंजीगत वित्त के लिए मंजूर ऋण प्राधिकरण की राशि 38 करोड़ रुपये थी, जबकि 1983-84 (जुलाई-जून) में यह 48 करोड़ रुपये थी। उसी अवधि के दौरान कार्यकारी पूंजीगत वित्त के लिए ऋण प्राधिकरण की मात्रा 1,083 करोड़ रुपये थी, जबकि 1983-84 में यह 1,243 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना के तहत निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गये थे।

3.64 राज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे नाबार्ड के पूर्व प्राधिकरण के बिना 1984-85 मौसम के लिए सहकारी चीनी फैक्टरियों को चीनी के स्टाकों की गिरवी पर, उनके द्वारा पिछले मौसम के दौरान ली गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अधिक आहरणों को छोड़कर) के 80 प्रतिशत तक कार्यकारी पूंजीगत ऋण-सीमायें मंजूर कर सकते हैं। अलबत्ता चीनी फैक्टरियों को उपयुक्त सीमाओं के अलावा

Other Developments

Credit Authorisation Scheme

3.63 As stated in the last year's Report, the responsibility of administering the Credit Authorisation Scheme (CAS) of the Reserve Bank in respect of large advances for working and block capital requirements of the constituents of SCBs/CCBs rests with NABARD. During 1984-85 (July-June), credit authorisation granted for block capital finance amounted to Rs. 38 crores as against Rs. 48 crores in 1983-84 (July-June). During the same period, authorisation for working capital finance was granted for a total amount of Rs. 1,083 crores as compared with that of Rs. 1,243 crores in 1983-84. During the year, following instruction regarding the working capital limits to co-operative sugar factories was issued under CAS.

3.64 The SCBs were permitted to sanction, without prior authorisation from NABARD, working capital limits against pledge of stocks of sugar to co-operative sugar factories for the 1984-85 sugar season to the extent of 80 per cent of the maximum amount availed of by them during the previous season (excluding temporary excess drawings).

अतिरिक्त गिरवी सीमाओं की जरूरत पड़ने पर नाबार्ड के पूर्व प्राधिकरण के बिना आमतौर पर कोई बेजमानती/दृष्टिबंधक ऋण-सीमा चीनी फैक्टरियों को मंजूर नहीं की जायेगी। अलबत्ता, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिये, सहकारी चीनी फैक्टरियों को 150 लाख रुपये से अधिक की कार्यकारी पूंजीगत ऋण-सीमाओं की मंजूरी के लिए, पहले ही की तरह नाबार्ड से पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक था।

NABARD's prior authorisation was, however, made obligatory in case any of the sugar factories required additional pledge limits beyond the limits indicated above. No separate clean/hypothecation limit would generally be sanctioned to sugar factories without prior authorisation from NABARD. The CCBs were, however, required to obtain, as hitherto, prior authorisation from NABARD for sanction of working capital limits to co-operative sugar factories in excess of the limit of Rs. 150 lakhs.

स्रोत/वचनबद्धता की स्थिति

3.65 राज्य सहकारी बैंकों को यह कहा गया था कि वे बैंक प्रति वर्ष नाबार्ड को निरंतर रूप से निधियों के स्रोतों और उपयोगों की मासिक स्थिति पर आंकड़े, पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े तथा चालू/आगामी वर्ष के अनुमान प्रस्तुत करें ताकि इन बैंकों द्वारा नियोजित निधियों के क्षेत्रवार वितरण का मूल्यांकन किया जा सके।

Resources/Commitments Position

3.65 The SCBs were advised to submit to NABARD annually, on an on-going basis, data on month-wise position of sources and uses of funds, actuals for the previous year and estimates for the current/next year to assess sectoral deployment of funds envisaged by these banks.

ऋण-वितरण प्रणाली के लिये मार्गदर्शी परियोजना

3.66 ऋण प्रदान करने के तरीकों को बेहतर बनाने और ग्रामीण ऋण की उपयोगिता में पर्यवेक्षण सम्बंधी सुधार लाने के उद्देश्य से ऋण-वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये नाबार्ड ने एक मार्गदर्शी परियोजना की शुरूआत की। यह मार्गदर्शी परियोजना औरंगाबाद (महाराष्ट्र), होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) और साबरकांठा (गुजरात) के तीन जिलों में कार्यरत सभी ऋण-वितरक संस्थाओं की ऋण-वितरण प्रणाली को बेहतर और मज़बूत करने के लिये बनायी गयी है। इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आधार स्तर पर ही ऋण संस्थाओं को पर्याप्त स्टाफ प्रदान किया जाए ताकि प्रत्येक क्षेत्र (फील्ड) के कार्यकर्ता द्वारा निरीक्षण किये जानेवाले उधारकर्ताओं की संख्या उतनी ही रखी जा सके जितनी ठीक प्रकार से व्यवस्था की जा सके, उन्हें और उनके ऋणकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण दिया जा सके और फील्ड में कार्यरत स्टाफ के लिए और उनके लिए जो उन्हें मार्ग-निर्देश देते हैं या पर्य-

Pilot Project for Credit Delivery System

3.66 NABARD launched a Pilot Project for strengthening the credit delivery system in order to achieve qualitative improvement in lending and improve supervision over the utilisation of rural credit. This Pilot Project is designed to upgrade and strengthen the credit delivery system of all the lending institutions operating in three districts of Aurangabad (Maharashtra), Hoshangabad (Madhya Pradesh) and Sabarkantha (Gujarat). Emphasis is laid on providing adequate staff to the credit institutions at the ground level in order to limit to a manageable level, the number of borrowers to be supervised by each field functionary, impart intensive training to them and their borrowers and introduce structured working activities for the field staff and those who guide and supervise

वेक्षण करते हैं, इसके आधार-भूत कार्यों से सम्बन्धित गतिविधियों से परिचित कराया जा सकें। ऋण की समय पर और प्रभावशाली ढंग से आपूर्ति हो, इस पर ध्यान देने के अलावा, उत्पादन और आय पर इसका अधिकतम प्रभाव पड़े, इसे आसान बनाने के लिए ऋण के अंतिम उपयोग पर भी नज़र रखी जाती है। नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 5 वर्षों की अवधि के लिये वृद्धिशील स्टाफ की लागत को वहन करने के लिये सहमत हो गया है।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिये व्यक्तियों को वित्तपोषण

3.67 राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिये व्यक्तियों के वित्त पोषण की सीमाओं को बढ़ाकर इस वर्ष के दौरान प्रति उधारकर्ता के लिए 7,500 रुपये कर दिया गया। समग्र परिचालन-गत सीमायें नीचे दी गयी हैं :

them. Besides, aiming at timely and efficient supply of credit, the end-use of credit is also monitored to facilitate its optimum impact on output and income. NABARD has agreed to bear the incremental staff cost for a period of 5 years in the case of co-operative banks and RRBs.

Financing of Individuals for Purchase of Consumer Durables

3.67 The limits for financing of individuals for purchase of consumer durables by SCBs and CCBs were enhanced during the year to Rs. 7,500 per borrower. The overall operative ceilings are given below:

जमाराशियां **Deposits**	अग्रिमों पर सीमा **Ceiling on Advances**
ऐसे बैंक के लिए जिसके पास व्यक्तियों से प्राप्त 10 करोड़ रुपये तक की जमाराशियां हैं A bank having deposits upto Rs. 10 crores from individuals	इस प्रकार की जमाराशियों का 2 प्रतिशत या, 15 लाख रुपये जो भी कम हो 2 per cent of such deposits or Rs. 15 lakhs, whichever is less
ऐसे बैंक के लिए जिसके पास व्यक्तियों से प्राप्त 10 करोड़ रुपये से ऊपर किन्तु 20 करोड़ रुपये से कम की जमाराशियां हैं A bank having deposits above Rs. 10 crores but upto Rs. 20 crores from individuals	इस प्रकार की जमाराशियों का 2 प्रतिशत या 30 लाख रुपये, जो भी कम हो 2 per cent of such deposits or Rs. 30 lakhs, whichever is less
ऐसे बैंक के लिए जिसके पास व्यक्तियों से प्राप्त 20 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशियां हैं A bank having deposits above Rs. 20 crores from individuals	इस प्रकार की जमाराशियों का 2 प्रतिशत या 45 लाख रुपये, जो भी कम हो 2 per cent of such deposits or Rs. 45 lakhs, whichever is less

शुष्क भूमि पर कृषि का संवर्द्धन

3.68 इस वर्ष के दौरान नाबार्ड ने सभी बैंकों को (क) भूमि विकास सहित मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, (ख) कृषि सम्बंधी लघु औजार, (ग) कृषि सम्बंधी फसलों को उगाने के लिये अनुपयोगी भूमि पर वन-उद्योग कार्यक्रम, और (घ) पशु पालन और फार्म से इतर निवेशों जैसी सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गांवों के एक समूह या छोटे परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए शुष्क भूमि

Promotion of Dry Land Agriculture

3.68 During the year, NABARD issued broad guidelines to all banks for formulation of dry land development projects covering a cluster of villages or small compact areas for the purpose of (a) soil and moisture conservation including land development; (b) small agricultural implements; (c) farm forestry pro-

विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिये विशद मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे हिताधिकारियों को दिये जाने वाले अच्छी किस्म के बीजों, औजारों, उर्वरकों आदि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कर लें।

फसल बीमा

3.69 राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा 1979 से चलायी गयी मार्गदर्शी फसल बीमा योजना में और प्रगति हुई। प्रारंभ में यह योजना केवल ३ राज्यों द्वारा अपनायी गयी थी, किन्तु अब यह बारह राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 1983-84 के दौरान फसल बीमा का लाभ 87,347 हेक्टेयर के लिए 60,349 कृषकों को उपलब्ध कराया गया, जबकि 1982-83 में यह 70,729 हेक्टेयर के 50,855 कृषकों को उपलब्ध कराया गया था। मार्गदर्शी फसल बीमा योजना में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं ताकि उक्त योजना कृषकों के लिये प्रभावी और आकर्षक बन सके और उसका विस्तार किया जा सके। लघु और सीमांत कृषकों द्वारा देय प्रीमियम संबंधी उपदान की राशि खरीफ 1984 के मौसम से 50 प्रतिशत से बढ़कर 66.66 प्रतिशत कर दी गयी है जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारें समान रूप में सहभागी होंगी। इसके साथ ही, यह भी निश्चय किया गया है कि उक्त योजना के अधीन भारी खतरे वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाए। मार्गदर्शी योजना की वर्ष 1979 से प्रगति आगे दर्शायी गयी है :

व्यापक फसल-बीमा योजना

3.70 भारत सरकार ने खरीफ 1985 से सारे देश भर में फसल-बीमा की एक व्यापक योजना प्रारंभ की है जो सभी मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, तिलहन और दालों के लिए है। सभी कृषक जो उक्त फसलों को उगाने के लिये सहकारी ऋण-संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल-ऋण प्राप्त करते हैं, वे इस योजना के अन्तर्गत आयेंगे और फसल-ऋण के एक अंग के रूप में बीमा सुरक्षा बनायी जायेगी। यह

grammes on lands not suitable for growing agricultural crops; and (d) allied activities such as animal husbandry and non-farm investments. The banks have also been advised to ensure availability of quality seeds, implements, fertilizers, etc., to the beneficiaries.

Crop Insurance

3.69 The Pilot Crop Insurance Scheme undertaken by the General Insurance Corporation of India (GIC) in collaboration with the State Governments since 1979 made further progress. Initially, the scheme was adopted by only three States, but now it is implemented by twelve States. The benefit of crop insurance was made available to 60,349 farmers covering 87,347 hectares during 1983-84 as against 50,855 farmers covering 70,729 hectares in 1982-83. Changes have been introduced in the Pilot Crop Insurance Scheme from time to time to make the scheme effective and attractive to the farmers and to increase its coverage. The subsidy towards the premium payable by small and marginal farmers has been raised from 50 per cent to 66.66 per cent from kharif 1984 season, which will be shared equally by the Central and State Governments. Further, it has been decided to include high risk areas under the scheme The progress of the pilot scheme since scheme since 1979 is shown on next page:

Comprehensive Crop Insurance Scheme

3.70 Government of India have introduced from kharif 1985, a comprehensive scheme of crop insurance throughout the country, covering major crops viz., rice, wheat, millets, oilseeds, and pulses. All farmers availing of crop loans from co-operative credit institutions, commercial banks and regional rural banks for raising the aforesaid

मार्गदर्शी फसल बीमा योजना की प्रगति
Progress of Pilot Crop Insurance Scheme

वर्ष Year	राज्यों की संख्या No. of States	शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर्स में) Area covered (in hectares)	कृषकों की संख्या No. of farmers	संग्रह की गयी प्रीमियम राशि (लाख रुपयों में) Premium collected (Rs. Lakhs)	प्रदत्त दावे (लाख रुपयों में) Claims paid (Rs. Lakhs)
1979-80	3	13,181	16,268	5.53	5.29
1980-81	3	18,703	23,442	6.93	3.27
1981-82	8	24,152	24,625	7.55	9.64
1982-83	9	70,729	50,855	15.65	37.32
1983-84	11	87,347	60,349	21.15	4.69 (केवल खरीफ) (Kharif only)

योजना भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक फसल के लिये निर्धारित क्षेत्रों में लागू होगी। पात्र फसलों के लिये वितरित फसल-ऋण की राशि के 150 प्रतिशत तक की राशि बीमाकृत की जायेगी। चावल, गेंहू और बाजरे की फसलों के लिये बीमाकृत राशि के 2 प्रतिशत और तिलहनों और दालों की फसलों के लिये 1 प्रतिशत का बीमा प्रीमियम होगा। फसल-ऋण के लिये वित्त के मानदंड के रूप में बीमा प्रीमियम की राशि को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जायेगा। लघु और सीमांत कृषकों के मामले में, बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत की सीमा तक उपदान किया जायेगा और उपदान की यह राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप में वहन की जायेगी। यदि फसल की खराबी के फलस्वरूप, बीमाकृत फसल के प्रति हेक्टेयर में वास्तविक औसत उपज में कमी आती है तो निर्धारित क्षेत्र में उस फसल को उगानेवाला प्रत्येक बीमाकृत किसान न्यूनतम उपज के हिसाब से पायी गयी क्षतिपूर्ति पाने का पात्र होगा। यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम के जरिये चलायी जायेगी और यह निगम अग्रणी बीमाकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जबकि राज्य सरकारें 33 1/3 प्रतिशत की सीमा तक सह-बीमाकर्ता के रूप में रहेंगी। नाबार्ड ने

crops will be covered under the scheme and the insurance cover will be built in as a part of the crop loan. The scheme will operate in defined areas for each crop as may be notified by the Government of India. The sum insured will be 150 per cent of the amount of crop loan disbursed for the eligible crops. The insurance premium will be 2 per cent of the sum insured for rice, wheat and millet cropsand 1 percent for oilseeds and pulses. The amount of insurance premium will be included as an additionality in the scale of finance for the crop loan, In the case of small and marginal farmers, the insurance premium will be subsidised to the extent of 50 per cent, the subsidy being borne equally by the Government of India and the State Governments. If there is a shortfall in actual average yield per hectare of the insured crop as a result of crop failure, each of the insured farmers growing that crop in the defined area will be eligible for indemnity calculated with reference to the threshold yield. The scheme will be operated by the General

बैंकों को इस योजना को प्रारंभ करने के संबंध में सूचित किया है और उनसे कहा है कि वे इसमें सक्रिय रूप से भाग लें । खरीफ 1985 से साधारण बीमा निगम की मार्गदर्शी फसल बीमा योजना को, जो 1979-80 से चालू थी,समाप्त कर दिया गया है ।

राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

3.71 अप्रैल 1985 के अंत में लाइसेंस-शुदा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमश: 8 और 35 थी । बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि वह सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 23 के अधीन 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 7 नये कार्यालय खोलने के लिये 5 राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये ।

बैंकों का निरीक्षण

3.72 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, मध्यवर्ती और राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी गयी थी । राज्य भूमि विकास बैंकों और अन्य संघों/निगमों के निरीक्षण-कार्य ऐच्छिक आधार पर किये जाते हैं । 1984-85 के दौरान, नाबार्ड ने 197 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 21 राज्य सहकारी बैंकों, 10 राज्य भूमि विकास बैंकों, 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 9 अन्य संस्थाओं का निरीक्षण किया ।

अध्ययन दल/समितियां/कार्यकारी दल

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति

3.73 प्राथमिक सहकारी बैंकों के लेखा-परीक्षा के वर्गीकरण के लिये, रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाये गये समान मानदंडों पर राज्य सरकारों/सहकारी विभागों द्वारा व्यक्त किये गये अभिमतों पर विचार करने के बाद, प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिये स्थायी सलाहकार

Insurance Corporation of India (GIC) which will act as the leading insurer while the State Governments will be co-insurers to the extent of 33 1/3 per cent. NABARD has advised banks in regard to the introduction of the scheme and asked them to participate actively in the scheme. With effect from kharif 1985, the Pilot Crop Insurance Scheme of GIC, which was in operation since 1979-80, stands withdrawn.

Licensing of State/Central Co-operative Banks

3.71 The total number of licensed state and central co-operative banks as at the end of April 1985 stood at 8 and 35, respectively. Licences were issued during the year 1984-85 (July-June) to 5 SCBs for opening 7 new offices under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies).

Inspection of Banks

3.72 As stated in the last year's Report, NABARD is entrusted with the responsibility of inspecting Central and State Co-operative Banks and Regional Rural Banks. The inspections of SLDBs and other Federations/Corporations are undertaken on a voluntary basis. During 1984-85, inspections of 197 CCBs, 21 SCBs, 10 SLDBs, 78 RRBs and 9 other institutions were conducted by NABARD.

Study Teams/Committees/Working Groups

Standing Advisory Committee for Urban Co-operative Banks

3.73 The Standing Advisory Committee for PCBs, after considering the views expressed by the State Governments/co-operation departments on the uniform

समिति ने देश में प्राथमिक सहकारी बैंकों के उक्त वर्गीकरण के लिये मानक मानदंडों को अपनाने के लिये उचित सिफ़ारिशें की हैं। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि लेखा-परीक्षण के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले बड़े बैंको की लेखा-परीक्षा का कार्य व्यावसायिक रूप में योग्य लेखा-परीक्षकों/सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकान्टेंटों) को सौंपा जाए। स्थायी सलाहकार समिति के सुझाव के मुताबिक, 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले शहरी बैंकों से यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात के अधीन बनाये रखने के लिये अपेक्षित चलनिधि आस्तियों की कम-से-कम 10 प्रतिशत राशि सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों के रूप में रखी जाये ताकि सरकार की विकासात्मक गतिविधियों में बड़े प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल किया जा सके। प्राथमिक सहकारी बैंकों/शाखाओं की सक्षमता से संबंधित मानदंडों के संशोधित प्रस्तावों पर भी समिति ने विचार-विमर्श किया है और यह सिफारिश की है कि इस संदर्भ में गहन अध्ययन करने के लिये एक लघु समिति का गठन किया जाए जो समिति के विचारार्थ इनकी सक्षमता के उचित मानदंड सुझाये।

सहकारी समितियों के माध्यम से मीयादी ऋण प्रदान करने से सम्बंधित समिति

3.74 सहकारी समितियों के माध्यम से मीयादी ऋण प्रदान करने से सम्बंधित समिति जब से बनी है, तब से उसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अंतिम बैठक 4 अप्रैल 1985 को हुई। भूमि विकास बैंकों के पुनर्स्थापना कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा का कार्य समिति ने जारी रखा। इसके अलावा, इस समिति को कमजोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर उन्हें पुनर्स्थापित करने से सम्बंधित कार्य भी सौंपा गया। इस समिति की एक उप समिति जून 1983 में गठित की गयी ताकि वह

norms suggested by the Reserve Bank for audit classification of PCBs, made suitable recommendations for adoption of standard norms for such classification of PCBs in the country. It also suggested that the audit of bigger banks with working capital of Rs. 2 crores and above be entrusted to professionally qualified auditors/chartered accountants with a view to improving the quality of audit. As suggested by the Standing Advisory Committee, urban banks with working capital of Rs. 25 crores and above have been advised to ensure that at least 10 per cent of the liquid assets required to be maintained by them under Statutory Liquidity Ratio (SLR) are held in the form of Government and other trustee securities with a view to involving bigger PCBs in the developmental activities of the Government. The Committee also discussed the revised proposals on norms of viability of PCBs/branches and recommended the constitution of a small committee to conduct an in-depth study and suggest suitable norms of viability for its consideration.

Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP)

3.74 The Committee on Term Lending through Co-operatives (COTELCOOP) met on 6 occasions since its formation; the last meeting was held on April 4, 1985. The Committee continued to review the progress in the implementation of the rehabilitation programme of LDBs. Besides, it was also entrusted with the work relating to rehabilitation of weak CCBs (evaluation studies). A sub-committee of COTELCOOP was set up in June 1983 to study the problems of rehabilitation of primary units in LDB structure and to prepare broad guide-

भूमि विकास बैंकों के ढाँचे में प्राथमिक इकाइयों को पुनस्थापित करने से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन करे, तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिये व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करे, जिनका कि वे अलग-अलग इकाइयों को पुनस्थापित करने की योजना बनाने के लिये अनुकरण कर सकें। इस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 अक्तूबर 1984 को हुई समिति की बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत की। समिति द्वारा अनुमोदित उप-समिति की सिफारिशें सभी राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सरकारों, आदि को प्रेषित की गयीं। महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में कमज़ोर यूनिटों की पहचान के लिये संशोधित मानदंड और राज्य भूमि विकास बैंकों के स्तर पर कक्षों की स्थापना शामिल हैं, ताकि पुनस्थापित करने की या अन्य किये जाने वाले कार्यों की योजनायें बनायी जा सकें तथा कमज़ोर बैंकों की सूची तैयार की जा सके।

lines for various State Governments, which they could follow for drawing up individual rehabilitation plans. The sub-committee submitted its report to the Committee for its consideration at its meeting held on October 29, 1984. The recommendations of the sub-committee as approved by the COTELCOOP were communicated to all SLDBs, State Governments, etc. The important recommendations include, revised criteria for identification of weak units and setting up of cells at SLDBs level for drawing up of rehabilitation plans or other functions to be performed by it including preparation of list of weak banks.

कृषि से इतर गतिविधियों का वित्तपोषण करने से सम्बंधित समिति

3.75 नाबार्ड ने अपने बैंक के तथा बैंक से बाहर के व्यक्तियों को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो सहकारिता-क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की कृषि से इतर गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित मामलों पर नाबार्ड को परामर्श देगी। उक्त समिति उन अनेक समितियों के अलावा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयों सहित विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने, संगठन सम्बन्धी उचित व्यवस्थाओं के बारे में सुझाव देने तथा इस क्षेत्र के लिए ऋण को सरल बनाने के लिए आधार-भूत समर्थन जुटाने के लिए पहले ही गठित की जा चुकी हैं।

Committee on Financing of Non-Farm Activities

3.75 An Expert Committee comprising officials and non-officials has been constituted by NABARD to advise it on matters relating to financing of non-farm activities-both within and outside the co-operative fold. This is in addition to the several Task Forces constituted to look after the problems of specific sectors including the tiny industrial units in rural areas. The committee has also been advised to suggest suitable organisational arrangements and infrastructural support for streamlining credit to this sector.

तकनीकी योजनाओं से सम्बंधित सलाहकार समिति

3.76 नाबार्ड की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और प्राप्त करने की दृष्टि से, इस वर्ष के दौरान तकनीकी योजनाओं से सम्बंधित एक सलाहकार समिति गठित की गयी, जिसमें कि बाहरी संस्थाओं,

Advisory Committee on Technical Schemes

3.76 With a view to strengthening and building up of technical capabilities in NABARD, an Advisory Committee on Technical Schemes (ACOTS)

राज्य और केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों से तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञ लिये गये थे। राष्ट्रीय बैंक के तकनीकी सेवा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक, समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बैंक की आन्तरिक योजना बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने, उसकी कार्य प्रणाली के मूल्यांकन और संचालन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर मार्ग निर्देश करने के साथ-साथ उक्त समिति एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगी जहाँ नाबार्ड और परियोजना-प्रायोजक वित्तीय एजेंसियों के बीच तकनीकी पहलुओं से सम्बंधित मामलों पर परामर्श किया जा सके और कठिनाइयों को दूर किया जा सके। यह समिति समग्र परियोजना के स्वरूप, परियोजना की सामाजिक और आर्थिक उपयोगिता तथा परियोजना की सक्षमता से सम्बंधित तकनीकी और अन्य पहलुओं, अपनाये जानेवाले तकनीकी मानदंडों और कार्यान्वयन से सम्बंधित पहलुओं पर परामर्श देगी। 6 क्षेत्रों अर्थात् लघु सिंचाई, बागबानी और बागान, पशुपालन, वन-उद्योग, भूमि विकास और मत्स्य पालन में से प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी योजनाओं से सम्बंधित एक सलाहकार समिति गठित की गयी है। इस वर्ष के दौरान, तकनीकी योजनाओं से सम्बंधित सलाहकार समिति की 16 बैठकें हुई, जिनमें 73 योजनाओं पर विचार किया गया और उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सिफारिशें की गयीं।

was constituted during the year by associating technical and professional experts from outside institutions, State and Central Government agencies. The Chief General Manager in charge of NABARD's Technical Service Department is the Chairman of the Committee. Alongwith the guidance on various aspects for strengthening of scheme formulation, appraisal and monitoring system within the National Bank, the Committee would also serve as a forum for consultation and resolving issues relating to technical aspects between NABARD and project-sponsoring financial agencies. It will advise on the overall project profile, the social and economic utility of the project and technical and other factors relating to the viability of the project, technical norms to be followed and implementation aspects. ACOTS has been constituted in each of the 6 disciplines viz.,Minor Irrigation, Horticulture and Plantation, Animal Husbandry, Forestry, Land Development and Fisheries. During the year ACOTS held 16 meetings in which 73 schemes were considered and recommendations were made in regard to different aspects of the scheme.

कृषि संबंधी ऋण देने के संदर्भ में राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा संसाधनों को शामिल करने के मानदंडों के सम्बन्ध में गठित अध्ययन दल

77 कृषि सम्बंधी ऋण देने के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा संसाधनों को शामिल करने के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए जून, 1983 में नाबार्ड ने एक अध्ययन दल गठित किया था जिसने जून 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि सम्बंधी अल्पावधि ऋण देने में राज्य

Study Group on Norms for Involvement of Resources by State and Central Co-operative Banks in Agricultural Lending

3.77 The Study Group constituted by NABARD in June 1983 to recommend norms for involvement of resources by SCBs/CCBs in agricultural lending submitted its Report in June 1984. The important recommendations of the committee, included, *inter alia*, fixation of minimum involvement of internal lenda-

और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के ऋण प्रदान करने के आंतरिक संसाधनों के न्यूनतम योगदान का निर्धारण (राज्य सहकारी बैंकों के लिये 25 प्रतिशत और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिये 40 प्रतिशत) और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशि जुटाने के प्रयास के साथ-साथ नाबार्ड से ली गयी उधार राशियों को सम्बद्ध करने की योजना में संशोधन करना शामिल है। अध्ययन दल की सिफारिशें नाबार्ड द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और वे सहकारिता वर्ष 1985-86 से कार्यान्वित की जायेंगी।

वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशियों की समीक्षा करने के लिये अध्ययन दल

3.78 केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर अध्ययन दल बनाये गये, जिनमें वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग), कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि वे भूमि विकास बैंकों सहित समस्त वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशियों से संबंधित स्थिति की समीक्षा कर सकें। इन अध्ययन दलों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे नौ राज्यों अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का दौरा करें और वसूली के लिये लक्ष्य निर्धारित करें। उक्त दलों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कमजोर सहकारी संस्थाओं विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों की पुनर्स्थापना के लिये अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सही रूप में कार्यान्वयन हो। बिहार और गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के संदर्भ में अध्ययन पूरे हो गये हैं और अतिदेय राशियों की स्थिति सुधारने से संबंधित मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गयी हैं।

राज्य भूमि विकास बैंकों के क्षेत्र और कार्यकलापों की जाँच के लिये कार्यकारी दल

3.79 नाबार्ड ने 2 जनवरी 1985 को एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया। इसे उन भूमि विकास बैंकों की समस्या का अध्ययन करना है, जिनमें

ble resources (ILR) of SCBs and CCBs in short-term agricultural lending (25 per cent for SCBs and 40 per cent for CCBs) and modifications in the scheme of linking borrowings from NABARD with efforts at deposit mobilisation by CCBs. The recommendations of the Study Group have been accepted by NABARD and will be implemented from the co-operative year 1985-86.

Study Teams for Review of Overdues of Financial Institutions

3.78 Study Teams were formed, at the instance of the Union Ministry of Finance, consisting of representatives of Ministry of Finance (Banking Division), Ministry of Agriculture, and Rural Development, NABARD and RBI to review the overdues position of all financial institutions including LDBs. The Teams were required to visit nine States, viz., Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal and lay down targets for recovery. The Teams were also requested to ensure that the instructions and guidelines for rehabilitation of weak co-operative institutions particularly LDBs are properly implemented. The studies in respect of all the States except Bihar and Gujarat have been completed and the main findings and recommendations to improve the overdues position have been communicated to the respective State Governments and SLDBs for necessary action.

Working Group to Examine the Scope and Functions of SLDBs

3.79 A high-level Working Group has been constituted by NABARD on January 2, 1985 to study the problems of

इस समय अपने सरंचना-गत वित्तीय और कानूनी प्रकृति की कतिपय मूलभूत कमियों के कारण उनके विकास में अवरोध आ गया है, और साथ ही यह उनके क्रमबद्ध विकास के लिये सुधारात्मक उपाय भी सुझाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों को ऋण-सहायता देने से संबंधित आंकड़ों को जुटाने के लिये कार्यकारी दल

3.80 केन्द्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने इस प्रकार की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना उचित समझा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों को किस सीमा तक ऋण सहायता देने की जरूरत है। इन में मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं का लेनदेन करनेवाले निजी खुदरा व्यापारी, उचित मूल्य की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी भंडार शामिल हैं, और यह सुझाव दिया कि रिज़र्व बैंक एक ऐसा छोटा-सा दल गठित करे जो आंकड़े संबंधी स्रोतों की देखरेख के और उसमें सुधार लाने के संबंध में सुझाव दे। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 1984 में निम्नलिखित मुद्दों की जांच के लिये एक कार्यकारी दल गठित किया :

(i) वर्तमान सूचना-प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़ों को देखना और खुदरा व्यापार और आवश्यक वस्तुओं के वितरण को ऋण संबंधी सहायता देने के बारे में अनुमान लगाना।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उपर्युक्त पहलुओं पर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराने के लिये उचित प्रोफार्मा बनाना।

(iii) संदर्भाधीन मामलों से संबंधित अन्य कोई मामला जिसपर विचार किया जाना हो।

उक्त दल अपना कार्य कर रहा है।

राज्य हथकरघा विकास निगम को बैंक-ऋण दिये जाने से संबन्धित कार्यकारी दल

3.81 बैंक-ऋण के संदर्भ में राज्य हथकरघा विकास निगम की परिचालनात्मक समस्याओं का अध्ययन

LDBs, which presently are suffering from certain basic disabilities of structural, financial and legal nature that have tended to impede their growth and to suggest remedial measures for their orderly growth.

Working Group on data collection relating to credit support to retail outlets of the public distribution system

3.80 The Union Ministry of Food and Civil Supplies considered it expedient to have detailed information on the extent of credit support to retail outlets of the public distribution system, comprising mainly private retail trades dealing in essential commodities (fair price shops) and consumer co-operative stores, and suggested that the Reserve Bank might set up a small group to look into the data sources and suggest improvement therein. Accordingly, the RBI set up in December 1984 a Working Group to examine the issue with the following terms of reference :

(i) To look into the data available under the existing reporting system and make an estimate of credit support to retail trade and distribution of essential commodities.

(ii) To formulate suitable proforma for making available adequate data on the above aspects to the RBI and the Government of India.

(iii) Any other matter considered relevant to the terms of reference.

The work of the above Group is in progress.

Working Group on bank credit to State Handloom Development Corporation

3.81 The Working Group appointed by the Reserve Bank of India in June 1984 to

करने के लिए जून 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस वर्ष के दौरान इस दल की तीन बैठकें हुईं और इसने 1985 के प्रारंभ में कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी प्रदेश के स्थानों के दौरे भी किये। स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में, विभिन्न परिचालनात्मक समस्याओं जैसे बुनकरों को सूत की आपूर्ति और वितरण, हथकरघा उत्पादों का विपणन और उत्पादन तथा विपणन के लिए वित्त को बढ़ाने जैसी समस्याओं को समझने के लिए इन स्थानों का दौरा करने से कार्यकारी दल को सहायता मिली है। कार्यकारी दल का कार्य जारी है।

study operational problems of State Handloom Development Corporations in relation to bank credit, met thrice during the year and also undertook field visits to Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and North-Eastern region during early 1985. The field visits helped the Working Group in understanding the various operational problems such as, supply and distribution of yarn to weavers, marketing of handloom products and raising finance for production and marketing in the context of local conditions. The deliberations of the Working Group are in progress.

अध्याय - 4

अन्य वित्तीय संस्थाएं

इस अध्याय में 1984-85 के दौरान औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक और अन्य अखिल भारतीय और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों की समीक्षा की जा रही है। पात्र वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और राज्य वित्तीय निगमों को रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी कुल सहायता 1984-85 में पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा रही। 1984-85 के वित्त वर्ष के दौरान अखिल भारतीय मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं ने भी अपनी सहायता में और वृद्धि की। इन संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो कि औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में एक शिखरस्थ राष्ट्रीय विकास बैंक है, पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक सहायता प्रदान की। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भी अपने यूनिटों की बिक्री में अब तक का सबसे अच्छा रिकार्ड बनाया। 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण सांस्थागत घटना रही। पहले के भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के कार्य स्थानांतरित कर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को सौंप दिये गये जो कि अब औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिए प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करता है, साथ ही इस क्षेत्र में लगी हुई अन्य संस्थाओं के इसी प्रकार के कार्य का समन्वयन करता है और औद्योगिक विकास को बढ़ाने तथा औद्योगिक संस्थानों की पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक दीर्घावधि ऋणों के साथ-साथ मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान, राष्ट्रीय

CHAPTER - 4

OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

Operations of the Reserve Bank and those of other all-India and State-level financial institutions in the sphere of industrial finance during 1984-85 are reviewed in this Chapter. Total assistance sanctioned by the Reserve Bank to eligible financial institutions, viz., IDBI, Exim Bank, IFCI, ICICI and SFCs, during 1984-85 was of a larger magnitude than in the previous year. All-India term lending institutions also further stepped up their assistance during the financial year 1984-85. Among these institutions, IDBI which is the apex national development bank in the field of industrial finance, extended significantly higher assistance than in the previous year. UTI also attained an all-time record in sale of its units. An important institutional development during the year was the establishment of the Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) on March 20, 1985. The undertaking of the erstwhile Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. was transferred to and vested in IRBI which now functions as the principal credit and reconstruction agency for industrial revival, coordination of similar work of other institutions engaged in this field, assisting and promoting industrial development and rehabilitation of industrial concerns.

R.B.I. Assistance to Financial Institutions

4.2 The Reserve Bank provides long-term loans as well as medium/short-term credit facilities to financial institutions notified by Central Government under Section 17 of the RBI Act, 1934. During 1984-85 (July-June) long-

औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि प्रवर्त्तन) निधि में से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मंजूर की गयी दीर्घावधि ऋण की राशि 260 करोड़ रुपये थी। इतनी ही राशि 1983-84 के दौरान मंजूर की गयी थी (सारणी 4.1)। भा. औ. वि. बैंक ने सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया और वर्ष के दौरान 24 करोड़ रुपये की राशि की चुकौती की। भा. औ. वि. बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से लिये गये बकाया उधार की राशि बढ़कर 30 जून 1985 को 2,321 करोड़ रुपये हो गयी।

4.3 वर्ष 1984-85 के दौरान भा. औ. वि. बैंक को 260 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण की राशि भी मंजूर की गयी, जिसमें से 22.5 करोड़ रुपये की राशि का वर्ष के दौरान उपयोग किया। 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान, भा. औ. वि. बैंक को पुनर्भुनाये गये बिलों पर मंजूर की गयी 200 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण राशियों में से 150 करोड़ रुपये की राशि केवल मात्र जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, आदि जैसी संस्थाओं द्वारा भा. औ. वि. बैंक के इच्छानुसार देने के लिए निर्धारित निधियों में आयी असंगति को दूर करने के लिये मंजूर की गयी है, ताकि भा. औ. वि. बैंक की बिलों की पुनर्भुनाई योजना के जरिये राज्य बिजली बोर्डों और राज्य मार्ग परिवहन निगमों को दी जानेवाली सहायता में वृद्धि की जा सके और उक्त दोनों प्रकार के संगठनों को भा. औ. वि. बैंक से वास्तविक वितरण प्राप्त हो सके। उक्त ऋण सीमा को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया और 30 सितम्बर 1984 तक वैध रखा गया। इसके बाद उक्त राशि को दिसम्बर 1984 से 12.5 करोड़ रुपये की 16 समान तिमाही किस्तों में भा. औ. वि. बैंक द्वारा चुकाने की अनुमति दी गयी। दिसम्बर 1984, मार्च और जून 1985 को समाप्त हुई तिमाहियों के लिये तीन किस्तें भा. औ. वि. बैंक से प्राप्त हुई।

4.4 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को कुल 55 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये गये।

term loans sanctioned to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund amounted to Rs. 260 crores i.e., the same amount as that sanctioned during 1983-84 (Table 4.1). IDBI utilised the entire amount and repaid an amount of Rs.24crores during the year. Its outstanding borrowings from NIC(LTO) Fund as on June 30, 1985 aggregated Rs. 2,321 crores.

4.3 Short-term credit limits amounting to Rs. 260 crores were also sanctioned to IDBI during 1984-85, of which it availed of Rs. 22.5 crores during the year. Out of short-term credit limits of Rs. 200 crores sanctioned to IDBI during 1983-84 (July-June) against bills rediscounted by it, a limit of Rs. 150 crores was sanctioned exclusively for meeting mismatch between funds placed at the disposal of IDBI by institutions like LIC, GIC, etc., for enlarging assistance to State Electricity Boards and State Road Transport Corporations through IDBI's bills rediscounting scheme and IDBI's actual disbursements to these two types of organisations. This limit was raised to Rs. 200 crores to be valid upto September 30, 1984. Subsequently, the amount was allowed to be repaid by IDBI in 16 equal quarterly instalments of Rs. 12.5 crores each commencing from December 1984. Three instalments for the quarters ended December 1984, March and June 1985 were received from IDBI.

4.4 Long-term loans sanctioned to the Export-Import Bank of India out of NIC (LTO) Fund during 1984-85 (July-June) aggregated Rs. 55 crores, the same

सारणी 4.1 : वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता
TABLE - 4.1 : ASSISTANCE SANCTIONED BY RBI TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(जुलाई-जून) (JULY-JUNE)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

सहायता के प्रकार Type of Assistance	1983-84	1984-85	30 जून 1985 को बकाया राशि Amount outstanding as on June 30, 1985
1	2	3	4
दीर्घावधि ऋण **Long-term credits (NIC (LTO) Fund)** (रा. औ. ऋण) दीर्घकालीन प्रवर्तन), निधि			
भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक I. D. B. I.	260.0 (260.0)	260.0 (260.0)	2,321.0
निर्यात-आयात बैंक Exim Bank	55.0 (55.0)	55.0 (55.0)	180.0
मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सीमाएं **Medium/Short-Term Credit Limits**			
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक I. D. B. I.	200.0* (156.8)*	260.0* (22.5)	—
		200.0** (50.0)	162.5
भारतीय औद्योगिक और विकास निगम I. F. C. I	3.0££ (@)	15.0££ (@)	—
भारतीय औद्योगिक ऋण नि. नि. I. C. I. C. I.	10.0 (@)	15.0 (@)	13.0
राज्य वित्त निगम S.F.C s.	29.3+ (@)	32.6£ (@)	6.6

@ : सीमाओं का उपयोग नकदी ऋण सुविधा की तरह किया जा रहा है ।
Limits are being utilised like cash credit facility.

+ : इसमें 6.0 करोड़ रुपये की वे ऋण सीमाएं शामिल हैं, जो मूलतः स्वीकृत अवधि के बाद तक के लिए बढ़ायी गयी हैं ।
Indludes borrowing limits amounting to Rs. 6.0 crores extended beyond the originally sanctioned period.

£ : इसमें 11.0 करोड़ रुपये की वे ऋण सीमाएं शामिल हैं, जो मूलतः स्वीकृत अवधि के बाद तक के लिए बढ़ायी गयी हैं ।
Includes borrowing limits amounting to Rs.11.0 crores extended beyond the originally sanctioned period.

* : इसमें 150.0 करोड़ रुपये की वे सीमाएं शामिल हैं, जिनका केवल बेमेल उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया ।
Includes limits of Rs. 150.0 crores sanctioned and utilised exclusively for mismatch purpose.

** : वर्ष 1983-84 के दौरान केवल बेमेल उद्देश्य के लिए स्वीकृत 150.0 करोड़ रुपये की सीमा को 30 सितंबर 1984 तक के लिए बढ़ाकर 200.0 करोड़ रुपये कर दिया गया ।
Limits of Rs. 150.0 crores sanctioned during 1983-84 exclusively for mismatch purpose was enhanced to Rs. 200.0 crores upto September 30, 1984.

££ : दिसंबर 1985 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15.0 करोड़ रुपये कर दिया गया ।
Enhanced from Rs. 10 crores to Rs. 15.0 crores for the year ended December 1985.

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े उपयोग को दर्शाते हैं ।
Note: Figures in brackets indicate utilisation.

इतनी ही राशि 1983-84 में मंजूर की गयी थी। एक्ज़िम बैंक ने आलोच्य वर्ष के दौरान संपूर्ण राशि का उपयोग किया और 30 जून 1985 को उक्त निधि में से इसकी बकाया उधार की राशि बढ़कर 180 करोड़ रुपये हो गयी।

4.5 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी 3 करोड़ रुपये की ऋण की राशि 31 दिसंबर 1984 को समाप्त हुए वर्ष में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गयी थी और 1985 को समाप्त होनेवाले कैलेंडर वर्ष के लिये उसे और बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया। भा. औ. वि. निगम उक्त ऋण सीमा का उपयोग नकदी ऋण सुविधा के रूप में करता है। 30 जून, 1985 को उक्त ऋण की कोई बकाया राशि नहीं थी।

4.6 नवम्बर 1984 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 12 महीनों के लिये 15 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा मंजूर की गयी थी। यह ऋण-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी शुदा थी और इसकी अवधि दिसम्बर 1985 में समाप्त होगी। भा. औ. वि. निगम ने उक्त ऋण-सीमा में से अल्प-अवधियों के लिये कई मौकों पर ऋण प्राप्त किये और 30 जून 1985 को इस ऋण-सीमा में से बकाया राशि 13 करोड़ रुपये थी।

4.7 अखिल भारतीय मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के अलावा, राज्य वित्तीय निगम भी 90 दिनों की अवधि के लिये सरकारी प्रतिभूतियों पर और 18 महीनों से अनधिक अवधि के लिये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा तदर्थ बांडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं। 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा तदर्थ बांडों पर 12 राज्य वित्तीय निगमों को कुल 21.6 करोड़ रुपये की नयी ऋण-सीमा मंजूर की गयी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी इसी अवधि के दौरान चार राज्य वित्तीय निगमों के संदर्भ में 11.0 करोड़ रुपये की उधार सीमाओं की अवधि को भी बढ़ा दिया। 30 जून 1985 को राज्य वित्तीय निगमों के सभी उधारों की बकाया राशि 6.6 करोड़ रुपये हो गयी।

as that during 1983-84. Exim Bank utilised the entire limit during the year, and its outstanding borrowings from the Fund amounted to Rs. 180 crores as on June 30, 1985.

4.5 The limit of Rs. 3 crores sanctioned by RBI to Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was raised to Rs. 10 crores for the year ended December 31, 1984, and was further enhanced to Rs. 15 crores for the calendar year 1985. IFCI utilises the limit as cash credit facility. The outstanding amount against this limit was nil as on June 30, 1985.

4.6 A credit limit of Rs. 15 crores was sanctioned to ICICI in November 1984 for a period of 12 months. This limit was guaranteed by the Central Government and would expire in December 1985. ICICI availed of loans from the limit on several occasions for short durations and the amount outstanding against it as on June 30, 1985 was Rs. 13 crores.

4.7 Besides the all-India term-lending institutions, the State Financial Corporations (SFCs) are also eligible to borrow from the RBI against Government securities for a period of 90 days and against ad-hoc bonds guaranteed by respective State Governments for a period not exceeding 18 months. During 1984-85 (July-June), fresh borrowing limits aggregating Rs. 21.6 crores were sanctioned to 12 SFCs against ad-hoc bonds guaranteed by respective State Governments. The RBI also extended the period of borrowing limits amounting to Rs. 11.0 crores in respect of four SFCs during the same period. The outstanding amount of all borrowings of

मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के कार्यकलाप

4.8 वित्तीय वर्ष 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, अखिल भारतीय मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं (अर्थात् भा. औ. वि. बैंक, भा. औ. वि. निगम, भा. औ. ऋ. निगम, भा. औ. पु. बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम और उसकी अनुषंगी संस्थाओं) द्वारा मंजूर और वितरित कुल वित्तीय सहायता क्रमशः 5,296 करोड़ रुपये और 3,142 करोड़ रुपये थी, जबकि 1983-84 के दौरान उक्त राशियां क्रमशः 3,719 करोड़ रुपये और 2,687 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष की तुलना में, मंजूर राशियों में 42.4 प्रतिशत और वितरित राशियों में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 4.2)।

4.9 1984-85 के दौरान संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी कुल राशियों में 4,600 करोड़ रुपयों के ऋणों के लिए दी गयी मंजूरी-राशि और शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान के जरिये प्रदान की गयी 696 करोड़ रुपये की अन्य सहायता राशि शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में ऋणों की स्वीकृत राशि 1,271 करोड़ रुपये और हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान की राशि 306 करोड़ रुपये अधिक थी। ऋणों के वितरण की राशि 2,747 करोड़ रुपये थी, जो की 1983-84 की तुलना में 324 करोड़ रुपये अधिक थी। हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में वितरित की गयी राशि 395 करोड़ रुपये थी, जो 1983-84 की तुलना में 131 करोड़ रुपये अधिक थी।

4.10 इस वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं को मंजूर और वितरित सहायता 1983-84 की तुलना में अधिक थी। किन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी मंजूर और वितरित राशियों में क्रमशः 1,086 करोड़ रुपये और 197 करोड़ रुपये की सर्वाधिक वृद्धि दर्शायी।

4.11 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण

SFCs stood at Rs. 6.6 crores as on June 30, 1985.

Operations of Term Lending Institutions

4.8 Total financial assistance sanctioned and disbursed by all-India term lending institutions (i.e., the IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) during the financial year 1984-85 (April-March) aggregated Rs. 5,296 crores and Rs. 3,142 crores, respectively, compared with Rs. 3,719 crores and Rs. 2,687 crores, respectively, during 1983-84. Sanctions rose by 42.4 per cent and disbursements by 16.9 per cent over the previous year (Table 4.2).

4.9 Total sanctions during 1984-85 by the institutions comprised sanctions of loans of Rs. 4,600 crores and other assistance amounting to Rs. 696 crores by way of underwriting and direct subscriptions to shares and debentures. Sanctions of loans were higher by Rs. 1,271 crores and of underwriting and direct subscriptions by Rs. 306 crores than in the previous year. Disbursements of loans at Rs. 2,747 crores were higher by Rs. 324 crores than in 1983-84. Disbursements on account of underwriting and direct subscriptions at Rs. 395 crores were also higher by Rs. 131 crores than in 1983-84.

4.10 Assistance sanctioned and disbursed during the year was higher than in 1983-84 in case of all the institutions. But, the IDBI recorded the largest increase of Rs. 1,086 crores and Rs. 197 crores in its sanctions and disbursements, respectively.

4.11 The resources position of IDBI, IFCI and ICICI, was further streng-

सारणी 4.2 : 1983-84 और 1984-85 के दौरान मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा सहायता

TABLE - 4.2 : ASSISTANCE BY TERM - LENDING INSTITUTIONS DURING 1983-84 AND 1984-85

(अप्रैल - मार्च)
(APRIL - MARCH)

(करोड़ रुपये)
(Rs. Crores)

संस्थाएं Institutions	ऋण Loans				शेयरों और डिबेंचरों में हमीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान Underwriting and direct subscription to shares and debentures				कुल Total			
	1983-84		1984-85		1983-84		1984-85		1983-84		1984-85	
	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed	स्वीकृत Sanctioned	संवितरित Disbursed
भा. औ. वि. बैं. I. D. B. I. +£	2,371.67	1,751.77	3,393.29	1,952.81	79.21	12.09	143.44	8.58	2,450.88	1,763.86	3,536.73 (+ 44.3)	1,961.39 (+ 11.2)
भा. औ. वि. नि. I. F. C. I. +	293.18	219,48	379.15	271.30	28.73	5.92	38.86	4.41	321.91	225,40	418.01 (+ 29.9)	275.71 (+ 22.3)
भा. औ. नि. नि. I. C. I. C. I. + @	404,74	282,37	465,01	332,11	33.76	12.61	48.45	11.87	438,50	294,98	513.47 (+ 17.1)	343.98 (+ 16.6)
भा. औ. प. नि. I. R. B. I.	66.70	38.16	105.85	52.58	–	–	–	–	66.70	38.16	105.85 (+ 58.7)	52.58 (+ 37.8)
जीवन बीमा निगम L. I. C.++	87.46	67.71	89.70	58.60	79.35	73.19	130.97	102.95	166.81	140.90	220.67 (+ 32.3)	161.55 (+ 14.7)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट U. T. I.	62.54$	47.21$	118.98$	49.43$	103.25	92.13	238.29	186.81	165.79	139.34	357.27 (+ 115.5)	236.24 (+ 69.5)
सा.बी.नि.एवंस.सं. G. I. C.. and its subsidiaries	42.78	16.54	48.22	29.69	65.71	68.00	95.86	80.85	108.49	84.54	144.08 (+ 32.8)	110.54 (+ 30.8)
जोड़ Total	**3,329.07**	**2,423.24**	**4,600.21**	**2,746.52**	**390.01**	**263.94**	**695.87**	**395.47**	**3,719.08**	**2,687.18**	**5,296.08 (42.4)**	**3,141.99 (16.9)**

£ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदानों को छोड़कर सभी तरह की सहायता शामिल है ।
: Includes all types of assistance with the exception of subscription to shares and bonds of all-India financial institutions.

\+ गारंटियां शामिल हैं ।
: Includes guarantees.

++ अल्पावधि ऋण शामिल नहीं हैं ।
: Excludes short-term loans.

@ पूर्तिकर्ताओं की साख और पट्टे पर दिया जाना शामिल है ।
: Excludes suppliers' credit and leasing

$ निजी रूप से रखे गये डिबेंचर ।
: Privately placed debentures.

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े 1984-85 के पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं, जिसके आंकड़े अनन्तिम हैं ।
Note : Figures in brackets indicate percentage variations over the previous year,1984-85 data are provisional.

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Source : **Industrial Development Bank of India**

एवं निवेश निगम के संसाधनों की स्थिति को और मजबूत बनाया गया, ताकि वे उद्योगों की ओर से आनेवाली उनकी ऋण संबंधी सहायता के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। उक्त संस्थाओं के रुपया संबंधी संसाधनों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूँजी में सरकार ने अंशदान करके तथा अन्य उपर्युक्त संस्थाओं को ऋण देकर वृद्धि की। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से सहायता देने और बाजार से उधार लेने के कारण भी रुपये के संसाधनों में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा संबंधी स्रोत में भी वृद्धि हुई जिसका अधिकांश भाग परंपरागत रूप में विश्व बैंक, अन्य विकास वित्त एजेंसियों और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता द्वारा प्राप्त होता है, हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ारों से प्राप्त उधारों के कारण भी विदेशी मुद्रा स्रोतों में वृद्धि हुई है। 1984-85 के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहली बार जापानी पूँजी बाज़ार में प्रवेश किया और पूँजीगत माल के आयात संबंधी वित्तपोषण और भारत में औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित सेवाओं के लिये निजी बाँडों की स्थापना के जरिये 10 बिलियन येन का ऋण प्राप्त किया। भारतीय औद्योगिक विकास निगम ने भी इस वर्ष के दौरान, विदेशी बैंकों के सहायता संघ से 20 मिलियन अमेरिकी डालर के यूरो-डालर का ऋण प्राप्त किया। जापानी पूँजी बाज़ार में निजी बाँडों की स्थापना के ज़रिये भारतीय औद्योगिक विकास निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम में से प्रत्येक ने 5 बिलियन येन का ऋण प्राप्त किया। इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ने 40 मिलियन अमेरिकन डालर, 10 मिलियन पौंड और 30 मिलियन यूरोपीय मुद्रा इकाई के लिए संघीय ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

4.12 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, निजी कंपनी क्षेत्र और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (अब भा. औ. पु. बैंक) जैसी मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं की उपकरण पट्टा गतिविधियों का उल्लेख किया गया था। निजी क्षेत्र की उपकरण पट्टे पर देनेवाली

thened to enable them to meet the increasing demand for their loan assistance from industries. The rupee resources of these institutions were augmented by Government contributions to capital of IDBI and loans to others, RBI assistance under its NIC (LTO) Fund and market borrowings, while foreign currency resources, bulk of which are traditionally provided by the World Bank, other development finance agencies and multilateral and bilateral aid, are also augmented in recent years by borrowings from international capital markets. During 1984–85, IDBI entered the Japanese capital market for the first time and raised 10 billion yen by way of private placement of bonds for financing import of capital goods and services required by industrial projects in India. IFCI also raised during the year a Euro-Dollar loan of US $ 20 million from a consortium of foreign banks. The IFCI and ICICI each raised 5 billion yen by way of private placement of bonds in the Japanese capital market. Besides, ICICI signed syndicated loan agreements for US $ 40 million, £ 10 million and ECU 30 million.

4.12 Mention was made in the last year's Report about equipment leasing activities of private corporate sector and term-lending institutions like ICICI and IRCI (now IRBI). Consolidated data on operations of private sector equipment leasing companies are not available.

कंपनियों के कार्यकलापों के बारे में समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम द्वारा उपकरण पट्टे के अधीन स्वीकृत सहायता 1983-84 के 19.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 21.6 करोड़ रुपये हो गयी और भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता 1.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.2 करोड़ रुपये हो गयी। जहाँ तक बैंकों का संबंध है, यद्यपि सांविधिक नियमों के अनुसार बैंकिंग कंपनियों उपकरण-पट्टा कारोबार चला सकती हैं और इस प्रकार के कारोबार के लिये अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं, रिज़र्व बैंक ने इस मामले पर भली-भांति विचार करने के बाद सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 18 अगस्त, 1984 को यह निदेश दिया कि उन्हें इस प्रकार के कारोबार प्रत्यक्षत: (अर्थात् विभागीय रूप में) नहीं करने चाहिए, बल्कि वे रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेकर इस उद्देश्य के लिये अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में, किसी बैंक द्वारा प्रवर्तित अनुषंगी कंपनी, जिसमें बैंक के कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर हों, उपकरण पट्टा कारोबार और इसी से सम्बंधित अन्य कार्य कर सकती है। साथ ही उस बैंक को स्वयं उपकरण पट्टा कारोबार में लगी हुई अन्य कंपनियों या संस्थाओं का वित्त पोषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनुषंगी कंपनी को किराया-खरीद का कारोबार नहीं करना चाहिए और इस प्रकार की अनुषंगी कंपनी के शेयरों में बैंक का निवेश और इसके साथ ही उपकरण पट्टा कारोबार को चलानेवाली अन्य कंपनियों के शेयरों में उसका निवेश कुल मिलाकर बैंक की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि बैंक रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेकर विशिष्ट सीमा के भीतर उपकरण पट्टा कारोबार करनेवाली अन्य कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, किन्तु वे ऐसी कंपनियों के प्रवर्त्तकों के रूप में काम नहीं कर सकते।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

4.13 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारतीय

Assistance sanctioned under equipment leasing by ICICI rose from Rs. 19.4 crores in 1983-84 to Rs. 21.6 crores in 1984-85 and by IRBI from Rs. 1.1 crores to Rs. 2.2 crores. As regards banks, although the statutory framework enables banking companies to carry on equipment leasing business and set up subsidiaries for carrying on such business, the Reserve Bank, after careful consideration of this matter directed all scheduled commercial banks on August 18, 1984 that they should not themselves undertake directly (i.e. departmentally) such business but may set up subsidiaries for this purpose with its prior approval. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank, a subsidiary company promoted by a bank in which it holds not less than 51 per cent of the shares may undertake equipment leasing business and such other activities as are incidental thereto and the bank itself should not engage in financing of other companies or concerns engaged in equipment leasing. Such a subsidiary should not transact hire-purchase business and a bank's investment in the shares of such subsidiary together with its investment in shares of other companies carrying on equipment leasing business should not in the aggregate exceed 10 per cent of the paid-up capital and reserves of the bank. While banks may invest in shares of other equipment leasing companies within specified limits with the Reserve Bank's prior approval, they cannot act as promoters of such companies.

Industrial Development Bank of India

4.13 Aggregate financial assistance sanc-

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गयी कुल वित्तीय सहायता (वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बॉडों में किये गये अभिदानों को मिलाकर किन्तु गारंटियों को छोड़कर) 3,366 करोड़ रुपये की थी, जो कि 1983-84 के दौरान मंजूर की गयी 2,430 करोड़ रुपयों की राशि की तुलना में 38.5 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 4.3)। इस वर्ष के दौरान, वितरित राशियाँ 2,027 करोड़ रुपये थी, जो कि पिछले वर्ष वितरित की गयी 1,766 करोड़ रुपये की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपनी स्थापना के समय से मार्च 1985 के अन्त तक स्वीकृत और वितरित संचयी सहायता की राशि क्रमशः 15,158 करोड़ रुपये और 10,676 करोड़ रुपये थी।

4.14 1984-85 के दौरान, सामान्य ऋण आसान शर्तों पर दिये जानेवाले ऋण, तकनीकी विकास निधि और शेयरों तथा डिबेंचरों की हामीदारी और उसमें प्रत्यक्ष अभिदान के ज़रिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता कुल मिलाकर 1,298 करोड़ रुपये हो गयी, जो कि 1983-84 के 743 करोड़ रुपये की तुलना में पर्याप्त अधिक थी और यह राशि इस वर्ष की कुल सहायता राशि की 38.6 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 30.6 प्रतिशत थी। यद्यपि प्रत्यक्ष सहायता का वितरण 508 करोड़ रुपये था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में केवल 22 करोड़ रुपये अधिक था और वह 1983-84 के 27.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 25.1 प्रतिशत था। 1984-85 के दौरान, अप्रत्यक्ष सहायता (औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और बिलों की पुनर्भुनाई योजनाओं के अधीन) की मंजूर और वितरित राशियाँ कुल 1,936 करोड़ रुपये और 1,408 करोड़ रुपये थीं और उनमें पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 19.1 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1984-85 के दौरान, अप्रत्यक्ष सहायता की मंजूर राशि कुल मंजूर राशि का 57.5 प्रतिशत (1983-84 में 66.8 प्रतिशत) थी और अप्रत्यक्ष सहायता की वितरित राशि कुल वितरण की 69.5 प्रतिशत (1983-84 में 69.7 प्रतिशत) थी।

tioned (excluding guarantees but including subscriptions to shares and bonds of financial institutions) by IDBI during 1984-85 (April-March) at Rs. 3,366 crores was 38.5 per cent higher than Rs. 2,430 crores sanctioned during 1983-84 (Table 4.3). Total disbursements during the year at Rs. 2,027 crores were also 14.8 per cent higher than Rs. 1,766 crores in the preceding year. Cumulative assistance sanctioned and disbursed by IDBI since its inception up to end-March 1985 stood at Rs. 15,158 crores and Rs. 10,676 crores, respectively.

4.14 During 1984-85, direct industrial assistance by IDBI through normal loans, soft loans, Technical Development Fund and underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures aggregated Rs. 1,298 crores, which was substantially higher than Rs. 743 crores in 1983-84 and constituted 38.6 per cent of total assistance as against 30.6 per cent in the last year. Disbursement of direct assistance at Rs. 508 crores was, however, higher by only Rs. 22 crores and formed 25.1 per cent of total disbursement compared with 27.5 per cent in 1983-84. Sanctions and disbursements of indirect assistance (under the schemes of refinance of industrial loans and rediscounting of bills) during 1984-85 aggregated Rs. 1,936 crores and Rs. 1,408 crores and showed a rise of 19.1 per cent and 14.4 per cent, respectively, over the previous year. During 1984-85, sanctions of indirect assistance constituted 57.5 per cent of total sanctions (66.8 per cent in 1983-84) and disbursements of indirect assistance 69.5 per cent of total disbursements (69.7 per cent in 1983-84).

सारणी 4.3 : 1983-84 तथा 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान तथा स्थापना के समय से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत तथा सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग की गयी वित्तीय सहायता

TABLE 4.3 : ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBI AND UTILISED BY THE ASSISTED CONCERNS DURING 1983-84 AND 1984-85 (APRIL-MARCH) AND SINCE INCEPTION

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

सहायता के प्रकार Type of Assistance	मंजूरियां (प्रभावी) Sanctions (Effective) 1983-84*	1984-85*	स्थापना से लेकर मार्च 1985* के अंत तक संचयी मंजूरियां Cumulative sanctions since inception upto end March 1985*	संवितरण Disbursements 1983-84*	1984-85*	स्थापना से लेकर मार्च 1985* के अंत तक संवितरण Cumulative disbursements since inception upto end March 1985*
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता Direct Industrial Assistance	743.2 (30.6)	1,298.2 (38.6)	5,118.2 (33.8)	486.2 (27.5)	508.0 (25.1)	3,145.9 (29.5)
(क) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रत्यक्ष ऋण (a) Direct loans to industrial concerns	664.0	1,154.8	4,615.2	474.1	499.4	3,001.7
(i) सामान्य Normal	596.2	979.1	3,890.3	418.4	447.5	2,528.3
(ii) सुलभ ऋण सहायता Soft loan assistance	50.1	149.1	618.6	44.5	38.6	398.6
(iii) तकनीकी विकास निधि Technical Development Fund	17.7	23.3	103.0	11.2	13.3	74.8
(iv) उपकरण वित्त Equipment Finance	—	3.3	3.3	—	—	—
(ख) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान (b) Underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures of industrial concerns	79.2	143.4	503.0	12.1	8.6	144.2
2. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त Refinance of industrial loans	961.1 (39.5)	1,301.6 (38.7	6,179.6 (40.7)	730.8 (41.4)	930.4 (45.9)	4,509.4 (42.2)
3. बिलों की पुनर्भुनाई Rediscounting of bills	663.7 (27.3)	634.1 (18.8)	3,271.9 (21.6)	499.8 (28.3)	477.8 (23.6)	2,483.6 (23.3)
4. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान Subscriptions to shares and bonds of financial institutions	51.4 (2.1)	118.4 (3.5)	547.3 (3.6)	41.3 (2.4)	101.4 (5.0)	513.5 (4.8)
5. प्रारंभिक पूंजी Seed capital	10.9 (0.5)	13.8 (0.4)	40.7 (0.3)	7.4 (0.4)	9.1 (0.4)	24.0 (0.2)
कुल (1 से 5) Total (1 to 5)	**2,430.3 (100.0)**	**3,366.1 (100.0)**	**15,157.7 (100.0)**	**1,765.5 (100.0)**	**2,026.7 (100.0)**	**10,676.4 (100.0)**
6. ऋणों और आस्थगित भुगतानों के लिये गारंटियां Guarantees for loans and deferred payments	23.1	238.1	329.3	0.9	2.2	26.8

* : आंकड़े अनंतिम हैं। Provisional

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं।
Note : Figures in brackets are percentages to total.

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Source : Industrial Development Bank of India.

4.15 1984-85 के दौरान, समस्त प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं के अधीन और औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के अधीन मंजूर राशियाँ पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थीं। फिर भी, बिल-पुनर्भुनाई योजना के अधीन मंजूर राशियों में मामूली-सी कमी आयी है। प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं के मामले में, सुलभ ऋण योजना के अधीन मंजूर राशियाँ दुगुनी से अधिक अर्थात् 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 149 करोड़ रुपये हो गयीं और परियोजना वित्त (सामान्य ऋण और हामीदारी) के अधीन पर्याप्त रूप में बढ़कर 675 करोड़ रुपये से 1,123 करोड़ रुपये हो गयीं, तकनीकी विकास निधि के अधीन मंजूर राशियाँ 18 करोड़ रुपये से बढ़कर 23 करोड़ रुपये हो गयीं। परियोजना वित्त (ऋण और हामीदारी) के अधीन वितरित राशियाँ 431 करोड़ रुपये से बढ़कर 456 करोड़ रुपये हो गयीं, औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के अधीन वितरित राशियाँ 731 करोड़ रुपये से बढ़कर 930 करोड़ रुपये हो गयी और तकनीकी विकास निधि के अधीन वितरित राशि 11 करोड़ रुपये से बढ़कर 13 करोड़ रुपये हो गयी। बिल पुनर्भुनाई योजना के अधीन वितरित राशि 500 करोड़ रुपये से घटकर 478 करोड़ रुपये और सुलभ ऋण योजना के अधीन 45 करोड़ रुपये से घटकर 39 करोड़ रुपये रह गयी।

4.16 1984-85 के दौरान, जापानी पूंजी बाजार से 10 बिलियन येन के ऋण प्राप्त करने के अलावा, भा. औ. वि. बैंक ने उपकरण वित्त योजना के रूप में एक नयी योजना प्रारंभ की जिससे औद्योगिक संस्थानों को उन मामलों में, जहाँ वे किसी विशिष्ट परियोजना के अंश नहीं हैं, पूँजीगत माल और उपकरण के आयात के लिये विदेशी मुद्रा ऋण दिया जा सके। इस योजना के अधीन, इस वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की गयी थी।

राज्य वित्तीय निगम

4.17 राज्य वित्तीय निगम की जो लघु और मझौले उद्यमों को दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, 1984-85 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उसकी मंजूर राशियों में 9.1 प्रतिशत तथा वितरित राशियों में 14.4 प्रतिशत

4.15 During 1984-85, sanctions under all direct assistace schemes and under refinance of industrial loans were significantly higher than in the previous year. Sanctions under the bills rediscounting scheme, however, declined marginally. In the case of direct assistance schemes, sanctions under the soft loan scheme more than doubled from Rs. 50 crores to Rs. 149 crores and under project finance (normal loans and underwriting) increased substantially from Rs. 675 crores to Rs. 1,123 crores; sanctions under Technical Development Fund rose from Rs. 18 crores to Rs. 23 crores. Disbursements under project finance (loans and underwriting) increased from Rs. 431 crores to Rs. 456 crores, under refinance of industrial loans from Rs. 731 crores to Rs. 930 crores, and under Technical Development Fund from Rs. 11 crores to Rs. 13 crores. Disbursements under bills rediscounting scheme declined from Rs. 500 crores to Rs. 478 crores and those under the soft loan scheme from Rs. 45 crores to Rs. 39 crores.

4.16 During 1984-85, besides raising 10 million yen from the Japanese capital market, IDBI introduced a new scheme called Equipment Finance Scheme to provide foreign currency loans to industrial concerns for import of capital goods and equipment in cases where they do not form part of any specific project. Under this scheme, assistance of Rs. 3 crores was sanctioned during the year.

State Financial Corporations

4.17 State Financial Corporations (SFCs) which provide long-term financial assistance to small and medium-scale enterprises, recorded a rise of 9.1 per cent in sanctions and 14.4 per cent in

की वृद्धि हुई। 18 राज्य वित्तीय निगमों (तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. सहित) द्वारा मंजूर कुल सहायता 1983-84 के 655 करोड़ रुपयों की तुलना में 1984-85 के दौरान 715 करोड़ रुपये की थी (सारणी 4.4)। समस्त राज्य वित्तीय निगमों द्वारा वितरित राशियां पिछले वर्ष के 434 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 496 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 1985 के अन्त में कुल बकाया ऋण 1,941 करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष के दौरान कुल 18 राज्य वित्तीय निगमों में से 11 राज्य वित्तीय निगमों ने मंजूर और वितरित दोनों ही राशियों में वृद्धि दर्शायी (सारणी 4.4)।

disbursements during 1984-85 (April-March). Total assistance sanctioned by 18 SFCs (including Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.) amounted to Rs. 715 crores during 1984-85 compared with Rs. 655 crores in 1983-84 (Table 4.4). Disbursements during the year by all SFCs amounted to Rs. 496 crores compared with Rs. 434 crores in the previous year. Total loans outstanding as at the end of March 1985 stood at Rs. 1,941 crores. Out of total 18 SFCs, 11 recorded rise in both sanctions and disbursements during the year.

सारणी 4.4 : राज्य वित्तीय निगमों के कार्य (अप्रैल-मार्च)

Table 4.4 : Operations of State Financial Corporations (April-March)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

	1983-84	1984-85 अ P
मंजूर सहायता Assistance sanctioned	655.1	715.0
संवितरित सहायता Assistance disbursed	433.6	496.1
मार्च के अंत में बकाया ऋण Loans outstanding as at the end of March	1,824.2	1,940.6

अ : अनंतिम
P : Provisional.

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Source : Industrial Development Bank of India.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.18 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपने कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नये रिकॉर्ड स्थापित किये। इस वर्ष सभी योजनाओं के अधीन यूनिटों की समग्र बिक्री 756 करोड़ रुपये थी जो ट्रस्ट की स्थापना के समय से सर्वोच्च थी जो कि 129 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है, 1983-84 में भी 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 4.5)। इस वर्ष के दौरान यूनिटों की बिक्री में इस प्रशंसनीय वृद्धि के लिये

Unit Trust of India

4.18 During 1984-85 (July-June), Unit Trust of India (UTI) attained new records in different areas of its operations. Gross sales of units during the year under all schemes at Rs. 756 crores were the highest since its inception recording a rise of 129 per cent on top of an increase of 98 per cent in 1983-84 (Table 4.5). Declaration of higher rates of

योगदान देनेवाले महत्त्वपूर्ण तत्त्व थे - 1983-84 के लिये लाभांश की उच्चतर दरों की घोषणा, मासिक आय यूनिट योजना का पुन: प्रारंभ और आय यूनिट योजना, 1985 का प्रारंभ। 1984-85 के दौरान यूनिट योजना 1964 के अधीन यूनिटों की बिक्री में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 382 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। यूनिट योजना 1971 (यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना) के अधीन यूनिटों की बिक्री इस वर्ष के दौरान बढ़ गयी। 58 करोड़ रुपयों की लक्ष्य राशि के लिये इस योजना में 44,600 नये सदस्य सम्मिलित हुए इससे सदस्यता में 28 प्रतिशत और राशि में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट और पूंजीकृत समितियों के लिये यूनिट योजना के अधीन हुई बिक्री में पिछले वर्ष के 6 करोड़ रुपये की तुलना में 10 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। तीन नयी योजनाओं अर्थात् मासिक आय यूनिट योजना 1984, मासिक आय यूनिट योजना 1985 और आय यूनिट योजना 1985 के अन्तर्गत इस वर्ष हुई वृद्धि कुल मिलाकर 128 करोड़ रुपये की हो गयी। मासिक आय यूनिट योजना 1984 और मासिक आय यूनिट योजना 1985 के अधीन बिक्री क्रमश: 1 सितम्बर से 31 अक्तूबर, 1984 तक और 1 मार्च, 1985 से 30 अप्रैल 1985 तक उपलब्ध थी। आय यूनिट योजना 1985 (संचयी और गैर-संचयी) 1 जनवरी 1985 से दो महीनों की अवधि के लिये प्रारंभ की गयी थी। पाँच वर्षों में समाप्त होनेवाली इस योजना में अर्जित लाभ की वृद्धि-दर का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया था-प्रथम वर्ष के लिये 12.0 प्रतिशत, अगले दो वर्षों के लिये 12.5 प्रतिशत और शेष अवधि के लिये 13.0 प्रतिशत। इसमें दो विकल्पों का प्रावधान रखा गया था,। अर्थात् निवेशकर्ता चाहे तो छमाही लाभांश अदायगी (गैर-संचयी) का विकल्प दे सकता हैं या फिर लाभांश के स्वत: पुनर्निवेश (संचयी) का। यद्यपि यह एक पंचवर्षीय योजना थी, फिर भी तीसरे वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 1988 के बाद से पुन: खरीद की अनुमति दी गयी थी। इस योजना को निवासी व्यक्तियों, अल्पवयस्कों और पात्र संस्थाओं अर्थात् धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों या वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक तथा मानसिक रूप से

dividend for 1983-84, reintroduction of the Monthly Income Unit Scheme (MIS) and introduction of Income Unit Scheme (IUS) 1985 were the important factors which contributed to this impressive growth in sales of units during the year. Sales of units under the Unit Scheme 1964 during 1984-85 rose by 137 per cent to Rs. 382 crores. The sale of units under the Unit Scheme 1971 (Unit Linked Insurance Plan) increased during the year : 44,600 new members joined the scheme for a target amount of Rs. 58 crores, showing an increase of 28 per cent in membership and 48 per cent in amount. Sales under the Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS) rose to Rs. 10 crores from Rs. 6 crores in the previous year. Sales during the year under the three new schemes, viz., MIS 1984, MIS 1985 and IUS 1985 together amounted to Rs. 128 crores. Sales under MIS 1984 and MIS 1985 were on tap from September 1, to October 31, 1984 and from March 1, 1985 to April 30, 1985, respectively. IUS 1985 (Cumulative and Non-cumulative) was launched on January 1, 1985 for a period of two months. This five-year close-ended scheme envisaged growing rate of return - 12.0 per cent for the first year, 12.5 per cent for the next two years and 13.0 per cent for the remaining period. It provided for two options viz., an investor could opt either for half-yearly dividend payment (non-cumulative) or for automatic dividend reinvestment (cumulative). Though this is a five-year scheme, repurchases are allowed after the third year, i.e., from January 1, 1988. The scheme was kept open to resident individuals, minors and eligible institutions i.e., charitable or religious trusts or endowments and registered societies

सारणी 4.5 : भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनःखरीद
TABLE 4.5 : SCHEME-WISE SALES AND REPURCHASES BY UTI

(वर्ष : जुलाई - जून) (YEAR : JULY - JUNE)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

योजनाएँ Schemes	बिक्री Sales		पुनःखरीद Repurchases		बकाया (30 जून को) Outstanding (as on June 30)	
	1983-84	1984-85@	1983-84	1984-85@	1984	1985@
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme 1964	161.2	381.6	10.5	12.3	647.1	1,016.3
यूनिट योजना 1971 (यूनिट संबद्ध बीमा पॉलिसी) Unit Scheme 1971 (ULIP)	25.7**	31.5**	4.8	5.5	85.4	111.5
धर्मार्थ और धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत सामतियाँ योजना 1981 C. R. T. S. Scheme 1981	6.3	10.1	0.1@@	0.5@@	22.6	32.1
आय यूनिट योजना 1982 Income Unit Scheme 1982	$	—	..@@	0.6	67.1	66.6
मासिक आय यूनिट योजना 1983 Monthly Income Unit Scheme 1983	0.5$$	—	0.3@@	0.5@@	49.2	48.7£
वृद्धि और आय यूनिट योजना, 1983 Growth and Income Unit Scheme 1983	—	*	0.1	0.2	13.4	13.2
मासिक आय यूनिट योजना (2) 1983 Monthly Income Unit Scheme (2) 1983	33.6	+	..@@	0.3@@	33.6	33.3
पूँजीगत लाभ यूनिट योजना 1983 Capital Gains Unit Scheme 1983	102.9	205.2	—	0.2@@	102.9	307.8
मासिक आय यूनिट योजना (3) 1984 Monthly Income Unit Scheme (3) 1984	—	41.9	—	0.1@@	—	41.9
आय यूनिट योजना 1985 Income Unit Scheme 1985	—	55.2	—	—	—	55.2
मासिक आय यूनिट योजना (4) 1985 Monthly Income Unit Scheme (4) 1985	—	30.7	—	—	—	30.7
कुल Total	**330.2**	**756.2**	**15.7**	**20.2**	**1,021.3**	**1,757.3**

@ : अनन्तिम
Provisional

.. : पांच लाख रुपये से कम राशि
Amount less than Rs. five lakhs

@@ : अवधि पूर्ण होने से पहले निकाली गयी राशियाँ
Premature withdrawals

* : 1984-85 के दौरान आपत्तियों के निराकरण के बाद की गयीं 0.03 लाख रुपये की बिक्रियां
Sales effected during 1984-85 on clearance of objections for Rs. 0.03 lakh.

+ : 1984-85 के दौरान आपत्तियों के निराकरण के बाद की गयीं 0.15 लाख रुपये की बिक्रियां
Sales effected during 1984-85 on clearance of objections for Rs. 0.15 lakh.

£ : 1984-85 के दौरान आपत्तियों के निराकरण पर पूंजीकृत 0.10 लाख रुपये शामिल
Includes Rs. 0.10 lakh capitalised on clearance of objections during 1984-85.

** : इसमें नये सदस्यों के अभिदानों से बिक्री की राशियाँ, वर्तमान सदस्यों से नवीकृत अभिदान राशियाँ तथा वर्तमान सदस्यों को देय लाभांश शामिल हैं।
Represents sales from contributions from new members, renewal contributions from existing members and dividend payable to existing members

$: वर्ष 1983-84 के दौरान आपत्तियाँ दूर होने पर की गयीं 0.12 लाख रुपये की बिक्रियां
Sales effected during 1983-84 on clearance of objections for Rs. 0.12 lakh.

$$: वर्ष 1983-84 के दौरान आपत्तियां दूर करने पर की गयी बिक्रियां
Sales effected during 1983-84 on clearance of objections

स्रोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट
Source : Unit Trust of India

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण-कार्य में लगी हुई धर्मादा और पंजीकृत समितियों के लिये खुला रखा गया था। इस योजना में निवेश के प्रति बहुत रुचि दिखायी गयी। दिसम्बर 1983 में प्रारंभ की गयी पूंजी लाभ यूनिट योजना के अंतर्गत हुई बिक्री पिछले वर्ष के 103 करोड़ रुपये की तुलना में 1984-85 में प्रायः दुगुनी अर्थात् 205 करोड़ रुपये थी। इससे निवेशकर्ताओं में इस योजना की लोकप्रियता का पता लगता है।

4.19 1984-85 के दौरान, यूनिट योजना 1964 और यूनिट योजना 1971 यूतिप के अधीन लगातार छठे वर्ष और धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट तथा पंजीकृत समितियों की यूनिट योजना के अधीन लगातार तीसरे वर्ष लाभांशों में वृद्धि की गयी। यूनिट योजना 1964 के अधीन लाभांश की दर 1983-84 के 14.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 1984-85 में 14.25 प्रतिशत, यूनिट योजना 1971 के अधीन 11.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत और धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट तथा पंजीकृत समितियों की यूनिट योजना 1981 के अधीन 13.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.25 प्रतिशत कर दी गयी। पूंजी लाभ यूनिट योजना के मामले में, लाभांश की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दी गयी।

4.20 अप्रयुक्त ग्रामीण बचत राशियों को काम में लाने के लिये ट्रस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों की अभिवृद्धि (पीयूआरए) नामक एक परियोजना प्रारंभ की। ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों की अभिवृद्धि के लिये उक्त परियोजना में कंपनियों द्वारा पहले से ही स्थापित ग्रामीण विपणन केन्द्रों से जोड़ने की रूपरेखा बनायी गयी है। यह परियोजना सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. के साथ तमिलनाडु में प्रारंभ की गयी थी और इसके साथ ही गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लि. के सहयोग से यह गुजरात के चुने हुए जिलों में भी कार्यरत है। यूनिटों की अभिवृद्धि के लिये प्रारंभ किये गये अन्य उपायों में अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिये एजेंटों को भारी प्रोत्साहन कमीशन देना, एजेंटों और मुख्य प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना और कल्पनाशील प्रचार कार्यक्रमों को अपनाया जाना शामिल है।

engaged in the welfare of old people, widows and physically and mentally handicapped persons. The response to this scheme was very encouraging. Sales under the Capital Gains Unit Scheme introduced in December 1983 nearly doubled to Rs. 205 crores in 1984-85 from Rs. 103 crores in the previous year thus showing popularity of the scheme with investors.

4.19 Dividends during 1984-85 were stepped up under the Unit Scheme 1964, and the Unit Scheme 1971 (ULIP) for the sixth successive year and under CRTS for the third year in succession. The rate of dividend was raised from 14.0 per cent in 1983-84 to 14.25 per cent in 1984-85 under the Unit Scheme 1964, from 11.5 per cent to 12.0 per cent under the Unit Scheme 1971 (ULIP) and from 13.0 per cent to 13.25 per cent under CRTS 1981. In the case of Capital Gains Unit Scheme, the dividend was increased from 8 per cent to 8.25 per cent.

4.20 The Trust launched a project called Promotion of Units in Rural Areas (PURA) to mobilise untapped rural savings. The project envisages link-up with rural marketing outlets, already established by companies, for promotion of units in rural areas. This project was introduced in Tamil Nadu in association with Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd. and is also in operation in selected districts of Gujarat in collaboration with Gujarat State Fertilizers Company Ltd. Other measures introduced to promote units include higher incentive commission to agents for business from semi-urban and rural areas, augmenting the strength of agents and chief representatives, and adoption of imaginative publicity programmes.

4.21 समस्त योजनाओं के अधीन, ट्रस्ट की समग्र यूनिट पूंजी 30 जून 1984 के 1,021 करोड़ रुपयों से पर्याप्त मात्रा में बढ़कर 30 जून 1985 को 1,757 करोड़ रुपये हो गयी। 30 जून 1985 को ट्रस्ट की कुल निवेश योग्य निधि 2,210 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि एक वर्ष पूर्व यह राशि 1,261 करोड़ रुपये थी। जून 1985 के अंत में, कुल निवेश योग्य निधियों में से, 279 करोड़ रुपये (12.6 प्रतिशत) ईक्विटी शेयरों में, 10 करोड़ रुपये (0.5 प्रतिशत) अधिमान शेयरों में, 831 करोड़ रुपये (37.6 प्रतिशत) डिबेंचरों में और शेष 1,089 करोड़ रुपये (49.3 प्रतिशत) निवेश संबंधी वचनबद्धताओं, गैर-जमानती अल्पावधि जमाराशियों और मांग तथा अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि के लिए मुख्य रूप से अग्रिम जमाराशियों के रूप में निवेश किये गये।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

4.22 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) ने बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं को बीमा संबंधी सुरक्षा देने और छोटे उधारकर्ताओं (जिनमें कृषक, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं), विशेष रूप से वे जो समाज के कमजोर और उपेक्षित क्षेत्रों से संबद्ध हैं, के कतिपय वर्गों को पात्र ऋण-संस्थाओं द्वारा ऋण-सुविधाओं को प्रदान करने के संदर्भ में गारंटी समर्थन देने के अपने दोहरे लक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की।

निक्षेप बीमा के कार्यकलाप

4.23 बीमाकृत बैंकों की संख्या जून 1984 के अंत के 1,773 से बढ़कर जून 1985 के अंत में 1,821 हो गयी, इसमें 84 वाणिज्य बैंक, 180 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1557 सहकारी बैंक शामिल हैं। जून 1985 के अंत तक इस योजना में 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और

4.21 Aggregate unit capital of the Trust under all its schemes increased substantially from Rs. 1,021 crores as on June 30, 1984 to Rs. 1,757 crores as on June 30, 1985. Total investible funds of the Trust as on June 30, 1985 aggregated Rs. 2,210 crores, as against Rs. 1, 261 crores a year before. Out of total investible funds at the end of June 1985, Rs. 279 crores (12.6 per cent) were invested in equity shares, Rs. 10 crores (0.5 per cent) in preference shares, Rs. 831 crores(37.6 per cent) in debentures and the balance of Rs. 1,089 crores (49.3 per cent) was mainly in advance deposits against investment commitments, unsecured short-term deposits, and money at call and short notice.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

4.22 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DI&CGC) made significant progress in achieving its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended by eligible credit institutions to certain categories of small borrowers (including farmers, village artisans, etc.), particularly those belonging to the weaker and hitherto neglected sections of the society.

Deposit Insurance Function

4.23 The number of insured banks increased from 1,773 at the end of June 1984 to 1,821 by the end of June 1985, comprising 84 commercial banks, 180 regional rural banks (RRBs) and 1,557 co-operative banks. By the end of June 1985, the Scheme covered co-operative banks in fourteen states viz., Andhra pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh,

पश्चिम बंगाल तथा 3 संघशासित क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के सहकारी बैंक शामिल हैं। बिहार, हरियाणा और सिक्किम के मामले में, बिहार राज्य सरकार द्वारा पारित बिहार राज्य सहकारी समिति अधिनियम, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पारित सहकारी समिति विधेयक और सिक्किम राज्य में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के विस्तार से संबंधित संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं। शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में स्थिति अपरिवर्तित है।

Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories viz., Delhi, Goa, Daman & Diu and Pondicherry. As regards Bihar, Haryana and Sikkim, the amendment to the Bihar State Co-operative Societies Act as passed by the Bihar State Government, the Co-operative Societies Bill as passed by the Haryana State Government and extension of DI&CGC Act, 1961 to the State of Sikkim are under consideration of the Reserve Bank of India. The position in the remaining States/Union Territories remains unchanged.

4.24 बीमा सुरक्षा की सीमा और बीमा प्रीमियम की दर क्रमशः प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 30,000 रुपये और प्रति वर्ष प्रति 100 रुपये पर 4 पैसे की दर से अपरिवर्तित बनी रही। जून 1983 के अंत में कर निर्धारणीय जमाराशियाँ 50,797 करोड़ रुपयों से बढ़कर जून 1984 के अंत में 61,880 करोड़ रुपये हो गयीं। प्रीमियम आय में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 24.86 करोड़ रुपयों से बढ़कर 28.97 करोड़ रुपये हो गयीं और इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा निधि में इस वर्ष 41.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह दिसंबर 1984 के अंत में 218.89 करोड़ रुपये हो गयी। अब उक्त निधि कुल कर-निर्धारणीय जमाराशियों का 0.35 प्रतिशत और सकल बीमाकृत जमाराशियों का 0.47 प्रतिशत है।

4.24 The limit of insurance cover and the rate of insurance premium remained unchanged at Rs. 30,000 per depositor per bank and at 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. The amount of assessable deposits increased from Rs. 50,797 crores at the end of June 1983 to Rs. 61,880 crores at the end of June 1984. The premium income rose by 16.5 per cent from Rs. 24.86 crores to Rs. 28.97 crores and consequently the Deposit Insurance Fund increased over the year by Rs. 41.89 crores to Rs. 218.89 crores by the end of December 1984. The Fund now constitutes 0.35 per cent of the total assessable deposits and 0.47 per cent of the aggregate insured deposits.

4.25 जून 1984 के अंत में, पूरी तरह संरक्षित खाते, जमा खातों की कुल संख्या के 98.7 प्रतिशत और बीमाकृत जमाराशियां, कुल कर-निर्धारणीय जमाराशियाँ का 74.8 प्रतिशत थीं। योजना के प्रारम्भ के समय से जून 1985 के अंत तक 14 वाणिज्य बैंकों और 13 सहकारी बैंकों के संदर्भ में जमा बीमा दावों की प्रदत्त और प्रावधान की कुल राशि क्रमशः

4.25 As at the end of June 1984, fully protected accounts formed 98.7 per cent of the total number of deposit accounts and insured deposits formed 74.8 per cent of the total assessable deposits. The total amount of deposit insurance claims paid and provided for since inception of the Scheme upto the end of June 1985 in

1.13 करोड़ रुपये और 2.12 करोड़ रुपये थीं। निगम ने वाणिज्य/सहकारी बैंकों से चुकौती के रूप में 1.08 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की।

ऋण गारंटी के कार्यकलाप

गैर-औद्योगिक क्षेत्र

4.26 जून 1985 के अंत में, 232 बैंकों – 75 वाणिज्य बैंकों और 157 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निगम की लघु ऋण-गारंटी योजना, 1971 में भाग लिया था। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण-संस्थाओं की संख्या में 1 की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 19 हो गयी। जून 1985 के अंत में सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1971 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की संख्या 169 थी, उसमें 61 वाणिज्य बैंक, 71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 37 सहकारी बैंक शामिल थे।

4.27 उक्त योजनाओं के अधीन गारंटीकृत अग्रिमों की कुल राशि जून 1985 के अंत में 8,134 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार जून 1984 के अन्त की 7,099 करोड़ रुपयों की अग्रिम की राशि को देखते हुए उसमें इस वर्ष 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 4.6) और 1972 से उसमें 39 गुनी वृद्धि हुई। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित वाणिज्य बैंक भाग ले रहे हैं, उन्होंने कुल गारंटीकृत अग्रिमों का अधिकांश अर्थात् कुल का 99.2 प्रतिशत अंश बनाये रखा। कृषकों और खेतिहरों को प्रदान किये जानेवाले अग्रिम गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किये गये गारंटीकृत अग्रिमों के 58.2 प्रतिशत के प्रमुख अंश के रूप में बने रहे, तदनन्तर परिवहन चालक (17.9 प्रतिशत), खुदरा व्यापारी (10.6), कारोबारी उद्यम (4.9 प्रतिशत), व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति (5.0 प्रतिशत) और विभेदक ब्याज-दर योजना के अन्तर्गत उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी (3.4 प्रतिशत) को दिये जानेवाले ऋण आते हैं।

respect of 14 commercial banks and 13 co-operative banks aggregated Rs. 1.13 crores and Rs. 2.12 crores, respectively. The Corporation has received from the commercial/co-operative banks Rs. 1.08 crores towards repayment.

Credit Guarantee Function

Non-Industrial Sector

4.26 At the end of June 1985, 232 banks-75 commercial and 157 regional rural banks-were participating in the Corporation's Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The number of credit institutions participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee scheme, 1971 increased by 1 to 19. The number of credit institutions participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 stood at 169 at the end of June 1985 comprising 61 commercial banks, 71 regional rural banks and 37 co-operative banks.

4.27 Total amount of advances guaranteed under these schemes increased to Rs. 8,134 crores at the end of June 1985 from Rs. 7,099 crores at the end of June 1984 indicating a rise of 14.6 per cent over the year (Table 4.6) and more than 39 fold increase since 1972. The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 in which commercial banks including regional rural banks are participating, continues to account for the bulk of total guaranteed advances forming 99.2 per cent thereof. Advances to farmers and agriculturists continue to constitute major portion accounting for 58.2 per cent of the guaranteed advances to non-industrial sector followed by credit to transport operators (17.9 per cent), retail traders (10.6 per cent), business enterprises (4.9 per cent), professional and self-employed persons (5.0 per cent) and

सारणी : 4.6 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्यौरे (जारी)
TABLE - 4.6 : SECTOR - WISE DETAILS OF DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION'S GUARANTEED ADVANCES (Contd.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी Scheme/Category of borrowers	जून के अंत में स्थिति As at the end of June					
	1972	1981	1982	1983	1984	1985
(अ) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971						
(A) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	**205.7**	**3,546.2**	**4,819.8**	**5,736.4**	**7,045.4**	**8,072.7**
	(98.7)	(99.7)	(99.6)	(99.4)	(99.3)	(99.2)
किसान तथा कृषिकर्मी Farmers and agriculturists	134.7	2,267.5	3,041.6	3,594.8	4,182.0	4,730.9
	(64.6)	(63.7)	(62.8)	(62.3)	(58.9)	(58.2)
परिवहन चालक Transport Operators	28.3	477.6	731.3	937.7	1,239.6	1,396.2
	(13.6)	(13.4)	(15.1)	(16.2)	(17.5)	(17.2)
खुदरा व्यापारी Retail Traders	28.3	398.9	511.8	574.8	709.8	858.6
	(13.6)	(11.2)	(10.6)	(9.9)	(10.0)	(10.6)
व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति Professional & Self employed Persons	9.1	165.7	199.1	240.8	326.9	404.2
	(4.4)	(4.7)	(4.1)	(4.2)	(4.6)	(5.0)
कारोबारी उद्यम - Business enterprises	5.3	150.1	209.7	239.6	322.5	401.6
	(2.5)	(4.2)	(4.3)	(4.2)	(4.5)	(4.9)
उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत Residual category of borrowers under DRI Scheme	—	86.6	126.2	148.7	264.5	280.7
		(2.4)	(2.6)	(2.6)	(3.7)	(3.4)
(आ) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971						
(B) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	**2.6**	**10.9**	**18.6**	**35.6**	**52.7**	**61.5**
	(1.2)	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(0.7)	(0.8)
परिवहन चालक Transport Operators	2.4	10.3	18.4	35.4	52.3	61.1
	(1.1)	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(0.7)	(0.8)
कारोबारी उद्यम, Business enterprises	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4
	(0.1)	(–)	(–)	(–)	( )	(–)
(इ) सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971						
(C) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971						
सेवा सहकारी समितियाँ Service Co-operative Societies	**0.1**	**1.3**	**1.5**	**1.8**	**0.5**	**0.5**
	(0.1)	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**
जोड़ (अ + आ + इ) Total (A + B + C)	**208.4**	**3,558.5**	**4,839.9**	**5,773.8**	**7,098.6**	**8,134.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

सारणी : 4.6 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्यौरे (समाप्त)
TABLE - 4.6 : SECTOR - WISE DETAILS OF DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION'S GUARANTEED ADVANCES (Concld.)

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी Scheme/Category of borrowers	जून के अंत में स्थिति As at the end of June					
	1972	1981	1982	1983	1984	1985
(ई) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 (D) **Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981**						
कारीगरों, ग्राम/कुटीर उद्योगों सहित समस्त लघु उद्योग इकाइयाँ All SSI units including artisans, village/cottage industries,etc.	—	3716.4*	3822.1	4153.7	4,890.9	
(उ) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 (E) **Small loans (Co-operative Bank) Guarantee Scheme, 1984**	—	—	—	—	5.7@	6.5
परिवहन चालक Transport Operators	—	—	—	—	1.8	.
खुदरा व्यापारी Retail Traders	—	—	—	-	2.6	..
व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति Professional & Self-employed Persons	—	—	—	--	1.0	—
कारोबारी उद्यम Business Enterprises	—	—	—	--	0.2	--
खपत और आवास Consumption & housing	—	—	—	—	0.1	--

* : मार्च, 1981 के अंत में
As at the end of March, 1981

@ : दिसंबर, 1984 के अंत में
As at the end of December, 1984

— : शून्य या नगण्य
Nil or negligible

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े जोड़ में प्रतिशत दर्शाते हैं।
Note : Figures in brackets indicate percentage to total

स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
Source : Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation

the residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme (3.4 per cent).

4.28 जुलाई-जून (1984-85) की अवधि के दौरान प्रस्तुत किये गये गारंटी दावों की संख्या 84.7 करोड़ रुपयों के लिये 3,47,983 थी। योजनाओं की स्थापना के समय से जून 1985 के अंत तक प्राप्त दावों की संख्या 219.1 करोड़ रुपयों के लिये 10,13,340 तक पहुंच गयी और जून 1985 के अंत तक यह कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 2.7 प्रतिशत अर्थात् 8,134.2 करोड़ रुपये थी। जुलाई-जून (1984-85) की समकक्ष अवधि के दौरान, 34.1 करोड़ रुपयों के लिये 2,29,521 दावे निपटाये गये। योजनाओं की स्थापना के समय से लेकर जून 1985 तक 114.5 करोड़ रुपयों के कुल 7,41,875 दावों की जाँच की गयी और उन्हें निपटाया गया।

4.28 Guarantee claims preferred during the period July-June (1984-85) numbered 3,47,983 for Rs. 84.7 crores. Claims received since inception of the Schemes upto the end of June 1985 numbered 10,13,340 for Rs. 219.1 crores and formed 2.7 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 8,134.2 crores at the end of June, 1985. During the period July-June (1984-85), 2,29,521 claims for Rs. 34.1 crores were disposed of; the cumulative figure of claims scrutinised and disposed of since inception of the Schemes till June 1985 being 7,41,875 claims for Rs. 114.5 crores.

लघुउद्योगों से संबंधित ऋण-गारंटी योजना

4.29 निगम की लघु ऋण-गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या जून 1984 के अंत में 387 से बढ़कर जून 1985 के अंत में 432 हो गयी। इसमें 72 वाणिज्य बैंक, 126 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 16 राज्य वित्तीय निगम, और 8 अन्य राज्य विकास एजेंसियों और 210 सहकारी बैंक शामिल हैं। इनके अलावा, गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक, 1 राज्य वित्तीय निगम और 4 सहकारी बैंकों ने इस योजना से संबद्ध होने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है।

Credit Guarantee Schemes relating to Small-Scale Industries (SSIs)

4.29 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981, rose from 387 as at the end of June, 1984 to 432 by the end of June 1985, comprising 72 commercial banks, 126 regional rural banks, 16 State Financial Corporations, 8 other state development agencies and 210 co-operative banks. Besides, 1 non-scheduled commercial bank, 1 State Financial Corporation and 4 co-operative banks have expressed their willingness to join the scheme.

4.30 जून 1983 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र को दी गयी कुल गारंटीकृत अग्रिम राशि 4,154 करोड़ रुपयों से बढ़कर जून 1984 के अंत में 4,891 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई 1984 जून 1985 की अवधि के दौरान निगम की योजना के अधीन, 64 करोड़ रुपयों की राशि के लिए 18,372 दावे प्राप्त हुए और 12 करोड़ रुपयों के 12,622 दावे निपटाये गये।

4.30 The total guaranteed advances to Small-Scale Industries sector rose from Rs. 4,154 crores at the end of June 1983 to Rs. 4,891 crores at the end of June 1984, recording a rise of 17.7 per cent over the previous year. Under the Corporation's Scheme, during the period July 1984-June 1985, 18,372 claims for Rs. 64 crores were received and 12,622 claims for Rs. 12 crores were disposed of.

4.31 जहाँ तक 31 मार्च 1981 को कारोबार की समाप्ति पर रद्द की गयी सरकार की योजना का प्रश्न है (जहां शेष बचे कार्यकलापों के निपटान के लिए निगम एजेंट के रूप में कार्य करता है), निगम ने 1 अप्रैल 1981 को 98 करोड़ रुपयों के 30,826 दावे लेने के अलावा, 85 करोड़ रुपयों के 42,424 दावे प्राप्त किये। निगम ने जून 1985 के अंत तक 110 करोड़ रुपयों के 66,828 दावों का निपटान किया।

सहकारी क्षेत्र

4.32 हाटे कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार, जो की बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गयी थीं, "लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984" के नाम से एक नयी योजना । जुलाई 1984 से प्रारंभ की गयी, जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को एकल परिवहन चालकों, खुदरा व्यापारियों, लघु कारोबार और व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को और इसके साथ ही उनकी खपत और आवास, आदि आवश्यकताओं के लिए दिये गये ऋणों के साथ उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों की गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंसीकृत सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (जो निम्न स्तर के बैंक नहीं हैं) इस योजना में सहभागी बन सकते हैं, इसके साथ ही साथ इस विशेष प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सिफारिश किये गये गैर-लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भी उक्त योजना में भाग ले सकते हैं। एक बार यदि कोई पात्र बैंक इस योजना शामिल हो जाता है और निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क अदा कर देता हैं, तो गारंटी सुरक्षा स्वयमेव लागू हो जायेगी और निगम द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं की तरह सभी पात्र ऋण सुविधाओं को समूचे रूप में सुरक्षा दी जायेगी। गारंटी शुल्क की दर वही है जो लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन वाणिज्य बैंकों के लिए लागू है अर्थात् छोटे उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले अग्रिमों के संदर्भ में 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष (अर्थात् जिन पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की गयी कुल ऋण सुविधाएं 25,000 रुपयों

4.31 As regards Government's Scheme cancelled as at the close of business on March 31, 1981 (where the Corporation has been acting as an agent for the discharge of residual functions), the Corporation in addition to taking over 30,826 claims for Rs. 98 crores as on April 1, 1981 received 42,424 claims for Rs. 85 crores till the end of June 1985. The Corporation disposed of 66,828 claims for Rs. 110 crores till end-June 1985.

Co-operative Sector

4.32 As per the recommendations of the Hate Working Group, which were accepted by the Board, a new scheme titled "Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984" has been introduced from July 1, 1984 to provide guarantee cover to primary (urban) co-operative banks in respect of their lending to single transport operators, retail traders, small business and professional and self-employed persons as also for their consumption and housing etc., needs granted along with the loans for productive purposes. Participation in the Scheme is open to all primary (urban) co-operative banks licensed by the Reserve Bank (which are not sub-standard banks) as well as to the unlicensed primary (urban) co-operative banks which are specifically recommended by the Reserve Bank for the purpose. Once an eligible bank joins the Scheme and pays the guarantee fee at the prescribed rates, the guarantee cover would be automatic and would cover in bulk all eligible credit facilities as in the case of other Schemes operated by the Corporation. The rate of guarantee fee is the same as applicable to commercial banks under Small Loans Guarantee Scheme, 1971 viz., 0.50 per cent per

से अधिक नहीं है) और अन्य उधारकर्ताओं के मामलों में 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। कुल आमंत्रित 560 शहरी सहकारी बैंकों में से 150 बैंकों (102 लाइसेंसी और 48 गैर-लाइसेंसी) ने जून 1985 के अंत तक उक्त योजना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। इनमें से केवल 45 बैंकों ने निगम के साथ करार-पत्र का निष्पादन किया और इनमें से भी 28 बैंकों ने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और जून 1985 के अंत तक उक्त योजना से सहभागियों के रूप में शामिल कर लिया गया है। 30 जून 1985 को गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 6.5 करोड़ रुपये थी।

annum in respect of advances to small borrowers (i.e. to whom eligible credit facilities not exceeding Rs. 25,000 in the aggregate are provided) and 0.75 per cent in respect of other borrowers. Out of 560 urban co-operative banks invited, 150 banks (102 licensed and 48 unlicensed) have, till the end of June 1985, expressed their willingness to join the Scheme. Out of these, only 45 banks have executed the deeds of agreement with the Corporation of which 28 banks have completed all formalities and have been admitted till end of June 1985 as participants in the Scheme. The guaranteed advances as on June 30, 1985 aggregated Rs. 6.5 crores.

4.33 सहकारी क्षेत्र के लिये एक अन्य योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 जो कृषि सम्बंधी और उससे सम्बद्ध गतिविधियों के लिये प्राथमिक स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वार प्रदत्त अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के लिये, 1 जनवरी 1983 और उसके बाद से मार्गदर्शी आधार पर, प्राथमिक कृषि सम्बंधी ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का चयन करने के लिये प्रस्तुत की गयी थी, उसमें बैंकों ने अभी तक कोई बहुत उत्साह नहीं दर्शाया है।

4.33 Another Scheme for co-operative sector viz., Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 which was formulated for extension of guarantee cover to advances granted by co-operative credit institutions at the primary level for agricultural and allied activities and offered on a pilot basis from January 1, 1983 onwards to select Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and Primary Land Development Banks (PLDBs)/branches of State Land Development Banks (SLDBs) has not so far evoked much response.

कार्यप्रणाली में परिवर्तन

4.34 निगम की कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सितंबर 1983 से कम्प्यूटीकरण का प्रारंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, निगम अनिर्णीत दावों के एक बहुत बड़े अंश का निपटान करने में सक्षम हुआ। कम्प्यूटरीकरण आंकड़ों की पुनःप्राप्ति में सुधार लाने और सामयिक प्रबंध सूचना प्रदान करने के लिए भी किया गया है।

Changes in work systems

4.34 In order to increase the operational efficiency of the Corporation, computerisation was introduced since September 1983. As a result, the Corporation has been able to clear off a large backlog of pending claims. The computerisation is also being designed to improve data retrieval and to provide timely management information.

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.35 वर्ष 1984 के दौरान, निगम की गारंटी शुल्क प्राप्तियों में प्राप्त दावों की तुलना में काफी गिरावट आयी। इससे ऋण-गारंटी योजनाओं की अर्थक्षमता के लिये खतरा पैदा हो गया। अतः सबसे पहले गारंटी सुरक्षा की सीमा राशि की समीक्षा की गयी और अन्य बातों के साथ-साथ, योजनाओं की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने और साथ ही यह भी देखने के लिये कि छोटे उधारकर्ताओं को उधार देने के स्तर में कोई कमी न आये तथा निधियों का बेहतर पुनरावर्तन हो, समस्त योजनाओं के अधीन 1 जनवरी 1985 के बाद से उक्त प्रकार के उधारों के संदर्भ में 66²/₃, 75 या 90 प्रतिशत से जहाँ भी वह इस प्रकार उपलब्ध थी गारंटी सुरक्षा को कम करके 60 प्रतिशत तक लाया गया। वर्तमान शुल्क की दरों में फिलहाल परिवर्तन नहीं किया गया है।

4.36 शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नकली अंगों, श्रवण उपकरणों, आदि की खरीद के लिये ग्रामीण कारीगरों, विभेदक ब्याज-दर के हिताधिकारियों, आदि सहित लघु उधारकर्ताओं को 2,500 रुपये प्रति उधारकर्ता की सीमा तक ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अग्रिम राशियों को 1 जुलाई 1984 से इस योजना की सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है, बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त प्रकार की अग्रिम राशियों को उत्पादक प्रयोजनों के लिये प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों के साथ दिया गया हो। शारीरिक रूप से विकलांग अन्य ऐसे व्यक्तियों को भी जो ग्रामीण/कुटीर/अन्य लघु उद्योगों में लगे हुए हैं, दी गयी इसी प्रकार की सहायता को कतिपय शर्तों के अधीन लघु उद्योगों के लिये निगम की योजना के अधीन गारंटी सुरक्षा दी गयी है।

4.37 सहकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपनी सामाजिक उद्देश्य योजना के अधीन नियुक्त किये गये एचएसडी तेल/एलपीगैस/मिट्टी के तेल के खुदरा व्यापारियों को सहभागी बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाएँ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत शामिल

Significant developments

4.35 During the year 1984, the guarantee fee receipts by the Corporation fell much short of the claims receipts endangering the financial viability of the credit guarantee schemes. The extent of guarantee cover was, therefore, reviewed as a first step, and with a view, *inter alia* to ensuring the financial viability of the schemes and also to see that there is no dilution in the quality of lendings to small borrowers and better recycling of funds, the guarantee cover under all the Schemes has been brought down to 60 per cent (from 66²/₃, 75 or 90 per cent wherever it was so available) in respect of such lendings from January 1, 1985 onwards. The existing fee rates have not been changed for the present.

4.36 Advances granted by credit institutions to physically handicapped small borrowers including village artisans, DRI beneficiaries, etc., upto Rs. 2,500 per borrower for purchase of artificial limbs, hearing aids, etc., were made eligible for cover under the Schemes from July 1, 1984 provided, *inter alia*, such advances were granted along with the advances for productive purposes. Similar assistance to other physically handicapped persons who are engaged in village/cottage/other small-scale industries have been extended guarantee cover under the Corporation's Scheme for small scale industries subject to certain conditions.

4.37 Credit facilities by participating banks to retail dealers of HSD Oil/L. P. Gas/Kerosene oil appointed by public sector oil companies under their Social Objective Scheme have been included by the Reserve Bank of India under priority sector advances. Such credit facilities

कर ली गयी हैं। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन खुदरा व्यापारियों की श्रेणी के अंतर्गत उक्त प्रकार की ऋण सुविधाओं को गारंटी सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है, बशर्ते उनके द्वारा विभिन्न शर्तों का अनुपालन किया जाये।

4.38 नवंबर, 1984 में दिल्ली और देश के अन्य भागों में हुए दंगों के दौरान जिन व्यक्तियों को अपने जीविकोपार्जन के साधनों और अन्य कारोबारी आस्तियों की क्षति उठानी पड़ी, उन्हें ऋण-संस्थाओं के द्वारा उत्पादक प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापना सहायता हेतु ऋण-गारंटी सुरक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं।

4.39 ऋण-संस्थाओं द्वारा ऐसे कुशल बुनकरों को जो बुनने की मुख्य गतिविधि से संबद्ध नहीं हैं, किन्तु धागे को रंगने, डिज़ाइन देने, क्लिपिंग, एम्बॉसिंग और बुनकरों द्वारा बुनी गयी कारपेटों को अंतिम रूप देने जैसी संबद्ध सेवाओं से जुड़े हुए हैं, यदि अग्रिम प्रदान किये जाते थे तो वे अब तक लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के अधीन गारंटी के लिए पात्र नहीं थे। वास्तविक बुनकरों को संबद्ध बुनकरों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए, यह निश्चय किया गया था कि कतिपय शर्तों के अधीन, ऐसे उधारकर्ताओं को केवल अभिसंस्करण गतिविधियों के लिए (न कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए) दिये गये अग्रिमों के लिये गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाये।

4.40 निगम की लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के अधीन और उसकी अन्य शर्तों का अनुपालन करने पर सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा पोत को तोड़ने और उसके हिस्सों को अलग-अलग करने की गतिविधियों में लगी हुई लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये जानेवाले अग्रिम गारंटी सुरक्षा के लिए पात्र माने गये हैं।

have been extended guarantee cover under the category of 'Retail Traders' under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 subject to compliance of various terms and conditions.

4.38 Special facilities of credit guarantee cover have been extended to rehabilitation assistance for productive purposes granted by credit institutions to persons who have suffered loss of their means of livelihood and other business assets during the disturbances in Delhi and other parts of the country in November 1984.

4.39 Advances granted by credit institutions to master weavers who are not involved in the main activity of weaving but provide allied services like dyeing of yarn, providing designs, clipping, embossing, giving finishing touches to the carpets woven by weavers, etc., were hitherto not eligible for guarantee under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981. Keeping in view the services of allied weavers to the actual weavers, it was decided to provide guarantee cover only for those advances which are made for the "processing activities" (and *not* for trading activities) of such borrowers subject to certain conditions.

4.40 Advances granted by participating credit institutions to small-scale industrial units engaged in ship-breaking/dismantling activities have been made eligible for guarantee cover under the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 subject to the compliance of other terms and conditions thereof.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

4.41 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अपने लेखा वर्ष (जनवरी-दिसंबर), 1984 के दौरान, बोली-पूर्व-समाशोधन के बाद निर्यात बोलियों और चालू परियोजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपयों की निधिक सहायता और 443 करोड़ रुपयों की निधि-इतर सहायता के लिए सिद्धांत रूप में वायदा किया। 1984 के दौरान, कार्यकारी दल (जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, केन्द्रीय सरकार और निर्यातकों के बैंकर शामिल हैं) ने 4,490 करोड़ रुपयों की 232 निर्यात बोलियों (आपूर्ति, निर्माण और तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनाओं के लिए) का अनुमोदन किया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात बोलियों की संख्या में 12 प्रतिशत और मूल्य में 2 प्रतिशत की कमी दिखाई दी है। 1984 के दौरान, एक्ज़िम बैंक ने 42 नयी परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर की, जिनके लिए 1984 के दौरान और उसके पहले के वर्षों में उसने सिद्धांत रूप में वायदा कर लिया था। इस प्रकार की नयी निर्यात परियोजनाओं का मूल्य 165 करोड़ रुपये था, जिसमें 32 करोड़ रुपयों की निर्माण परियोजनायें, 100 करोड़ रुपयों की तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनायें और 33 करोड़ रुपयों के आपूर्ति संबंधी करार शामिल थे।

4.42 बोली-पूर्व समाशोधन की अपेक्षा रखनेवाली निर्यात परियोजनाओं की सहायता के अलावा एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातों के लिए ऋण के माध्यम के रूप में वित्तीय सहायता, पुनः ऋण देने की सुविधा, निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई, विदेशी निवेश वित्त, माने हुए निर्यातों के लिए सुविधाएँ और शत-प्रतिशत निर्यात मूलक यूनिटों और मुक्त व्यापार-क्षेत्र में स्थित यूनिटों को भी सहायता प्रदान करता है। 1984 में एक्ज़िम बैंक ने भारत में "माने हुए" निर्यातों को सहायता देने के लिए एक नया वित्तपोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके अधीन या तो आपूर्तिकर्ता के जरिए या सीधे क्रेता के जरिए वह पात्र "माने हुए" निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक-दर पर आस्थगित ऋण प्रदान करता है। एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गयी

Export-Import Bank of India,

4.41 During its accounting year (January-December) 1984, the Export-Import Bank of India (Exim Bank) made commitments-in-principle amounting to Rs427 crores of funded assistance and Rs. 443 crores of non-funded assistance for export bids and on-going projects after pre-bid clearance. During 1984, the working group (consisting of Exim Bank, RBI, ECGC, Central Government and exporter's bankers) had approved 232 export bids (for supply, construction and turnkey projects) valued at Rs.4,490 crores which showed a decline of 12 per cent in number of export bids and 2 per cent in value compared with the previous year. During 1984, Exim Bank sanctioned assistance to 42 new projects for which in-principle commitments had been made by it during 1984 and earlier years. The value of such new export projects was Rs. 165 crores comprising of construction projects of Rs. 32 crores, turnkey projects of Rs. 100 crores and supply contracts of Rs. 33 crores.

4.42 In addition to assistance for export projects requiring pre-bid clearance, Exim Bank also extends financial assistance, for Indian exports through lines of credit, relending facility, export bills rediscounting, overseas investment finance, facilities for deemed exports and assistance to hundred per cent export units and units in free trade zone. Exim Bank introduced in 1984 a new financing programme to support "deemed" exports in India, under which it extends deferred credit at an internationally competitive rate to eligible deemed exports either through the supplier or directly to the buyer. Other funded and non-funded

अन्य निधिक और निधि-इतर सुविधाएँ "माने हुए निर्यातों" के लिए भी उपलब्ध हैं । माने हुए निर्यात" भारत में उन विशिष्ट लेन-देनों के मामले में होते हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा बनायी गयी हो या विदेशी मुद्रा की बचत हुई हो। उदाहरणार्थ, मुक्त व्यापार-क्षेत्र में स्थित यूनिटों और शत-प्रतिशत निर्यात यूनिटों और (विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित) भारत स्थित परियोजनाओं को, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की क्रियाविधि के अधीन करते हैं, भारतीय उत्पादकों द्वारा की जानेवाली आपूर्तियाँ जैसे लेन-देन माने हुए निर्यात होते हैं।

4.43 1984 के दौरान, एक्जिम बैंक ने निर्यात-उन्मुख यूनिटों के लिये मीयादी वित्त प्रदान करने के एक नये कार्यक्रम को भी चलाया, जिसके अधीन उसने मृत्कला (सिरेमिक्स) उद्योग में शत प्रतिशत निर्यात मूलक यूनिट की स्थापना के लिये एक सहायता संघीय कार्यक्रम के जरिये सहायता प्रदान की। इस प्रयोजन के लिये संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिए 59 लाख रुपयों का मीयादी ऋण और 116 लाख रुपयों की आस्थगित अदायगी गारंटी मंजूर की गयी थी।.

4.44 निधिक सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन 1984 के दौरान एक्जिम बैंक ने 430 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की जो कि 1983 में उक्त कार्यक्रमों के अधीन मंजूर की गयी 287 करोड़ रुपयों की राशि से 50 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 4.7)। 1984 में निधिक सहायता के 353 करोड़ रुपयों का उपयोग 1983 के 206 करोड़ रुपयों की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक था। 1984 के दौरान एक्जिम बैंक ने 57 करोड़ रुपयों की गारंटी के रूप में निधि-इतर सहायता मंजूर की और इतनी ही राशि की गारंटियाँ जारी कीं, पिछले वर्ष मंजूर की गयी और जारी की गयी गारंटियों की तुलना में इस वर्ष दोनों में ही पर्याप्त गिरावट आयी। निधिक और निधि-इतर सहायता के अधीन, दिसम्बर 1984 के अन्त में बकाया राशि क्रमश: 415 करोड़ रुपये और 510 करोड़ रुपये थी, जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त राशियाँ क्रमश: 293 करोड रुपये और

facilities offered by Exim Bank were also available for deemed exports. Deemed exports occur in case of specified transactions within India which result in foreign exchange earnings or foreign exchange savings. For instance, transactions such as supplies made by Indian manufacturers to units in free tade zones and hundred per cent export units and to projects in India (financed by external agencies), which procure their requirements under the procedure of international competitive bidding qualify as deemed exports.

4.43 During 1984, Exim Bank also launched a new programme to provide term finance for export-oriented units, under which it extended assistance through a consortium for establishing a hundred per cent export unit in the ceramics industry. A rupee term loan of Rs. 59 lakhs and a deferred payment guarantee of Rs. 116 lakhs for import of plant and machinery were sanctioned for this purpose.

4.44 Exim Bank sanctioned during 1984 under various programmes of funded assistance Rs. 430 crores which was 50 per cent higher compared with Rs. 287 crores sanctioned under these programmes in 1983 (Table 4.7). Utilisation of funded assistance at Rs. 353 crores in 1984 was 72 per cent higher compared with Rs. 206 crores in 1983. Exim Bank sanctioned during 1984 non-funded assistance in the form of guarantees worth Rs. 57 crores and issued guarantees of the same order, both showing a sizeable decline as compared to guarantees sanctioned and issued in the previous year. Outstandings at the end of December 1984 under funded and non-funded assistance stood at Rs. 415 crores

452 करोड रुपये थीं।

4.45 निधिक कार्यक्रमों के अधीन, मंजूर की गयी सहायता* का लगभग दो-तिहाई अंश (67 प्रतिशत) निर्माण परियोजनाओं का रहा। बिजली उत्पादक और वितरक उपकरण, वाणिज्यिक वाहन, परिवहन उपकरण, चीनी संयंत्र मशीनरी और वस्त्रोद्योग मशीनरी अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ और उत्पाद थे, जिनके लिये सहायता मंजूर की गयी थी। निधिक सहायता के उपयोग में, निर्माण परियोजनाओं का अंश 46 प्रतिशत था और सीमेंट संयंत्र मशीनरी तथा वाणिज्यिक वाहन/परिवहन उपकरण में से प्रत्येक का अंश 15 प्रतिशत था। निधि-इतर सुविधाएँ मुख्य रूप से निर्माण परियोजनाओं के लिये उपयोग में लायी गयीं जो कि मंजूर और जारी की गयी सहायता 83 प्रतिशत से अधिक थी। इस सुविधा के अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोग-कर्ता बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में लगी हुई परियोजनाएँ थीं।

4.46 क्षेत्रवार, निधिक सहायता का सबसे बड़ा अंश पश्चिम एशिया को किये जाने वाले निर्यात (44 प्रतिशत) के रूप में थे, उसके बाद अफ्रीका (24 प्रतिशत), अमेरिका (17 प्रतिशत) और दक्षिण-पूर्व एशिया (15 प्रतिशत) का क्रम आता है। पिछले वर्ष की तुलना में, पश्चिम एशिया और अफ्रीका को किये गये निर्यातों की निधिक मंजूरियों में क्रमशः 240 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दक्षिण/दक्षिण-पूर्व एशिया को किये गये निर्यातों में 54 प्रतिशत की गिरावट आयी। निधिक सहायता के उपयोग का सबसे बड़ा अंश पश्चिम एशिया को किये गये निर्यातों (47 प्रतिशत) का था, उसके बाद दक्षिण/दक्षिण-पूर्व

* उद्योग-वार और क्षेत्र-वार विश्लेषण में, मंजूरियों और उपयोग में से निर्यात बिल की पुनर्भुनाई को अलग रखा गया है, जबकि वैचारिक और सांख्यिकी से सम्बंधित कारणों से मंजूरियों में से पुनः ऋण प्रदान करने की सुविधा को अलग रखा गया है।

and Rs.' 510 crores, respectively, as against Rs. 293 crores and Rs. 452 crores respectively, a year ago.

4.45 Construction projects accounted for about two-thirds (67 per cent) of assistance sanctioned* under funded programmes. Power generation and distribution equipment, commercial vehicles, transport equipment, sugar plant machinery and textile machinery were other important projects and products for which assistance was sanctioned. In the utilisation* of funded assistance, the share of construction projects was 46 per cent and of cement plant machinery and commercial vehicles/transport equipment was 15 per cent each. Non-funded facilities were predominantly used for construction projects which accounted for over 83 per cent of sanctions and issues. Other important users of this facility were projects in the field of power generation and distribution.

4.46 Region-wise, the largest share of funded assistance* sanctioned was accounted for by exports to West Asia (44 per cent), followed by Africa (24 per cent), Americas (17 per cent) and South/South East Asia (15 per cent). Compared with last year, funded sanctions for exports to West Asia and Africa increased by 240 per cent and 9 per cent, respectively, while those for exports to South/South East Asia declined by 54 per cent. The largest share of utilisation of funded assistance was accounted for by exports to West Asia (47 per cent),

* In the industry-wise and region-wise analysis, export bills rediscounting is excluded from sanctions and utilisations, while relending facility is excluded from sanctions because of conceptual and data-related reasons.

सारणी 4.7 : निर्यात-आयात बैंक के कार्यकलाप
TABLE 4.7 : OPERATIONS OF EXIM BANK

(करोड़ रुपये) (Rs. Crores)

उधार संबंधी कार्यक्रम Lending Programmes	जनवरी-दिसंबर 1983 January-December 1983			जनवरी-दिसंबर 1984 January-December 1984		
	स्वीकृतियां Sanctions	उपयोग Utilisations	बकाया Outstandings	स्वीकृतियां Sanctions	उपयोग Utilisations	बकाया Outstandings
1	2	3	4	5	6	7
(अ) निधिक (A) **Funded**						
क्रेता ऋण Buyer's Credit	8.9	13.5	26.9	16.4	34.6	59.7
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता Direct Financial Assistance	54.5	36.4	105.1	77.2*	81.1*	158.9
निर्यात बिल पुनर्भुनाई Export Bills Rediscounting	124.4	124.4	45.9	193.5	193.5	50.0
निर्यात ऋण पुनर्वित्त Export Credit Refinance	17.5	7.0	24.1	33.6	29.1	44.4
ऋण माध्यम Lines of Credit	44.0	22.5	81.4	72.0	12.4	92.6
समुद्रपारीय निवेश वित्त Overseas Investment Finance	2.9	1.9	9.6	0.9	0.7	8.2
पोतलदानपूर्व ऋण Pre-shipment Credit	—	—	—	0.7	0.7	—
पुन: ऋण देने संबंधी सुविधा Relending Facility	35.0	—	—	34.7	0.9	0.9
अन्य निधिक सहायता Other Funded Assistance	—	—	—	0.6**	—	—
कुल जोड़ - निधिक Total - Funded	**287.2**	**205.7**	**293.0**	**429.6**	**353.0**	**414.7**
(आ) गैर निधिक *** (B.) **Non-Funded** ***	75.3	71.2****	451.5	57.2	57.4****	510.2

* : इसमें परामर्शदाता कार्य के लिए मंजूर 0.42 करोड़ रुपये और उपयोग की गयी 0.28 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
Includes Rs. 0.42 crore sanctioned and Rs. 0.28 crore utilised for consultancy job

** : एक शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाई की स्थापना के लिए स्वीकृत सहायता।
Assistance sanctioned for establishing a hundred per cent export-oriented unit.

*** : गैर-निधिक सहायता गारंटियों के रूप में दी गयी है।
Non-funded assistance is given in the form of guarantees.

**** : जारी की गयी गारंटियाँ
Guarantees issued.

टिप्पणी : वर्ष के अन्त में मंजूरी या उपयोग के समय में लागू विनिमय दर को उपयोग में लाते हुए सभी मंजूरियाँ, उपयोग और विदेशी मुद्रा में बकाया राशि रुपयों में परिवर्तित की गयी है (बकाया राशि के मामले में) 31 दिसम्बर 1984 को डालर रुपया विनिमय दर (भारतीय रिज़र्व बैंक के क्रय और विक्रय दर का औसत) $ = 12.3609 रुपये थी।

Note : All sanctions, utilisations and outstanding amounts in foreign currency have been converted into rupees using the exchange rate prevailing at the time of sanction or utilisation or at the end of the year (in the case of outstanding). Dollar rupee exchange rate (average of RBI buying and selling rate) on 31st December 1984 was 1 $ = Rs. 12.3609.

स्रोत : भारतीय निर्यात-आयात बैंक.
Source : Export-Import Bank of India.

एशिया (27 प्रतिशत) और अफ्रीका (24 प्रतिशत) का क्रम आता है। 1983 की तुलना में पश्चिम एशिया और दक्षिण/दक्षिण पूर्व एशिया को किये गये निर्यात में क्रमशः 521 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निधि-इतर सहायता का 90 प्रतिशत से अधिक अंश पश्चिम एशिया में परियोजनाओं के लिये मंजूर और जारी किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में, पश्चिम एशिया की परियोजनाओं के लिये गारंटी मंजूरियों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अफ्रीका की परियोजनाओं के संदर्भ में 90 प्रतिशत की भारी गिरावट आयी।

विदेशी मुद्रा उधार

4.47 एक्ज़िम बैंक ने 1984 में जापानी वाणिज्यिक येन बाजार में प्रवेश किया और एक बिलियन येन लेने के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किये। यह ऋण, ऋण की संपूर्ण अवधि के लिये एक निर्धारित दर पर आठ वर्षों के लिये है। एक्ज़िम बैंक के विदेशी मुद्रा-संसाधनों को बहुमुखी बनाने के संदर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जबकि यह संसाधन अभी तक अमेरिकी डालरों के रूप में ही था। विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए विदेशी परियोजनाओं को पूरा करने में आनेवाली पूरक वित्त सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता हैं।

followed by South/South East Asia (27 per cent) and Africa (24 per cent). Compared to 1983, there was an all-round improvement, with utilisation of assistance for exports to West Asia and South/South East Asia showing increases of 521 per cent and 34 per cent, respectively. Over 90 per cent of non-funded assistance was sanctioned and issued for projects in West Asia. Compared with the previous year, guarantee sanctions for West Asian projects were higher by 33 per cent while those for African projects declined sharply by 90 per cent.

Foreign Currency Borrowings

4.47 Exim Bank entered the Japanese Commercial Yen Market in 1984 and signed a loan agreement for raising Yen 1 billion. The loan is for eight years at a fixed rate for the entire period of the loan. This is a major step in diversification of Exim Bank's foreign currency resources which had so far been in the form of US dollars. Foreign currency resources are utilised for lending to Indian project exporters to meet their need for bridge finance in execution of overseas projects.